दशम माला, खंड 15, अंक 31

गुरुवार, 20 अगस्त, 1992
29 श्रावण, 1914 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

चौथा सत्र
(दसवीं लोक सभा)

(खंड 15 में अंक 21 से 31 तक है)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

विषय सूची

राज्य सभा, खण्ड 15, चौथा सत्र, 1992/1914 (शक)

अंक 31, गुरुवार, 20 अगस्त, 1992/29 श्रावण, 1914 (शक)

विषय				पृष्ठ
संविधान (अठहत्तरवां संशोधन) विधेयक	...	...	...	6—40
पुरःस्थापित करने के लिए प्रस्ताव	...	...	...	6
श्री एस०बी० चव्हाण	.	...	...	6
विचार करने के लिए प्रस्ताव	...	...	...	6
श्री एस०बी० चव्हाण	...	...	...	6—8
श्री इन्द्रजीत	...	...	...	8—12
श्री सुमान मल लोढा	...	...	...	12—13
खण्डवार विचार	...	...	...	28—34
पारित करने के लिए प्रस्ताव	...	...	...	4
श्री एस०बी० चव्हाण	...	...	...	28
संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन (संशोधन) विधेयक		...	...	40—60
पुरःस्थापित करने के लिए प्रस्ताव	...	...	...	40
श्री गुलाम नबी आजाद	...	...	...	40
विचार करने के लिए प्रस्ताव				
श्री गुलाम नबी आजाद	...	...	...	41
श्री नीतीश कुमार	...	...	...	41—42
श्री सोमनाथ चटर्जी	...	...	...	42—43
श्री चन्द्रशेखर	...	...	...	43—44
श्री इन्द्रजीत गुप्त	...	...	...	44—45
श्री प्रेम धूमल	...	...	...	45

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे 46
श्री राम सगीना मिश्र 47
श्री सूरज मंडल ... ... 47—48
श्री एम०आर० काडम्बूर जनार्दनन ... ... 48—49
श्री चित्त बसु 49
श्री इब्राहिम सुलेमान सेट ... ... 49—50
श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ... ... 50—51
श्री ए० चार्ल्स ... ... 51—52
श्री किरिट चालिहा ... ... 52—53
श्री चिरंजी लाल शर्मा 53
श्री हरचन्द सिंह ... ... 53—54
श्री मदन लाल खुराना 54
श्री ई० अहमद 55
श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी ... ... 55—56
श्री सैयद मसूदल हुसैन 56
श्री भोगेन्द्र झा 56
श्री बाइमा सिंह युमनाम ... ... 56—57
श्री विजय एन० पाटील 57
श्री निर्मल कांति चटर्जी 57

संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन (संशोधन) विधेयक पर वाद-विवाद स्थगितकरने के लिए प्रस्ताव ... ... 64—65
श्री रंगराजन कुमार मंगलम 64

श्री बिन-चड्ढा के बारे में ... ... 61—63

राष्ट्रीय राजमार्ग (संशोधन) विधेयक ... ... 65—70
विचार करने के लिए प्रस्ताव
श्री जगदीश टाईटलर 65
संशोधन विचार ... ...

विषय पृष्ठ

पारित करने के लिए प्रस्ताव

श्री जगदीश टाईटलर 70

डा० असीम बाला 70

सभा पटल पर रखे गए पत्र ... ... 71—86

राज्य सभा से संदेश 87

विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति 87

नियम समिति

पहला प्रतिवेदन—सभा पटल पर रखा गया 88

प्राक्कलन समिति 89

उन्नीसवां और बीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत 89

लोक लेखा समिति

तेंतीसवां, चौंतीसवां, पैंतीसवां और

छत्तीसवां प्रतिवेदन—प्रस्तुत 90

उर्वरक मूल्यांकन सम्बन्धी संयुक्त समिति 90

प्रतिवेदन और कार्यवाही सारांश प्रस्तुत 90

सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति ... ...

नौवां प्रतिवेदन और कार्यवाही सारांश—प्रस्तुत 90

बान्डेल उप-मार्ग (बाजारपाड़ा) का नवीकरण करके वहां पानी के जमाव को रोकने तथा बान्डेल रेलवे जंक्शन के सभी प्लेटफार्मों को जोड़ने के लिए एक ऊपरी पुल का निर्माण किए जाने के बारे में याचिका ... 91

वायुयान को हुए घाटे के बारे में दिनांक, 27 जुलाई, 1992 के तारांकित प्रश्न संख्या 270 के उत्तर में शुद्धि करने वाला वक्तव्य ... 91

श्री रंगराजन कुमारमंगलम 91

कार्य मंत्रणा समिति ... ...

इक्कीसवां प्रतिवेदन 92

पासपोर्ट (संशोधन) विधेयक —पुरःस्थापित ... 92—125

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) बिचपुरी, आगरा में कृषि विश्वविद्यालय खोलने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को अनुमति प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री भगवान शंकर रावत 126

(दो) महाराष्ट्र में बीड जिले में नई रेल लाइन बिछाए जाने की आवश्यकता

श्रीमती केसरबाई सोनाजी ओरसागर ... ...

(तीन) देश में, विशेषकर उत्तर प्रदेश के सीतापुर जनपद में टेलीफोन सेवा में सुधार किए जाने की आवश्यकता

श्री जनार्दन प्रसाद मिश्र 126

(चार) उड़ीसा में विभिन्न विद्युत परियोजनाओं के कार्य में तेजी लाए जाने की आवश्यकता

श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी 127

(पांच) बरेली से मुम्बई और दक्षिण भारत के लिए सीधी रेल-गाड़ियां चलाए जाने की आवश्यकता

श्री सन्तोष कुमार गंगवार ... ... 127—128

(छः) उड़ीसा के ढेंकानाल जिले में खड़गप्रसाद और दुर्गापुर में ताप विद्युत केन्द्रों को शीघ्र मंजूरी दिए जाने की आवश्यकता

श्री के०पी० सिंह देव 128

(सात) होनावार में राष्ट्रीय राजमार्ग 17 पर शरावती नदी के ऊपर पुल की शीघ्र मरम्मत किए जाने और वाहनों का पारगमन व्यवस्थित किए जाने के लिए तोल सेतु स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्री बी० धनंजय कुमार ... ... 128—129

(आठ) राजस्थान के सलूम्बर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में रसोई गैस की और अधिक एजेंसियां खोले जाने की आवश्यकता

श्री भैरूलाल मीणा 129

(नौ) राजस्थान में पुष्कर सरोवर के विकास के लिए विस्तृत योजना तैयार किए जाने की आवश्यकता

प्रो० रासा सिंह रावत 129

विषय पृष्ठ

(बस) बिहार के किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से निपटने में सक्षम बनाए जाने हेतु योजना तैयार किए जाने की आवश्यकता

श्री नीतीश कुमार 130

शिशु दुग्ध अनुकल्प, पोषण बोतल और शिशु खाद्य (उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) विधेयक ... ... 131—137

विचार करने के लिए प्रस्ताव

कुमारी ममता बनर्जी ... ... 131—132

श्री राम नाईक ... ... 133—137

मंत्री द्वारा वक्तव्य 138

संघ शासित क्षेत्र दिल्ली और पांडिचेरी में स्वतन्त्रता सेनानियों की पेन्शन में वृद्धि

श्री एस०बी० चव्हाण 138

शिशु दुग्ध अनुकल्प, पोषण बोतल और शिशु खाद्य (उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन विधेयक—जारी ... ... 139—165

श्रीमती गिरिजा देवी ... ... 139—141

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य ... ... 141—145

डा० जी०एल० कनौजिया ... ... 145—148

श्रीमती गीता मुखर्जी ... ... 148—149

श्री अनन्तराव देशमुख ... ... 149—152

श्रीमती सरोज दुबे ... ... 152—154

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे ... ... 154—155

डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय ... ... 155—157

श्री पी०सी० थामस ... ... 157—158

श्रीमती सुमित्रा महाजन ... ... 158—159

खण्डवार विचार

पारित करने के लिए प्रस्ताव

कुमारी ममता बनर्जी ... ... 159—161

भारतीय पुनर्वास परिषद विधेयक ... ... 166—176

विचार करने के लिए प्रस्ताव

विषय पृष्ठ

श्रीमती के० कमला कुमारी	...	...	...	166—167
श्री गिरधारी लाल भार्गव	...	...	...	167—168
डा० सुधीर राय	...	...	...	168—169
प्रो० रासा सिंह रावत	...	...	...	169—171
श्री नीतीश कुमार	...	...	...	171
श्री दत्तात्रेय बंडारू	...	...	...	171—172
श्री सीताराम केसरी	...	...	...	172—173
खण्डवार विचार				
पारित करने के लिए प्रस्ताव				
श्री सीताराम केसरी	...	...	...	172—174
श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे	...	...	...	174—175
विदाई उल्लेख				
श्री पी०वी० नरसिंह राव	...	...	...	176 177
श्री लाल कृष्ण आडवाणी	...	...	...	178—179
श्री नीतीश कुमार	...	...	...	179—180
श्री सैफुद्दीन चौधरी	...	...	...	180
श्री भोगेन्द्र झा	...	...	...	181—182
श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे	...	..	...	182—184
माननीय अध्यक्ष	...	...	...	182—184

लोक सभा

गुरुवार, 20 अगस्त, 1992/29 श्रावण, 1914 (शक)

लोकसभा 11 बजे म. पू. पर समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

11-00 म. पू.

(व्यवधान)

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, बंगलादेशियों के नाम दिल्ली की [illegible] लिस्ट में आ रहे हैं। चुनाव की जब बात हो रही है ···(व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, हमने आपको एक नोटिस दिया है। अभी वी.पी. सिंह जी और हम बाल्मीकि मन्दिर से आ रहे हैं। (व्यवधान) हम "भारत छोड़ो" आन्दोलन की 50वीं जयन्ती मना रहे हैं (व्यवधान) बाल्मीकि मन्दिर और बाल्मीकि मोहल्ला आज पूरे देश में महात्मा गांधी जी के नाम से जाना जाता है। महात्मा गांधी जी जिस बाल्मीकी मोहल्ले में रहते थे, बाल्मीकि मन्दिर में रहते थे, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उसके सामने एक दीवाल खींच दी गई है और वहां गन्दा मैला फेंका जा रहा है। जिस जगह में महात्मा गांधी जी ने रह कर स्वतन्त्रता आन्दोलन की शुरुआत की थी, उस स्थान को खराब करने का काम हो रहा है। वहां पिछले एक महीने से लोग धरना लगा कर बैठे हुए हैं। अभी वी. पी. सिंह जी और हम लोग वहीं से आ रहे हैं। (व्यवधान) यह न केवल स्वतंत्रता आन्दोलन और बाल्मीकि मन्दिर का अपमान है बल्कि महात्मा गांधी जी का भी अपमान है जिन्होंने वहां रह कर पूरे देश को संचालित करने का काम किया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस सम्बन्ध में अपना निर्णय भी दिया है कि वहां से दीवाल को हटाया जाये लेकिन एन. डी. एम. सी. अभी तक सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करवा सकी है। होम मिनिस्टर साहब यहां बैठे हुए हैं। हम उनसे आग्रह करना चाहेंगे कि वह इस सम्बन्ध में कुछ करें। महात्मा गांधी जी ने जिस बाल्मीकि मन्दिर में रहकर दो साल तक तपस्या की और देश को दिशा-निर्देश देने का काम किया, उस बाल्मीकि मोहल्ले और बाल्मीकि मन्दिर के सामने एन. डी. एम. सी. द्वारा एक दीवाल खींचकर गंदा मैला फेंका जाता है। आप एन. डी. एम. सी. से कहिये कि वह सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करे। अगर ऐसा नहीं हो पाया तो हमने घोषणा किया है कि दो सितम्बर को हम प्रदर्शन करेंगे और दीवाल को तोड़ देंगे।

[अनुवाद]

गृहमन्त्री (श्री एस. बी. चव्हाण) : मैं इसकी जांच करूंगा।

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधी नगर) : अध्यक्ष जी, कल यहां सदन में सभी दलों की ओर से इस बात पर बल दिया गया कि यह सत्र समाप्त होने से पहले संविधान संशोधन विधेयक लाया जाये जिस के द्वारा आठवीं अनुसूची में मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी भाषाओं को समाविष्ट किया जाये। बाकी भाषाओं के बारे में हम खुले मन से सोचने के लिए तैयार हैं, लेकिन इन तीन के बारे में, विलम्ब नहीं होना चाहिये। यह सब ने आपसे आग्रह किया है। मैं आज की कार्यसूची में देखता हूं कि 6 विधेयकों का उल्लेख है, लेकिन इस विधेयक का उल्लेख नहीं है। मैं चाहूंगा, क्योंकि कल हमने यह कहा था कि उसके लिए अगर किसी नियम को वेव करने की आवश्यकता होगी तो सदन उसे वेव करने के लिए भी तैयार है। आज ही अगर हमें वेव करने की जरूरत हो तो वेव करें क्योंकि दूसरे सदन का सत्र समाप्त होने वाला है, उसका सत्रावसान होने वाला है। दोनों सदनों से यह पास हो जाये, यह मेरा अनुरोध है।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : हमें बताया गया है कि इसे लाया जा रहा है। ऐसा आश्वासन दिया गया है।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : स्पीकर सर, होम मिनिस्टर साहब बिल यहां अभी और आज ही पास करने के लिए तैयार हैं। रूल्स को वेव्स करने की जहां तक आवश्यकता है, मैं स्पीकर साहब से रिकवैस्ट करूंगा कि वह इसे करें।

अध्यक्ष महोदय : मैं एक बात बताना चाहूंगा कि कुछ महत्वपूर्ण बिल पास करने हैं, ऐसा हम को बताया गया है। इसके साथ-साथ बहुत सारे लोग बहुत सारे विषयों पर भी बोलना चाहते हैं और ऐसा हो जाता है कि एक दफा शुरू हो गया तो वह सिलसिला खत्म नहीं होता है। इसलिए अगर आप सब की अनुमति हो तो पहले बिल ले लेंगे, बाद में जो कुछ कहने के लिए वक्त मिल गया तो वह ले लेंगे, ऐसे भी हो सकता है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : बिल होने के बाद कह सकते हैं। आप कुछ कहना चाहते हैं ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह (फतेहपुर) : माननीय अध्यक्ष जी, माननीय राम विलास जी ने जो प्रश्न उठाया, अभी हम लोग पचकुंइयां रोड गए थे, वहां महर्षि वाल्मीकि जी का मंदिर है, बगल में महात्मा जी वहां निवास करते रहे, कई वर्ष वहां रहे, उनका स्थान है और उसी के सामने···

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : हमने तो आप की बड़ाई की, फिर भी आप खड़े हो जाते हो। हम तो कह रहे हैं, अच्छी बात की। होम मिनिस्टर को हमने कहा है कि खड़े होकर मान जाइये, वह खड़े होकर मान भी गये, फिर भी कहते हैं कि (व्यवधान)

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : कूड़े की गाड़ियां वहां पर आकर वहां उनकी मरम्मत की बात होती है, उसकी दुर्गन्ध और उससे जो प्रदूषण फैलता है, उससे वह लोग संतप्त हैं और लोगों की भावना यह होती है कि अगर जिन्दा रहेंगे तो सिर पर मैला रहेगा और देवता भी हो जायेंगे तो सामने मैला फेंका जायेगा। इस बारे में सुप्रीम कोर्ट निर्णय कर चुका है, एन. डी. एम. सी. सिद्धान्त रूप में स्वीकार कर चुकी कि वहां पर मैले की गाड़ियों की रिपेयर की सब चीजों को हटाकर दूसरी जगह भेजा जायेगा।

आपके द्वारा अनुरोध है कि तत्काल सरकार को कहा जाय कि वहां अगले सत्र के पहले इसका प्रबन्ध करके दूसरी जगह करने की कृपा की जाय।

श्री एस. बी. चव्हाण : मैंने अभी कहा है कि मैं तत्काल इसके अन्दर ध्यान देने को तैयार हूं और इसका इन्तजाम किया जायेगा।

श्री राम लखन सिंह यादव (आरा) : मैं आपका और सदन का ध्यान देश की एक बहुत ही अहम् बात की ओर दिलाना चाहता हूं···

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : परसों स्टेट होम मिनिस्टर साहब ने कहा था कि 14 अगस्त को जो पाकिस्तान के झण्डे फहराये गए और 17 अगस्त को उस पर स्टेट होम मिनिस्टर साहब स्टेटमैण्ट देने वाले थे···

अध्यक्ष महोदय : पहले तो यह तय कर लें। खुराना जी, आप जरा सुनिये। पहले तो यह तय कर लें, यह बिल्स ले लेंगे या यह कर लेंगे। अगर बिल लेने हैं तो इसको फिर बाद में ले लेंगे, नहीं तो एक दफा शुरू हो गया तो उसको बन्द करना बड़ा मुश्किल होगा।

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : यह तो होता रहेगा, 12 बजे रात तक बैठकर पास हो जायेगा।

श्री गुलाम नबी आजाद : नीतीश जी कह रहे हैं कि शाम तक हो जायेगा, शाम तक नहीं है। यहां पास होगा, इसके बाद दूसरे हाउस में पास होना है, यहां से वहां जाना है। एक हाउस में पास होने का मतलब नहीं है, दूसरे हाउस में भी जाना है, वहां भी पास होना है (व्यवधान)

श्री राम लखन सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत संक्षेप में अपनी बातों को आपके सामने रखना चाहता हूं। विगत दिनों में हम 20 सांसदों ने अपना जो कदम उठाया है, उसके फल-स्वरूप बिहार में एक विशेष परिस्थिति पैदा हो गई है। वहां की सरकार ने, वहां के मुख्य मंत्री ने (व्यवधान)

श्री गुलाम नबी आजाद : वाटरवेज बिल का आलरेडी रिप्लाई देने के लिए यह बैठे हुए हैं।

श्री राम लखन सिंह यादव : जान माल सब खतरे में है। वहां हमारे घर को तोड़ने का, अपराधियों को वहां भेजने का सारा कार्य बिहार में हो रहा है और तमाम अभियुक्त जैसे लोग हैं, जो अपराधकर्मी हैं, सब की जमात वहां पर लाकर वहां की सरकार ने, वहां के मुख्य मंत्री ने जिस तरह की परिस्थिति पैदा की है, मैं आप सांसदों से, विशेषकर सभी नेताओं से, चाहे जनता दल के हों, चाहे आडवाणी साहब हों चाहे कोई हों, चाहे सरकार हों, आपकी मार्फत मैं अपना दुखड़ा सुनाना चाहता हूं। आज हमारे घर को तोड़ने की साजिश बुलडोजर मंगाकर की जा रही है, मैं 1959 से जिस मकान में हूं, उसको तोड़ने के लिए अधिकारियों पर दबाव दिया जा रहा है, उसमें जब कुछ नहीं निकला तो 500 एकड़ जमीन में पी. ए. सी. कालोनी है, कालेज है, सब की नापी हो रही है और तमाम अफसरों को···

अध्यक्ष महोदय : देखिए, अभी तय हुआ था कि पहले बिल ले लेंगे।

श्री राम लखन सिंह यादव : मुख्यमंत्री ने वक्तव्य दिया है कि इनकी जान माल की हिफाजत हम नहीं कर सकते, हमारे पांच सांसदों पर जो वक्तव्य दिया है कि वह हमारी सुरक्षा का किसी प्रकार का सुरक्षा का प्रबन्ध हम नहीं कर सकते। बिहार में शान्ति व्यवस्था खराब है, मैं माननीय विश्वनाथ प्रताप जी को कहना चाहता हूं कि उन्हें खुली छूट देकर रखी है, इतना ही नहीं उन्होंने वक्तव्य दिया, सदन में कि सदन में गोली चलेगी, उन्होंने कहा। चीफ जस्टिस को धमकी दी, उनकी जान पर खतरा है। इस तरह से हम लोगों की और तमाम बिहार के साथियों की सुरक्षा की व्यवस्था की जाय, वहां शान्ति व्यवस्था की हालत खराब हो गई है। आज वह कहते हैं कि हमारे माननीय सदस्यों का नाम दिया है कि सी. बी. आई. से हमारे ऊपर इन्क्वायरी करना चाहते हैं···मैं इसका पूर्णतः स्वागत करता हूं। मैं यह कहता हूं कि उसी तहत, उसी सी. बी. आई. की इन्क्वायरी में पूरे जनता दल के सांसदों, मुख्य मंत्री, उनके परिवार तथा कतिपय अन्य मंत्रियों की प्रोपर्टी की जांच की जाए, सब आपको पता चल जाएगा। शिक्षा माफिया, कोल माफिया की चर्चा तो बहुत हुई लेकिन आज बिहार में गोल्ड माफिया कौन है और पड़ोसी देशों से तस्करी में अपार धन तथा घूस में अतुल सम्पत्ति जमा कर रहा है उसका सही रूप बिहार की जनता को ही नहीं बल्कि देश की जनता को भी पता चल जाएगा।

विगत 57 वर्षों के अपने सार्वजनिक जीवन में किसी ने मेरे ऊपर ऐसा कुकर्म नहीं किया है जिस सतह तक जाकर मुख्यमंत्री आज कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में, मैं आपसे, सदन से और नेताओं से आग्रह करूंगा कि हमारे परिवार के सदस्यों को सुरक्षा प्रदान करें और यह जो अनर्थ बिहार में हो रहा है, शांति-व्यवस्था वहां भंग हो रही है उसके लिए उचित कदम उठाएं। यही आपके मार्फत मेरा सरकार से निवेदन है। इतना ही कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : क्या मैं एक अपील कर सकता हूं ? क्योंकि सभा की भावना यही है,

इसलिए संविधान संशोधन विधेयक को पारित होने दिया जाय। इसमें अधिक समय नहीं लगेगा। उसके बाद ये मुद्दे उठाए जा सकते हैं। मेरा यही अनुरोध है। गृह मंत्री इसे पेश करें। विपक्ष के नेता श्री आडवाणी ने भी यही कहा है कि प्रत्येक वर्ग यही चाहता है। इस पर कोई विवाद नहीं होगा। मेरा यहां पर सभी मित्रों से विनम्र निवेदन है कि वे अन्य मामले इसके बाद ही उठाए।

श्री चन्द्र शेखर (बलिया) : मैं समझता हूं कि हमें श्री सोमनाथ चटर्जी का सुझाव मान लेना चाहिए। अन्य सभी मामले एक घन्टे बाद उठाए जा सकते हैं क्योंकि इसमें अधिक समय नहीं लगेगा। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राम लखन सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मेरे बारे में सरकार क्या कहती है (व्यवधान) क्या हम सब लोग मारे जाएं ? (व्यवधान)

श्री नीतीश कुमार : अध्यक्ष जी, सब सदन का काम खत्म हो जाए तो इनका सवाल अलग से देख लीजिएगा।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि आज सदस्यों ने बड़ा सहयोगपूर्ण रवैया अपनाने का निर्णय लिया है और इसके लिए उनका धन्यवाद किया जाना चाहिए।

श्री जार्ज फर्नान्डीज (मुजफ्फरपुर) : केवल वहीं तक जहां तक इस विधेयक का सम्बन्ध है। इस विधेयक के बाद मैं बिन चड्ढा से संबंधित मामला उठाना चाहता हूं और इस विधेयक के पारित होने के तुरन्त बाद मेरा यह मुद्दा उठाने का विचार है। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : अध्यक्ष जी, जो पाकिस्तान के झंडे फहराए गए थे उसके बारे में आज होम मिनिस्टर स्टेटमेंट देने वाले हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप अपने मन से हाउस चलाएंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मैं समझता हूं कि अगर इतना ही कंसेशन आप लोग दे रहे हैं तो पहले बिल इंट्रोड्यूस हो जाए और उसके बाद रिपलाई भी हो जाए। यदि सभा की यही इच्छा है तो ऐसा होने दें।

[अनुवाद]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : उन्हें नियमों को निलम्बित करने का प्रस्ताव पेश करना है। नियमों को निलम्बित करने का प्रस्ताव किसी ने नहीं रखा है।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, यह कुछ असामान्य है। क्योंकि सभा इससे सहमत है, अतः मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री विजय नवल पाटोल (इरनदोल) : लेकिन ऐसी परम्परा नहीं बननी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : हां, श्री पाटील, आप ठीक कह रहे हैं। इसे पूर्वोदाहरण नहीं बनाया जाना चाहिए।

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह सहयोगपूर्ण तरीके से कार्य करने की अच्छी शुरुआत होगी। यदि वे अच्छे कदम उठाते हैं तो हम उनका समर्थन करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हू कि आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कर ली जाएं। मैं नियमों के निलम्बन और इन सभी बातों की अनुमति दे दूंगा।

श्री एस. बी. चव्हाण : मैं अनुरोध करता हूं कि इस संबंध में सभी नियमों को निलम्बित कर दिया जाय।

अध्यक्ष महोदय : हां, मंत्री महोदय, विधेयक पुरःस्थापित कर सकते हैं।

संविधान (अठहत्तरवां संशोधन) विधेयक *

11.14 म. पू.

गृहमंत्री (श्री एस. बी. चव्हाण) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव पारित हुआ।

श्री एस. बी. चव्हाण : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : हमारे पास विधेयक की प्रति नहीं है। लेकिन मैं समझता हूं कि यह कल सुबह हुई चर्चा और सर्वदलीय बैठक में हुई आमसहमति पर ही आधारित है—मैं विस्तार में नहीं जा रहा हूं—इसमें केवल तीन भाषाओं की बात ही नहीं होगी बल्कि उन तीनों भाषाओं में सूक्ष्म अन्तर की बात भी होगी। इसमें कोई पाद टिप्पणी न दें। हमारे पास विधेयक की प्रति नहीं है। इसलिए, मैं समझता हूं कि यह विधेयक कल हुई आमसहमति पर आधारित है।

श्री एस. बी. चव्हाण : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

---

*दिनांक 20-8-92 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-दो, खण्ड-2 में प्रकाशित

इस विधेयक में संविधान की आठवीं अनुसूची में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को शामिल करने का उपबन्ध किया गया है।

कई भाषाओं को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की गई है। ये भाषाएं बोडो/बोरो, भोजपुरी, मैथिया, खातकी, डोगरी, अंग्रेजी, कोकबरक, कोंकणी, कुमाऊनी, लेपूचा, लिम्बू, मैथिली, मणिपुरी/मैथैइ, मिजो, नेपाली/गोरखाली, निकोबारी, राजस्थानी, सम्बलपुरी, सन्थाली और तुलू हैं। इनमें से कुछ भाषाओं के बारे में नाम का विवाद है और संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने हेतु इन भाषाओं के विभिन्न नामों के बारे में प्रतिस्पर्धात्मक मांगें रखी गई हैं।

इस समय आठवीं अनुसूची में 15 भाषायें हैं अर्थात् असमिया, बंगला, गुजराती, हिन्दी, कन्नड, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिन्धी, तमिल, तेलुगु और उर्दू हैं। सिन्धी भाषा को 1967 में संविधान में संशोधन करके जोड़ा गया। इसके पीछे मुख्य विचार यह था कि यद्यपि सिन्धी उस समय किसी क्षेत्र विशेष की भाषा नहीं थी परन्तु अविभाजित भारत में यह क्षेत्र विशेष की भाषा थी और अगर विभाजन नहीं होता तो यह आगे भी बनी रहती।

आठवीं अनुसूची संविधान के अनुच्छेद 344 (1) और 355 से संबंधित है। अनुच्छेद 344 (1) में यह व्यवस्था की गई है कि पांच वर्ष के पश्चात् और इसके पश्चात दस वर्ष व्यतीत होने पर राष्ट्रपति द्वारा एक आयोग का गठन किया जाएगा जिसके सदस्य आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट विभिन्न भाषाओं के प्रतिनिधि होंगे जो राष्ट्रपति को संघ के सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग, यह आयोग संघ के सभी सरकारी प्रयोजनों अथवा किसी एक प्रयोजन के लिए अंग्रेजी के प्रयोग पर प्रतिबन्ध तथा सर्वोच्च न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय की कार्यवाही के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली तथा विधायी प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषाओं की सिफारिश करेगा।

तद्नुसार 1956 में एक आयोग का गठन किया गया था। लेकिन दूसरे आयोग का गठन करना अनिवार्य नहीं समझा गया। इसके पश्चात् राजभाषा अधिनियम, 1963 पारित किया गया जिसके अन्तर्गत राजभाषा संबंधी संसदीय समिति का गठन किया गया जो समय-समय पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर रही है।

इस प्रकार जहां तक आठवीं अनुसूची का संबंध है अनुच्छेद 341 (1) प्रासंगिक नहीं रह गया है। संविधान के अनुच्छेद 351 में यह व्यवस्था है कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिन्दी भाषा का संवर्धन और प्रसार करे और इसका विकास करे ताकि यह भारत की मिश्रित संस्कृति के सभी घटकों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके और हिन्दुस्तानी तथा आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट भारत की अन्य भाषाओं में इसकी प्रकृति, इसके आकार शैली, अभिव्यक्ति में हस्तक्षेप किये बिना स्वांगीकरण करके और मुख्यतः संस्कृत तथा द्वितीयतः दूसरी भाषाओं में जहां कहीं आवश्यक हो शब्दावली बनाकर इसे समृद्ध बनाएं। इस अनुच्छेद से यह प्रतीत होगा कि आठवीं अनुसूची का आशय हिन्दी के प्रगामी प्रयोग और इस भाषा की समृद्धि और संवर्धन से था।

संविधान में आठवीं सूची में शामिल न की गई भाषाओं के प्रयोग के संबंध में कई अन्य उपबन्ध हैं। इसके अतिरिक्त संविधान में भाषाई अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करने हेतु कई उपबन्ध हैं। सरकार ने सभी भाषाओं की सांस्कृतिक और साहित्यिक विरासत को कायम रखने तथा विकसित करने हेतु कई कदम उठाए हैं चाहे इन भाषाओं को आठवीं अनुसूची में शामिल किया गया हो अथवा नहीं।

मानव संसाधन मंत्रालय आदिवासी भाषाओं और अंग्रेजी सहित सभी भाषाओं के विकास के पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराता है। केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर आदिवासी और आधुनिक भारतीय भाषाओं के संवर्धन और विकास में संलग्न है। साहित्य अकादमी ने अब तक विशेष मानदण्ड के आधार पर 22 भाषाओं को मान्यता दी है। राष्ट्रीय पुस्तक न्यास भी अपनी आदान-प्रदान योजना के अन्तर्गत सुविधाएं उपलब्ध कराता है। आकाशवाणी और दूरदर्शन द्वारा भी विभिन्न भाषाओं में, यहां तक कि बोलचाल की भाषा में, अपने कार्यक्रम प्रसारित करके विभिन्न भाषाई ग्रुपों की साहित्यिक और सांस्कृतिक विरासत के संवर्धन के लिए कदम उठाए जाते हैं। राष्ट्रीय जनगणना प्रक्रियाओं में आठवीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं सहित कई भाषाओं को आंकड़ा संकलन और वर्गीकरण के लिए मान्यता दी है।

सरकार ने आठवीं अनुसूची में विभिन्न भाषाओं को शामिल करने की मांग पर गंभीरता से विचार किया है। राजनैतिक दलों के नेताओं से भी परामर्श किया गया है। राजनैतिक दलों के नेताओं के साथ हुई बातचीत में हुई आम सहमति सहित सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद ही कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषाओं को आठवीं अनुसूची में शामिल करने का प्रस्ताव किया गया है।

नेपाली भाषा को आठवीं अनुसूची में शामिल करते समय सरकार ने पाया है कि कुछ क्षेत्रों में इस भाषा को 'गोरखा भाषा' के रूप में जाना जाता है और जनगणना प्रक्रियाओं में इसके लिए अन्य नामों का जैसे 'गोरखाली', 'गोरखी', 'गुरखियन', 'खसकुरा' या नेपाली का प्रयोग किया गया है। यह स्थिति उद्देश्यों और कारणों के कथन में स्पष्ट की गई है।

मुझे विश्वास है कि यह सभा इस बात से सहमत होगी कि इस विधेयक के पुरःस्थापन से हम कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषी लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के प्रति अग्रसर हुए हैं। वर्तमान सन्दर्भ में आठवीं अनुसूची की स्थिति सहित अन्य भाषाओं की मांग पर सरकार अलग से विचार करेगी। महोदय, इन शब्दों के साथ मैं इस सभा की सर्वसम्मत मंजूरी के लिए यह विधेयक प्रस्तुत करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाय।"

श्री गुमानमल लोढा (पाली) : महोदय, मैंने विधेयक की इस पुरःस्थापना पर आपत्ति दी है और संशोधनों को प्रवर समिति के भेजने का प्रस्ताव रखा है। माननीय मंत्री ने कहा है कि

अन्य भाषाओं के मामलों की जांच की जाएगी और 8 करोड़ लोगों द्वारा बोली जाने वाली राजस्थानी की भी गंभीरतापूर्वक जांच होगी। इस पर विचार करते हुए मैं अपने सभी संशोधन वापस लेता हूं।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : हम सभी सहमत हैं कि विधेयक के गुणदोषों पर चर्चा नहीं होगी। गृह मंत्री ने स्वयं यह कहा है कि डोगरी, सन्थाली और मैथिली इत्यादि अन्य भाषाओं के लिए भी मांग है। उचित समय पर लोगों और सभा की भावनाओं पर विचार किया जाए। मुझे विश्वास है कि मंत्री महोदय इस पर विचार करके उचित कानूनों का प्रस्ताव करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से इसके संविधान (संशोधन) विधेयक होने के नाते सभा के मत हेतु इस सम्बन्ध में विचार के लिए प्रस्ताव रखने से पूर्व, इस पर विभाजन द्वारा मत कराया जाना है।

(व्यवधान)

श्री इन्द्र जीत (दार्जिलिंग) : यह महत्वपूर्ण है। महोदय, मैं कुछ कहना चाहता हूं। मैं एक या दो मिनट चाहता हूं। (व्यवधान) मुझे अपनी बात कहने दें।

अध्यक्ष महोदय : अब आप कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। दीर्घाएं खाली कर दी गई हैं। लेकिन फिर मैं मतदान के बारे में थोड़ा सतर्क रहना चाहूंगा। इसके लिए मतों की विशेष संख्या चाहिए और ऐसा प्रतीत होता है कि सभा इसे पारित करने के लिए सहमत है और इसके विरोध में शायद ही कोई हो। इसलिए संख्या की कमी के कारण कुछ और नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं चाहता हूं कि पार्टियों के सचेतक सतर्क रहें और यदि आप चाहें तो मैं कुछ और समय दूंगा। लेकिन तब हम इसे मत हेतु रखकर मतदान नहीं करायेंगे। अब मैं श्री इन्द्र जीत को बोलने की अनुमति देता हूं।

श्री इन्द्र जीत गुप्त (मिदनापुर) : अधिकतर मंत्री भी अनुपस्थित हैं। महोदय, यह अच्छा होगा कि हम इसे थोड़ा बाद में लें। (व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : अभी वोटिंग नहीं करेंगे। बॉबीज बाद में फिर क्लीयर करवायेंगे और बाद में ही डिवीजन होगा।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। हम श्री इन्द्र जीत को सुनते हैं।

श्री इन्द्र जीत : महोदय, मैं कांग्रेस पार्टी का एक अनुशासित सदस्य होने के नाते पार्टी के बहुमत का निर्णय और सरकार द्वारा इस विधेयक को लाने के निर्णय को स्वीकार करता हूं। फिर भी मैं कुछ मुद्दे उठाना चाहूंगा और अपना विरोध दर्ज करना चाहूंगा।

भी मैं कुछ मुद्दे उठाना चाहूंगा और अपना विरोध दर्ज करना चाहूंगा।

मेरा पहला मुद्दा यह है कि मुझे सभा के सभी वर्गों, विशेषकर विपक्ष के नेता और अन्य पार्टियों के नेताओं से बहुत निराशा हुई है, जिन्होंने एक बार फिर राजनीति खेलने और राजनैतिक रूप से प्रेरित विधेयक लाने के लिए सभी परम्पराओं को छोड़ दिया है। उन्होंने इस अच्छे सिद्धान्त को त्याग दिया है, जिसके तहत से विधान संशोधन विधेयक को एक संयुक्त प्रवर समिति या कम से कम प्रवर समिति को प्रेषित किया जाता है। मैं ऐसी अनिवार्यता नहीं देख रहा कि हमारे सभी नियमों को निलम्बित करके और परम्पराओं को छोड़कर इस विधेयक पर कार्यवाही की जाए। इसके कारण बहुत बड़ा नुकसान नहीं होता। महोदय, इसलिए मैं अभी भी आग्रह करता हूं कि समझदारी इसी में होगी कि :

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : अध्यक्ष जी, मेरा व्यवधान का प्रश्न है···

[अनुवाद]

श्री राम नाईक (मुम्बई) : महोदय, मेरा व्यवस्था सम्बन्धी एक प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : मुझे व्यवस्था का यह प्रश्न सुनने दें।

]हिन्दी)

श्री मदन लाल खुराना : सब कुछ सुनने के बाद बिल पेश हो गया और आपने वोटिंग के लिए कह दिया। वोटिंग के लिए कहने के बाद क्या बहस शुरू होगी। मैं यह जानना चाहता हूं··· (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : नाईक जी, आप अब अपना व्यवस्था सम्बन्धी प्रश्न कह सकते हैं।

श्री राम नाईक : महोदय, मैं उनके व्यवस्था सम्बन्धी प्रश्न का समर्थन कर रहा हूं, क्योंकि आपने एक बार यह निर्णय ले लिया है कि दीर्घायें खाली कराई जायें इसके बाद केवल मतदान प्रक्रिया की जा सकती है, कोई वाद-विवाद नहीं किया जा सकता। इसी कारण, वह नियमों के तहत नहीं बोल सकते। यदि यह नियम भी निलम्बित कर दिया गया है तो अलग बात है। मौजूदा नियमों के तहत सभा को सर्वसम्मत विचार व्यक्त करना है कि यह नियम भी निलम्बित कर दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस मुद्दे पर अपना विनिर्णय दूंगा।

श्री राम नाईक : मुद्दा यह है कि जब एक बार मतदान प्रक्रिया शुरू हो गई है तो कोई वाद-विवाद नहीं कराया जा सकता··· (व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : हर आदमी अपने मन से हाउस चलाना चाहे तो हाउस नहीं चलेगा। अपने

पाइंट आफ आर्डर निकाला है, नहीं निकालते तो अच्छा था। हम आज जो कुछ कर रहे हैं थोड़ा-सा अनयूजअल जरूर है, मगर सब नेताओं और सदस्यों के कहने पर ही हम यह करने की कोशिश कर रहे हैं। जब वोटिंग का समय आया तो पता चला कि कई सदस्यों को पता नहीं था कि इस वक्त वोटिंग होनी है, इसलिए सदस्यों की संख्या देखना भी जरूरी है। लॉबी क्लियर करने के बाद यह बात आई इसलिए मैंने कहा है कि मैं फिर लॉबी क्लियर करने का मौका दूंगा, तब तक यह चलेगा।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : थोड़ा सन्देह है।

[अनुवाद]

हम दोपहर बाद या एक घंटे बाद मतदान कर सकते हैं। जो स्थिति है, उसके तहत वादविवाद कराने का कोई फायदा नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : अब हमें उनकी बात से इन्कार नहीं करना चाहिए। कृपया इस विषय की संवेदनशील प्रकृति को ध्यान में रखें।

श्री लालकृष्ण आडवाणी : मैं सहमत हूं। (व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत : मैं व्यक्तिगत तौर पर आडवाणी जी के प्रति अत्यधिक आदर रखता हूं। उन्होंने अनेक बार कुछ परम्पराओं को बनाए रखने के लिए मुकाबला किया है। इसलिए मुझे निराशा हुई है कि संविधान संशोधन जैसे गंभीर मुद्दे पर उन्होंने कहा है कि सभी नियम निलंबित कर दिए जाएं। इस विधेयक को परिचालित भी नहीं किया गया। विधेयक पर कोई चर्चा नहीं होनी है। सामान्यतः और पंडित जवाहर लाल नेहरू के समय के दौरान स्थापित परम्पराओं के तहत प्रत्येक संविधान संशोधन विधेयक को एक प्रवर समिति या संयुक्त प्रवर समिति के पास भेजा जाता था। हमें इन अच्छी परम्पराओं को नहीं छोड़ना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : आप एक बात कह सकते हैं कि गोरखली नेपाली का एक भाग है। कृपया इसके प्रक्रिया संबंधी भाग को न लें।

श्री इन्द्रजीत : नहीं महोदय, प्रक्रिया महत्वपूर्ण है और इस विशेष विधेयक के संबंध में अवश्य ही है। इस तथ्य को देखते हुए कि श्रीमती भंडारी ने अपना विधेयक पेश किया है और अनेक अन्य भाषाओं को शामिल करने की मांग आई है, इस विधेयक को एक संयुक्त प्रवर समिति या एक प्रवर समिति को प्रेषित कर दिया जाना चाहिए था। डोगरी, सन्थाली, मैथिली, भोजपुरी, राजस्थानी और पाली तथा अन्य अनेक भाषाओं को शामिल करने की भी मांग है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि हमें इन सभी भाषाओं केमत को देखते हुए सही और अच्छी परम्परा अपनानी चाहिए थी। यह मामला आसानी से प्रवर समिति या संयुक्त प्रवर समिति को प्रेषित कर देना चाहिए था और इस कारण कोई अनर्थ नहीं हो जाता। महोदय मेरा पहला मुद्दा यह है।

अध्यक्ष महोदय : प्रक्रिया पर न बोलें। मुख्य मुद्दे पर आइए।

श्री इन्द्रजीत : सरकार से मेरा आग्रह है कि अच्छी परम्पराओं को न छोड़ें और इन्हें न

कुचलें और अभी भी इस मामले को संयुक्त प्रवर समिति को दे दें, ताकि सरकार इस अत्यन्त भावनात्मक मुद्दे पर पूरे दृष्टिकोण के साथ फिर से इसे रखें।

श्री ए. चार्ल्स (त्रिवेन्द्रम) : मुझे व्यवस्था संबंधी एक प्रश्न करना है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए।

[हिन्दी]

आप बैठ जायें, मुझे करने दें।

[अनुवाद]

कृपया मुख्य मुद्दे पर आइए।

श्री इन्द्र जीत : महोदय, मैं इसी पर आ रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : कृपया यह ध्यान में रखें कि मंत्री महोदय ने कहा है कि नेपाली, गोरखाली तथा अन्य नामों के तहत मान्य भाषाओं को भी मान्यता दी गई है।

श्री इन्द्र जीत : मैंने प्रक्रिया के संबंध में पहली जो बात कही है उस पर मेरे विचार से कार्रवाही होनी चाहिए। मेरा दूसरा मुद्दा विशेष रूप से गोरखा भाषा से संबंधित है, गोरखली नहीं। महोदय, मैं आपके ध्यान में यह तथ्य लाना चाहता हूं कि 23 अगस्त, 1981 को श्री राजीव गांधी के नेतृत्व में भारत सरकार ने गोरखा नेशनल लिबरेशन फ्रन्ट के साथ एक समझौता किया। इस समझौते के ज्ञापन के तहत गोरखा भाषा को भारत में बसे गोरखाओं की भाषा माना गया और वास्तव में आज यह स्वायत्त दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल की सरकारी भाषा है। यह उनकी सरकारी भाषा है। महोदय, इसलिए मेरा विचार है कि गृह मंत्री को इस तथ्य को ध्यान में रखना चाहिए था। यह सिर्फ एक क्षेत्र नहीं है.....

[हिन्दी]

श्री गुमान मल लोढा (पाली) : अध्यक्ष महोदय, कल जब इस बारे में चर्चा हुई तो आपने कहा था कि हमें भी समय देंगे। क्या नेपाली के अलावा और कोई भाषा नहीं है। हमें बोलने दीजिए। जब आपकी लॉबी क्लीयर हो जाए तो आप वोटिंग कराइए.....

[अनुवाद]

श्री इन्द्र जीत : महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि

श्री सैयद शाहबुद्दीन (किशनगंज) : महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि क्या माननीय सदस्य अपनी पार्टी की तरफ से बोल रहे हैं या अपनी तरफ से। मैं नहीं जानता कि क्या उनकी पार्टी के सचेतक ने उनका नाम अध्यक्षपीठ को भेजा था।

श्री इन्द्र जीत : महोदय, मुझे यह नहीं पता था कि श्री शाहबुद्दीन मेरी पार्टी के सचेतक बन गये हैं।

[हिन्दी]

श्री गुमान मल लोढा : अध्यक्ष महोदय, मैंने कल भी प्रार्थना की थी कि आप जब इनको समय दे रहे हैं तो हमें भी समय चाहिए और आपने कहा कि कल देंगे। मैं दो मिनट के लिए 8 करोड़ जनता की राजस्थानी भाषा के बारे में दो बातें कहना चाहता हूं आप हमें भी अवसर दीजिए.....

[अनुवाद]

श्री इन्द्र जीत : महोदय जैसा कि मैंने कल कहा था, मैंने समझौता ज्ञापन का उल्लेख किया था।

अध्यक्ष महोदय : क्या इसे दोहराना आवश्यक है ?

श्री इन्द्रजीत : मैं दोहरा नहीं रहा। मैं विशेष रूप से इस भाग को पढ़ना चाहता हूं, क्योंकि मैंने कल इसे नहीं पढ़ा था। मैंने अपनी याददाश्त के आधार पर कहा था। 23 अगस्त, 1988 को जी. एन. एल. एफ. तथा श्री राजीव गांधी की सरकार के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन का पैरा 3 निम्नलिखित है :

"संविधान की 8वीं अनुसूची में गोरखा भाषा को शामिल करना।"

इसमें आगे कहा गया है :

"भारत सरकार का मत है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में और अधिक भाषाओं को शामिल करने से प्रतिक्रियाएं होंगी। सरकार का प्रयास है कि 8वीं अनुसूची में शामिल होने को ध्यान में रखे बगैर ही सभी भाषाओं की सांस्कृतिक और साहित्यिक विरासत को विकसित किया जाए।"

इस प्रकार यह स्थिति स्वीकार की गई थी। इसका महत्वपूर्ण पहलू यह है कि 'गोरखा भाषा' नाम स्वीकार किया गया।

इसे देखते हुए चव्हाण साहब ने कहा है कि कुछ क्षेत्रों में गोरखा भाषा है। यह कुछ क्षेत्रों का प्रश्न नहीं है। यह स्वायत्त दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल की सरकारी भाषा है और इसे माना जाए, क्योंकि यह काउंसिल 8-10 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करती है और आप इसकी उपेक्षा नहीं कर सकते।

[हिन्दी]

श्री गुमान मल लोढा : अध्यक्ष महोदय, जब हमने रिक्वेस्ट किया तो आपने अनुमति नहीं दी क्योंकि आपने कहा कि उसी भाषा पर दो घण्टे कल बहस हो लेकिन राजस्थानी भाषा के लिए आप एक शब्द भी सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। मेरी प्रार्थना है आप हमें भी दो मिनट का समय दें।

[अनुवाद]

श्री इन्द्र जीत : अतः मैं माननीय गृह मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वह अपने भाषण के समापन अंश में इस पहलू को पूरी तरह से स्पष्ट कर दें।

अब मैं एक अन्य बात कहना चाहूंगा।

अध्यक्ष महोदय : कृपया अब समाप्त करें। आप अपने भाषण के असर को देख सकते हैं। आपने सभी मुद्दे रख लिये हैं। अब यह जरूरी नहीं हैं। आपको सहयोग करना चाहिए। कल मैंने आपको काफी समय दिया था और आपने सभी मुद्दे रखे थे। यह तो रिकार्ड की बात है। आप आज भी बोले हैं। आप सभा की भावना से अवगत हैं। लोकतंत्र में सभा की भावना बहुत महत्वपूर्ण है।

श्री इन्द्र जीत : महोदय, मैं एक और बात कहना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं, आपने अभी इसका असर देखा है।

श्री इन्द्रजीत : महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि.....

श्री कार्तिकेश्वर पात्र (बालासौर) : महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपके व्यवस्था के प्रश्न को नहीं सुन रहा हूं।

श्री इन्द्रजीत : महोदय, मैं सरकार के विचारार्थ एक और मुद्दा रखना चाहता हूं (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इन्द्रजीत, आप समाप्त क्यों नहीं करते हैं? मैं उन्हें नहीं सुन रहा हूं।

श्री इन्द्रजीत : जो बात मैं कहना चाहता हूं वह आठवीं अनुसूची के बारे में है। मैं नहीं जानता कि किस हद तक इसकी उपादेयता है। मैं चाहता हूं कि सरकार देश की सभी भाषाओं को इस अनुसूची में शामिल करे और इस सूची को कुछ भाषाओं तक ही सीमित रखने की बजाय उन्हें बढ़ावा दे। वास्तव में आठवीं अनुसूची से कई समस्यायें, कई गतिरोध पैदा हुये हैं। अतः हमें इस पर नये सिरे से गौर करना चाहिए और इस बात का फैसला करना चाहिए कि क्या वास्तव में इससे कोई फायदा हो रहा है।

संविधान के अनुच्छेद 351, जिसके अन्तर्गत यह आठवीं अनुसूची आती हैं, में हिन्दी भाषा के विकास की बात कही गयी है। इस अनुच्छेद में यह भी कहा गया है कि संघ सरकार को भारतीय और आठवीं अनुसूची की भाषाओं में प्रयुक्त मुहावरों या अभिव्यंजनाओं का प्रयोग करके हिन्दी भाषा को समृद्ध करना चाहिए। अतः हम हिन्दी भाषा के संवर्धन को कुछ ही भाषाओं तक क्यों सीमित रखते हैं।

अन्ततः समाप्त करते हुए मैं आपकी इच्छाओं के समक्ष झुकते हुए कहूंगा कि सरकार ने

गोरखा भाषा के प्रति ईमानदारी नहीं बरती है अत: मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं लेकिन इस संबंध में मेरी कुछ आपत्तियां और विरोध भी है।

अत: मैं पुन: श्री चव्हाण से अनुरोध करूंगा कि वह अपने भाषण के समापन अंश में इस बात को स्पष्ट करें और गोरखा भाषा को दार्जिलिंग पर्वतीय क्षेत्र की राजभाषा के रूप में पर्याप्त महत्व दें। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री गुमानमल लोढा : अध्यक्ष महोदय, आप यह ध्यान दीजिए कि हम यहां पर बोलना चाहते हैं तो आप हमारी वाणी बंद कर देते हैं। हम चाहते हैं कि हम दो मिनट के लिए निवेदन करें।

[अनुवाद]

महोदय, हम इस विधेयक का समर्थन कर रहे हैं। नेपाली, मणिपुरी और गोरखाली को आठवीं अनुसूची में रखिए।

[हिन्दी]

हमें कोई ऐतराज नहीं है। हम इसको सपोर्ट कर रहे हैं। जितने हमने अमेंडमेंट्स दिए हैं पब्लिक ओपीनियन के लिए, सेलेक्ट कमेटी के लिए, राजस्थानी को इनक्लूड करने के लिए, उसको फिलहाल हम विदड्रॉ करते हैं पर हमारी वेदना यह है कि आठ करोड़ की भाषा राजस्थानी के बारे में हमारे गृह मंत्री जी ने कोई विचार नहीं किया और कोंकणी को ले आए। मेरा निवेदन है कि कम से कम आप कृपा करें कि आने वाले सत्र के पहले राजस्थानी भाषा के बारे में निर्णय करें। राजस्थान के मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया हैं और उन्होंने पत्र लिखकर भेजा है और आठवीं अनुसूची में इसको लाने के लिए आश्वासन दिया है। हमारे गृह मंत्री आश्वासन दें कि राजस्थानी भाषा को 8वीं अनुसूची में अगले सत्र में ले लिया जाएगा।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : विधेयक पर विचार करने में प्रस्ताव को सभा के मतदान के लिए रखने से पूर्व मैं यह बता देना चाहता हूं कि चूंकि यह संविधान (संशोधन) विधेयक है अतः मतदान विभाजन से होगा दीर्घायें खाली कर दी जायें।

अध्यक्ष महोदय : अब दीर्घायें खाली हो गई हैं।

प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

लोक सभा में मत विभाजन हुआ।

पक्ष में

मत विभाजन संख्या समय 11.49 म० पू०

अग्निहोत्री, श्री राजेन्द्र
अजित सिंह, श्री
अडईकलराज, श्री एल.
अन्तुले, श्री ए. आर.
अम्बारासु, श्री इरा
अरुणाचलम, श्री एम.
अयूब खां, श्री
अहमद, श्री ई.
अहमद, श्री कमालुद्दीन
अहिरवार, श्री आनन्द
आचार्य, श्री बसुदेव
आडवाणी, श्री लाल कृष्ण
इम्चालम्बा, श्री
इन्द्र जीत, श्री
उम्मे, श्री साईंता
उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु, प्रो.
उरांव, श्री ललित
ओडेयर, श्री चनैया
कठेरिया, श्री प्रभू दयाल
कनौजिया, डा. पी. एल.
करेड्डुला, श्रीमती कमला कुमारी
कहांडोले, श्री जेड. एम.
कांबले, श्री अरविन्द तुलसीराम
कालका दास, श्री
कालियापेरुमल, श्री पी. पी.
कास्वां, श्री राम सिंह
कुन्जी लाल, श्री
कुडुमुला, कुमारी पदमश्री
कुमारमंगलम, श्री रंगराजन
कुमार, श्री नीतीश
कुमार, श्री वी. धनंजय
कुरियन, प्रो. पी. जे.
कुली, श्री बाभिन
कृष्ण स्वामी, श्री एम.
कृष्ण कुमार श्री एस.
कृष्णेन्द्र कौर (दीपा), श्रीमती
केवल सिंह, श्री
कैनिथी, डा. विश्वनाथम
कोंतला, श्री राम कृष्ण
क्षीरसागर, श्रीमती केसरबाई सोनाजी
खंडेलवाल, श्री प्यारे लाल
खां, श्री असलम
खां, श्री सुखेन्दु
खण्डेलवाल, श्री ताराचन्द
खन्डूरी मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवनचन्द्र
खुराना, श्री मदन लाल
गंगवार, डॉ० परशुराम
गंगवार, श्री संतोष कुमार
गहलोत, श्री अशोक
गायकवाड़, श्री उदयसिंहराव
गालिब, श्री गुरचरण सिंह
गावीत, श्री माणिकराव होडल्या
गुंडेवार, श्री विलासराव नागनाथराव
गिरि, श्री सुधीर

गिरिजा देवी, श्रीमती
गिरियप्पा, श्री सी. पी. मुदाल
गुडाडिन्नी, श्री बी. के.
गुप्त, श्री इन्द्रजीत
गोमांगो, श्री गिरिधर
गौड, प्रो. के. वेंकटगिरि
गौतम, श्रीमती शीला
घंशारे, श्री रामचन्द्र मरातराव
घाटोवार, श्री पवन सिंह
चक्रवर्ती, श्री सुशान्त
चटर्जी, श्री निर्मल कान्ति
चटर्जी, श्री सोमनाथ
चन्द्र शेखर, श्री
चन्द्राकर, श्री चन्दूलाल
चन्द्रशेखर, श्रीमती मारगथम
चव्हाण, श्री पृथ्वीराज डी.
चाक्को, श्री पी. सी.
चार्ल्स, श्री ए.
चावड़ा, श्री ईश्वरभाई खोडाभाई
चावड़ा, श्री हरिसिंह
चिन्ता मोहन, डॉ.
चौधरी, श्री राम टहल
चौधरी, श्री लोकनाथ
चौधरी, श्रीमती संतोष
चौधरी, श्री सैफुद्दीन
चौरे, श्री बापू हरि
छोटे लाल, श्री
जटिया, श्री सत्यनारायण
जनार्दनन, श्री एम. आर. कादम्बुर
जसवन्त सिंह, श्री
जांगड़े, श्री खेलन राम
जाखड़, श्री बलराम
जाफर शरीफ, श्री सी. के.
जायनल अबेदिन, श्री
जावाली, डा. बी. जी.
जीवरत्नम, श्री आर.
जेना, श्री श्री कान्त
जेस्वाणी, डा. खुशीराम डुंगरोमल
जोशी, श्री अन्ना
जोशी, श्री दाऊ दयाल
झिकराम, श्री मोहनलाल
टाईटलर, श्री जगदीश
टिंडिवनाम, श्री के. राममूर्ती
ठाकुर, श्री गाभाजी मंगाजी
ठाकुर, श्री महेन्द्र कुमार सिंह
डामोर, श्री सोमजीभाई
डेका, श्री प्रबीन
डेनिस, श्री एन.
डोम, डा. राम चन्द्र
तम्काबालू, श्री के. वी.
तारासिंह, श्री
तेजनारायण सिंह, श्री
तोमर, डा. रमेश चन्द
तोपनो, कुमारी फ्रिडा
थामस, प्रो. के. वी.
थामस, श्री पी. सी.
थोरात, श्री सदीपान भगवान
त्रिपाठी, श्री लक्ष्मीनारायण मणि
त्रिपाठी, श्री ब्रज किशोर
दण्डवते, प्रो. मधु
दलबीर सिंह, श्री
दत्त, श्री अमल
दादाहूर, श्री गुरचरणसिंह
दास, श्री जितेन्द्र नाथ

दास, श्री द्वारका नाथ
दास, श्री राम सुन्दर
दिघे, श्री शरद
दुबे, श्रीमती सरोज
देव, श्री संतोष मोहन
देवरा, श्री मुरली
देवराजन, श्री बी.
देवी, श्रीमती बिम्बू कुमारी
देशमुख, श्री अनन्तराव
देशमुख, श्री अशोक आनन्दराव
द्रोण, श्री जगत वीर सिंह
धूमल, प्रो. प्रेम
न्यामगौड़ श्री सिद्दप्पा भीमप्पा
नवले, श्री विदुरा विठोबा
नायक, श्री जी. देवराय
नाईक, श्री राम
नायक, श्री ए. वेंकटेश
नायक, श्री मृत्युन्जय
नारायणन, श्री, पी. जी.
पंडियन, श्री डी.
पंवार, श्री हरपाल
पंवार, डा. बसंत
पचेरवाल, श्री गोपाल
पटनायक, श्री शरत चन्द्र
पटनायक, श्री शिवाजी
पटेल, डा. अमृतलाल कालिदास
पटेल, श्री उत्तमभाई हारजीभाई
पटेल, श्री चन्द्रेश
पटेल, श्री प्रफुल
पटेल, श्री वृशिण
पटेल, श्री राम पूजन
पटेल, श्री श्रवण कुमार
पटेल, श्री हरिलाल ननजी
पाटीदार, श्री रामेश्वर
पाटील, श्री अन्वरी बसवराज
पाटील, श्रीमती सूर्यकान्ता
पाठक, श्री सुरेन्द्रपाल
पाठक, श्री हरिन
पाण्डेय, डा. लक्ष्मीनारायण
पायलट, श्री राजेश
पाल, श्री रूपचन्द
पालाचोला, श्री बी. आर. नायडू
पासवान, श्री राम विलास
पासवान, श्री सुकदेव
पासी, श्री बलराज
पुजारी, श्री जनार्दन
पात्र, डा. कार्तिकेश्वर
पुरकायस्थ, श्री कवीन्द्र
पोतदुखे, श्री शांताराम
प्रधानी, श्री के.
प्रभु झांट्ये, श्री हरीश नारायण
प्रमाणिक, श्री राधिका रंजन
प्रसाद, श्री हरि केवल
प्रेम, श्री बी. एल. शर्मा
प्रेमी, श्री मंगलराम
फर्नान्डीज, श्री ओस्कर
फर्नान्डीज, श्री जार्ज
फारुक, श्री एम. ओ. एच.
फातमी, श्री मोहम्मद अली अशरफ
बंडारू, श्री दत्तात्रेय
बर्मन, श्री उद्धव
बर्मन, श्री पलास
बरार, श्री जगमीत सिंह
बसु, श्री अनिल

बसु, श्री चित्त
बालयोगी, श्री जी. एम. सी.
बाला, डा. असीम
बालियान, श्री नरेश कुमार
बीरबल, श्री
बैठा, श्री महेन्द्र
बैरवा, श्री राम नारायण
भक्त, श्री मनोरंजन
भगत, श्री विश्वेश्वर
भट्टाचार्य, श्रीमती मालिनी
भण्डारी, श्रीमती दिल कुमारी
भागेय गोवर्धन, श्री
भार्गव, श्री गिरधारी लाल
भोई, डा. कृपासिन्धु
भोये, श्री रेशमा, मोतीराम
भोंसले, श्री तेजसिंह राव
भोंसले श्री प्रतापराव बी.
मंजय लाल, श्री
मंडल, श्री सनत कुमार
मंडल, श्री सूरज
मरबनिआंग, श्री पीटर जी
मरांडी, श्री साइमन
मलिक, श्री धर्मपाल सिंह
मलिक, श्री पूर्ण चन्द्र
मल्लू, डा. आर.
महतो, श्री वीर सिंह
महतो, श्री शैलेन्द्र
महाजन, श्रीमती सुमित्रा
मिर्धा, श्री राम निवास
मिश्र, श्री राम नगीना
मिश्र, श्री सत्यगोपाल
मुखर्जी, श्रीमती गीता
मुखर्जी, श्री सुव्रत
मुखोपाध्याय, श्री अजय
मुजाहिद, श्री बी. एम.
मुण्डा, श्री कड़िया
मुण्डा, श्री गोविन्द चन्द्र
मुनियप्पा, श्री के. एच.
मुरलीधरण, श्री के.
मुरमु, श्री रूपचंद
मुलतान सिंह, चौधरी
मुरुगेसन, डा. एन.
मूर्ति, श्री एम. वी. चन्द्रशेखर
मुत्तेमवाइ, श्री विलास
मेघे, श्री दत्ता
मेहता, श्री भुवनेश्वर प्रसाद
मैथ्यू, श्री पाला के. एम.
मोहन सिंह, श्री
मोल्लाह, श्री हन्नान
यादव, श्री देवेन्द्र प्रसाद
यादव, श्री राम शरण
यादव, श्री विजय कुमार
यादव, श्री शरद
यादव, श्री सूर्य नारायण
युमनाम, श्री याइमा सिंह
रंगपी, डा. जयन्त
राज नारायण, श्री
राजे, श्रीमती वसुन्धरा
राजेन्द्र कुमार, श्री एस. एस आर.
राजेश्वरन, डा. वी.
राजेश्वरी, श्रीमती वासव
राणा, श्री काशीराम
राम, श्री प्रेम चन्द
राम बदन, श्री
राम सजीवन, श्री
राम सागर, श्री (बाराबंकी)

राम सिंह, श्री
रामचन्द्रन, श्री मुल्लापल्ली
रामदेव राम, श्री
राममूर्ति, श्री के.
रामस्वामी, श्री राजगोपाल
राय, श्री एम. रमन्ना
राय, श्री कल्प नाथ
राय, श्री रवि
राय, श्री लाल बाबू
राय, डा. सुधीर
राय, श्री हरधन
रायचौधरी, श्री सुदर्शन
राव, श्री जे. चोक्का
राव राम सिंह, कर्नल
रावत, श्री भगवान शंकर
रावत, श्री प्रभु लाल
रावत प्रो. रासा सिंह
रावल, डा. लालबहादुर
रेड्डय्मा यादव, श्री के. पी.
रेड्डी, श्री एम. वाणी
रेड्डी, श्री को. विजय भास्कर
रेड्डी, श्री जी गंगा
रेड्डी, श्री बी. एन.
रोशन लाल, श्री
लालजान बाशा, एस. एम.
वर्मा, श्री उपेन्द्र नाथ
वर्मा, श्री भवानीलाल
वर्मा, श्री शिव शरण
वाड्डे, श्री शोभनाद्रीश्वर राव
विजयराघवन, श्री वी एस.
वीरप्पा, श्री रामचन्द्र
वेकट स्वामी श्री जी.
वेकारिया, श्री शिवलाल नागजीभाई
शंकरानन्द, श्री बी.
शाक्य, डा. महादीपक सिंह
शास्त्री, श्री राजनाथ सोनकर
शास्त्री, श्री विश्वनाथ
शिंगडा, श्री डी. बी.
शिवप्पा, श्री के. जी.
शुक्ल, श्री विद्याचरण
शुक्ल, श्री अष्टभुजा प्रसाद
शैलजा, कुमारी
संगमा, श्री पूर्णो ए.
सईद, श्री पी. एम.
सज्जन कुमार, श्री
सरोदे, डॉ. गुणवन्त रामभाऊ
सलीम, श्री मुहम्मद यूनुस
सत्रुचार्ला, श्री विजयराम राजू
सादुल, श्री धर्मन्ना मोन्डय्या
सानीपल्ली, श्री गंगाधरा
साय, श्री ए. प्रताप
साहो, श्रीमती कृष्णा
सावन्त, श्री सुधीर
सिंधिया, श्री माधवराव
सिंह, श्री उदय प्रताप
सिंह, श्री खेलसाय
सिंह, श्री मोतीलाल
सिंह, श्री राजवीर
सिंह, श्री राम प्रसाद
सिंह, श्री रामपाल
सिंह, श्री रामाश्रय प्रसाद
सिंह, श्री विश्वनाथ प्रताप

सिंह, श्री शिवेन्द्र बहादुर
सिंह, श्री शिवशरण
सिंह, श्री हरि किशोर
सिंह देव, श्री के. पी.
सिद्धार्थ, श्रीमती डी. के. ताराबेवी
सिलवेरा, डा. सी.
सुरेश, श्री कोडीकुन्नील
सुन्दरराज, श्री एन.
सुल्तानपुरी, श्री कृष्ण दत्त
सेठी, श्री अर्जुन चरण
सेकिया, श्री मुही राम
सैयद, शाहाबुद्दीन, श्री
सोढ़ी, श्री बामकूराम
सोरेन, श्री शिबू
सौन्द्रम, डा. (श्रीमती) के. एस.
स्वामी, श्री सुरेशानन्द
स्वामी, श्री जी. वेंकट
हुड्डा, श्री भूपेन्द्र सिंह
हुसैन, श्री सैयद मसूदल

विपक्ष में

** 1. श्री बूटा सिंह

अध्यक्ष महोदय : शुद्धि के अध्यधीन, मत विभाजन का परिणाम* इस प्रकार है :

पक्ष में : 321

विपक्ष में : 001

"प्रस्ताव सभा की समस्त सदस्य संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई से अन्यून बहुमत से पारित हुआ।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : मैं समझता हूं कि उन्होंने गलती से यह किया है।

श्री पी. एम. सईद (लक्षद्वीप) : इसे सर्वसम्मति से होने दीजिए।

श्री बूटासिंह (जालौर) : इसे सर्वसम्मति से होने दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि एक शुद्ध पत्र मिला है। मैं तो कहूंगा कि सभा इस मुद्दे पर एकमत है। मैं घोषित करता हूं कि प्रस्ताव सर्वसम्मति से तथा अपेक्षित बहुमत द्वारा पारित हुआ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

---

* निम्नलिखित सदस्यों ने अपना मतदान किया :

पक्ष में : डा. गिरिजा व्यास, श्री गोविन्द राव निकम, श्री बूटासिंह, श्री विजय नवल पाटिल, नूरुल इस्लाम, श्री बी. अकबर पाशा, श्री सूरजभान सोलंकी, श्री भेरूलाल मीणा, श्री के. तुलसिऐया वान्डायार, श्री हरचन्द सिंह, श्रीमती सुशीला गोपालन, श्री धर्मभिक्षम, श्री राम लखन सिंह यादव, श्री राम निहोर राय, श्री देवी बक्स सिंह, श्री एस. मल्लिकार्जुनय्या, श्री गुमान मल लोढा, श्री सुशील चन्द्र वर्मा, श्री योगानन्द सरस्वती, श्री रामकृष्ण कुसमारिया श्री शशि चन्द्र दीक्षित

** गलती से विपक्ष में मतदान किया।

खण्ड 2 आठवीं अनुसूची का संशोधन

अध्यक्ष महोदय : खण्ड 2 को सदन के मतदान के लिए रखने से पूर्व मैं यह बता देना चाहता हूं कि यह संविधान (संशोधन) विधेयक है अतः इस पर मतदान विभाजन द्वारा होगा।

घंटियां खाली कर दी जायें :

अब घंटियां खाली हो गयी हैं।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बने।"

लोकसभा में मत विभाजन हुआ।

पक्ष में

मत विभाजन संख्या 4 समय 11.52 म० पू०

अकबर पाशा, श्री बी.
अग्निहोत्री, श्री राजेन्द्र
अजितसिंह, श्री
अडईकलराज, श्री एल.
अन्तुले, श्री ए. आर.
अन्बारासु, श्री इरा
अरुणाचलम, श्री एम.
अहमद श्री ई.
अहमद, श्री कमालुद्दीन
अहिसार, श्री आनन्द
आचार्य, श्री वासुदेव
आडवाणी, श्री लाल कृष्ण
इन्द्र जीत, श्री
इन्द्यालाम्बा, श्री
इस्लाम, श्री नुरुल
उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु, प्रो.
उम्रे, श्री लाईना
उरांव, श्री ललित
ओडेयर, श्री चनैया
कठेरिया, श्री प्रभूदयाल
करेद्दुला, श्रीमती कमला कुमारी
कांबले, श्री अरविन्द तुलसीराम
कहांडोले, श्री जेड. एम.
कालकादास, श्री
कालियापेरुमल, श्री वी. पी.
काम्बा, श्री वेंकट कृष्ण रेड्डी
कुडुमुला, कुमारी पदमश्री
कुमार, श्री वी. धनंजय
कुमारमंगलम, श्री रंगराजन
कुरियन, प्रो. पी. जे.
कुली, श्री बालिन
कुसमरिया, श्री रामकृष्ण
कृष्णस्वामी, श्री एम.
कृष्ण कुमार, श्री एस.
कृष्णेन्द्र कौर (दीपा) श्रीमती
केवल सिंह, श्री

कोंतला, श्री रामकृष्ण
कैनिथी, डा. विश्वनाथम
क्षीरसागर, श्रीमती केशरबाई सोनजी
खंडेलवाल, श्री ताराचन्द
खण्डूरी, मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र
खां, श्री असलम शेर
खां, श्री सुखेन्दु
खुराना, श्री मदन लाल
गंगवार, डा. परशुराम
गंगवार, श्री सन्तोष कुमार
गायकवाड़, श्री उदयसिंह राव
गावीत, श्री माणिकराव होडल्या
गालिब, श्री गुरचरण सिंह
गिरि, श्री सुधीर
गिरिजादेवी, श्रीमती
गिरियप्पा, श्री सी. पी. मुदाल
गुडाडिन्नी, श्री बी. के.
गूंडेवार, श्री विलासराव नागनाथराव
गुप्त, श्री इन्द्रजीत
गोपालन, श्रीमती सुशीला
गोमांगो, श्री गिरिधर
गौतम, श्रीमती शीला
गौड, प्रो. के. वेंकटगिरि
घाटोवार, श्री पवनसिंह
चक्रवर्ती, श्री सुशांत
चटर्जी, श्री निर्मलकांति
चटर्जी, श्री सोमनाथ
चन्द्राकर, श्री चन्दूलाल
चन्द्र शेखर, श्री
चन्द्रशेखर, श्रीमती मारगथम
चव्हाण, श्री पृथ्वीराज डी.
चाक्को, श्री पी. सी.
चार्ल्स, श्री ए.
चावड़ा, श्री हरिसिंह
चिन्ता मोहन, डा.
चौधरी, श्री राम टहल
चौधरी, श्री लोकनाथ
चौधरी, श्रीमती संतोष
चौधरी, श्री सैफुद्दीन
छोटे लाल, श्री
जटिया, श्री सत्यनारायण
जनार्दनन्, श्री एम. आर. कादम्बूर
जसवन्त सिंह, श्री
जांगड़े, श्री खेलन राम
जाखड़, श्री बलराम
जाफर शरीफ, श्री सी. के.
जायनल अबेदिन, श्री
जावाली, डा. बी. जी.
जीवरत्नम, श्री आर.
जेना, श्री श्रीकांत
जोशी, श्री अन्ना
जोशी, श्री दाऊदयाल
झा. श्री भोगेन्द्र
झिकराम, श्री मोहनलाल
टाईटलर, श्री जगदीश
टिंडिवनाम, श्री के. राममूर्ति
ठाकुर, श्री गामाजी मंगाजी
ठाकुर, श्री महेन्द्र कुमार सिंह
डेनिस, श्री एन.
डोम, डा. रामचन्द्र
तम्काबालू, श्री के. वी.
तारासिंह, श्री

तेजनारायण सिंह, श्री
तोपनो, कुमारी फिडा
त्रिपाठी, श्री ब्रजकिशोर
थामस, प्रो. के. वी.
थोराहन श्री एस. वी.
दत्त, श्री अमल
बलबीर सिंह, श्री
दास, श्री द्वारकानाथ
दास, श्री रामसुन्दर
दिघे, श्री शरद
दीक्षित, श्री श्रीश चन्द्र
दुबे श्रीमती सरोज
देव, श्री संतोष मोहन
देवरा, श्री मुरली
देवराजन, श्री वी.
देशमुख, श्री अनन्तराव
देशमुख, श्री अशोक आनन्दराव
द्रोण, श्री जगतवीरसिंह
धूमोल, प्रो. प्रेम
नवले, श्री विदुरा, विठोबा
नाईक, श्री राम
नायक, श्री ए. वेंकटेश
नायक, श्री जी. देवराय
नायक, श्री मृत्युन्जय
नारायणन, श्री पी. जी.
निकाम, श्री गोविन्दराव
न्यामगौड, श्री सिद्ध्या भीमप्पा
पंडियन, श्री डी.
पंवार, श्री हरपाल
पंवार, डा. वसंत
पटनायक, श्री भरत चन्द्र
पटनायक श्री शिवाजी
पटेल, अमृतलाल कालिदास
पटेल, श्री उत्तमभाई, हारजीभाई
पटेल, श्री चन्द्रेश
पटेल, श्री प्रफुल
पटेल, श्री वृशिण
पटेल श्री रामपूजन
पटेल, श्री श्रवण कुमार
पटेल, श्री हरिलाल ननजी
पाटील, श्री अन्वरी बसवराज
पाटीदार, श्री रामेश्वर
पाटील, श्री उत्तमराव देवराव
पाटील, श्री विजय एन.
पाटील, श्रीमती सूर्यकांता
पाठक, श्री सुरेन्द्रपाल
पाठक, श्री हरिन
पाण्डेय, डा. लक्ष्मीनारायण
पायलट, श्री राजेश
पाल, श्री रूपचन्द
पालाचोला, श्री वी आर. नायडू
पासवान, श्री छेदी
पासवान, श्री राम विलास
पासवान, श्री सुकदेव
पासी, श्री बलराज
पात्र, डा. कार्तिकेश्वर
पुरकायस्थ, श्री कवीन्द्र
पोतदुखे, श्री शांताराम
प्रधानी, श्री के.
प्रभुझांट्ये, श्री हरीश नारायण
प्रमाणिक, श्री राधिका रंजन
प्रसाद, श्री हरि केवल

प्रेम, श्री बी. एल. शर्मा
प्रेमी, श्री मंगतराम
फर्नान्डीज, श्री ऑस्कर
फर्नान्डीज, श्री जार्ज
फारुक, श्री एम. ओ. एच.
फातमी, श्री मोहम्मदअली अशरफ
बंगाली सिंह, डा.
बंडारु, श्री दत्तात्रेय
बर्मन, श्री पलाश
बर्मन, श्री उद्धब
बसु, श्री अनिल
बसु, श्री चित्त
बाला, डा. असीम
बालयोगी, श्री जी. एम. सी.
बीरबल, श्री
बूटा सिंह, श्री
बैठा, श्री महेन्द्र
बैरवा, श्री रामनारायण
भक्त, श्री मनोरंजन
भगत, श्री विश्वेश्वर
भट्टाचार्य, श्रीमति मालिनी
भण्डारी, श्रीमती दिलकुमारी
भार्गव गोवर्धन, श्री
भार्गव, श्री गिरधारी लाल
भोई, डा. कृपासिन्धु
भोंसले, श्री तेजसिंहराव
भोंसले, श्री प्रतापराव बीतू
मंजय लाल, श्री
मंडल, श्री सनत कुमार
मंडल, श्री सूरज
मरबनिआंग, श्री पीटर जी.

मरांडी, श्री साइमन
मलिक श्री धर्मपालसिंह
मलिक, श्री पूर्ण चन्द्र
मल्लिकार्जुनय्या, श्री एस.
मल्लू, डा. आर.
महतो, श्री बीर सिंह
महतो, श्री शैलेन्द्र
महाजन श्रीमती सुमित्रा
मिर्धा, श्री राम निवास
मिश्र, श्री राम नगीना
मिश्र, श्री सत्यगोपाल
मीणा, श्री भेरू लाल
मुखर्जी,, श्रमती गीता
मुखर्जी, श्री सुब्रत
मुखोपाध्याय, श्री अजय
मुजाहिद, श्री बी. एम.
मुण्डा, श्री करिया
मुण्डा, श्री गोविन्द चन्द्र
मुत्तेमवार, श्री विलास
मुनियप्पा, श्री के. एच.
मुरमू, श्री रूप चंद
मुरलीधरण, श्री के.
मुरुगेसन, डा. एन.'
मेघे, श्री दत्ता
मेथ्यू, श्री पाल के. एम.
मोल्लाह, श्री हन्नान
यादव, श्री देवेन्द्र प्रसाद
यादव, श्री राम लखन सिंह
यादव, श्री विजय कुमार
यादव, श्री शरद
यादव, श्री सूर्य नारायण

युमनाम, श्री याइमा सिंह
रंगपी, डा. जयन्त
राज नारायण, श्री
राजे, श्रीमती वसुन्धरा
राजेन्द्र कुमार, श्री एस. एस. आर.
राजेश्वरन, डा. वी.
राजेश्वरी, श्रीमती वासव
रामदेव राम, श्री
राम वदन, श्री
रामसागर, श्री (बाराबंकी)
राम सिंह, श्री
रामचन्द्रन, श्री मुल्लापल्ली
राममूर्ति, श्री के.
रामासामी, श्री राजगोपाल नायडू
राय श्री एम. रमन्ना
राय, श्री कल्पनाथ
राय, श्री रवि
राय, श्री रामनिहोर
राय, श्री लालबाबू
राय, श्री हराधन
रायचौधरी, श्री सुदर्शन
राव, श्री जे. चौक्का
राव रामसिंह, कर्नल
रावत, श्री भगवान शंकर
रावत, श्री प्रभु लाल
रावत, प्रो. रासा सिंह
रावल, डा. लाल बहादुर
रेड्डी, श्री एम. बागा
रेड्डी, श्री के. विजय भास्कर
रेड्डी, श्री बी. एन.
रेड्डय्या यादव, श्री के. पी.

लालजान बाशा, श्री एस. एम.
वर्मा, श्री उपेन्द्र नाथ
वर्मा, श्री भवानीलाल
वर्मा, श्री सुशील चन्द्र
वर्मा, श्री शिव शरण
वाड्डे, श्री शोभनाद्रीश्वर राव
विजयराघवन, श्री वी. एस.
वीरप्पा, श्री रामचन्द्र
वेकारिया, श्री शिवलाल नागजीभाई
व्यास, डा. गिरिजा
शंकरानन्द, श्री बी.
शाक्य, डा. महादीपक सिंह
शास्त्री, श्री राजनाथ सोनकर
शिंगडा, श्री डी. बी.
शिवप्पा, श्री के. जी.
शुक्ल, श्री विद्याचरण
शुक्ल, श्री अष्टभुजा प्रसाद
शैलजा, कुमारी
संगमा, श्री पूर्णो ए.
सईद, श्री पी. एम.
सज्जन कुमार, श्री
सरोदे, डा. गुणवन्त रामभाऊ
सलीम, श्री मुहम्मद यूनुस
सत्रु चार्ला, श्री विजयराम राव
साहुल, श्री धर्मन्ना मोण्डय्या
सानीपल्ली, श्री गंगाधर
साय, श्री ए. प्रताप
साही, श्रीमती कृष्णा
सावन्त, श्री सुधीर
सिंधिया, श्री माधवराव
सिंह, श्री उदय प्रताप

सिंह, श्री खेलसाय
सिंह, श्री मोतीलाल
सिंह, श्री राजवीर
सिंह, श्री रामाश्रय प्रसाद
सिंह, श्री रामपाल
सिंह, श्री विश्वनाथ प्रताप
सिंह, श्री शिवेन्द्र बहादुर
सिंह, श्री शिवशरण
सिंह, श्री हरिकिशोर
सिंह देव, श्री के. पी.
सिद्धार्थ, श्रीमती डी. के तारादेवी
सिलवेरा, डा. सी.
सुंदरराज, श्री एन.
सुरेश, श्री कोडीकुन्नील
सुल्तानपुरी, श्री कृष्ण दत्त
सैकिया, श्री मुही राम
सैयद, शाहाबुद्दीन, श्री
सोढ़ी, श्री मानकूराम
सोरेन, श्री शिबू
स्वामी, श्री सुरेशानन्द
स्वामी, श्री जी. वेंकट
हरचन्द सिंह, श्री
हुसैन, श्री सैयद मसूदल
हुड्डा, श्री भूपेन्द्र सिंह

विपक्ष में

** 1. श्री कालका दास

अध्यक्ष महोदय : शुद्धि से अध्यधीन, मतविभाजन का परिणाम * इस प्रकार है :

पक्ष में : 307

विपक्ष में : शून्य

"प्रस्ताव सभा की समस्त सदस्य संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई से अन्यून बहुमत से पारित हुआ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

---

* निम्नलिखित सदस्यों ने पक्ष में अपना मतदान किया :—

श्री अशोक गहलोत, श्री प्रवीन डेका, श्री ईश्वर चोडाभाई चावड़ा, श्री अयूब खान, डा. (श्रीमती) के. एस. सौन्द्रम, श्री सूरजभाई सोलंकी, श्री जगमीत सिंह बरार, श्री के. तुलसिऐया दाम्डायार, श्री बापू हरि चारे, श्री गुरुचरण सिंह दादाहूर. श्री विश्वनाथ शास्त्री, श्री रामचन्द्र मरोतगदा घंघारे, श्री रोशन लाल, श्री बी. गंगारेड्डी, श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता, श्री प्रेमचन्दराम श्री जितेन्द्र नाथ दास, डा. संतोष राय, श्री अर्जुन चरण सेठी, श्री नरेश कुमार बालियान, श्री जी. एल. कनौजिया, डा. रमेश चन्द्र तोमर, श्री देवी बक्ससिंह, श्री गुमान मल लोढा, श्री काशीराम राणा, श्री कुंजी लाल और डा. के. डी. जेस्वानी।

** गलती से विपक्ष में मतदान किया।

खण्ड 1, संक्षिप्त नाम और आरम्भ संशोधन किया गया :

पृष्ठ 1, पंक्ति 3

अठहत्तरवां के स्थान पर इकहत्तरवां प्रतिस्थापित किया जाये ।

(1) श्री एस. बी. चव्हाण

अध्यक्ष महोदय : अब मैं खण्ड 1, को संशोधित रूप में सदन के मतदान के लिए रखूंगा ।

प्रश्न यह है :—

"कि खण्ड 1, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड 1, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गये ।

गृह मंत्री (श्री एस. बी. चव्हाण) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाये।"

अध्यक्ष महोदय : विधेयक को संशोधित रूप में, पारित करने से पूर्व मैं यह बता देना चाहता हूं कि यह संविधान (संशोधन) विधेयक है अतः इस पर मतदान विभाजन द्वारा होगा ।

लॉबियां खाली कर दी जायें ।

अब लॉबियां खाली हो गयी हैं ।

प्रश्न यह है :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में पारित किया जाये ।"

लोकसभा में मत विभाजन हुआ

पक्ष में

मत विभाजन संख्या 5 समय 12/01

अकबर पाशा, श्री बी.	अरुणाचलम, श्री एम.
अग्निहोत्री, श्री राजेन्द्र	अयूब खां, श्री
अडैक्कलराज, श्री एल.	अहमद, श्री ई.
अन्तुले, श्री ए. आर.	अहमद, श्री कमालुद्दीन
अम्बरासु, श्री इरा	अहिरवार, श्री आनन्द

आचार्य, श्री बसुदेव
आडवाणी, श्री लाल कृष्ण
इन्द्र जीत, श्री
इम्चालम्बा, श्री
इस्लाम, श्री नुरुल
उम्बे, श्री लाईता
उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु, प्रो.
उरांव, श्री ललित
ओडेयर, श्री चनैया
कठेरिया, श्री प्रभू दयाल
कनोजिया, डा. जी. एल.
कमल नाथ, श्री
करेद्दुला, श्रीमती कमला कुमारी
कहांडोले, श्री जेड. एम.
कांबले, श्री अरविन्द तुलसीराम
कालका दास, श्री
काण्बा, श्री रामसिंह
कुन्जी लाल, श्री
कुड्मुला, कुमारी पदम श्री
कुप्पुस्वामी, श्री सी. के.
कुमार, श्री नीतीश
कुमारमंगलम, श्री रंगराजन
कुरियन, प्रो. पी. जे.
कुली, श्री बालिन
कुसमरिया, श्री रामकृष्ण
कृष्ण कुमार, श्री एस.
कृष्ण स्वामी, श्री एम.
कृष्णेन्द्र कौर (दीपा), श्रीमती
केवल सिंह, श्री
कैनिथी, डा. विश्वनाथम

कौतका श्री राम कृष्ण
क्षीरसागर, श्रीमती केसरबाई सोनाजी
खंडेलवाल, श्री ताराचन्द
खन्डूरी, मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवनचन्द्र
खां, श्री असलम शेर
खां, श्री गुलाम मोहम्मद
खां, श्री सुखेन्दु
खुराना, श्री मदन लाल
गंगवार, डा. परशुराम
गंगवार, श्री सन्तोष कुमार
गहलोत, श्री अशोक
गायकवाड, श्री उदयसिंहराव
गालिब, श्री गुरचरण सिंह
गावीत, श्री माणिकराव होडल्या
गिरि, श्री सुधीर
गिरिजा देवी, श्रीमती
गिरियप्पा, श्री सी. पी. मुदाल
गुडादिन्नी, श्री बी. के.
गुप्त, श्री इन्द्रजीत
गूंडेवार, श्री विलासराव नागनाथराव
गोपालन, श्रीमती सुशीला
गोमांगो, श्री गिरिधर
गौड, प्रो. के. वेंकटगिरि
गौतम, श्रीमती शीला
चंगारे, श्री रामचन्द्र मरोतराव
चाटीवार, श्री पवन सिंह
चक्रवर्ती, श्री सुशान्त
चटर्जी, श्री निर्मलकान्ति
चटर्जी, श्री सोमनाथ
चन्द्र शेखर, श्री

चन्द्रशेखर, श्रीमती मारगथम
चन्द्राकर, श्री चन्दूलाल
चव्हाण, पृथ्वीराज डी.
चाक्को, श्री पी. सी.
चार्ल्स, श्री ए.
चावड़ा, श्री ईश्वरभाई खोडाभाई
चावड़ा, श्री हरिसिंह
चिरवलिया, श्रीमती भावना
चिन्ता मोहन, डा.
चेन्नीतथला, श्री रमेश
चौधरी, डा. के. बी. आर.
चौधरी, श्री दसई
चौधरी, श्री राम टहल
चौधरी, श्री लोकनाथ
चौधरी, श्रीमती संतोष
चौधरी, श्री सैफुद्दीन
चौरे, श्री बापू हरि
चौहान, श्री चेतन पी. एस.
जटिया, श्री सत्यनारायण
जनार्दनन्, एम. आर. श्री कावम्बुर
जसवन्त सिंह, श्री
जांगड़े, श्री खेलनराम
जाखड़, श्री बलराम
जाफर शरीफ, श्री सी. के.
जायनल अबेदिन, श्री
जीवरत्नम, श्री आर.
जेना, श्री श्रीकान्त
जेस्वाणी, डा. खुशीराम डुंगरोमल
जोशी, श्री अन्ना
जोशी, श्री दाऊ दयाल
झा, श्री भोगेन्द्र
झिकराम, श्री मोहनलाल
टाईटलर, श्री जगदीश
टिंडिवनाम, श्री के. राममूर्ती
ठाकुर, श्री गाभाजी मंगाजी
ठाकुर, श्री महेन्द्र कुमार सिंह
डामोर, श्री सोमजीभाई
डेका, श्री प्रवीन
डेनिस, श्री एन.
डोम, डा. राम चन्द्र
तंम्काबालू श्री के. वी.
तारा सिंह, श्री
तेजनारायण सिंह, श्री
तोमर, डा. रमेश चन्द
मोपनो, कुमारी फिडा
त्रिपाठी, श्री ब्रज किशोर
थामस, प्रो. के. वी.
थामस, श्री पी. सी.
थोरात, श्री एस. बी.
दलबीर सिंह, श्री
दत्त, श्री अमल
दादाहूर, श्री गुरचरणसिंह
दास, श्री जितेन्द्र नाथ
दास, श्री द्वारका नाथ
दास, श्री राम सुन्दर
दिघे, श्री शरद
दीक्षित, श्री श्रीश चन्द्र
दुबे, श्रीमती सरोज
देवरा, श्री मुरली
देवराजन, श्री बी.
देवी, श्रीमती विमू कुमारी
देशमुख, श्री अनन्तराव

देशमुख श्री, अशोक आनन्दराव
द्रोण, श्री जगत वीर सिंह
धर्ममिक्षम, श्री
धूमाल, प्रो. प्रेम
नन्दी, श्री येल्लैया
नवले, श्री विदुरा विठोबा
नाईक, श्री राम
नायक, श्री ए. वेंकटेश
नायक, श्री जी. देवराय
नायक, श्री मृत्युन्जय
नारायणन, श्री पी. जी.
निकाम, श्री गोविन्दराव
न्यामगौड, श्री सिद्दप्पा भीमप्पा
पंडियन, श्री डी,
पवार, डा. वसंत
पंवार, श्री हरपाल
पदमा, डा. (श्रीमती)
पटनायक, श्री शरत चन्द्र
पटनायक, श्री शिवाजी
पटेल, डा. अमृतलाल कालिदास
पटेल, श्री उत्तमभाई हारजीभाई
पटेल, श्री चन्द्रेश
पटेल, श्री प्रफुल
पटेल, श्री बृशिण
पटेल, श्री राम पूजन
पटेल, श्री श्रवण कुमार
पटेल, श्री हरिलाल ननजी
पाटीदार, श्री रामेश्वर
पाटील, श्री प्रकाश बी.
पाटील, श्री विजय एन.
पाटील, श्रीमती सूर्यकान्ता
पाठक, श्री सुरेन्द्रपाल
पाठक, श्री हरिन
पाण्डेय, डा. लक्ष्मीनारायण
पायलट, श्री राजेश
पाल, डा. देवी प्रसाद
पाल, श्री रूपचन्द
पालाचोला, श्री बी. आर. नायडू
पासवान, श्री छेदी
पासवान, श्री राम विलास
पासवान, श्री सुकदेव
पासी, श्री बलराज
पात्र, डा. कार्तिकेश्वर
पुरकायस्थ, श्री कवीन्द्र
पेरूमान, डा. पी. वल्लल
पोतदुखे, श्री शांताराम
प्रधानी, श्री के.
प्रभुझांट्ये, श्री हरीश नारायण
प्रमाणिक, श्री राधिका रंजन
प्रसाद, श्री हरि केवल
प्रेम, श्री बी. एल. शर्मा
प्रेमी, श्री मंगलराम
फर्नान्डीज, श्री ओस्कर
फर्नान्डीज, श्री जार्ज
फातमी, श्री मोहम्मद अली अशरफ
फारुक, श्री एम. ओ. एच.
बंडारू, श्री दत्तात्रेय
बनर्जी, कुमारी ममता
बर्मन, श्री उद्धव
बर्मन, श्री पलाश
बरार, श्री जगमीत सिंह
बसु, श्री अनिल

बसु, श्री चित्त
बाला, डा. असीम
बालयोगी, श्री जी. एम. सी.
बालियान, श्री नरेश कुमार
बीरबल श्री
बैठा, श्री महेन्द्र
बैरवा, श्री रामनारायण
भक्त, श्री मनोरंजन
भगत, श्री विश्वेश्वर
भट्टाचार्य, श्रीमती मालिनी
भण्डारी, श्रीमती दिलकुमारी
भाग्ये, गोवर्धन, श्री
भारद्वाज, श्री परसराम
भोई, डा. कृपासिन्धु
भोंसले, श्री तेजसिंहराव
भोंसले, श्री प्रतापराव बाबू
मंजय लाल, श्री
मंडल, श्री सनत कुमार
मंडल, श्री सूरज
मरबनियांग, श्री पीटर जी.
मरांडी, श्री साइमन
मलिक, श्री धर्मपाल सिंह
मलिक, श्री पूर्ण चन्द्र
मल्लिकारजुनय्या, श्री एस.
मल्लू, डा. आर.
महतो, श्री बीर सिंह
महतो, श्री शैलेन्द्र
महाजन, श्रीमती सुमित्रा
मिर्धा, श्री राम निवास
मिश्र, श्री रामनगीना
मिश्र, श्री सत्यगोपाल
मीणा, श्री भेरू लाल
मुखर्जी, श्रीमती गीता
मुखर्जी, श्री सुब्रत
मुखोपाध्याय, श्री अजय
मुजाहिद, श्री बी. एम.
मुत्तेमवार, श्री विलास
मुण्डा, श्री कड़िया
मुण्डा, श्री गोविन्द चन्द्र
मुनियप्पा, श्री के. एच.
मुरलीधरन, श्री के.
मुरमु, श्री रूप चंद
मुथ्थैयन, डा. एन.
मेघे, श्री दत्ता
मेहता, श्री भुवनेश्वर प्रसाद
मैथ्यू श्री पाल के. एम.
मोहन सिंह, श्री
मोल्लाह, श्री हन्नान
यादव, श्री देवेन्द्र प्रसाद
यादव, श्री राम लखन सिंह
यादव, श्री राम शरण
यादव, श्री विजय कुमार
यादव, श्री शरद
यादव, श्री सूर्यनारायण
युमनाम, श्री याइमा सिंह
रंगपी, डा. जयन्त
राज नारायण, श्री
राजे, श्रीमती वसुन्धरा
राजेन्द्र कुमार, श्री एस. एस. आर.
राजेश्वरन, डा. वी.
राजेश्वरी, श्रीमती बासव
राणा, श्री काशीराम

राम, श्री प्रेम चन्द्र
रामबदन, श्री
राम सागर, श्री (बाराबंकी)
राम सिंह, श्री
रामचन्द्रन, श्री मुल्लापल्ली
रामदेव राम, श्री
राममूर्ति, श्री के.
रामासामी, श्री राजगोपाल नायडू
राय, श्री एम. रमण्णा
राय, श्री रवि
राय, श्री रामनिहोर
राय, श्री लालबाबू
राय, डा. सुधीर
राय, श्री हरधन
राय चौधरी, श्री सुदर्शन
राव, श्री जे चोक्का
राव राम सिंह, कर्नल
रावत, श्री प्रभुलाल
रावत, प्रो. रासा सिंह
रावत, डा. लाल बहादुर
रेड्डी, श्री ए. वेंकट
रेड्डी, श्री के. विजय भास्कर
रेड्डी, श्री जी. गंगा
रेड्डी, श्री बी. एन.
रेड्डया यादव, श्री के. पी.
रोशन लाल, श्री
लालजान बाशा, श्री एस. एम.
लोढा, श्री गुमान मल
वर्मा, श्री उपेन्द्र नाथ
वर्मा, श्री भवानी लाल
वर्मा, श्री सुशील चन्द्र
वर्मा, श्री शिव शरण
वाड्डे, श्री शोभनाद्रीश्वर राव
विजयराघवन, श्री वी. एस.
वीरप्पा, श्री रामचन्द्र
वेकारिया, श्री शिवलाल नागजी भाई
शंकरानन्द, श्री बी.
शाक्य, डा. महादीपक सिंह
शास्त्री, श्री राजनाथ सोनकर
शास्त्री, श्री विश्वनाथ
शिंगडा, श्री डी. बी.
शिवप्पा, श्री के. जी.
शुक्ला, श्री अष्टभुजा प्रसाद
शुक्ल, श्री विद्याचरण
शैलजा, कुमारी
संगमा, श्री पूर्णो ए.
सईद, श्री पी. एम.
सज्जन कुमार, श्री
सरस्वती, श्री योगानन्द
सरोज, डा. सुखबन्स समभाऊ
सलीम, श्री मुहम्मद यूनुस
सत्यनारायण, श्री विजयराम राजू
सानीपल्ली, श्री गंगाधरा
साय, श्री ए. प्रताप
सावन्त, श्री सुधीर
साही, श्रीमती कृष्णा
सिंधिया, श्री माधवराव
सिंह, श्री उदय प्रताप
सिंह, श्री खेलसाय
सिंह, श्री देवी बक्श
सिंह, श्री मोती लाल
सिंह, श्री राजवीर

सिंह, श्री रामपाल	सेठी, श्री अर्जुन चरण
सिंह, श्री राम प्रसाद	सैकिया, श्री मुही राम
सिंह, श्री रामाश्रय प्रसाद	सैयद, शाहाबुद्दीन, श्री
सिंह, श्री विश्वनाथ प्रताप	सोढ़ी, श्री मानकूराम
सिंह, श्री शिवेन्द्र बहादुर	सोरेन, श्री शिबू
सिंह, श्री शिवशरण	सौलंकी श्री सूरजभानु
सिंह, श्री हरि किशोर	सोमेन्द्र, डा. (श्रीमती) के. एस
सिंह देव, श्री के. पी.	स्वामी, श्री सुरेशानन्द
सिद्धार्थ, श्रीमती डी. के. तारादेवी	हन्नान मोल्लाह श्री
सिलेबरा, डा. सी	स्वामी, श्री जी. वेंकट
सुन्दरराज, श्री एन.	हरचन्द सिंह, श्री
सुभ, श्री मनोरंजन	हुसैन, श्री सैयद मंसूदल
सुरेश, श्री कोडीकुन्नील	हूड्डा, श्री भूपेन्द्र सिंह
सुल्तानपुरी, श्री कृष्ण दत्त	

12.00 म० प०

अध्यक्ष महोदय : शुद्धि के अध्यधीन, मतविभाजन का परिणाम* इस प्रकार है :

पक्ष में 343

विपक्ष में : शून्य

"प्रस्ताव सभा की समस्त सदस्य संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई से अन्यून बहुमत से पारित हुआ ।"

"विधेयक, संशोधित रूप में, संविधान के अनुच्छेद 368 के उपबन्धों के अनुसार अपेक्षित बहुमत द्वारा पारित हुआ ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

[हिन्दी]

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : अध्यक्ष महोदय, देश के रक्षा मंत्री चीन के दौरे पर गये थे और चीन में उनका पहला दौरा था । इसके पहले कोई सुरक्षा मंत्री कभी चीन नहीं गया था ।

---

*निम्नलिखित सदस्यों ने पक्ष में अपना मतदान किया :

डा० गिरिजा व्यास, श्री अन्वरी बसवराज पाटील, श्री बूटासिंह, श्री पी. पी. कलिया पेरुमल, तुलासिया नंदयार, श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा, श्री भगवान शंकर रावत, श्री गिरधारी लाल भार्गव, श्री धनंजय कुमार, श्री गंगाराम कोजी और श्री छोटेलाल ।

वह वहां से वापस आ गये हैं और उनको आये 20 दिन हो गये हैं। वहां उन्होंने क्या कहा, क्या नहीं कहा, इस प्रकार की कोई जानकारी सदन के सामने नहीं आई है। ऐसे समय में हमेशा ऐसा होता है कि जब इम्पोर्टेंट विजिट्स होती हैं तो जो मंत्री विदेश जाते हैं, वे सदन के सामने आकर वक्तव्य देते हैं लेकिन रक्षा मंत्री जी ने वहां से आने के बाद कोई वक्तव्य नहीं दिया है। हम उनसे जानना चाहते हैं कि चीन में जाकर उन्होंने क्या कहा, देश की सुरक्षा के सम्बन्ध में कौन-कौन सी बातों का जिक्र किया ? इन सब की जानकारी सदन को होनी चाहिए। आज सत्र का अन्तिम दिन है और इसके बाद सत्र समाप्त हो जायेगा। इसलिए उन्हें आज ही इस सदन में आकर वक्तव्य देना चाहिए। आप रक्षा मंत्री को बुला कर वक्तव्य देने का उनसे आग्रह करिये। इन शब्दों के साथ बहुत-बहुत धन्यवाद।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

12.03 म० प०

श्री जार्ज फर्नान्डीज (मुजफ्फरपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने कल इस मामले को स्थगन प्रस्ताव के तौर पर उठाया था। आपने कहा था कि स्थगन प्रस्ताव के जरिये इस चर्चा नहीं हो सकती है। मैं आज इस बात को आपके सामने छेड़ रहा हूं कि खबर आई है इंटरपोल के पास कि भारत सरकार की तरफ से पिछले साल की 15 नवम्बर को यह कहा गया कि बिन चड्ढा के सर्च और अरैस्ट का जो वारंट था, अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भेजे उस वारंट को वापिस लेने का काम भारत सरकार ने किया है। मैंने पहले भी यह सवाल उठाया था। इन्टरपोल के काम करने के तौर-तरीकों की जानकारी पहले मेरे पास नहीं थी। लेकिन कल हमने उस जानकारी को···

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : महोदय, सभा में व्यवस्था स्थापित होनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : सभा में व्यवस्था बनाइये।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : उपाध्यक्ष जी, कल इस मामले को उठाने के बाद इस इण्टरपोल के समूचे व्यवहार के बारे में हमने जांच की। इण्टरपोल को कोई संस्था इस प्रकार की नहीं है कि जो अपने ही कोई भी एक संगठन को लेकर विश्व में काम करती है। इंटरपोल दुनिया के लगभग 100 राष्ट्रों की पुलिस के उस विभाग की एक एसोसिएशन के तौर पर काम करती है, जहां पर एक राष्ट्र की पुलिस दूसरे राष्ट्र की पुलिस से सीधा सम्पर्क करके उनकी जो भी समस्या दूसरे राष्ट्र से हो, उसे हल करने का काम करती है। इससे एक बात आज स्पष्ट है कि जब यह कहा जाता है कि भारत ने इण्टरपोल से कहा तो इण्टरपोल का मतलब भारत की सी. बी. आई. से है, चूंकि सी. बी. आई. हिन्दुस्तान में इण्टरपोल के नेशनल ब्यूरो के तौर पर काम करता है। हमारे सी. बी. आई. में एक छोटा सा विभाग है जिसमें मात्र 15 कर्मचारी हैं जिसका एक डी. एस. पी. मुखिया है, जिसमें दो इन्सपैक्टर हैं, दो सब-इंसपैक्टर हैं···

[अनुवाद]

उपाध्यक्षमहोदय : पिछले दो दिनों के दौरान कई माननीय सदस्य जो बोलना चाहते थे ने

कार्यालय में नोटिस दिए हैं। आज यदि सभी विषय चर्चा के लिए आयें तो सारा समय लग जायेगा। अत: जो लोग बड़ी-बड़ी समस्यायें उठाना चाहते हैं वे अन्त में बोल सकते हैं और जो छोटे-छोटे मसले उठाना चाहते हैं वे अपनी बात एक मिनट में कह सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री आर्स्कर फर्नांडीज : उपाध्यक्ष जी, प्रधान मंत्री जी की तरफ से जो काम हुआ, मैं उस पर आ रहा हूं। इससे बढ़कर क्या मामला हो सकता है, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं केवल इतनी जानकारी सदन को देना चाहता हूं कि हमारी सी० बी० आई० में एक विंग है, एक छोटा विभाग है, जिसमें मात्र 15 कर्मचारी है, जिसमें पांच सिपाही, 5 टाइपिस्ट और क्लर्क और 5 पुलिस के आफिसर हैं, एक डी० एस० पी०, दो इंस्पेक्टर, दो सब इंस्पेक्टर हैं, यह है हिन्दुस्तान में इण्टरपोल का विभाग।

सी० बी० आई० का जो डायरेक्टर है, यह इण्टरपोल का 13 लोगों के अन्तर्राष्ट्रीय एग्जीक्यूटिव का मेम्बर है और जब इण्टरपोल के जरिये हम लोगों ने कहलाया करके बात आज अखबारों में छपाई जाती है और सत्य है तो उसका मतलब यह है कि सी० बी० आई० के अधिकारियों ने, सी० बी० आई० के मुखिया ने स्विटजरलैण्ड में उनका जो वहां का इस प्रकार का विभाग है, उस विभाग से कहा कि विन चड्ढा की गिरफ्तारी, उनकी पकड़, उनकी सर्च, उनकी अरैस्ट वारण्ट सब खत्म है। 15 नवम्बर को यह बात हमारी सरकार की तरफ से स्विटजरलैण्ड को गई है।

सी० बी० आई० के मुखिया हैं हमारे प्रधान मंत्री, चूंकि प्रधान मंत्री का यह विभाग है। सदन के भीतर, सदन के बाहर पचीसों बार प्रधान मंत्री ने कहा कि सच्चाई को मैं खोजकर रखूंगा लेकिन आज यह बात स्पष्ट हो गई कि सदन को एक बात प्रधान मंत्री कहते हैं, देश को एक बात प्रधान मंत्री कहते हैं और अपने विभाग को चलाते हुए इस बोफोर्स की दलाली के मामले में इस के साथ हुए भ्रष्टाचार के मामले में

**

(व्यवधान) इसमें मैंने कोई पार्लियामैंट के मेम्बर के बारे में नहीं कहा। आप जिसके बारे में लायल्टी दिखा रहे हों, विन चड्ढा पर अरैस्ट वारण्ट है, आपने जिनके बारे में वारण्ट निकाला है···

[अनुवाद]

जल भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : महोदय, इसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए। प्रधानमन्त्री जी पर आरोप लगाने की उनकी आदत है। जो वह कहना चाहते हैं कह सकते हैं। लेकिन, वह प्रधानमंत्री जी पर आरोप नहीं लगा सकते। इसलिए, मैं अनुरोध करता हूं कि इसे कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया जाना चाहिए।

श्री मनोरंजन भक्त (अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह) : महोदय, जो वह कहना चाहते हैं वह नहीं कह सकते। यह सब क्या है?

** अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया।

एक माननीय सदस्य : उन्होंने किसी व्यक्ति के नाम का उल्लेख नहीं किया है ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आप सब की बात सुनूंगा ।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : आप विन चड्ढा की क्यों यहां पर तरफदारी करते हो ?

(अनुवाद)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री जार्ज फर्नान्डीज, ऐसे माननीय सदस्य मौजूद हैं जो लगातार उत्तेजित हो रहे हैं । उनमें से कुछ ऐसे सदस्य जो 10 बजे कार्यालय आये हैं और उन्होंने सूचनाएं दी है लेकिन उन्हें अपनी शिकायतें सभा के समक्ष रखने का अवसर नहीं दिया जा सका है ।

बहुत से सदस्य अप्रसन्नता महसूस कर रहे हैं । अत: सभी माननीय सदस्यों से मेरा अनुरोध है कि कृपया अन्य सदस्यों को भी अपनी शिकायतें सभा के समक्ष रखने का अवसर दिया जाए ।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : उपाध्यक्ष जी, मैंने 10 बजे से पहले आज नोटिस दिया है और मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं ।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री जार्ज, मुझे गलत न समझिए । जो मुद्दा आप उठा रहे हैं वह विश्व स्तर का है । अत: मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आपको बाद में मौका मिल सकता है जो सदस्य एक मिनट या आधा मिनट बोलना चाहते है, उनको पहले बोलने का अवसर दिया जाएगा । यह मेरा नम्र निवेदन है । मुझे आशा है आप इस प्रस्ताव से सहमत होंगे ।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : उपाध्यक्ष जी, मैं अपनी बात को आखिरी वाक्य कह कर खत्म कर रहा हूं । मेरा प्रधानमंत्री पर जो आरोप है वह अपनी जगह पर है लेकिन मैं आज सरकार से यह मांग करता हूं कि जब स्विटजरलैण्ड के पुलिस विभाग ने यह कहा है कि अगर भारत सरकार विन चड्ढा को, जो आज स्विटजरलैंड में उसका नाम, उसका पता और सब कुछ अखबारों में सार्वजनिक हो गया, अगर भारत सरकार उनको अपने देश में मुकद्मा चलाने के लिए लाना चाहती है तो जो एक्स्ट्राडिशन की मांग है उसे हम देने के लिए तैयार हैं । (व्यवधान) हम आज प्रधानमन्त्री को चुनौती देते हैं कि एक्स्ट्राडिशन की मांग को तत्काल आप स्विटजरलैण्ड भेजिए, वरना मैंने जो कहा कि प्रधानमंत्री की कथनी और करनी में जमीन-आसमान का अन्तर है, यह बात को डंके की चोट पर खड़े हो कर हमको कहना पड़ेगा ।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं ।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, यह बहुत ही गम्भीर मामला है । सरकार को इसका उत्तर देना चाहिए । यह स्पष्ट रूप से यह षडयन्त्र लगता है (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। शायद आपने भी सुना होगा कि हमारे कुछ मित्रों ने लाबी से यह कहते हुए अप्रसन्नता व्यक्त की है कि उनके निरन्तर लगातार प्रयासों के बावजूद, उन्हें बोलने का अवसर नहीं दिया गया है। चूंकि आज सत्र का आखिरी दिन है और उनके निर्वाचन क्षेत्रों से सम्बन्धित महत्वपूर्ण मामले हैं, मेरा आप सबसे नम्र निवेदन है कि कृपया उन्हें भी बोलने का अवसर दिया जाये। मेरे पास सूची है जिसमें साठ सदस्यों के नाम है। मुझे आशा है कि प्रत्येक व्यक्ति को बोलने का अवसर दिया जाना चाहिए और किसी सदस्य को बोलने से मना नहीं किया जाना चाहिए अतः मेरा अनुरोध है कि अपने बाद के वक्ताओं को भी अवसर दीजिए। मुझे आशा है आप सब इस प्रस्ताव से सहमत होंगे।

[हिन्दी]

श्री गुमान मल लोढा (पाली) : इसके पहले कि आप उत्तर दें, मैं यह कहना चाहूंगा है कि 15 नवम्बर, 91 को विन चड्ढा के खिलाफ वारंट वापस लेने का भारत सरकार ने आदेश दिया है या नहीं, यह जवाब सरकार की ओर से आना चाहिए। इंटरपोल अपनी ओर से कोई एक्शन नहीं लेता वह केवल सी. बी. आई. के आदेश पर ही एक्शन लेता है। (व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : न्यायाधीश लोढा जी, जो कुछ मैंने कहा है, शायद आपने सुना होगा हमें कतिपय मानदण्डों का अनुसरण करना होगा। मैं आप से नम्र निवेदन करता हूं कृपया अपने बाद के वक्ताओं को भी बोलने का मौका दीजिए। निःसंदेह, श्री जार्ज फर्नान्डीज ने अभी प्रयास किया है और वह अपनी बात कह चुके हैं···

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया क्षमा कीजिए। मैं सूची के अनुसार नाम पुकारूंगा···

(व्यवधान)

श्री विजय नवल पाटिल (इरनदोल) : आप हमेशा उन्हें पहले बोलने का मौका क्यों देते हैं ? यही तो समस्या है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं सूची के अनुसार नाम पुकारूंगा। कृपया आज मेरे साथ सहयोग कीजिए जिससे कि प्रत्येक सदस्य को बोलने का अवसर मिले क्योंकि कुछ सदस्यों ने चार पांच दिनों से इन्तजार किया है लेकिन उन्हें बोलने का अवसर नहीं मिला है। मेरे विचार से उन्हें बोलने का अवसर देने से इन्कार नहीं करना चाहिए। आपकी अनुमति व सहयोग से क्या मैं सूची के अनुसार नाम पुकार सकता हूं ?···

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री गुमान मल लोढा : स्विटजरलैंड में विन चड्ढा को मुक्त रहने की अनुमति किस ने दी। यदि वारंट वापस नहीं लिया तो एक्स्ट्राडिशन प्रोसिडिंग से विन चड्ढा को गिरफ्तार किया जाए और भारत लाया जाए। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह (फतेहपुर) : महोदय, आज सरकार को सभा में बताना चाहिए कि क्या उन्होंने वारंट रद्द कर दिया है, और यदि उन्होंने बिन चड्ढा के विरुद्ध वारंट रद्द कर दिया है तो क्यों ? कम से कम आज सरकार को आगे आना चाहिए और कुछ कहना चाहिए ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : महोदय, मेरा एक निवेदन है । श्री आर्जे फर्नान्डीज ने जो कुछ कहा है, मैं उसके प्रति प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं कर रहा हूं ।

लेकिन मैं प्रभारी माननीय मंत्री श्रीमती मार्गरेट अल्वा से पहले ही अनुरोध कर चुका हूं और वह आ रही होगी । वह इस समय राज्य सभा में व्यस्त है । मैंने उन्हें इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने का अनुरोध किया है । अत: हमें इस पर निश्चय ही प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे । वही संबंधित मंत्री है । (व्यवधान)

अब, इसी तरह मैं निवेदन करूंगा कि लगभग 65 से 70 माननीय सदस्यों ने माननीय अध्यक्ष को शून्यकाल में बोलने का नोटिस दिया है । ठीक है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मुझे उन्हें मौका देने से कोई आपत्ति नहीं हुई होती । लेकिन हमने सुबह चर्चा की थी कि हम दो विधेयकों पर चर्चा करेंगे क्योंकि दोनों विधेयकों को राज्य सभा में भेजा जायेगा । हम पहले ही एक विधेयक पारित कर चुके हैं । दूसरे विधेयक को मुश्किल से पांच मिनट लगेंगे । इसलिए, मैं आपसे इस विधेयक पर चर्चा शुरू करने का अनुरोध करता हूं (व्यवधान) वह आपका विधेयक है (व्यवधान) आपके विधेयक, से मेरा अभिप्राय सांसदों से है ।

उपाध्यक्ष महोदय : यह विधेयक सांसदों को सुविधाएं देने से सम्बन्धित है ।

श्री गुलाम नबी आजाद : यदि हम इस तरह शून्य काल में चर्चा करेंगे तो इसमें तीन घंटे और लग जायेंगे । यदि हम उसके बाद विधेयक पर चर्चा करते हैं तो इसे राज्य सभा द्वारा पारित नहीं किया जायेगा । मैं अनुरोध करूंगा कि हम दूसरे विधेयक को पांच मिनट में पारित कर दें और फिर हम शून्य काल में चर्चा जारी रख सकते हैं और इस बीच (व्यवधान) जो कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है उस पर मैं संबंधित मंत्री से प्रतिक्रिया व्यक्त करने का अनुरोध करूंगा । (व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, प्रत्येक सदस्य को एक या दो मिनट तक बोलने की अनुमति दी जाये तो हम इसे जल्दी निपटा सकते हैं (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : उपाध्यक्ष जी, मैंने परसों इस सदन में 14 अगस्त को कश्मीर में फहराए गए पाकिस्तानी झंडों का सवाल उठाया था और गृह राज्य मंत्री जी ने यह कहा था कि 14 और 15 अगस्त को जो कुछ कश्मीर में हुआ, उसके बारे में वे वक्तव्य देंगे । आज इस सत्र का अन्तिम दिन है ।

[अनुवाद]

श्री हरीश नारायण प्रभु भटेय (पणजी) : महोदय, माननीय मंत्री विधेयक को पारित करने के लिए 10 मिनट का समय चाहते हैं। इस पर पहले चर्चा शुरू की जाये ।

श्री मनोरंजन भक्त : महोदय, श्री खुराना हर रोज सभा में बोलते हैं। अन्य सदस्यों को मौका दिया जाना चाहिए (**व्यवधान**)

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : उपाध्यक्ष महोदय, कश्मीर में 14 अगस्त को पाकिस्तानी झंडे फहराए गए और 15 अगस्त को जो स्वतन्त्रता दिवस का फंक्शन हुआ, उस पर राकेट फेंके गए। तीसरी बात यह है कि जम्मू-कश्मीर के भूतपूर्व मुख्य मंत्री श्री फारूख अब्दुल्ला ने यह स्टेटमेंट दिया है कि कश्मीर का मसला भारत, पाकिस्तान और कश्मीरियों द्वारा तय होगा। इस तरह से उन्होंने एक तरह से श्री नेशन ध्यूरी कर दी है। इस विषय पर गृह राज्य मंत्री ने वक्तव्य देने के लिए कहा था, आप भी उस समय चेयर पर थे, आज सत्र का अंतिम दिन है, तो हम यह चाहते हैं कि आज गृह राज्य मन्त्री स्टेटमेंट दें। (**व्यवधान**)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : जैसा कि सभा ने इसको व्यापक रूप से सहमति दी है, मैं सूची का अनुसरण करूंगा। मैं सदस्यों को एक-एक करके पुकारूंगा।

श्री गुलाम नबी आजाद : महोदय, उससे पहले मैं एक बार फिर निवेदन करूंगा कि विधेयक पर चर्चा शुरू की जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : जी हां, इसमें एक संशोधन है। एक विधेयक माननीय सदस्यों को सुविधाएं देने से सम्बन्धित है। यहां विधेयक पारित होने के बाद, इसे राज्य सभा में भेजा जाना है। अतः क्या आप सहमत हैं कि अब हम इस पर चर्चा करें ?

अनेक माननीय सदस्य : जी हां।

श्री गुलाम नबी आजाद : धन्यवाद।

12.18 म. प.

संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन (संशोधन) विधेयक*

संसदीय कार्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : महोदय, मैं संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम, 1954 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति देने का प्रस्ताव करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम, 1954 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

---

*दिनांक 20-8-92 के के भारत के असाधारण राजपत्र भाग दो, खण्ड 2, में प्रकाशित।

श्री गुलाम नबी आजाद : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं ।

महोदय, मैं प्रस्ताव करता हू ।

"कि संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम, 1954 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

संसद सदस्यों के वेतन और भत्तों संबंधी संयुक्त समिति ने संसद सदस्यों के भत्तों और सुविधाओं में वृद्धि करने और 'भूतपूर्व ससद सदस्यों की पेंशन के संबंध में कुछ सिफारिशें प्रस्तुत की हैं । सरकार ने इन सिफारिशों पर अच्छी तरह से विचार किया है । किसी प्रकार देश की आर्थिक स्थिति बेहतर न होने के कारण' प्रस्ताव यह है कि केवल निम्नलिखित सुविधायें प्रदान करने संबंधी प्रस्तावों को ही स्वीकृत किया जाये ।

(एक) संसद सदस्यों को भारत में किसी एक स्थान से किसी दूसरे स्थान तक जाने के लिए एक वर्ष में एक तरफ की हवाई-यात्रा के अवसरों को 16 से बढ़ाकर 28 कर दिया जाये ।

(दो) संसद सदस्यों को जो हवाई यात्रा की सुविधा दी जाती है, उनमें से जितने यात्रा अवसर बाकी बच जाते हैं, उनके मामले में अपने एक साथी को हाई-यात्रा पर ले जाने की अनुमति दी जाये ।

यदि इन दोनों प्रस्तावों को मान लिया जाता है, तो इससे एक वर्ष में 1.44 करोड़ रुपये के लगभग अतिरिक्त आवर्ती व्यय होगा ।

ससाधनों की भारी कमी और गैरकारी व्यय को कम करने की प्रबल आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, इस समय किसी और सिफारिश को मानना उपयुक्त नहीं है ।

यह विधेयक बहुत ही सहज और अविवादास्पद है और मुझे विश्वास है कि इसे सर्वसम्मति से पारित कर दिया जायेगा । इन शब्दों के साथ, मैं सभा में बिल की सिफारिश करता हू ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम, 1954 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, "जात गवांया भात न खाया" यह कहावत है । 16 से 28 एयर जर्नी कर रहे हैं और कम्पेनियन साथ में लगा रहे हैं, कम्पेनियन एलाउ कर रहे हैं तो बराबर हो गया । 16 से 32 करते । इसका कोई मतलब है नहीं । यह जो "जात गवांया भात न खाया" वाली बात कर रहे हैं । पूरे देश में बदनामी होगी कि एम. पी. अपने लिए बढ़ा रहे हैं । सारी चीजें मंहगी हैं लेकिन ये बढ़ा रहे हैं । इससे बदनामी होगी और एम. पी. को कोई फायदा नहीं होगा । समूची कांस्टीट्यूएंसी में हल्ला होगा कि अब एम. पी. एक आदमी को साथ ले कर चल सकता है । सब आदमी कहेंगे कि हमको भी साथ ले कर चलो । हम कठिनाई आपको बता रहे हैं ।

एक बात इस अवसर पर उपाध्यक्ष महोदय मैं कहना चाहता हूं कि यह शोभा नहीं देता है कि एम. पी. लोग अपनी सुविधाएं स्वयं बढ़ायें । आडवाणी जी इसके संबंध में बराबर सलाह देते रहे हैं

[श्री नीतीश कुमार]

कि पूरे मामले पर नये सिरे से विचार करना चाहिए और एम. पीज. के सेलरी, अलाउंसिज और पेंशन के बारे में यहां फैसला नहीं होना चाहिए। उनकी सेलरी को कहीं न कहीं किसी स्केल के साथ फिक्स कर देना चाहिए ताकि आटोमैटीकली बढ़ती रहे या घटती रहे, जो भी स्थिति हो। हर बार यदि दो रुपये भी बढ़ाने हों तो उसके लिए भी हाउस में आयेंगे। बहुत बदनामी होती है पूरे देश में। मिडिया खिलाफ लिखता है। अभी कुछ नहीं हुआ है, आपने 16 से 28 किया है, अखबारों में खूब खिलाफ लिखा जाएगा। एम पी. की कठिनाई बढ़ेगी कांस्टीट्यूएंसी में। मैं बड़े नेताओं की बात नहीं कहता, हमारे जैसे कार्यकर्त्ता जब लौट कर जायेंगे तो लोग हमें कहेंगे कि अब तो एक आदमी साथ में ले जाने की पावर है हमें साथ ले कर दिल्ली चलो। यह होने वाला है। कोई फायदा नहीं है, नुकसान ही नुकसान है। 28 का मतलब हो गया 14 सिंगल जर्नी। बराबर तो कर देते, 16 से 32 कर देते ताकि पुरानी सुविधा बहाल रहती। मैं इस स्थिति को साफ करना चाहता हूं और अनुरोध करूंगा कि 28 की जगह 32 कर दिया जाए ताकि बदनामी भी हो तो पुरानी सुविधा कम से कम मिलती रहे।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, इस तरह की बातें सभा में बार-बार उठाने से एक ऐसी विशेष स्थिति पैदा हो जाती है जाती हैं जो कि संसद सदस्यों के लिए मजेदार नहीं है।

महोदय हम सभी जानते हैं और इस सरकार के कार्यकरण के प्रति धन्यवाद करना चाहिए कि कीमतें बेरोकटोक बढ़ रही हैं और कई तरह की समस्याएं हैं, संसद सदस्य भी काफी कठिनाईयां अनुभव करते हैं और जो लोग अपना कार्य गंभीरता से और ईमानदारी से करना चाहते हैं निस्संदेह उन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लेकिन हम इस तथ्य से इन्कार नहीं कर सकते कि देश की आर्थिक स्थिति काफी नाजुक है; यह केवल मेरा ही कहना नहीं है सरकार को भी इसे मानना होगा वरन् सरकार आई. एम. एफ. को अपने आत्म समर्पण को न्यायोचित नहीं ठहरा सकती। कम से कम सरकार को यह तो सोचना ही चाहिए था कि अब विधेयक में और सिफारिशें तो न शामिल की जायें।

महोदय, इसके लिए यह अवसर भी उचित नहीं है। गत सत्र में, मुझे स्मरण हो रहा है कि बजट-सत्र में सरकार ने एक प्रस्ताव रखा था जिसमें कहा गया था कि सरकार आम लोगों पर कर लगाने जा रही है, सरकार तो उन परिस्थितियों के अधीन भी ऋण लेने जा रही है जो कि देश की मर्यादा के विपरीत है और तब हमने भी कहा था कि 'यदि आप इसे लागू करने की कोशिश करेंगे तो हम उसमें आपका साथ नहीं दे सकते।'

यदि हर किसी को हानि होती है, तो हमें भी हानि होनी चाहिये। इसके बारे में कोई भी प्रश्न पैदा नहीं होता। हमें भी हानि में लोगों का साथ देना चाहिए। महोदय, केवल यही बात ही नहीं है, ऐसे भी कई देश हैं, ऐसी भी कई संसद हैं जिनमें संसद सदस्यों को शायद अच्छी खासी सुविधायें मिल रही हैं। लेकिन हमें उनके साथ प्रतियोगिता नहीं करनी। हमारा यह दृष्टिकोण तो बिल्कुल ही नहीं है। कम से कम हमारी पार्टी का तो ऐसा दृष्टिकोण नहीं है। जो कम से कम सुविधायें होती हैं, वे तो स्वाभाविकतय: दी ही जानी हैं। वरन् हम अपना काम कैसे कर सकते हैं? लेकिन बात तो यह है कि क्या यह सभी कुछ अभी ही किया जाना है, इसके बारे में हमें शंका है। जहां तक हमारा संबंध है, हम इस मुद्दे पर चर्चा में साथ नहीं दे सकते। मैं यह कहना चाहूंगा कि

सरकार को इस पर अच्छी तरह से विचार करना चाहिये था और यदि सरकार ने इस पर अच्छी तरह से विचार कर लिया है तो भी बेहतर तो यह होता कि बाद में उचित समय पर इस विधेयक को लाया जाता।

महोदय, आज राष्ट्र के सामने बहुत सी गंभीर समस्याएं हैं। आज हमें यह पता चल रहा है कि हल्दिया उर्वरक कारखाना बेचा जा रहा है क्योंकि हल्दिया उर्वरक कारखाने को चलाने के लिए सरकार धनराशि जुटाने की स्थिति में नहीं है। 'एक्जिट पालिसी' भी अपनायी जा रही है। जहां तक सार्वजनिक क्षेत्र का संबंध है, सार्वजनिक क्षेत्र के बहुत से संस्थानों में वेतन और मजदूरी तक का भुगतान नहीं हो रहा है। मैंने अभी दो दिन पहले ही माननीय प्रधानमंत्री को बताया है कि दुर्गापुर उर्वरक इकाई इसलिए बंद पड़ी है क्योंकि बायलर चलाने की भट्ठी के लिए तेल की खरीद नहीं की जा सकी और कामगार वहां पर बेकार बैठे हैं और मजदूरी का भुगतान नहीं किया जा रहा है। देश के लिए यह एक बहुत ही मुश्किल स्थिति है। इसलिये मेरा सुझाव यह है कि हमें काफी गंभीर होकर बिना संसद सदस्यों की भागीदारी के किसी कार्य-प्रणाली के बारे में सोचना चाहिये, क्योंकि गरीब लोग हमेशा यह कहेंगे कि हम लोग केवल अपने बारे में ही सोच रहे हैं और हम अपने को ही अतिरिक्त लाभ पहुंचाना चाहते हैं। हमने माननीय अध्यक्ष जी से भी अनुरोध किया है कि संसद सदस्यों के कार्यक्षेत्र से बाहर किसी निकाय अथवा किसी तंत्र को अपनाने पर विचार करें और उनके द्वारा निर्णीति स्थिति पर विचार किया जाये। वे लोग सभा के अन्दर कुशल कार्यकरण के लिए अल्पतम आवश्यकता का भी पता लगायेंगे और वह निकाय अथवा तंत्र इस बारे में भी निर्णय लेगा कि संसद सदस्यों को कौन-कौन सी सुविधायें उपलब्ध करानी चाहिए ताकि हम लोगों को अपने आप को कोई सुविधा देने की इस जटिल स्थिति का सामना न करना पड़े जिसके लिए हमें कोई स्पष्ट जनादेश नहीं मिला हुआ।

इसलिये इस के गुणावगुणों, इसके तंत्र के संबंध में हमारी यह आपत्ति है। हम यह तो नहीं कह रहे हैं कि कोई समस्याएं नहीं हैं, परन्तु सभा के बाहर भी समस्याएं बढ़ रही हैं, आम आदमी और श्रमिक वर्ग की समस्यायें बढ़ रही हैं और हम इस सरकार की नीतियों के प्रति धन्यवाद करते हैं कि समस्याएं एक नाजुक हद तक पहुंच रही हैं। इसलिए मुझे प्रसन्नता तो इस बात में होती कि सरकार इस विधेयक को अब न लाकर अगले किसी ऐसे अवसर पर लाती जबकि स्थिति में सुधार हो जाता।

श्री चन्द्र शेखर (बलिया) : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री सोमनाथ चटर्जी द्वारा व्यक्त की गई भावनाओं का समर्थन करता हूं। देश एक कठिनाई के दौर से गुजर रहा है और खास कर कमजोर वर्ग इससे सर्वाधिक पीड़ित है। आज सुबह बुनकरों का एक शिष्टमंडल मेरे पास आया। देश के अनेक भागों में बुनकरों ने आत्महत्या कर ली है। समस्या तो यही है कि कमजोर वर्ग बुरी तरह से पीड़ित हैं। भारत सरकार ने एक नई आर्थिक नीति लागू की है और इस सभा तथा राष्ट्र को आश्वासन दिया गया है कि थोड़े समय में नीति के परिणाम अथवा फल राष्ट्र के सामने आ जाएंगे; राष्ट्र में खुशहाली आ जाएगी; चारों तरफ शान-शौकत का वातावरण हो जाएगा और लोग मजे में हो जाएंगे। इसलिए हमें उस समय तक इंतजार करना चाहिए जबकि मनमोहन सिंह जी का भावी एल्डोराडो राष्ट्र के समक्ष होगा। तब तक हमारा लोगों को यह बताने का कोई औचित्य नहीं है कि लोगों को तीन साल तक इंतजार करना चाहिए। शुक्र है, एक वर्ष पहले की मनमोहन सिंह ने कहा था कि हमें तीन वर्ष तक इंतजार करना चाहिये। 15 अगस्त को लाल किले की

[श्री चन्द्र शेखर]

प्राचीर से प्रधानमंत्री ने कहा था कि हमें तीन साल तक इंतजार करना चाहिए। अब चार वर्ष हो गए हैं। हमें इंतजार करना चाहिए। लेकिन यदि जनता से यह कहा जाता है कि धैर्य रखें और सहनशीलता दर्शायें, संसद सदस्यों का और अधिक धैर्य और सहनशीलता का प्रदर्शन करना चाहिये।

मैं अपने साथी श्री गुलाम नबी आजाद से प्रार्थना करता हूं कि इस विधेयक को सभा में न रखें। उन्हें हर तरह से इस विधेयक को वापिस ले लेना चाहिए।

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय मैं आपसे अपील करता हूं कि हम एक नाजुक दौर से गुजर रहे हैं। हमें सभा से बाहर लोगों की भावनाओं का अहसास नहीं है। वे हमसे घृणा कर रहे हैं। दुर्भाग्यवश मुझे इन शब्दों का प्रयोग करना पड़ रहा है। समूचा संसदीय लोकतंत्र निष्प्रभ हो रहा है। हमें इसमें कोई भी बात नहीं जोड़नी चाहिए। श्री गुलाम नबी आजाद जी के लिए यही उत्तम होगा कि वह विधेयक को वापिस ले लें। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह (जहानाबाद) : मेरा पाइंट आफ आर्डर है। हम लोगों के लिए इस बिल की कोई जरूरत नहीं है। इसको वापिस ले लें (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर) : मैं जानता हूं कि यह विधेयक कुछ समय पहले से ही सरकार पर काफी दबाव देकर लाया गया है और यह दबाव केवल अन्तर्वर्ती हवाई यात्राओं की संख्या में वृद्धि करने के लिए ही नहीं था, बल्कि मुख्य दबाव तो परिलब्धियों में वृद्धि करने के लिए डाला गया—दैनिक भत्ता, निर्वाचन क्षेत्र भत्ता और इसी तरह के भत्तों में वृद्धि करने के लिए डाला गया है।

मैं जानता हूं कि बहुत से सदस्य इस बात के लिए दबाव डालते रहे हैं कि परिलब्धियों में वृद्धि अवश्य होनी चाहिए। कम से कम, यह जो कृपा दिखायी गई है, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं। माननीय मंत्री जी इन मांगों को कुछ समय के लिए तो अस्वीकार कर ही सकते थे और यह कह सकते थे कि वह इन मांगों को इसलिए स्वीकार नहीं कर सकते क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था और सरकार की आर्थिक स्थिति बेहतर नहीं है और इस सभा से बाहर लोग कष्ट और इस तरह की यातनाएं झेल रहे हैं जिनके बारे में यहां जिक्र किया गया है। उसने विधेयक को केवल हवाई-यात्राओं के प्रश्न तक ही सीमित रखा है। यह सही है कि हवाई यात्राओं से सदस्यों की परिलब्धियों में कोई वृद्धि नहीं होती। परन्तु इससे सरकार पर अतिरिक्त खर्चा तो पड़ेगा और सरकार स्वयं यह कहती रही है कि अब वह किसी अनावश्यक खर्च को बर्दास्त करने की वित्तीय स्थिति में नहीं है।

मुझे इस बात को कहने में कोई एतराज नहीं कि मैं कुछ और हवाई-यात्राओं का भी स्वागत करूंगा। कम से कम मैं तो केवल दिल्ली और अपने निर्वाचन क्षेत्र के बीच ही यात्रा नहीं करता हूं। मुझे देश में विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न स्थलों का दौरा करना होता है। मैं इस सुविधा का स्वागत करूंगा। परन्तु बात तो यह है कि सत्र के अन्तिम दिवस को ही जल्दी जल्दी में विधेयक को पास करने से एक ऐसी बात दर्शायी गयी है कि हम किसी ऐसे विधेयक को पारित कर रहे हैं जिसके

हमारी सुविधाओं में वृद्धि हो सके और जिससे सरकारी खर्च में वृद्धि हो सके। मैं यह नहीं समझता हूं कि यह एक वांछनीय वस्तु है।

यदि सरकार इस विधेयक को पारित करने के लिए बल देती है तो जितने भी अतिरिक्त व्यय अफलन किया जाता है, वह सरकार के लिए होगा, मुझे एक प्रस्ताव प्रस्तुत करना है। निश्चय ही, यह मेरा व्यक्तिगत प्रस्ताव है। मेरे पास अपने साथियों से बातचीत करने का समय नहीं था। मैं यह सुझाव देना चाहता हू कि यदि आप इस मूल्य पर यह अतिरिक्त सुविधाएं चाहते हैं तो हम अपने दैनिक भत्ते में से 50 रु. प्रतिदिन तक छोड़ सकते हैं। यदि आप दोनों सदनों के सदस्यों को जोड़ लें तो यह कितना पड़ेगा। उसको बनाने के लिए हम अपने दैनिक भत्ते में से 50 रु. प्रतिदिन छोड़ने को तैयार हैं। यह दिखाने के लिए यह कुछ तो होगा कि हम कुछ त्याग करने को तैयार हैं, चाहे यह छोटा सा ही त्याग क्यों न हो। हमारे दैनिक भत्ते में से 50 रु. इस अतिरिक्त व्यय की प्रतिपूर्ति करने के लिए काफी होंगे, जिसको अब आपने स्वयं वहन करने का प्रस्ताव रखा है। हम नहीं चाहते हैं कि मंत्री देश के चक्कर काटें और जनता को बतायें कि हम क्या कर सकते थे सदस्य हठ पर दिन-रात दबाव डाल रहे हैं। इसलिए हमें इस पर सहमत होना पड़ा था। इसलिए हमने ऐसा किया है।

हम नहीं चाहते कि यह बात हमारे कंधों पर डाल दी जाए।

इसलिए, मेरा विचार है कि यह बेहतर है कि उन्हें पुनः विचार करने दिया जाए। इस विधेयक को वापस लिया जाए अथवा इसे स्थगित कर दिया जाए अथवा कुछ भी कीजिए बेहतर समय के लिए इन्तजार करें। इसे लम्बित रखा जा सकता है। उनको इसे अभी पारित करने की आवश्यकता नहीं है।

यही मुझे कहना है।

[हिन्दी]

प्रो. प्रेम धूमल (हमीरपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, श्री इन्द्रजीत गुप्त ने जो बात कही, हर बार सत्र के अन्तिम दिन जल्दबाजी में जो कुछ बिल लाया जाता है, उसके कारण मतदाताओं और साधारण जनता में अनेकों भ्रांतियां पैदा होती हैं। इसी तरह से नवीं लोकसभा के समय अचानक एक बिल लाया गया। न तो वह राष्ट्रपति महोदय के द्वारा स्वीकृत किया गया लेकिन आम जनता में प्रचार हुआ कि सब एक्स एमपीज को 1250 रु. पेंशन मिलेगी। उपाध्यक्ष महोदय, ऐसा लगता है कि इसके बारे में बहुत से लोगों की रिजर्वेशन्स हैं। जहां तक एअर कंडीशन का संबंध है, बहुत से एम. पीज यूज करते हैं लेकिन सबके लिए संभव नहीं है और हम जैसे लोगों के लिए जिनको ट्रेक्स की फैसिलिटी नहीं है, यह व्यर्थ है। हम तो बार बार यह मांग करते रहे है कि हमें सैक्रेटरियल सुविधा दी जाये ताकि हम अपने मतदाताओं से जो पत्र-व्यवहार करते हैं, उनके पत्रों का जवाब देने में सुविधा मिले लेकिन उसमें कोई वृद्धि नहीं की गयी है। मैं आपके माध्यम से इस ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जब इस बात का विरोध हो रहा है परन्तु सरकार इसे करना चाहती है कि एम. पीज प्रैशराईज कर रहे थे तो उचित यही रहेगा कि इस सारे मामले पर सभी पार्टियों के नेता एक साथ बैठकर कोई निर्णय ले और तब तक इसे रोक दिया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय, दूसरी बात सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हम अपने मतदाताओं से जो पत्र व्यवहार करते हैं, उसमें कुछ सुविधा यह सरकार दे सके तो उसके लिए अवश्य ध्यान दे। यही मेरा सुझाव है।

[अनुवाद]

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे (विजयवाड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

यह पति अथवा पत्नी भी परिवार का एक महत्वपूर्ण सदस्य है (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : सभा में व्यवस्था बनी रहने दें।

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : अब तक इन पति पत्नी ने इस सुविधा का लाभ नहीं उठाया है।

मुझे अच्छी तरह से याद है हम आठवीं लोकसभा के दिनों से इस बात की वकालत कर रहे हैं कि इस सुविधा को एक सदस्य को स्वीकार्य कुल हवाई यात्राओं में शामिल कर प्रदान किया जाना चाहिए। सदस्य द्वारा 16 यात्राएं करने की बजाय सदस्य तथा पति/पत्नी इस सदस्यता की अवधि के दौरान आठ यात्रायें कर सकते हैं। सदस्य अण्डमान तथा लक्ष्यद्वीप जैसे अनेक दूर दराज के स्थानों तथा कुछ अन्य स्थानों का भी दौरा करना चाहेंगे और यदि आप इस हवाई यात्रा की सुविधा का लाभ पति/पत्नी को नहीं उठाने देते हैं तो पति/पत्नी के लिए उन स्थानों का दौरा करना बहुत कठिन हो जायेगा। केवल सदस्य इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। इसलिए हम यह सुझाव दे रहे हैं कि इस सुविधा का लाभ पति/पत्नी को भी दिया जाना चाहिए और इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए यह विधेयक प्रस्तुत किया गया है।

मैं यह कहना चाहूंगा कि यह कहना बिल्कुल गलत नहीं है कि एक संसद सदस्य के लिए वर्तमान परिलब्धियां पर्याप्त नहीं हैं, जिसे कि सभा तथा सभा के बाहर दोनों तरफ निष्ठापूर्वक अपने कर्तव्य निभाने हैं और जिसे सचिवालय आते जाते रहना है और अपने निर्वाचन क्षेत्र का दौरा करते रहना है।

जनता उस स्थिति में राजनीतिज्ञों से नफरत करती है, यदि वे भ्रष्टाचार पर उतर आते है, यदि वे दल बदलते हैं तथा जब भी वे दलों में फूट डालते हैं। लेकिन जनता इस बात को नहीं समझेगी यदि संसद सदस्यों को उपयुक्त परिलब्धियां दी जाती हैं, जब तक कि वे उनके दल द्वारा दिए गए आदेश पत्र के साथ डटे नहीं रहते तथा जब तक कि वे अपने कर्तव्य, जिम्मेवारी नहीं निभाते तथा अच्छी तरह से कार्य नहीं करते। मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि ऐसी भी सरकारें थीं, जिन्होंने राष्ट्रपति जी से सिफारिश की थी कि सदस्य को पेंशन मंजूर की जानी चाहिए चाहे एक सदस्य ने संसद में एक वर्ष की अवधि ही पूरी की हो। पहले चार वर्ष और नौ महीने अथवा इसी तरह का प्रावधान था। कुछ ऐसी सरकारें भी थी, जिन्होंने यह प्रस्ताव रखा था कि केवल एक वर्ष की अवधि ही पर्याप्त होगी। मेरा एकमात्र निवेदन यह है कि मुझे इस वर्तमान विधेयक में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं लगता। सरकार को सदस्यों को आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने के लिए सभी सम्भव उपाय करने चाहिए, ताकि वे अपने कर्तव्य अच्छी तरह से निभा सकें।

उपाध्यक्ष महोदय : अब श्री सूरज मंडल बोलेंगे।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आपको अवसर मिलेगा। अब मैंने श्री सूरज मंडल का नाम लिया है।

वे बोलने को तैयार हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राम नगीना मिश्र (पडरौना) : उपाध्यक्ष महोदय, हम इसकी समिति के सदस्य हैं। जब हम इस समिति की बैठकों में जाते थे तो लोग हमसे कहा करते थे कि आप क्या कर रहे हैं। सदस्यों को कौन सी सुविधा दे रहे हैं। हमने कमेटी में कह दिया था कि यह बिल पेश होना चाहिए और अगर यह बिल पेश नहीं होगा तो कुछ काम नहीं किया जाएगा। कुछ जो साधन-संपन्न लोग हैं केवल वे ही इसका विरोध करते हैं। हम इस बिल की ताईद करते हैं कि यह बिल पास होना चाहिए। (व्यवधान)

श्री कालका दास (करोल बाग) : मेरा भी यह विवेदन है कि जैसे नीतीश कुमार जी ने कहा कि यह बिल तो आना चाहिए परन्तु पार्लियामेंट के काम को निभाने के लिए समय की आवश्यकता है। (व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : यहां कोई प्रणाली है। मैं राजनीतिक दलों के प्रधानों को बोलने के लिए बुला रहा हूं, ताकि हम उनके विचार जान सकें। जब एक माननीय सदस्य खड़ा हो, उस बीच यदि कोई अन्य सदस्य खड़े होते, हैं और जो कुछ भी वे कहना चाहते है वे कहते हैं, क्या यह इस सभा में बोलने का उपयुक्त तरीका है ? हमारे कुछ मानदण्ड होने चाहिए। मैंने सभी दलों के प्रमुखों से बोलने का अनुरोध किया है और वे अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। अब मैंने श्री सूरज मंडल का नाम लिया है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आपको भी अपने विचार व्यक्त करने का मौका मिलेगा। मैं आपको अवसर दूंगा।

[हिन्दी]

श्री सूरज मंडल (गोड्डा) : उपाध्यक्ष महोदय, संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन(संशोधन) विधेयक जो लाया गया हैं इसके बारे में हमारे बहुत से सदस्यों के विचार आए हैं लेकिन यह सब सदस्यों की राय नहीं हो सकती। जब हमारे देश में रुपये का अवमूल्यन हुआ तो बाजार में सभी चीजों के दाम बढ़े और हवाई जहाज की सुविधा से भी सदस्य संतुष्ट नहीं हैं। दो साल पहले दिल्ली के बाजार में एक चीज जिस दाम पर खरीदी जाती थी क्या आज उसी दर पर मिल सकती है ? इसलिए सदस्यों को चुप रहना पड़ता है। अगर आप उनकी नैतिकता का पतन नहीं होने देना चाहते तो निश्चित रूप से जिस अनुपात में मूल्य वृद्धि होती है उसी अनुपात में हमारे महंगाई भत्ते में भी वृद्धि होनी चाहिए, नहीं तो सदस्यों का नैतिक पतन होगा। बड़े नेता तो मैनेज करके चलते हैं और छोटे सदस्यों के लिए मुश्किल हो जाती है। मार्क्सवादी के नेता लोग अपने सदस्यों से जो कहते हैं तो उन सदस्यों से हमारी बात हुई कि उन को जो वेतन मिलता है उसका पता ही नहीं चलता और कुछ बचता नहीं है। यहां पर सदस्यों के लिए दैनिक भत्ता 150 रुपए है और बिहार असेम्बली में एक एम एल. ए. को भी इतना ही मिलता है। (व्यवधान) इसलिए हवाई जहाज की सुविधा

[श्री सूरज मंडल]

न मिले, कोई बात नहीं लेकिन हर मैम्बर को कांसटीटूऐंसी एलाउंस पूरा मिलना चाहिये, नहीं तो दैनिक भत्ते की आप कटौती कर दीजिए और सभा एम० पीज० के घरों में बाजार खरीद कर राशन पहुंचवा दीजिए ताकि उसे कोई चिन्ता न रहे। अन्यथा ऐसा कर दीजिए कि सप्ताह में तीन दिन हर मैम्बर को बोलिये कि वह अपने घर में भोजन न बनाये। सब साफ होना चाहिए, ईमानदारी की बात है, नहीं तो एम० पी० लोगों की नैतिकता का पतन होता है। (व्यवधान)

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : उपाध्यक्ष जी, हर पार्टी के बैक-बेंचर्स को बोलने का मौका मिलना चाहिये ताकि उन लोगों की रियल फीलिंग मालूम हो सके।

उपाध्यक्ष महोदय : हां, बुलवायेंगे।

श्री नीतीश कुमार : हमने बड़ा स्पेसिफिकली पूछा है कि कम से कम 16 हवाई यात्राएं तो रहने दीजिए या आप उसे भी घटाने पर लगे हैं। (व्यवधान)

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : मेरा अनुरोध है कि यह मुद्दा संसद सदस्यों का है और हमें संसद सदस्यों के विचारों को सुनना चाहिए कि दलों के प्रधानों के विचारों को।

[हिन्दी]

श्री सूरज मंडल : इसलिये मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि जब आप मैम्बर्स को एक तरफ से सुविधायें देते हैं, पैसा देते हैं और दूसरी तरफ हर चीज के लिए उसके वेतन से कटौती कर लेते हैं, पैसा काट लेते हैं खिलाने के लिए तो हमें 5500 रुपये वेतन मिलता है, लेकिन वास्तविक रूप से 4 हजार से ज्यादा रुपया वेतन के रूप में किसी को नहीं मिलता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि हम मैम्बर्स की सुविधाओं में बढ़ोतरी होनी चाहिए, भले ही हमें हवाई जहाज की सुविधा न मिले, हम ट्रेन से चले जायेंगे, ट्रेन में यात्रा करना फ्री है लेकिन एम० पीज० के कान्सटीटूऐन्सी और उसके दैनिक भत्ते में निश्चित रूप से वृद्धि होनी चाहिए, यही मेरा आपसे निवेदन है। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री एम. आर. कादम्बूर जर्नादन (तिरुनेलवेली) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं संसद के एक साधारण सदस्य के रूप में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। हमारे पूर्व प्रधान मंत्री सहित कुछ प्रमुख नेताओं ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। मुझे वे दिन याद आते हैं जब मैं सन् 1984 में इस संसद का नया-नया सदस्य बना था। उस समय मेरे निर्वाचन क्षेत्र में जाने के लिए हवाई यात्रा का खर्चा 1500 रु० था। लेकिन आज यह खर्चा 4000 रु० है। यह हमारी गलती नहीं है। आपको यह याद रखना चाहिए कि हमें प्रत्येक सामाजिक उत्सव में भाग लेने के लिए, गरीब लोगों की साधारण सी शादियों में भाग लेने के लिए अपने दल के कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए तमिलनाडु के दक्षिणी छोर तक जाना होता है। इसलिए संसद सदस्य के लिए यह अतिरिक्त यात्रा कोई विलासिता नहीं है। इस सम्बन्ध में मैं पूर्व प्रधान मंत्री जैसे अनुभवी व्यक्तियों से अनुरोध करूंगा। मुझे याद है, आठवीं लोक सभा में मैं मैटाडोर वैन से यात्रा करने के लिए एक रुपया देता था। अब मैं मैटाडोर वैन से यात्रा करने के लिए तीन रुपए देता हूं। यह केवल एक उदाहरण है। मुझे खुशी है कि जैसे हम जनता से घबराते हैं नेता भी जनता से घबराते हैं।

वर्ष 1956-57 में हमारी योजना केवल कुछ हजार करोड़ रु० की थी। अब यह योजना अनेक लाख करोड़ रुपयों की होती है। मुझे उम्मीद है कि पूर्व प्रधानमंत्री इस ओर ध्यान देंगे। हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री ने जनता के हित में एक विलम्बन-काल के लिए पूछा है। आज स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी का जन्मदिन है। आइए, इस नियोजित क्षेत्र में हम इसे अगले वर्ष 20 अगस्त तक एक वर्ष के लिए स्थगित कर दें। श्री जार्ज फर्नान्डीज यहां हैं। उन्हें कहने दें कि इस नियोजित क्षेत्र में एक वर्ष के लिए विलम्बन-काल रहेगा।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे विषय तक ही सीमित रहें।···(व्यवधान)···

श्री एम० आर० कादम्बूर जनार्दनन : हम जनता से उतना ही घबराते हैं जितना हमारे नेता घबराते हैं। मैंने आठ वर्षों में तीन चुनावों में हिस्सा लिया है। मैं जानता हूं कि प्रत्येक सदस्य को चुनाव के लिए कितना खर्चा करना पड़ता है। हम अपने हित के लिए सरकार के धन को लूटना नहीं चाहते हैं। हम कोई लाभ नहीं उठाना चाहते हैं। मैं अपने अनुभवी नेताओं से इस बात की वकालत कर रहा हूं कि हमें अपने निर्वाचन क्षेत्र के लोगों से मिलने की अनुमति दी जाए, जब भी वे हमें बुलायें।

श्री चित्त बसु (बारसाट) : महोदय, यह मुद्दा एक नियमित बहस में बदल गया है। यह एक स्वाभाविक चीज है। इस मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए। इसमें कुछ नैतिक प्रश्न जुड़े हुए हैं और कोई भी इस बात से मना नहीं कर सकता है। हमें परिलब्धियों, वेतन तथा जो अन्य सुविधायें हमें दी जानी चाहिए, उनका निर्णय लेने का अवसर प्राप्त हुआ है। महोदय, यह ऐसा समय नहीं है जब कि देश हमारी अर्थव्यवस्था में किसी गम्भीर स्थिति से गुजर रहा हो।

उपाध्यक्ष महोदय : विषय से हटकर हो रही चर्चा के कारण, रिपोर्टरों को वह सब लिखने में कठिनाई हो रही है जो कुछ माननीय सदस्य कह रहे हैं। इस लिए माननीय सदस्यों से मेरी अपील है कि वे सभा में व्यवस्था बनाये रखने की बात को दिमाग में रखें।

श्री चित्त बसु : हम यह नहीं भूल सकते कि हम जनता का ही हिस्सा है हम ऐसा नहीं समझ सकते हैं कि हम अपने देश की जनता से अलग हैं। जब हमारे देश की जनता गंभीर आर्थिक कठिनाईयों से गुजर रही है। तो हमें यह मुद्दा नहीं उठाना चाहिए कि क्या हमारी सुविधाओं को बढ़ाया जाए अथवा नहीं। इसमें कोई नैतिक विवेक नहीं है मैं इस पक्ष में नहीं हूं कि हमें स्वयं अपनी परिलब्धियां तथा वेतन नियत करने के लिए प्राधिकृत किया जाये। यहां कोई स्वतंत्र निकाय होना चाहिए जो कि कुशल संसद सदस्यों की इस देश की जिम्मेदारियों को निभाने के लिए आवश्यकताओं की वास्तव में जांच कर सकता है देश को यह भी समझना चाहिए कि इस देश के शासक भी उनकी मुसीबतों को बांटने के इच्छुक हैं। इससे एक नया वातावरण बनेगा।

इसलिए, महोदय, मेरा यह विचार है कि यह फायदा उठाने का समय नहीं है, यह उन सुविधाओं में संशोधन करने अथवा उन्हें बढ़ाने का उपयुक्त समय नहीं है, जिनका हम आज लाभ उठा रहे हैं।

अतः, मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वह यह सुनिश्चित करें कि वे अपने निर्णय पर पुनर्विचार करें और इस विधेयक को वापिस ले ले तथा सांसदों को दिये जा रहे भत्तों को जारी रखें।

श्री इब्राहिम सुलेमान सेट (पोन्नानी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह अवश्य कहूंगा कि दुर्भाग्य से अनेक सदस्यगण इस विधेयक को सही प्रकार से समझ नहीं पाये हैं। हम परिलब्धियों के लिए

[श्री इब्राहिम सुलेमान सेट]

नहीं कह रहे हैं; हम मासिक भत्तों में वृद्धि के लिए नहीं कह रहे हैं। हम इस प्रकार की कोई बात नहीं कह रहे हैं। हम ऐसा इसलिए नहीं कह रहे हैं क्योंकि हम इस तथ्य से अनभिज्ञ हैं कि देश गम्भीर आर्थिक संकट से गुजर रहा हैं। इसलिए, हम पीड़ित है हम जानते हैं आज हमारी क्या स्थिति है।

आज, हम रोजाना 200 से 300 रुपये टैक्सी-भाड़ा अदा कर रहे है। इतनी राशि हमें पैट्रोल की कीमतों में और टैक्सी-भाड़ों में वृद्धि के कारण खर्च करनी पड़ रहा है। हम ऐसा कर रहे हैं। लेकिन यहां हम केवल हवाई यात्राओं में वृद्धि के बारे ही कह रहे हैं। शायद हम सभी समझते हैं कि राजधानी के निकट अथवा दिल्ली के आसपास रह रहे सदस्यगण बहुत अच्छी तरह इसका विरोध कर सकते हैं। मैं तो यह बात समझ सकता हूं। यहां तक कि कलकत्ता और पश्चिम बंगाल से भी, उनके लिए राजधानी एक्सप्रैस-गाड़ियां है, जोकि यहां पहुंचने में लगभग 17 घंटे का समय लेती हैं। लेकिन हमारे लिए क्या है ? चाहे कर्नाटक, तमिलनाडु अथवा केरल हो, हमें दक्षिण में पहुंचने के लिए तीन दिन 56 घंटे की यात्रा करनी पड़ती है। वे गाड़ी से जाकर वापिस आ सकते हैं। लेकिन हमारी क्या दशा है ? आसपास यानि राजस्थान, मध्य-प्रदेश, दिल्ली में रह रहे लोग, जब यह कहते हैं कि उन्हें यह सुविधा नहीं चाहिए, तो मैं समझ सकता हूं। यह सही है। लेकिन हमारे लिए क्या है ? हम दु:ख-भोग रहे हैं, हमें 56 घंटे का सफर करना पड़ता है और 16 यात्राएं होती ही कितनी हैं ? अगर आप एक अधिवेशन में चार यात्राएं करते हैं, तो इस तरीके से हम, दो बार जाकर वापिस आ सकते हैं। अपने निर्वाचन-क्षेत्र में इतने अधिक कार्यों और कई बार परिवारों में अत्यधिक रुग्णता और कष्टों के होते हुए भी हमें जाकर वापिस आना पड़ता है अत: हमें और अधिक यात्राओं की सुविधा मिलनी ही चाहिए। हम भत्ते में वृद्धि के लिए नहीं कह रहे हैं। हम दैनिक भत्ते में वृद्धि के लिए नहीं कह रहे हैं। हमें यह नहीं चाहिए। हम तो केवल इतना ही कह रहे हैं। कि हवाई-यात्राओं की संख्या में वृद्धि कर दी जाये।

यहां पर भी मैं एक और सुझाव दे सकता हूं। उन्होंने सांसदों के साथ जाने वालों के बारे में कहा है। कृपया साथी हटा दें और केवल पति/पत्नी ही रखें और ऐसा किया जा सकता है।

श्री नीतीश कुमार : साथी पति/पत्नी जैसा ही प्रतीत होता है।

श्री इब्राहिम सुलेमान सेट : कृपया विभिन्न-विगों अर्थात् कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधानपालिका के स्तर को भी समझ लें। कार्यपालिका पर कितना अधिक धन खर्च किया जाता है और न्यायपालिका पर कितना धन व्यय किया जाता है। इसकी तुलना में विधानपालिका पर बहुत कम धन व्यय किया जाता है। अत: उन्हें सुविधाएं दी जानी चाहियें, ताकि वे सही ढंग से कार्य कर सकें। अत: मैं इस विधेयक का, साथी की बजाय यह पति/पत्नी होना चाहिए मात्र एक परिवर्तन-सहित, पूर्ण समर्थन करता हूं। ऐसी व्यवस्था इसमें होनी चाहिए और इससे देश के दक्षिणी-भाग से आने-वाले सांसदों को बड़ी सहायता मिलेगी।

[हिन्दी]

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह (फतेहपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, लगता है कि सरकार गलत समय पर यह बिल लाई है। मैं उम्मीद करता हूं कि व्यवस्था का ऐसा मौसम,जो मनमोहन सिंह जी ने खींचा है, वह मौसम जल्दी ही आने वाला है। जब ऐसा मौसम आ जाए, जो उन्होंने कहा है और आपको विश्वास भी होगा कि आने ही वाला है, जब मंहगाई का उनके पास सिंगल डिजिट हो जाए, कुछ

और भी आर्थिक इंडीकेटर अच्छे होने लगें, उस बीच लाएं तो सबको अच्छा भी लगेगा। आवश्यकता तो बढ़ रही है। मैम्बर की आवश्यकता पर बहस नहीं कर रहा हूं। जैसा बताया गया जो दूर रहते हैं उनकी आवश्यकता है, बार-बार जाना पड़ता है, राजनीति जरा जटिल हो रही है तो ज्यादा जाना पड़ता है। लेकिन वह]आज की स्थिति सुहा नहीं रहा है जिस वजह से कह रहे हैं। हमारा ख्याल है कि अर्थव्यवस्था थोड़ी सुधर जाए, उस समय लाएं तो बेहतर होगा।]

[अनुवाद]

श्री ए. चार्ल्स (त्रिवेन्द्रम) : उपाध्यक्ष महोदय, अगर मेरी जानकारी सही है, जब इस मुद्दे पर वेतन तथा भत्तों संबंधी समिति द्वारा चर्चा की गई थी, तो एक भी सदस्य ने उस समिति में इसका विरोध नहीं किया था। लेकिन जब यह मुद्दा संसद में एक विधेयक के रूप में चर्चा के लिए सामने आया, तो कुछ सदस्यगण आम और साधारण सांसदों की वास्तविक समस्या को समझे बिना, सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए, इसके विरुद्ध बोले थे। मैं अपने हृदय की बात कहता हूं। मैं स्वयं एक साधारण सांसद हूं। मैं आठवीं लोकसभा से इस सभा का सदस्य हूं। मैं इस माननीय सभा के सदस्यों को चुनौती देता हूं। क्या वे इस संसद में अपने चुनाव के समय और आज जो परिसंपत्तियां उनके पास हैं, बता सकते हैं? मैं ऐसा करने को तैयार हूं। मैं आठवीं लोक सभा के प्रथम दिन से लेकर दसवीं लोक सभा तक अपनी परिसंपत्तियां बताने को तैयार हूं।

दूसरे, आठवीं लोक सभा और दसवीं लोक सभा दोनों ही की प्राक्कलन समितियों का सदस्य रहा हूं। जिस ढंग से सांसदों पर धन व्यय किया जाता था, उससे मैं खुश नहीं था। जब हम समिति की बैठक के लिए जाते हैं, अगर उस समिति में 21 सदस्य होते हैं, तो उनके लिए 21 अम्बेसडर कारें होंगी तथा 30 कारें अधिकारियों के लिए होंगी—52 कारें एक साथ जा रही होंगी। हमें पांच-सितारा होटलों में ठहराया जाता था। अपने अनुभव से आम आदमी के आक्रोश को समझते हुए दसवीं लोक सभा में जब मैं प्राक्कलन समिति के लिए निर्वाचित हुआ था तो पहली ही बैठक में मैंने यह प्रस्ताव रखा था कि किन्हीं भी परिस्थितियों में प्राक्कलन समिति के संसद-सदस्यों को पांच सितारा होटलों में ठहराया नहीं जाना चाहिए।

1.00 म. प.

हमने कहा कि हमें सरकारी-आवास अथवा सामान्य घर जहां कहीं भी सम्भव हो ठहराया जाना चाहिए। हमने एक संकल्प पारित करके इसे सभी सम्बद्ध विभागों को भेज दिया था। पिछले दो वर्षों के दौरान-दसवीं लोक सभा गठित होने से लेकर हममें से प्राक्कलन समिति का कोई भी सदस्य पांच-तारा होटलों में नहीं ठहरा है। अतः, मैं अब उनसे भी ऐसा ही प्रस्ताव करता हूं कि वे भी यह संकल्प पारित करें कि लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति में और अन्य संसदीय समितियों के सदस्य पांच तारा होटलों में नहीं ठहरेंगे। (व्यवधान)। महोदय, वे देश के दक्षिणी तथा पूर्वोत्तर भागों से आने वाले संसद सदस्याओं की समस्यों को नहीं समझ रहे हैं।

त्रिवेन्द्रम से केवल के. के. एक्सप्रेस गाड़ी हो नई दिल्ली आती है। यह एक यात्रा में 60 घंटे से अधिक समय लेती है। हमें अपने निर्वाचन-क्षेत्र में जाना होता है, जिसमें दो दिन लगते हैं। पिछला संसद-अधिवेशन के दौरान जो कि तीन महीने तक चला था, मैं केवल एक बार ही अपने निर्वाचन-क्षेत्र में जा पाया था। महोदय, मैं यह भी जानता हूं कि अगर मैं चाहूं तो एक दूरभाष संदेश से मुझे एक दिन में बीस टिकटें मिल जायेंगी। इस देश में संसद-सदस्यों और उनके लिए जो सस्ता का [illegible]

[श्री ए. चार्ल्स]

योग करते हैं ऐसी कोई समस्या नहीं है।

अतः जब यह विधेयक पारित हो जायेगा, तो यह संदेश निर्वाचन-क्षेत्र में पहुंच जायेगा। मुझे पता है, यह संदेश त्रिवेन्द्रम में भी पहुंच जायेगा। लेकिन मेरे निर्वाचन-क्षेत्र के लोग जानते हैं कि मैं कितनी ईमानदारी से रहता हूं। अपने निवास-स्थान से मैं टैम्पू वेन अथवा आटो रिक्शा से आता हूं। मैं कार नहीं रखता। मेरे जैसे अनेक संसद-सदस्य हैं। हम कोई उच्च परिलब्धियों अथवा अनुलाभ की मांग नहीं कर रहे हैं। हम यह नहीं चाहते हैं। लेकिन जब निर्वाचन-क्षेत्र में कोई संकट होता तो हम जाना चाहते हैं।

महोदय, शायद आपको याद होगा कि संसद के इस अधिवेशन के दौरान मेरे निर्वाचन-क्षेत्र में एक सांप्रदायिक दंगा हुआ था। मुझे दो दिन तक प्रतीक्षा करनी पड़ी थी। मेरी लगभग आठ याचाएं समाप्त हो चुकी हैं, मैं रेलगाड़ी से नहीं जा सकता। मैं वहां अपनी पत्नि से मिलने नहीं जा रहा हूं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में कई समस्याएं हैं। अगर देश के दूर-दराज के भागों से आने वाले संसद सदस्यों की समस्याओं को नहीं समझा पाता है, तो एक दिन ऐसा आयेगा कि हम सर्वसम्मति से यह कहेंगे कि राजधानी देश के मध्य में ले जाई जाये। हम त्रिवेन्द्रम से दिल्ली नहीं आ सकते। (व्यवधान)

आपको यह विदित ही होगा कि जब पाकिस्तान ने हमारी सीमाओं पर हमला किया था और जब चीन ने हम पर हमला किया था तो यह केरलवासी ही थे जोकि सारे भारत के लिए डटे रहे थे। यह हमारे जवान हैं, जोकि वहां जाकर लड़ते हैं। अतः, हम इस देश के अंग है और हमारे का हर कण भारत का ही है। हमारी कुछ समस्याएं हैं। रक्त (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : चालिहा जी, आपका धन्यवाद।

श्री ए. चार्ल्स : महोदय, मैं केवल एक बात और कहूंगा। हमें राजधानी एक्सप्रेस की सुविधा उपलब्ध नहीं है। हमें केवल साधारण रेलों की सेवा उपलब्ध है। देश के सुदूर हिस्सों से आने वाले आम संसद-सदस्य की यह अहम् आवश्यकता है। अतः, कृपया भेद-भाव न करें; कृपया मिथ्याचारी मत बनिए।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया और अधिक मत बोलिये। श्री चालिहा जी अपनी बात कहिए।

श्री किरिप चालिहा (गुवाहाटी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो सभी से यही अपील करना चाहता हूं कि संसद-सदस्यों की कठिनाइयों को महसूस करें। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि सदस्यों के वेतन और अन्य प्रावधान जो कि हमें मिलते है, पूर्णतयः अपर्याप्त हैं। हम सभी दलों से संबंधित उत्तर-पूर्व के के संसद-सदस्य पिछले सप्ताह अध्यक्ष महोदय से मिले थे। हमने उनसे अनुरोध किया था कि कम-से-कम हवाई यात्रा के प्रावधान को बढ़ा दें। ऐसा करना इसलिए जरूरी है क्योंकि देश के उत्तर-पूर्व भाग से हम दो अथवा तीन दिनों के समय के अन्दर दिल्ली नहीं पहुंच सकते। विश्वनाथ प्रताप सिंह जी 3-4 बार अपने घर चले जाते हैं और हमें एक जर्नी करने में 3-4 दिन लग जाते हैं। इसलिए एयर जर्नी का प्रो प्रोवीजन है। यह एक अनिवार्य आवश्यकता है। अन्यथा यह पूर्वोत्तर राज्यों जैसे-दूर दराज के क्षेत्रों से आने वाले लोगों के साथ भेदभाव होगा। मैं आपसे तथा सभी अन्य सदस्यों से भी अनुरोध करना चाहता हूं कि इस अति अनिवार्य मुद्दे का कोई विरोध न करें। ऐसा

संसद-सदस्यों के परम-हित में किया जा सकता है, ताकि वे अपने निर्वाचन क्षेत्रों का दौरा करके समय पर वापिस आ सकते हैं और अपने कार्य कर सकते हैं। इसमें कोई अतिरिक्त लाभ सम्मिलित नहीं है; इसमें कोई हस्तांतरण संयिप्त नहीं है। ऐसे महान नेता भी हैं जिनके व्यक्तिगत सहायक दूरभाष कर सकते हैं और इस प्रावधान का लाभ उठाये बिना 50 टिकटें मुफ्त प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। हमें जो कानूनी उपबंध प्रदान किये जा रहे हैं, मुझे उनका ही फायदा उठाना होता है। मैं आप सभी और दल के नेताओं से अनुरोध करता हूं कि वे यह ध्यान रखें कि यह विधेयक पारित हो जाये। क्योंकि इस मामले में दल के नेताओं को कुछ लाभ मिले हुए हैं जो कि साधारण सदस्यों के पास नहीं हैं (व्यवधान)

श्री चिरंजी लाल शर्मा (करनाल) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। क्यों ? मैं सातवीं लोक सभा, आठवीं लोक सभा, नौवीं लोक सभा और फिर दसवीं लोक सभा का सदस्य था। यह मात्र आपकी जानकारी के लिए है। मुझे हैरानी होती है, अगर मैंने कभी भी इस सुविधा का लाभ उठाया हो। (व्यवधान) तथ्य तो तथ्य हैं और उनका सामना करना ही चाहिए। दूरस्थ स्थानों से आये मेरे विद्वान साथियों ने सही ही प्रतिवाद किया है कि हवाई यात्रा सुविधाएं मिलनी अत्यावश्यक हैं। एक भारतीय संसद-सदस्य को सारे संसार में न्यूनतम भुगतान होता है। हमें क्या सुविधाएं प्रदान की गई हैं ? अगर हमें हवाई-अड्डे पर जाना पड़ता है अथवा हवाई-अड्डे से आना पड़ता है तो हमें 10 रुपये तक टैक्सी को अदा करने पड़ते हैं। जो सदस्यगण उत्तर-पूर्व अथवा दक्षिण से आते हैं उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यह केवल भुगत भोगी ही जानता है। अत माननीय सदस्यगण उनका विरोध कर रहे हैं हमें कटु-वास्तविकताओं का सामना करना चाहिए। हमें व्यावहारिक होना चाहिए। हमें समस्याओं के समाधान में अपने दृष्टिकोण में यथार्थवादी होना चाहिए। हमें इसका विरोध मात्र दीर्घा में चाल चलने अथवा लोगों की शुभ कामनाएं प्राप्त करने लिए इसका विरोध नहीं करना चाहिए ताकि हमारा नाम समाचार-पत्रों में छप सके। 16 से 28 यात्राओं की इस वृद्धि के कारण सदस्यों को क्या मिलेगा ? प्रश्न यह है कि सदस्यों की जेब में कुछ भी नहीं जाता है। जब तक कि एक संसद सदस्य, जिसे एक कोने-से-दूसरे कोने तक घूमना पड़ता है, जिसे निर्वाचन-क्षेत्र में जाना पड़ता है, जिसे लोगों को मिलना पड़ता है, ये अवसर प्राप्त नहीं है, जब तक वह अपने कर्त्तव्यों का ईमानदारी से और गम्भीरतापूर्वक निर्वहन नहीं कर सकता है। अत: मैं पूर्ण नम्रता से, किसी दलगत भावना विशेष के बिना सभी सदस्यों से निवेदन करता हूं कि यह एक ऐसा विधेयक है—यद्यपि इससे एक करोड़ के आसपास भार पड़ेगा—जो कि सदस्यों को कुछ सुविधाएं प्रदान करेगा और इससे उनकी जेबों में कुछ नहीं आयेगा।

अत: मैं निवेदन करता हूं कि हमें इस विधेयक का समर्थन करना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री हरचन्द सिंह (रोपड़) : उपाध्यक्ष जी, आज, मुझे एम. पी. बने पूरे 6 महीने हो गए और इन 6 महीनों के अन्दर मुझे कोई मकान, कोई जगह नहीं दी गई और हम ऐसे ही बैठे हैं। जरा देखिए, यह एलाउंस की बात करते हैं। मेरे पास जो आदमी आते हैं वह दो-दो सौ रुपए का खाना खा जाते हैं और उसका बिल मुझ को भरना पड़ता है।

उपाध्यक्ष महोदय, जिन पार्लियामेंट के मेंम्बर्स को हटे 10-10 साल हो गए हैं वे भी मकान दबाए बैठे रहते हैं। (व्यवधान) मैं एक बार पंजाब में मिनिस्टर था, वहां से हटने के बाद मुझे

[श्री हरचन्द सिंह]

10-15 दिन कोठी में रहते हुए हो गए तो मुझसे उन दिनों का किराया लिया गया और ये 10-10 साल इनसे किराया नही मांगते। ये बड़ी-बड़ी कोठियां लिए बैठे हैं जो एम. पी. भी नहीं हैं और मिनिस्टर भी नहीं हैं उनसे मकान खाली कराना चाहिए और जिनको रहते हुए 6 महीने या साल हो गए हैं उनसे भी उतनी देर तक का किराया लिया जाना चाहिए। इससे सरकार का इतना नुकसान हो रहा है। इधर ये कहते हैं कि डेढ़ सौ रुपया बहुत है, उधर 500 रुपए रोज किराए के मकान खाली नहीं करवाए जाते। न कोई एमपीज को मकान देने वाला है न कोई मकान खाली करवाने वाला है, यह सरकार कैसे चलेगी ? (व्यवधान)

गुलाम नबी आजाद जी हर वक्त कहते हैं कि हाउस में रहिए, हम लोग हाउस में हर वक्त रहते हैं, मगर हमारे रहने का कोई प्रबंध नहीं है। इसलिए मेरी विनती है कि इसकी शीघ्र व्यवस्था की जाए।

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) ; उपाध्यक्ष जी, मैं अभी आडवाणी जी से बात कर के आया हूं। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष जी, शुरू में जब वेतन-भत्ते बढ़ाने की बात कही गई थी तो हमारे नेता ने साफ तौर पर इसके लिए इन्कार कर दिया था, इसके बाद जब सभी माननीय सदस्यों ने और सभी दलों के नेताओं ने दबाव डाला और यह जो 16 से 28 जनवरी की बात कही गई, जिससे सदस्य को कोई आर्थिक लाभ होने वाला नहीं है, केवल जल्दी आने जाने की सुविधा उसके लिए है, इस सुविधा को दिया जा रहा है। यह इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि इसे संबंधित समिति के अंदर सभी दलों के लोगों ने सर्वसम्मति से यह बात कही, इसलिए यहां पर भी सर्वसम्मति से, कंसेंसेस से डीसेंट-वे में इसको पास करना चाहिए, लेकिन जिस तरह से राजनीतिक लाभ उठाने के लिए लोग कहते हैं कि देश की क्या हालत है, लेकिन आपके ही मेंबर कमेटी के अंदर हैं, उन्होंने वहां पर पास किया है, फिर इस तरह की डबल-टाक, डबल फेस वाली बात ठीक नहीं है। जैसा कि माननीय सदस्यों ने कहा कि दिल्ली वालों को जरूरत नहीं है, मैं भी व्यक्तिगत रूप से साफतौर पर कहना चाहता हूं कि हमें जरूरत नहीं है, मैं इसके खिलाफ भी हूं, लेकिन जैसे दक्षिण के सदस्य हैं, उनको दिक्कत होती है, इसलिए कंसेंसेस बननी चाहिए, लेकिन छीछालेदार करके कुछ लोग यह कहें कि यह क्यों किया जा रहा है, यह ठीक नही है, हमने हमेशा अपोज किया था, तो फिर कमेटी में भी अपोज करना चाहिए था। हमारे कुछ माननीय सदस्यों ने कहा, ठीक है, लेकिन नाइंथ लोकसभा के अंदर तो इतनी धनराशि बढ़ाई गई थी, इतने वेतन-भत्ते बढ़ाए गए थे, उस समय क्यों बढ़ाए गए थे, क्या उस समय देश में क्राइसेस नहीं चल रहा था।

इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि राजनीति से ऊपर उठ कर इस बात को बैठकर तय कर लिए जाए और कंसेंसेस बना ली जाए। यह नहीं होना चाहिए कि कुछ लोग विरोध करें, बाहर जाकर हीरो बनें कि हमने इसका विरोध किया था। इसलिए मेरा सुझाव यह है कि अगर कंसेंसेस होती है तो इसको कर लेना चाहिए, यदि कंसेंसेज नहीं होती है तो बी. जे. पी. की तरफ से, आडवाणी जी की तरफ से हमारा सुझाव है कि एक कंसेंसेस बना ली जाए, तब हमें कोई ऐतराज नहीं है। कल सेशन पोस्टपोन करके, सभी नेताओं से बात करके इसको किया जाए, यही मेरा निवेदन है।

[अनुवाद]

श्री ई. अहमद (मंजेरी) : महोदय, विरोधी दल के नेताओं को, जो इस विधेयक का विरोध करते हैं, राजनैतिक दल के सदस्यों को निर्देश देने चाहिए, कि अगर सदन इस विधेयक को कानून बना देगा, फिर उन सदस्यों को इस सुविधा का लाभ, आर्थिक संकट को देखते हुए नहीं मिलेगा।

हम यह सब चीजे बहुत बार देखते आ रहे हैं। इतना मिथ्याचार क्यों ? बहुत से सदस्यों को बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। क्या उस पक्ष के सदस्य इस दृष्टिकोण से सहमत नहीं होंगे महोदय, मैं इस सदन में पहली बार आया हूं। परन्तु मुझे केरल विधान सभा का अनुभव है।

हम जब भी वेतन बढ़ाने का विधेयक लाएंगे, विरोधी दल के मेरे माननीय सहयोगी निश्चित रूप से इसका विरोध करेंगे। परन्तु वे अपना दावा कभी नहीं छोड़ते। वह इस सुविधा का लाभ उठाने वाले पहले लोग हैं। यदि वे देश के आर्थिक संकट के प्रति इतने जागरूक हैं तो उन्हें उक्त सुविधा का दावा नहीं करना चाहिए। उनकी दृष्टि में, इस विधेयक को पारित नहीं होना चाहिए। मेरे विचार मे, अगर यह कानून भी पारित हो तो मेरे माननीय सहयोगी जो इस तरफ बैठे हैं को यह घोषित कर देना चाहिए कि वे इसका लाभ नहीं उठायेंगे। परन्तु मैं जानता हूं कि उनको भी यह सुविधा चाहिए।

महोदय, हम अपनी कठिनाइयों को जानते हैं। यहां से कन्नानौर की 54 घंटे की रेल यात्रा है। इस प्रकार हमें यात्रा में ही 5-7 दिन लग जाते हैं। हमारे सहयोगियों को जिन्हें बहुत कम दूरी तय करनी होती है, उन्हें इतने अधिक समय की आवश्यकता नहीं होती। वैसे भी, यह विधेयक बहुत सीमित है। मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी इस सदन के सदस्यों के दैनिक भत्ते को बढ़ाने के प्रस्ताव पर गौर करें। परन्तु इस समय नहीं। इसलिए मैं तहे दिल से इस विधेयक का समर्थन करता हूं और मुझे उम्मीद है कि उस पक्ष में बैठे हुए माननीय सदस्य भी एकमत से विधेयक को पारित करने के लिए सहमत हो जाएंगे।

(हिन्दी]

मोहम्मद अली अशरफ फातमी (दरभंगा) : उपाध्यक्ष जी, अभी जो विचार इस सदन के सामने रखा गया है, खास तौर से जो हमारी पार्टी की तरफ से बी० पी० सिंह जी और नीतीश कुमार जी ने विचार रखे, यह कहीं पर मुखालफत नहीं है। लेकिन आज जिस परिस्थिति से मुल्क गुजर रहा है, इकोनामिक क्रासिस मुल्क के अन्दर हैं उसको देखते हुए नेशनल फ्रन्ट की तरफ से एक बात रखी गयी कि हालात अच्छे नहीं हैं, जरा बहार का मौसम आने दीजिए, उसके बाद यह सब कुछ कर लीजिए।

मेरा एक सब्मिशन है। वह यह है कि आज जो पार्लियामेंट के मैम्बर्स हैं उनको 16 टिकटस और 8 तकरीबन 24 टिकट दिए जाते हैं, मैं दावा करता हूं जो बिल आज आया है यह गुनाह और और बेलज्जत वाली बात होगी। बहुत से मैम्बर्स सदन के अन्दर ऐसे हैं, 50-60 फीसदी ऐसे हैं जो अपना टिकट इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। आज देश के अन्दर एक मैसेज जाएगा कि इकोनामिक क्रासिस में मैम्बर्स आफ पार्लियामेंट इस तरह का फैसला कर रहे हैं। मुझे एक बात और कहनी है। हमारी पार्टी की तरफ से निवेदन होगा कि इस बिल को वापस ले कर इसमें अन्य चीजों को शामिल

[श्री ई. अहमद]

कर के एक पूरा कान्प्रीहेंसिव बिल लाया जाए जिसमें एम० पीज० की दूसरी फैसिलिटीज को भी रखा जाए ।

श्री सैयद मसूदल हुसैन (मुर्शिदाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरी पार्टी का जो व्यू है उसको सोम नाथ चटर्जी ने बहुत विस्तार से रखा है । कंसेंसस नहीं हो रहा है, यह बिल वापस जाएगा । मैं दूसरी चीज और आपके ध्यान में लाना चाहूंगा कि संसद का मतलब लोक सभा और राज्य सभा दोनों को मिला कर है । फैसिलिटीज दोनों को बराबर होनी चाहिए । एक चीज का फर्क है । मैं सातवीं लोक सभा से यहां हूं । सातवीं और आठवीं लोक सभा में बलराम जाखड़ साहब यहां स्पीकर थे । सपाउस कार्ड में फोटो की जरूरत नहीं थी, लेकिन नवीं लोक सभा में यह इंट्रोड्यूस हो गयी । राज्य सभा में आज तक कोई फोटो नहीं है । लोक सभा और राज्य सभा दोनों के लिए एक चीज होनी चाहिए ।

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : उपाध्यक्ष जी, अपने-अपने हिसाब से सभी सदस्यों ने अपने विचार रखे हैं और सभी विचारों में कुछ तथ्य भी हैं । (व्यवधान) न पेंशन में, न भत्ते में और न सेलेरी में कोई सुझाव हैं । कमेटी ने जो सुझाव दिया था तो उस सुझाव को इन्होंने रख लिया और उसको विचार के लिए सदन में नहीं लाए हैं । (व्यवधान) केवल विमान यात्रा को रखा है । मैं जानता हूं हमारे बिहार के पुराने सदस्य नहीं है जो यहां की पेन्शन लेते हैं । बिहार में 1500 रुपए की पेन्शन है और यहां पर 500 रुपए है । (व्यवधान) मेरा आग्रह है कि जो समिति का सुझाव है उस पर अलग से विचार करें और जो सुझाव श्री इन्द्रजीत गुप्त जी ने रखे हैं उन पर भी विचार करके सदन में लाइए । (व्यवधान) मैंने बजट के भाषण में भी कहा था कि पांच सितारा होटलों में बन्दिश लगनी चाहिए (व्यवधान) मैं चौथी लोक सभा से कह रहा हूं कि बहुत खर्चा बचेगा । मैं इसके खिलाफ हूं कि स्पाउज रहे और कंपेनियन न रहे (व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : सभा में व्यवस्था बनी रहनी चाहिए, हां, तो श्री याइमा सिंह ।

श्री याइमा सिंह युमनाम (आन्तरिक मणिपुर) : महोदय, मैं इस विधेयक का पूरा-पूरा समर्थन करता हूं ।...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आप लोगों से सभा में व्यवस्था बनाए रखने का अनुरोध कर चुका हूं । यदि आप सब एक समय पर बोलेंगे तो रिपोर्टरों को, सभा में जो कुछ बोला जा रहा है उसे लिखने में कठिनाई होगी ।

दूसरा, अगर आप इस तरह तर्क-वितर्क करते रहेंगे तो मेरे विचार में आप अन्याय करेंगे । इसलिए कृपया इस विधेयक को पारित कराने में मदद करें ।

श्री याइमा सिंह युमनाम : महोदय, मैं इस विधेयक का पूर्ण रूप से समर्थन करता हूं क्योंकि यह विधेयक सदन के सदस्यों द्वारा की गई सेवाओं के सम्मान-स्वरूप लाया गया है । मेरा सम्बन्ध पर्वतीय क्षेत्र से है । मैं सदन के सत्र में भाग लेने के लिए, इम्फाल से दिल्ली आता हूं । मेरे पास विमान यात्रा के अलावा कोई विकल्प नहीं है क्योंकि अगर आप रेल से यात्रा करना चाहते हैं तो

चार से पांच दिन लग जाएंगे। इसके अतिरिक्त कम से कम सोलह बार दिल्ली आना पड़ता है। इसीलिए यह बहुत आवश्यक है।

इसीलिए मैं पूर्ण रूप से इस विधेयक का समर्थन करता हूं। यह केवल सदन के सदस्यों के हित में ही नहीं है, बल्कि लोगों के हित में भी है कि यह विधेयक पारित हो। (व्यवधान)

श्री विजय एन. पाटिल (इरनदोल) : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे पास सदन की एक निर्वाचित समिति है। उनकी पार्टी ने समिति में अपना प्रतिनिधि भेजा था, मुझे नहीं मालूम कि इस प्रतिनिधि का चुनाव हुआ या सर्वसम्मति से भेजा गया। इसलिए मुझे समिति की पिछली सात बैठकों में जो कुछ हुआ उक्त स्थिति को स्पष्ट करने के लिए कम से कम 15 मिनट का समय चाहिए। जब मैं सदस्यों को संतुष्ट नहीं कर पाया तो कम्यु. (मा.) पार्टी के सदस्यों सहित सभी सदस्य मुझसे इस्तीफा की मांग कर रहे थे। वे बैठक में उनसे इस्तीफा देने के लिए कहते हैं और यहां उनके नेता कुछ और कह रहे हैं तो यह बहुत बुरी बात है। इसलिए मैं इस पर कुछ कहना चाहूंगा।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : महोदय, मुद्दे बहुत सरल हैं। इस मामले पर और अधिक समय लगाना आवश्यक नहीं है। यहां इस बात से कोई इन्कार नहीं करेगा कि 16 की संख्या बढ़ाकर 28 कर दी जाए या और अधिक वृद्धि कर जाती है तो संसद सदस्यों की सुविधा में वृद्धि ही होगी।

यदि विमान यात्राओं की संख्या में वृद्धि कर दी जाती है तो केरल, मणिपुर या असम से हमारे सहयोगियों का आवागमन अधिक सुविधाजनक हो जाएगा। इसमें कोई विवाद नहीं है। एक प्रश्न उठाया गया है कि समिति में हमारे प्रतिनिधि इस मामले पर सहमत क्यों थे। इसका उत्तर बहुत सरल है। सदस्यों के वेतन और भत्ता सम्बन्धी संयुक्त समिति का संकल्प या निर्णय संसद के सदस्यों की आवश्यकता का विवरण है, परन्तु इसके साथ जैसे आप सब लोगों ने जिक्र किया जिसमें सरकार भी शामिल है कि यह एक बहुत छोटी सी अर्हता है। इस समय जो भी विधेयक को पारित करवाना चाहते हैं, उनका भी यही कहना है कि वे सदस्यों के वेतन और भत्ता सम्बन्धी संयुक्त समिति की सिफारिशों को कार्यान्वयन के लिए दबाव नहीं डाल रहे हैं क्या ऐसा नहीं है ? उस समिति में, सभी दलों के सदस्य थे।

मुद्दा यह है, जैसे हमारे नेता ने संकेत दिया है, इसमें कोई शक नहीं है कि कुछ कठिनाइयां हैं, जिन्हें दूर किया जाना चाहिए। पूरा प्रश्न इस पर निर्भर है। परन्तु इस समय, हमें यह देखना है कि हम किस हद तक इन कठिनाइयों को दूर कर सकेंगे। इस समय सरकार ने इस बात पर विचार किया है कि केवल विमान यात्राओं को बढ़ाया जाए, न कि अन्य भत्तों को। यह हमारा दृष्टिकोण है (व्यवधान)

जल, भूतल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : समिति का यही दृष्टिकोण है।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : यह समिति का दृष्टिकोण नहीं है। आप गलत कह रहे हैं।

श्री जगदीश टाईटलर : आपके सदस्य समिति में थे। सदस्य वे इससे सहमत थे। (व्यवधान)

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : मैं कहता हूं कि··· (व्यवधान)

श्री जगदीश टाईटलर : क्या आप सदस्यों को व्यक्तिगत दृष्टिकोण जानने के लिए भेजते हैं ?

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : बिल्कुल नहीं। संसद सदस्यों की वेतन और भत्ता सम्बन्धी संयुक्त समिति का निर्णय संसद सदस्यों की आवश्यकताओं का विवरण है। (व्यवधान) इसे निश्चित समय में कार्यान्वित किया जाए या नहीं, इस मामले पर अभी निर्णय नहीं लिया गया। इसलिए सरकार ने अपने प्रारम्भिक वक्तव्य में यह कहा था, कि क्या इस समय ऐसा करना आवश्यक है, ऐसी अनुमति है। (व्यवधान) इस समय हमारा निवेदन है कि इस समय ऐसी स्थिति में न उलझा जाए। इस विधेयक पर मत विभाजन के लिए जोर देने की आवश्यकता नहीं है। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : हमें सदन में व्यवस्था कायम रखनी चाहिए।

श्री विजय एन. पाटिल : दुर्भाग्यवश मैं पिछली लोक सभा का सदस्य नहीं था। जब श्री वी. पी. सिंह प्रधान मंत्री थे, उस दौरान एक विधेयक पारित किया गया था, जिसमें विमान यात्राओं की संख्या बढ़ाने और केवल एक कार्यकाल पूरा करने वाले संसद सदस्यों को पेंशन का प्रावधान रखा गया था। (व्यवधान) जो लोग इसका यहां पर विरोध कर रहे हैं, उस वक्त भी सदन में बैठे थे। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : सभा में अपनाई जाने वाली सामान्य प्रक्रिया यह है कि अगर अध्यक्ष महोदय अपनी बात पर अडिग रहते हैं तो किसी भी माननीय सदस्य को बोलने या हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। हमें कुछ मानदण्डों का अनुसरण करना चाहिए। यह उचित नहीं कि कोई भी सदस्य किसी समय खड़े होकर कुछ भी बोलने लगे।

श्री विजय एन. पाटिल : यदि यह विधेयक अधिनियम बन जाता है—मैं माननीय सदस्यों से यह जानना चाहता हूं—क्या वे उस समय उक्त विमान यात्रा की सुविधाओं का लाभ नहीं उठाते।

दूसरा, पिछले 7—8 महीनों में समिति ने जो कुछ सिफारिशें की हैं उन्हें सरकार ने स्वीकार किया है; और यह विमान यात्रा के बारे में है, विमान यात्रा की संख्या को बढ़ाकर 28 करने का प्रस्ताव किया गया है। इस मामले में यदि किसी संसद सदस्य की पति/पत्नी पहले ही 6 विमान यात्राओं का लाभ उठा चुके हैं तो उन्हें पृथक नहीं माना जाएगा। उन्हें इसमें शामिल किया जाएगा। इसका अर्थ है कि विमान यात्रा में वास्तविक वृद्धि 12 नहीं है; वास्तविक वृद्धि तो केवल 6 की होगी। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि संसद सदस्यों को मतदान के लिए, विचार-विमर्श करने के लिए संसद सत्रों में भाग लेना होता है तथा उनको अपने चुनाव क्षेत्रों में भी जाना होता है। इस प्रकार उन्हें अपने परिवारों का अनुरक्षण दो स्थानों पर करना होता है। सहयोगी का अर्थ केवल मित्रों से नहीं होता, इसका आशय उसके पति का लड़का, उसकी पत्नी के लड़के से भी हो सकता है। यदि किसी संसद सदस्य को अपने परिवार के साथ तथा अपने नाबालिग बच्चों के साथ दिल्ली आना हो, वह अपने साथ अपने लड़के या लड़की को लाएगा—इसका मतलब यह हुआ कि उसे एक ही स्थान में तीन-चार विमान-यात्राओं को समायोजित करना पड़ेगा। गत दस वर्षों की राजनैतिक स्थिति में ऐसी बात हुई है। इस प्रकार 'साथी' में नाबालिग लड़का भी शामिल होता है। इसे ऐसा

ही समझा जाना चाहिए।

हमने तीन महीने पहले एक प्रस्ताव पारित किया था। उस समय उपस्थित सभी सदस्यों ने मुझे बताया था कि उनका प्रयोजन सिद्ध नहीं हो पाया, इस समिति के सभापति सहित सभी सदस्यों को समिति से इस्तीफा दे देना चाहिए और हमारी भावनाओं को संसदीय और कार्य मंत्री तक पहुंचा दिया जाए और उसके बाद भी यदि वे अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करते हमें व्यक्तिगत रूप से इस बारे में प्रत्येक संसद सदस्य को लिखना चाहिए। यह सब बातचीत बैठक में हुई थी। चार महीने पहले मैं एक मूक दर्शक था। अब मेरे माननीय मित्र कहते है यह उनके प्रतिनिधियों द्वारा व्यक्त की गई आवश्यकता थी। यह केवल अभिव्यक्त की गई आवश्यकता ही नहीं थी बल्कि जब हम विधेयक को परिचालित कर रहे थे उस समय संसद सदस्यों ने इस्तीफे की धमकी देकर इस आवश्यकता पर दबाव डाला। उक्त बैठक का कार्यवाही वृतान्त रिकार्ड में है।

महोदय, मैंने कल बैठक बुलाने का पुन: प्रयास किया लेकिन फिर वही बात हुई। आप पता लगा सकते हैं, हम उसमें उपस्थित थे। उन्होंने कल मुझे बताया, "हम अपेक्षित कार्यवाही नहीं कर पाएंगे, हमें प्रति किलोमीटर 3 रुपया मिलता है अर्थात दिल्ली हवाई अड्डे से दिल्ली तक हम 39 रुपए मिलते हैं और हमें 100 रुपया देना होता है। इस प्रकार संसद सदस्यों को अपनी जेब से देना पड़ रहा है। आपको यह बात समझनी चाहिए क्योंकि आप इस समिति के सभापति हैं. आप सत्तारूढ़ पार्टी के सदस्य हैं। और वह भी आप सत्तारूढ़ पार्टी के वरिष्ठ सदस्य हैं। आपको यह बात समझनी चाहिए। जब हम लॉबी में प्रवेश करते हैं तो लोग हाथ पकड़-पकड़ कर हमें रोकते हैं। संसद सदस्य पूछते हैं, क्या हुआ। इसलिए आपको अपेक्षित स्थिति को स्पष्ट करने में सक्षम होना चाहिए। आप श्री गुलाम नबी आजाद के पास जाइये। आप संसद में कांग्रेस पार्टी की कार्यकारी समिति के सदस्य भी हैं। इसलिए आप इस बात को प्रधान मन्त्री को बताइए।

इस तरह की भावनायें हैं। कल भी बैठक स्थगित कर दी गई और इसीलिए हम माननीय मंत्री से आज विधेयक लाने का अनुरोध कर रहे हैं। इसी कारण हमें मंत्री महोदय पर विधेयक लाने हेतु दबाव डालना पड़ा। वे तो बिल्कुल तैयार नहीं थे।

श्री गुलाम नबी आजाद : माननीय उपाध्यक्ष, मुझे ज्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। आपने स्वयं सभी को सुना है। मेरे विचार से यह पहला मौका है कि नेता एक तरफ थे और माननीय सदस्य दूसरी तरफ थे। (व्यवधान)

ठीक है। मैं खुश हूं कि आप अपने नेताओं की तरफ हैं। मैं इस माननीय सभा को सूचित कर दूं कि जब हम सत्तारूढ़ नहीं थे तब करीब दो वर्ष पहले संसद सदस्यों के लिए दैनिक भत्ते, यात्रा भत्ते, पेंशन और बाकी सबके लिए 6 करोड़ रुपये की राशि इस सभा में पारित की गई थी। उस समय मेरा दल सत्ता में नहीं था। (व्यवधान) हां, मैं इससे इन्कार नहीं करता. लेकिन वह विधेयक मेरी सरकार ने प्रस्तुत नहीं किया था। (व्यवधान) नहीं, आपमें दूसरों की बात को ध्यानपूर्वक सुनने का धैर्य तो होना ही चाहिए, क्योंकि दुर्भाग्यवश आपको याद नहीं है।

यही विधेयक, इस सभा में पारित करने के बाद राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेजा गया था। किन्हीं कारणों से, विशेषतौर पर एक विशेष कारण से, जिसमें एक उल्लेख था, जहां तक माननीय सेवानिवृत्त सदस्यों को पेन्शन देने का संबंध था, एक वर्ष पहले इसका उल्लेख किया गया था। राष्ट्रपति जी उससे सहमत नहीं हुए थे। परिणामस्वरूप (व्यवधान)

श्री नीतीश कुमार : अब (व्यवधान) राष्ट्रपति ने विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं किये थे। **

श्री गुलाम नबी आजाद : मैं नहीं समझता कि उसके पास दोहरे मापदंड हैं। जब हम सत्ता में आए तो मैंने उसी विधेयक को हमारे माननीय सदस्यों, जो कि उस समिति में थे, जिसके कि श्री पाटिल अध्यक्ष थे और जिसका प्रतिनिधित्व जनता दल और वामपंथियों सहित सभी राजनैतिक दलों के सदस्य करते थे, के अनुरोध पर हाथ में लिया था।

गत एक वर्ष में उन्होंने मेरे संसदीय कार्य मंत्री के रूप में होने के दौरान मुझसे आधा दर्जन से भी अधिक बार सम्पर्क किया। इसी सभा में पिछले बजट अधिवेशन के दौरान मैंने उस विधेयक जिसे कि पिछली सरकार ने सभी राजनैतिक नेताओं सहित पारित कर दिया था पर चर्चा की थी।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री नीतीश कुमार द्वारा प्रयुक्त शब्द 'भूतपूर्व राष्ट्रपति' कार्यवाही-वृतान्त से निकाल दिया जाये।

श्री गुलाम नबी आजाद : मुझे यह शब्द पुनः दोहराने दें "सभी राजनैतिक नेताओं सहित" और जो विधेयक मैंने आज सभा के समक्ष पेश किया है, इसे सभी नेताओं ने सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया था—मैं आपको बता दूं—सभी नेताओं ने कि "हां, जहां तक पेन्शन का सम्बन्ध है, हम इससे सहमत नहीं होंगे।" उनमें से कुछ नेता इससे सहमत थे और कुछेक नहीं। उनमें से कुछ दैनिक भत्ते और यात्रा भत्ते के साथ इस पर सहमत थे और कुछ नहीं, लेकिन जहां तक विमान-टिकटों की संख्या बढ़ाने का सम्बन्ध है कल सांय तक सभी नेताओं का यह एक सर्वसम्मत निर्णय था। मैं आपको यह बता देना चाहता हूं। लेकिन यह बात दुर्भाग्यपूर्ण है।

उसी आधार पर क्योंकि मैंने इस विधेयक पर माननीय सदस्यों और माननीय नेताओं के साथ चर्चा कर ली थी, यह विधेयक मैं लाया था। ऐसा नहीं है कि मैं इस विधेयक को लाने का बहुत इच्छुक था।

जैसा कि पहले ही मैंने उल्लेख किया है, इससे पिछली सरकार ने 6 करोड़ रुपये की राशि का प्रस्ताव रखा था, लेकिन मैं इसे कम करके 1·5 करोड़ रुपये पर ले आया हूं। आज मैं बहुत उदास हूं कि कुछ माननीय सदस्यों और कुछ नेताओं का इससे अलग मत है।

श्री मणि शंकर अय्यर (मईलादुतुराई) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मैं नहीं जानता कि संसदीय कार्य मंत्री उन नेताओं का हवाला कैसे दे सकते हैं। जो अपना दिमाग सम्माननीय ढंग से रात-से-दिन होने तक बदल लेते हैं।

श्री जगदीश टाईटलर : यह व्यवस्था का एक अच्छा प्रश्न है।

श्री गुलाम नबी आजाद : कुछ सदस्यों का अलग मत हो सकता है। मैं यह भी बता दूं कि श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी अपने वायदे पर डटे रहे हैं, क्योंकि अधिकतर लोग जो कुछ वे कहते हैं, उस पर डटे नहीं रहते। मैं उनके साथ कैसे सहमत हो सकता हूं? मैं कुछ नेताओं के बहकावे में नहीं आता कि वे निजी तौर पर मुझसे कुछ कहना चाहते हैं और प्रचार हेतु सभा में कुछ और कहना चाहते हैं। इसके बाद से मैं इस विधेयक के लिए तब तक दबाव नहीं डालूंगा जब तक कि एक

** अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृतान्त से निकाल दिया गया।

सर्वसम्मत अनुरोध न किया जाए, जब तक कि वे निजी तौर पर और सभा में भी एक ही भाषा न बोलें।

अतः. मैं इस विधेयक के लिए दबाव नहीं डालूंगा। उन्हें ही जब चाहें निर्णय करने दें। (व्यवधान) इस सम्बन्ध में वाद-विवाद अगले सत्र तक स्थगित किया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : श्रीमती मार्गरेट अल्वा।

1·43 म० प०

श्री बिन चड्ढा के बारे में

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेन्शन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : अनेक माननीय सदस्यों ने कल इण्डियन एक्सप्रेस में छपे एक समाचार के बारे में कुछ प्रश्न पूछे थे। जैसा कि सदस्यों ने चाहा है, कल जो प्रश्न पूछे गए हैं, को स्पष्ट करते हुए मैं सभा के समक्ष मात्र कुछेक तथ्य प्रस्तुत कर रही हूं। (व्यवधान)

अगर सदस्य मुझे अनुमति दें तो मैं कुछेक मुद्दे स्पष्ट करना चाहती हूं।

दिनांक 19 अगस्त, 1992 के इण्डियन एक्सप्रेस में "चड्ढा ग्रान्टेड स्विस स्टे परमिट" ("चड्ढा को स्विस में ठहरने की अनुमति प्रदान कर दी गई है") शीर्षक के अन्तर्गत एक समाचार छपा है। इसमें यह आरोप लगाया गया है कि स्विस सरकार को इन्टरपोल से एक संदेश प्राप्त हुआ है कि भारत सरकार डब्ल्यू. एन. चड्ढा के मामले को अब और आगे कार्यवाही नहीं कर रही है और यह कि उसके विरुद्ध अन्तर्राष्ट्रीय-खोज एवं गिरफ्तारी के वारंट वापिस ले लिये गये हैं।

5 मई, 1992 को स्विटजरलैंड में स्थित भारतीय राजदूत से इस आशय की एक सूचना प्राप्त हुई थी कि डब्ल्यू. एन. चड्ढा को अपेनजल-स्विटजरलैंड के इन्नर-रोडेन केनटोन में ठहरने की अनुमति प्रदान कर दी गई है। यह भी बताया गया था कि डब्ल्यू. एन. चड्ढा ने स्विस सरकार से यह अभ्यावेदन किया है कि उसे एक पहचान-पत्र दिया जाना चाहिए, जिससे कि वह विदेशों में यात्रा कर सके। यह सूचना मिलने पर निदेशक केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने स्विटजरलैंड स्थित भारतीय राजदूत को यह स्पष्ट करते हुए पत्र लिखा कि डब्ल्यू. एन. चड्ढा, जोकि इस मामले में एक अभियुक्त है. बोफोर्स मामले के सम्बन्ध में पूछताछ और जांच के उद्देश्य से उनकी आवश्यकता है और यह कि यदि स्विस सरकार उसके पहचान-पत्रक जारी करने के अनुरोध को मान लेती है, तो शायद इससे भारत में उस पर मुकदमा चलाने और उसकी न्यायालय में उपस्थिति सुनिश्चित करने में हमारे लिए कठिनाई उत्पन्न हो सकती है। पत्र में यह भी स्पष्ट किया गया था। कि डब्ल्यू एन. चड्ढा ने स्विटजरलैंड की यात्रा करने के लिए अपने समाप्त पासपोर्ट का इस्तेमाल किया था जिसका कि उसे प्राधिकार नहीं दिया गया था। भारतीय राजदूत से यह अनुरोध किया गया था कि वह डब्ल्यू. एन. चड्ढा की भारत में आवश्यकता के सम्बन्ध में सभी तथ्य एक कूटनीतिक हस्ताक्षर रहित स्मरण पत्र के माध्यम से सम्बन्धित स्विस प्राधिकारियों के ध्यान में लायें। 21 मई, 1992 को भारतीय राजदूत ने एक कूटनीतिक हस्ताक्षर रहित स्मरण पत्र फेडरल डिपार्टमेंट आफ जस्टिस एंड पुलिस, बरने को उनके विचारार्थ भेजा। सभी दस्तावेज मेरे पास उपलब्ध हैं।

यह कहना सही नहीं है कि इंटरपोल प्राधिकारियों को कोई संदेश अथवा संकेत दिया गया

[श्रीमती मार्गरेट अल्वा]

है कि भारत सरकार डब्ल्यू. एन. चड्ढा के मामले में आगे कार्यवाही करने की इच्छुक नहीं है। एक 'रैड कारनर नोटिस'—मैं चाहती हूं कि कृपया इस स्तर पर तथ्य नोट कर लें—14 मार्च, 1990 को विशेष न्यायाधीश दिल्ली द्वारा जारी किए गए एक गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट के आधार पर इन्टरपोल मुख्यालय द्वारा अप्रैल, 1990 में जारी किया गया था। हालांकि डब्ल्यू. एन. चड्ढा द्वारा जून, 1990—मैं जून, 1990 पुनः दोहराती हूं—तत्कालीन अतिरिक्त सालिस्टर जनरल द्वारा दिए गए इस आश्वासन के कि गिरफ्तारी वारन्टों के पुनः नवीनीकरण नहीं किये जाएंगे के आधार पर दायर एक आपराधिक प्रकीर्ण याचिका में (व्यवधान)

श्री रमेश चेन्निथला (कोट्टायम) : महोदया, मैं जानना चाहता हूं कि उस वक्त अतिरिक्त सालिस्टर जनरल कौन थे। कृपया मुझे उनका नाम बताईये (व्यवधान)

श्रीमती मार्गरेट अल्वा : उस समय श्री अरुण जेतली अतिरिक्त सॉलिस्टर जनरल थे। महोदय, मैं स्थिति सुस्पष्ट करना चाहती हूं। हालांकि अतिरिक्त सॉलिस्टर जनरल द्वारा यह आश्वासन दिये जाने पर कि गिरफ्तारी वारंट का पुनः नवीनीकरण नहीं किया जायेगा, डब्ल्यू. एन. चड्ढा द्वारा दायर एक आपराधिक प्रकीर्ण याचिका में 13 नवम्बर, 1990 को दिल्ली उच्च न्यायालय ने आदेश दिये थे कि डब्ल्यू. एन. चड्ढा के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी नहीं किये जायेंगे। चूंकि डब्ल्यू. एन. चड्ढा के विरुद्ध कोई गिरफ्तारी वारंट विद्यमान नहीं थे, उसके बाद, इन्टरपोल मुख्यालय ने डब्ल्यू. एन. चड्ढा को ढूंढने के लिए एक 'ब्लू कारनर नोटिस' जारी किया था—मैं स्पष्ट करना चाहती हूं कि 'रैड कारनर नोटिस' अपराधी की गिरफ्तारी और उसे प्रस्तुत करने के लिए है, जबकि ब्लू कारनर नोटिस संबंधित व्यक्ति को ढूंढने और उसका अता-पता निकालने के लिए है—दिसम्बर, 1991 में केन्द्रीय जांच ब्यूरो के अनुरोध पर, उसने रैड कारनर नोटिस जोकि पहले जारी किया गया था को बदल दिया और ब्लू कारनर नोटिस अभी भी चैक है।

केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने 11 जून, 1992 को दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के विरुद्ध जिसमें डब्ल्यू. एन. चड्ढा की गिरफ्तारी के वारंट जारी करने के लिए विशेष न्यायाधीश, दिल्ली के आदेश को रद्द किया गया था के विरुद्ध भारत के उच्चतम न्यायालय में एक विशेष अनुमति याचिका भी दायर की है।

अतः, महोदय, मैं यह कहना चाहती हूं कि यह आश्वासन कि पुनः जारी न किये जा रहे वारंट 1990 में दिये गये थे और न कि 1992 में मेरे द्वारा। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कोई स्पष्टीकरणों की अनुमति नहीं है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया स्पष्टीकरण मत दीजिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीस (मुजफ्फरपुर) : सदन को अगर इस तरह से ब्रिसलीड करने का काम होता है तो हम कहां जाएं। (व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : जार्ज फर्नान्डीस जी, अगर आप यह महसूस करते हैं कि मंत्री महोदया ने

सभा को गुमराह किया है, तो उसके लिये एक नियमित प्रक्रिया है और आप उस प्रक्रिया के मुताबिक कार्रवाई कर सकते हैं। यह इसके लिए उचित समय नहीं है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीस : वह कौन-सी स्पेशल लीव पिटीशन फाइल की है। किस जजमेंट के ऊपर फाइल की है।...

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मैं जल-भूतल मंत्री को बुलाऊंगा।

(व्यवधान)

श्रीमती मार्गरेट अल्वा : श्री जार्ज फर्नान्डीस यह जानना चाहते हैं कि किस निर्णय के विरुद्ध एक विशेष अनुमति याचिका दायर की गई है। मेरे पास जानकारी उपलब्ध है। विविध याचिका संख्या 1318 के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांक 10-3-92 के निर्णय के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में एक विशेष अनुमति याचिका संख्या 1637। 92 दायर की गई है।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीस : कब फाइल की है?

श्रीमती मार्गरेट अल्वा : जून में की है।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : मार्च में जो फैसला होता है उसमें जून तक इंतजारी क्यों हो गई।

[अनुवाद]

श्रीमती मार्गरेट अल्वा : इसे दायर करने के लिए आपके पास तीन महीने का समय होता है।

(व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (इलैक्ट्रानिकी तथा महासागर विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमार मंगलम) : विशेष अनुमति के लिए आपको एक प्रमाणित प्रतिलिपि की आवश्यकता है आप इसे लाइए और फाइल कीजिए। जब आप मंत्री थे, तब आपकी सरकार के समय में वारंट आर्डर के नवीकरण न करने का आश्वासन दिया गया था।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीस : 15 नवम्बर को आपकी सरकार ने स्विटजरलैंड सरकार को नोटिस दिया कि हमारा कोई भी मामला नहीं है।

[अनुवाद]

श्री रंगराजन कुमार मंगलम : आप क्या कर रहे थे?

उपाध्यक्ष महोदय : मैं कहता हूं इस विषय पर चर्चा समाप्त हो गई है और अब हम अगला

विषय लेंगे। माननीय जल-भूतल परिवहन मंत्री।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने पहले ही बता दिया है कि इस विषय पर चर्चा समाप्त हो गई है। [हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : आपने 15 नवम्बर को स्विस सरकार को बताया कि नहीं बताया, यह सवाल है। इसमें हमारी सरकार की कौन सी बात आती है। अभी दिल्ली के हाई कोर्ट में वही खेल चला रहे हैं। हमारी सरकार का आपके बोफोर्स कांड से कोई मतलब नहीं था। [अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मैं श्री रंगराजन कुमार मंगलम को संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन (संशोधन) विधेयक पर वाद-विवाद स्थगित करने के लिए प्रस्ताव रखने का अनुरोध करता हूं।

संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन (संशोधन) विधेयक पर वाद-विवाद स्थगित करने के लिए प्रस्ताव-जारी

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (इलैक्ट्रानिकी तथा महासागर विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमार मंगलम) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम, 1954 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर वाद-विवाद आगामी सत्र तक के लिए स्थगित किया जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम, 1954 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर वाद-विवाद आगामी सत्र तक के लिए स्थगित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : यह वाद-विवाद अगले सत्र तक के लिए स्थगित होता है।

श्री अनन्त राव देशमुख (वाशिम) : महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

उपाध्यक्ष महोदय : उस विषय पर चर्चा समाप्त हो चुकी है और अब इस बारे में व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है।

श्री गुमान मल लोढा (पाली) : क्या माननीय मंत्री स्पष्ट करेंगे। श्री विन चड्ढा ने भारत से भागने के लिए रद्द पासपोर्ट का इस्तेमाल किया था और क्या कोई मामला दर्ज कर लिया गया है। यदि हां, किसके विरुद्ध तथा किस तारीख को ?

सूचना तारीख 15 नवम्बर, 1991 को भारत से स्विटजरलैंड भेज दी थी और क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने इसकी सूचना भेजी थी···

उपाध्यक्ष महोदय : श्री गुमानमल लोढ़ा जी, यदि मंत्री द्वारा वक्तव्य दिया गया है तो क्या उसका स्पष्टीकरण मांगा जा सकता है? मान लीजिए यदि सभा को गुमराह किया जाता है तो नियम प्रक्रिया के तहत प्रावधान उपलब्ध है और आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं जल-भूतल परिवहन मंत्री को बोलने के लिए आमन्त्रित करता हूं।

श्री गुमान मल लोढा : महोदय, आज सत्र का आखिरी दिन है।

उपाध्यक्ष महोदय : आज सत्र का आखिरी दिन है तो क्या हम नियमों का उल्लंघन तथा इस सभा की, सभा की परम्पराओं तथा प्रथाओं की अवहेलना कर सकते हैं? अब इस विषय पर चर्चा समाप्त हो चुकी है। अब जल-भूतल परिवहन मंत्री बोलेंगे।

1.55 म. प.

राष्ट्रीय राजमार्ग (संशोधन) विधेयक जारी

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : महोदय, मुझे उन सदस्यों को धन्यवाद देना है, जिन्होंने कल राष्ट्रीय राजमार्ग (संशोधन) विधेयक पर चर्चा में हिस्सा लिया था। मैं सदस्यों को इसलिए धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे सुझाव दिये हैं। मैंने देखा है कि प्रत्येक सदस्य जो बोला है और जो लोक-सभा तथा राज्य सभा में बोलते रहे हैं, वे नये राष्ट्रीय राजमार्गों की मांग तथा सड़कों की हालत ठीक न होने के बारे में ये शिकायतें करते रहे हैं कि सड़कों की हालत ठीक नहीं है। अतः बहुत से सदस्य नये राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए कहते रहे हैं तथा मुख्य मंत्री नये राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए हमें लिखते रहे हैं।

आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए सड़कों के कार्यकारी दल ने जो योजना आयोग द्वारा स्थापित किया गया था, राष्ट्रीय राजमार्गों के सुधार की आवश्यकताओं पर ध्यान दिया था दल ने अनुमान लगाया था कि राष्ट्रीय राजमार्ग···(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं क्षमा चाहता हूं, कुछ गलती है। श्री प्रताप राव भोंसले बोल रहे थे और उन्होंने अपना भाषण समाप्त नहीं किया था।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री तेजसिंह राव भोंसले (रामटेक) : मंत्री जी जो विधेयक लेकर आये हैं उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं।

[अनुवाद]

लेकिन मैं अपना अधिकार छोड़ता हूं।

श्री जगदीश टाईटलर : महोदय, दल ने अनुमान लगाया था कि (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री दाऊ दयाल जोशी (कोटा) : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने भाषण देना प्रारम्भ कर दिया है, लेकिन हमें बोलने का समय नहीं दिया (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री जगदीश टाईटलर : महोदय, कार्यकारी दल ने अनुमान लगाया था कि राष्ट्रीय राजमार्गों के सुधार में 8,300 करोड़ रुपये की लागत आयेगी और वाहन संचालन लागत में 1,500 करोड़ रुपये की बचत होगी। इसके अलावा राष्ट्रीय राजमार्गों पर बहु-एक्सल वाहनों को चलाने के बढ़ावा देने से लगभग 800 करोड़ रुपये के लगभग बचत होगी। इस प्रकार, इस निवेश से कुल 2,300 करोड़ की बचत होने की आशा है। यद्यपि, योजना आयोग ने केवल 2,600 करोड़ रुपये स्वीकृत किये हैं, जिनमें से चालू योजनाओं पर लगभग 2500 करोड़ रुपए की लागत आयेगी और मेरे पास नई योजनाओं के लिए धन नहीं है। मैं माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहूंगा कि यदि आज मैं सभी परियोजनाओं को क्रियान्वित करता हूं तो मुझे 41,000 करोड़ रुपये की अवश्यकता पड़ेगी, जबकि मुझे 100 करोड़ रुपए भी नहीं मिल रहे हैं। इतने धन से मैं जो कुछ करना चाहता था वह नहीं कर सकता ··(व्यवधान) महोदय, मैं जल्दी ही अपनी बात समाप्त करूंगा।

सभी सदस्यों ने कतिपय प्रश्न पूछे थे और मेरा विचार है कि एक बार इस अधिनियम में संशोधन हो जाता है तो मुझे कुछ अतिरिक्त धन प्राप्त हो जायेगा और वह धन भी सड़कों के सुधार में लगा दिया जायेगा।

चूंकि हर सदस्य जल्दी मे है और अधिक विपक्षी सदस्य जिन्होंने ये मुद्दे उठाए थे मुझे जल्दी समाप्त करने के लिए कह रहे हैं, मैं सिफारिश करता हूं कि विधेयक पारित किया जाये।

श्री अनन्तराव देशमुख : महोदय, मैं मंत्री जी से दो स्पष्टीकरण लेना चाहता हूं, क्योंकि कल इन मुद्दों पर मैं बोल चुका हूं। प्रथम यह है कि मैंने मंत्री जी से विशेष तौर से पूछा था कि इस कानून के अधिनियमन से जो धनराशि एकत्र होगी, उसका क्या किया जायेगा, क्या यह उस विशेष राज्य के सैन्ट्रल रोड फण्ड का हिस्सा होगी और क्या उस विशेष राज्य के नये राष्ट्रीय राजमार्गों को बनाने व रख रखाव के लिए इस्तेमाल किया जायेगा।

दूसरा स्पष्टीकरण जो मैं चाहता हूं वह संकल्प, जो सदन में 13 मई, 1988 को रखा गया था जो कि पैट्रोल व डीजल की मूल कीमत पर 3.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 5 प्रतिशत करने से संबंधित अधिनियमन के बारे में था जिसको राज्य सरकार द्वारा नई सड़कों के निर्माण के लिए लिया जाना था, का क्या हुआ।

मैं इन दो मुद्दों पर स्पष्टीकरण चाहता हूं।

2.00 म. प.

[हिन्दी]

श्री तेज नारायण सिंह (बक्सर) : उपाध्यक्ष जी, एक सवाल मुझे मंत्री जी से पूछना है कि इन्होंने नए टैक्स बढ़ाने की भी बात कही है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि इस देश में केवल कार से और ट्रक से लोग नहीं चलते हैं। इस देश में बहुत से लोग रोजगार करते हैं कोई ठेला चला कर, कोई खोमचा लगाकर अपना सामान बेचता है और अपना जीवन बसर करता है। अगर यह बिल पास होता है तो उन पर भी इनको टैक्स लगाने का अधिकार हो जाता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इन लोगों के लिए आपने क्या प्रावधान किया है जो लोग गरीबी रेखा के नीचे रह करके अपना जीवन बसर करते हैं। कुछ लोग रिक्शा करते हैं और कुछ लोग पैदल श्रम करके अपनी रोजी-रोटी कमाते हैं। क्या उनको आप टैक्स से वंचित कीजिएगा या नहीं। अभी तक जो आपने बिल

पास किया है इससे वे टैक्स से बरी होने वाले नहीं हैं इसलिए मंत्री जी जरा इस तरफ भी ध्यान दें। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री जगदीश टाईटलर : मुझे उत्तर देने दीजिए। शायद मैं उत्तर देने में समर्थ हो पाऊं।

मैं माननीय सदस्य को सूचित करना चाहता हूं कि जिन्होंने यह प्रश्न उठाया है कि दोनों सभाओं द्वारा 1988 में एक संकल्प रखा गया था कि पैट्रोल और डीजल पर प्रतिशत उपकर लगाया जाना चाहिए। आज जो हम उपकर ले रहे हैं वह 1929 में लगाया गया था। हम मुश्किल से लगभग 15 करोड़ रुपये पूरे देश में एकत्र कर पाते हैं, जिसमें से मुझे 9-10 करोड़ रुपये मिल पाते हैं। जिन्हें मुझे समूचे देश के सेन्ट्रल रोड़ फण्ड प्रोग्राम में खर्च करने होते हैं। जो पर्याप्त नहीं है।

इसलिए हम हाल ही में मंत्रिपरिषद से मिले थे कि संकल्प जो दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया था, उसे लागू किया जाना चाहिए। मुझे यह भी कहना है कि प्रधानमंत्री जी ने सिफारिश की थी कि मंत्रियों का एक दल बैठेगा और वह शीघ्र ही सिफारिश करेगा, जिससे कि कुछ किया जा सके। लेकिन इस तरह जो धन एकत्र किया जायेगा। उसमें से अधिकतर धन राज्य सरकारों को दे दिया जायेगा और कुछ धन केन्द्र सरकार के पास रह जायेगा।

श्री लोकनाथ चौधरी (जगतसिंह पुर) : क्या यह पूर्व प्रभावित होगा।

श्री जगदीश टाईटलर : देखेंगे। लेकिन मेरा ऐसा विचार नहीं है धन कहां है।

मैं माननीय सदस्यों को सूचित करूंगा कि ऐसी कोई विशेष पहचान नहीं की गई है। यह केवल राज्य सरकारों से सलाह करने के बाद किया जायेगा और तभी हम निश्चय करेंगे कि कितना प्रभार लगाये और कितना नहीं लगाये लेकिन इन प्रभारों से अतिरिक्त सुविधाएं उपलब्ध करायी जायेंगी, जैसे रोड साइड सुविधाएं, दो लेनों वाली सड़कें या चार लेन वाली या सड़कों को दुबारा बनाना आदि मेरे दिमाग में कुछेक नई बातें भी आई हैं। यह वर्तमान राष्ट्रीय राजमार्गों के बारे में नहीं है। मेरे विचार से हम गरीब लोगों पर कर नहीं लगा रहे हैं। आप धैर्य रखिए यह पैट्रोल और डीजल के उन वाहनों पर लगेगा, जो सड़कों पर चलते हैं और जो लोग ये सुविधाएं लेते हैं। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री रासासिंह रावत द्वारा एक संशोधन दिया गया है। क्या आप इसे प्रस्तुत कर रहे हैं।

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :-

कि विधेयक को उस पर 30 अक्टूबर, 1992 तक राय जानने के लिए परिचालित किया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं दो मिनट के लिए बोलना चाहता हूं। मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि राष्ट्रीय राजमार्गों की वर्तमान में जो देख-रेख की स्थिति है वह अत्यंत दयनीय है। केन्द्रीय सरकार सारा पैसा राष्ट्रीय राजमार्गों पर लगाती है, राज्य सरकारों के माध्यम से, ये राज्य सरकार के जो इंजीनियर हैं या उनकी जो सेवाएं हैं उनके ऊपर जिस ढंग से आपका नियंत्रण रहना

[प्रो. रासा सिंह रावत]

चाहिए वह नहीं रह पाता, परिणामस्वरूप जो निर्माण का कार्य प्रारम्भ होता है उसमें बहुत समय लगता है और इतना मसाला वगैरहा या दूसरी चीजें इतनी खराब लगती है राष्ट्रीय राजमार्ग नं. 8, अभी मैं अपने गांव जाकर आया हूं, सवा पांच किलोमीटर दूर, इस पूरे राजमार्ग पर अजमेर से लेकर के और उदयपुर तक के बीच का रास्ता और जयपुर के आसपास का रास्ता कई स्थानों पर इतना ऊबड़-खाबड़ बना हुआ है और जब से काम शुरू हुआ है तब से कभी पुलियों का निर्माण, कभी एक तरफ का ऊंचा, कभी एक तरफ का नीचा बनाने का काम या एक तरफ का आधार ऊंचा करके और दूसरी तरफ को बाद में लेना, इस प्रकार से नाना प्रकार की दुर्घटनाएं होती हैं। इन सारे कामों के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम होना चाहिए। कि यह जो निर्माण कार्य प्रारम्भ हुआ है वह इतने समय में, एक निश्चित समय पर, सही प्रमाण के अनुसार, प्रमाणिकता के आधार पर पूरा पैसा लग करके और राष्ट्रीय राजमार्ग की मेहत्ता के अनुरूप उसका निर्माण कार्य होना चाहिए अन्यथा वह राज्य के राजमार्गों से गई बीता स्थिति में कई जगह राष्ट्रीय राजमार्ग हैं उसकी तरफ भी आपका ध्यान जाना चाहिए।

एक बात और कहना चाहता हूं कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर वाहन-चालकों की हत्यायें हो जाती हैं, इस चीज को भी ध्यान में रखना चाहिए और सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। दुर्घटनाओं के समय यातायात अवरुद्ध हो जाता है, वाहनों को शीघ्र हटाने के लिए चलती-फिरती क्रेनों की व्यवस्था होनी चाहिए तथा दुर्घटनाग्रस्त लोगों को तुरन्त चिकित्सा उपलब्ध कराने के लिए चलती-फिरती डिस्पेंसरीज की भी व्यवस्था होनी चाहिए। केन्द्र सरकार नाकेबन्दी करके चुंगी बढ़ाने जा रही है तो उसका लाभ भी जनता को मिलना चाहिए। मेरे द्वारा दिए गए सुझावों पर ध्यान दिया जाए और राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास किया जाए। मैं अपना संशोधन वापिस लेता हूं (व्यवधान)

श्री जगदीश टाईटलर : माननीय सदस्य ने जो बात कही है, कल श्रीमती सुमित्रा महाजन ने भी यह सवाल उठाया था, सड़कें समय पर नहीं बनतीं, करप्शन होता है, इस बारे में मैं कहना चाहता हूं। कि केन्द्र सरकार पैसा मंजूर करती है, टेंडर भरना, क्वालिटी कंट्रोल, यह सब राज्य सरकार करती हैं हमने पहले भी मुख्य-मंत्रियों को लिखा है, आगे भी लिखेंगे कि यदि आप लोग ठीक तरह से इस काम को नहीं संभाल सकते तो केन्द्र सरकार इस काम को करेगी। केन्द्र सरकार अपने सुपरविजन में सड़कें बनाना शुरू कर देगी। लेकिन यह काम अभी राज्य सरकारें करती आ रही हैं, इसको हम टच करना नहीं चाहते, केन्द्र सरकार इस काम को अपने सिर पर नहीं लेना चाहती। लेकिन यदि पैसे का इस्तेमाल ठीक तरह से नहीं हुआ, ठेकेदारों ने ठीक काम नहीं किया, क्वालिटी कंट्रोल नहीं रखा तो एक दिन ऐसा आने वाला है जब सड़कें बनाने का काम केन्द्र सरकार को करना होगा। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया क्षमा कीजिए। हम जानबूझ कर विद्यमान नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं जब कभी संशोधन प्रस्तुत किया जाता है, तो जिस सदस्य ने संशोधन प्रस्तुत किया है। चाहे वह दबाव डालता है या नहीं तो उस समय स्पष्टीकरण तथा अन्य बातें पूछने का समय समाप्त हो चुका होता है हमें ईमानदारी से प्रक्रिया का पालन करने दीजिए।

प्रो. रासा सिंह रावत : मैं अपना संशोधन वापिस लेने की सदन से अनुमति लेता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या प्रो. रासा सिंह द्वारा अपना संशोधन वापिस लेने पर सदन को प्रसन्नता होगी ?

कई माननीय सदस्य : जी हां, जी हां ।

संशोधन संख्या 2, सभा की अनुमति से वापस लिया गया ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री दाऊ दयाल जोशी को बोलने के लिए कहता हूं । क्या आप अपने संशोधन संख्या 4 को रख रहे हैं ।

[हिन्दी]

श्री दाऊ दयाल जोशी (कोटा) : उपाध्यक्ष महोदय, सड़कें, पानी, और चिकित्सा, ये तीनों राज्य सरकार के विषय हैं । जनता के उपयोग में आने वाली चीजों की जिम्मेदारियों को ठीक तरह से निभाया जाना चाहिए । (व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री अयूब खां, सदन में इस तरह की प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए । मंत्री जी को उत्तर देना चाहिए ।

[हिन्दी]

श्री दाऊ दयाल जोशी : आम जनता के उपयोग में आने वाली सड़कों के प्रति सरकार अपनी जिम्मेदारी वास्तविक रूप में निभाए, इसलिए मैंने इस बिल को जनमत जानने हेतु प्रसारित करने का संशोधन दिया है ।

इसी तरह से मेरा एक निवेदन और है कि जहां पर पुलियां बनाई गई हैं और टोल टैक्स वसूल किया जाता है, कई वर्षों से जहां पर यह टैक्स वसूल किया जा रहा है और उसकी कीमत भी वसूल की जा चुकी है, फिर इस टैक्स को बन्द क्यों नहीं किया जाता, इसकी कोई सीमा निर्धारित की जानी चाहिए ।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री जोशी जी, कृपया माफ कीजिए । मुझे नियमानुसार सभा की कार्यवाही चलानी है । आप जब भी चाहें तभी नहीं बोल सकते । प्रश्न यह है क्या आप अपने संशोधन पर जोर दे रहे हैं ? यदि आप अपने संशोधन पर जोर देना चाहते हैं तो कहिए 'हां' और यदि आप जोर नहीं देना चाहते हैं तो कहिए 'नहीं' । इतना ही आपको कहना है । इसको स्पष्ट करने की आवश्यकता नहीं है ।

[हिन्दी]

श्री दाऊ दयाल जोशी : मैं अपना संशोधन वापिस लेता हूं ।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : क्या यह सभा चाहती है कि श्री दाऊ दयाल जोशी द्वारा प्रस्तुत किया गया संशोधन वापस ले लिया जाए ?

कुछ माननीय सदस्य : जी हां, जी हां ।

संशोधन संख्या 4, सभा की अनुमति से वापस लिया गया ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956, में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार आरम्भ करेगी ।

प्रश्न यह है :

"कि खन्ड 2 और 3 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खन्ड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिये गये ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिये जायें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

श्री जगदीश टाईटलर : महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाये ।"

उपाध्यक्ष महोदय : विधेयक प्रस्तुत किया गया :

"कि विधेयक पारित किया जाये ।"

डा० असीम बाला (नवद्वीप) : उपाध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय राजमार्गों पर दिन प्रति-प्रतिदिन दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं और इससे कहीं अधिक वाहनों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन राष्ट्रीय राज मार्गों की लम्बाई चौड़ाई यथावत है । एकल लेन वाली सड़कों को दोहरी लेन वाला बनाया जाए । आजकल सड़क निर्माण भी कम हो रहा है । योजना में इस मद में आवंटित की जाने वाली राशि में भी कमी की गई है जो कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में 1·4 प्रतिशत थी जो कि सातवीं पंचवर्षीय योजना में कम होकर 0·7 प्रतिशत रह गई है । इससे भी अधिक मंत्री जी इस विधेयक में कर लगाने भी जा रहे हैं जो कि रिक्शा चालकों, आटो रिक्शा चालकों और घोड़ा-गाड़ी पर सामान खींचने वाले तथा ठेला खींचने वाले निम्न वर्ग के लोगों पर प्रभाव डालेगा । इसलिए, यदि इन वर्गों के लोगों को कर से छूट दे दी जाए तो इससे उनको मदद मिलेगी । इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वे यह कदम उठाएं ताकि निम्न आय वर्ग वालों की मदद की जा सके ।

श्री जगदीश टाईटलर : उपाध्यक्ष महोदय, यह सच है कि राष्ट्रीय राजमार्ग देश में कुल सड़क मार्ग का केवल 2 प्रतिशत है । दुर्घटनाएं अनेक कारणों से होती है क्योंकि 15 प्रतिशत राष्ट्रीय राजमार्ग एकल लेने वाले हैं । हमें पर्याप्त राशि प्रदान नहीं की जा रही है । यदि मुझे मुख्य मंत्री द्वारा भेजे गए प्रस्तावों के लिए आवश्यक राशि उपलब्ध की गई होती तो यह 41,000 करोड़ रु० से अधिक होगी लेकिन मुझे केवल 2,600 करोड़ रु० मिले हैं और इसमें से चालू

परियोजनाओं की लागत लगभग 2,500 करोड़ रुपए होगी। इसका अर्थ यह है कि मेरे पास इस पूरे वर्ष में सड़कों पर व्यय करने के लिये केवल 60 से 70 करोड़ रु. की राशि उपलब्ध है। इसलिए, जब इस ओर से माननीय सदस्य ने सभा द्वारा पारित संकल्प के बारे में उल्लेख किया था तो मैंने कहा था कि मंत्रिमंडल सचिवालय इस पर विचार-विमर्श कर रहा है। मुझे यह कहते हुए खुशी हो रही है कि प्रधानमंत्री ने वित्त मंत्री, मेरे और एक अथवा दो अन्य मंत्रियों के सहयोग से एक समिति गठित की है जिससे हम जो कुछ सम्भव हो कर सकें ? केवल तभी मैं सभा में आऊंगा तथा इस तरह से एकत्रित किया गया धन लगभग 60 प्रतिशत से अधिक लगभग 65 प्रतिशत राज्यों को वापस चला जाएगा क्योंकि सड़क निर्माण कार्य का एक बड़ा भाग राज्य सरकारों के अन्तर्गत है।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक स्वीकृत किया जाए"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : शून्य काल के सम्बन्ध में क्या हुआ ?

उपाध्यक्ष महोदय : शून्यकाल होगा। घबराइए नहीं।

आइए अब हम सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्रों पर विचार-विमर्श करें।

श्री विद्याचरण शुक्ल।

14.16 म. प.

सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र

राज्यों द्वारा प्रस्तुत की गई जलाशय योजनाओं के बारे में अतारांकित प्रश्न संख्या 1726 के 20 जुलाई, 1992 को दिए गए उत्तर शुद्धि करने तथा उत्तर में शुद्धि करने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (इलेक्ट्रोनिकी तथा महासागर विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमार मंगलम) : श्री विद्याचरण शुक्ल की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं।

(एक) राज्यों द्वारा प्रस्तुत की गई जलाशय योजनाओं के बारे में सर्वश्री लाल बाबू राय और श्री सुधीर सावन्त द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 1726 के 20 जुलाई, 1992 को दिए गए उत्तर में शुद्धि करने तथा (दो) उत्तर में शुद्धि करने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी.—2604/92]

केन्द्रीय रेशम बोर्ड, बंगलौर के वर्ष 1990-91 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा वार्षिक लेखे तथा कार्यकरण की समीक्षा इत्यादि।

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

[अशोक गहलोत]

(1) (एक) केन्द्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम, 1948 की धारा 12(क) के अंतर्गत केन्द्रीय रेशम बोर्ड, बंगलौर के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) केन्द्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम, 1948 की धारा 12 की उपधारा (4) के अन्तर्गत केन्द्रीय रेशम बोर्ड, बंगलौर के वर्ष 1990-91 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) केन्द्रीय रेशम बोर्ड, बंगलौर के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी.—2605/92]

केन्द्रीय भाण्डागार निगम लिमिटेड और खाद्य मंत्रालय के बीच 1992-93 का समझौता ज्ञापन

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (इलैक्ट्रानिकी तथा महासागर विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमार मंगलम) : तरुण गंगोई की ओर से,

मैं निम्नलिखित पत्रों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभापटल पर रखता हूं।

(1) भारतीय खाद्य निगम और खाद्य मंत्रालय के बीच 1992-93 का समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी.—2606/92]

(2) केन्द्रीय भाण्डागार निगम लिमिटेड और खाद्य मंत्रालय के बीच वर्ष 1992-93 का समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 2607/92]

हुगली डाक और पत्तन इन्जीनियर्स लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की समीक्षा तथा वार्षिक प्रतिवेदन

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (इलैक्ट्रोनिकी तथा महासागर विकास विभाग) में राज्य मंत्री श्री रंगराजन कुमार मंगलम : मैं, श्री जगदीश टाईटलर की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूं :

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) हुगली डॉक और पत्तन इंजीनियर्स लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हुगली डॉक और पत्तन इंजीनियर्स लिमिटेड, कलकत्ता का वर्ष 1990-92 का

वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां ।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल. टी.—2607/92]

सुपर बाजार सहकारी भंडार लिमिटेड नई दिल्ली का वर्ष 1990-91 इत्यादि का वार्षिक प्रतिवेदन : कार्यकरण की समीक्षा

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (इलैक्ट्रोनिकी तथा महासागर विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमार मंगलम्) श्री कमालुद्दीन अहमद की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूं ।

(1) (एक) सुपर बाजार सहकारी भंडार लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) सुपर बाजार सहकारी भंडार लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल. टी.—2609/92]

पवन हंस लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की समीक्षा तथा वार्षिक प्रतिवेदन आदि

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (इलैक्ट्रोनिकी तथा महासागर विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमार मंगलम्) : श्री एम. ओ. एच. फारूक की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) पवन हंस लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण ।

(दो) पवन हंस लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1990-91 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रण तथा महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभापटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल. टी.—2610/92]

[श्री रंगराजन कुमार मंगलम]

(3) राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1985 की धारा 40 के अन्तर्गत राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण (उपदान) विनियम, 1992 जो 8 मई, 1992 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सैक. 9.2.8 में प्रकाशित हुए थे, की प्रति एक (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल. टी. 2611/92]

(4) अन्तर्राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1971 की धारा 37 की उपधारा (4) के अन्तर्गत भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण कर्मचारी (आचरण, अनुशासन और अपील) संशोधन विनियम, 1992 जो 18 मई, 1992 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या पसं./एससी/13/73-खंड IV (भाग) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पणी ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल. टी.—2612/92]

(5) वायु निगम अधिनियम, 1953 की धारा 45 की उपधारा (4) के अन्तर्गत एअर इंडिया कर्मचारी सेवा (संशोधन) विनियम, 1992 जो 14 मार्च, 1992 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एचक्यू/65-1 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पणी ।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल. टी. 2613/92]

(7) (एक) राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1985 की धारा 2 की उपधारा (4) और धारा 25 के अन्तर्गत राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण के वर्ष 1988-89 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण के वर्ष 1988-89 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल. टी.— 2614/92]

(9) (एक) इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वाहरी अकादमी के वर्ष 1985-86 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी के वर्ष 1985-86 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल. टी.—2615/92]

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) (एक) इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी के वर्ष 1986-87 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी के वर्ष 1986-87 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी.—2616/92]

(13) (एक) इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी के वर्ष 1987-88 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी के वर्ष 1987-88 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी.—2617/92]

(15) (एक) इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी के वर्ष 1988-89 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी के वर्ष 1988-89 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी.—2618/92]

सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 एवं केन्द्रीय उत्पाद और नमक अधिनियम, 1944 के अन्तर्गत अधिसूचना

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शांताराम पोतदुखे) : श्री रामेश्वर ठाकुर की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) सीमाशुल्क अधिनियम 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) सा. का. नि. 610(अ) जो 19 जून, 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा कतिपय शर्तों के अध्यधीन बल्क औषधियों के निर्माण

[श्री शांताराम पोत दुखे]

के लिए आयात किए गए विनिर्दिष्ट मध्यस्थों पर मूल्यानुसार 35 प्रतिशत की मूल सीमाशुल्क की रियायती दर विहित की गई है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(दो) सा. का. नि. 611(अ) जो 19 जून, 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा विनिर्दिष्ट बल्क औषधियों पर मूल्यानुसर 35 प्रतिशत की मूल सीमाशुल्क की रियायती दर विहित की गई है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(तीन) सा. का. नि. 612 (अ) जो 19 जून, 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय विनिर्दिष्ट मध्यस्थों पर मूल्यानुसार मूल सीमाशुल्क की दर को 50 प्रतिशत से घटाकर 25 प्रतिशत करने का है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(चार) सा. का. नि. 613(अ) जो 19 जून, 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय होम्योपैथी की दवाइयों पर मूल सीमा शुल्क की दर को मूल्यानुसार 20 प्रतिशत से मूल्यानुसार घटाकर 10 प्रतिशत, करने का है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(पांच) सा. का. नि. 614(अ) जो 19 जून, 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा भारत में आयातित टेलीविजन सैटों को वित्त अधिनियम, 1985 की धारा 44(1) के अन्तर्गत उन पर उद्ग्रहणीय संम्पूर्ण अतिरिक्त सीमाशुल्क से छूट दी गयी है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(छह) सा. का. नि. 615 (अ) जो 19 जून, 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 17 मार्च, 1985 के अधिसूचना संख्या 83/85-सी. शु. को विखंडित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(सात) सा. का. नि. 616 (अ) जो 19 जून, 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 1000 सी. सी. से अधिक की क्षमता वाले इंजिन की ईंधन किफायती मोटर कारों के निर्माण के लिए आयात किए गए संघटकों पर 40 प्रतिशत की मूल सीमाशुल्क की रियायती दर विहित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(आठ) सा. का. नि. 617(अ) जो 19 जून, 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 1000 सी.सी. से अधिक की क्षमता न रखने वाले इंजिन की ईंधन की किफायती मोटर कारों के निर्माण के लिए आयात किए संघटकों पर 40 प्रतिशत की मूल सीमाशुल्क की रियायती दर विहित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(नौ) सा.का.नि. 618(अ) जो 19 जून 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय ईंधन किफायती क्रोस कंन्ट्री मोटर वाहनों के निर्माण के

लिए आयात किए गए संघटकों पर 40 प्रतिशत की मूल सीमाशुल्क की रियायती दर विहित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(दस) सा. का. नि. 619(अ) जो 19 जून, 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय ईंधन किफायती मोटर कारों के कतिपय विनिर्दिष्ट संघटकों के निर्माण के लिए आयात किए गए माल (कच्ची सामग्री को छोड़कर) पर 40 प्रतिशत का मूल सीमाशुल्क की रियायती दर विहित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(ग्यारह) सा. का. नि. 620 (अ) 19 जून, 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय ईंधन किफायती क्रोस कंन्ट्री मोटर वाहनों के कतिपय विनिर्दिष्ट संघटकों के निर्माण के लिए आयात किए गए माल (कच्ची सामग्री को छोड़कर) पर 40 प्रतिशत का मूल सीमाशुल्क की रियायती दर विहित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(बारह) सा. का. नि. 621(अ) जो 19 जून, 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 19 जून, 1992 की अधिसूचना संख्या 221/92-सी. शु. से 225/92 सी. शु. के क्षेत्राधिकार में आई वस्तुओं पर 30 प्रतिशत की अनुषंगी सीमाशुल्क की रियायती दर विहित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(तेरह) सा. का. नि. 687 (अ) जो 23 जुलाई, 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 19 मई, 1992 की अधिसूचना संख्या 204/92-सी. शु. में कतिपय संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(चौदह) सा. का. नि. 706 (अ) जो 31 जुलाई, 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अधिसूचना में उल्लिखित कतिपय अधिसूचनाओं में कतिपय संशोधन करना है ताकि अन्य बातों के साथ-साथ लोहे-क्सोल इन्जेक्शन तथा तीन विनिर्दिष्ट बल्क औषधियों को सीमाशुल्क से पूरी छूट देना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

[ग्रन्थालय में रखी गयी । देखिए संख्या एल. टी.-2619/92]

(2) केन्द्रीय उत्पाद और नमक अधिनियम 1944 की धारा 38 की उप धारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) सा. का. नि. 606(अ) जो 19 जून, 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो भारत में निर्मित सभी टेलीविजन सैटों को उन पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण अतिरिक्त उत्पाद शुल्क से छूट देने के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

[श्री शांताराम पीत बुधे]

(दो) सा. का. नि. 607(अ) जो 19 जून, 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 1989 की अधिसूचना संख्या 87/89-के. उ. शु. में कतिपय संशोधन किये गये हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा. का. नि. 608(अ) जो 19 जून, 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 27 अप्रैल, 1989 की अधिसूचना संख्या 121/89 के. उ. शु. में कतिपय संशोधन किये गये हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा. का. नि. 609(अ) जो 19 जून, 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा अधिसूचना में उल्लिखित कतिपय अधिसूचनाओं में कतिपय संशोधन किये गये हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा. का नि. 652(अ) जो 1 जुलाई, 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय पालिएस्टर स्टैपिल फाइबर के विनिर्माण में उत्पादन के कारखाने के भीतर खपत होने वाले पालिएस्टर टो को केन्द्रीय उत्पादन शुल्क से सम्पूर्ण छूट देना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा. का. नि. 677(अ) जो 14 जुलाई, 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 जुलाई, 1983 की अधिसूचना संख्या 178/83-के. उ. शु. में कतिपय संशोधन किये गये हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखी गयीं। देखिए संख्या एल. टी.—2620/92]

(3) आयकर अधिनियम, 1991 की धारा 296 के अन्तर्गत आयकर (ग्यारहवां संशोधन) नियम, 1992 जो 29 मई, 1992 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का. आ. 386 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल. टी.—2621/92]

राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर का वर्ष 1990-91 का वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकरण की समीक्षा आदि

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (इलैक्ट्रोनिकी तथा महासागर विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री रंगैराजन कुमारमंगलम) : श्रीमती तारादेवी सिद्धार्थ की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संकरण)।

(दो) राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) (एक) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने और (दो) राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर के वर्ष 1990-91 के लेखापरीक्षित लेखाओं को लेखा वर्ष की समाप्ति के पश्चात् 9 महीने की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखने के कारण को स्पष्ट करने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी.—2622/92]

(3) (एक) राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान, पुणे के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा, पुणे के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी.—2623/92)]

(5) (एक) राष्ट्रीय चितरंजन कैंसर संस्थान, कलकत्ता के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) राष्ट्रीय चितरंजन कैंसर संस्थान, कलकत्ता के वर्ष 1990-91 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) राष्ट्रीय चितरंजन कैंसर संस्थान, कलकत्ता के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी.—2624/92]

(7) (एक) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, अधिनियम, 1956 की धारा 19 के अन्तर्गत अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[श्री रंगराजन कुमार मंगलम]

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण एक (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी.—2624/92]

(9) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट आफ मेंटल हैल्थ एण्ड न्यूरो साइन्सज, बंगलौर के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट आफ मेंटल हैल्थ एण्ड न्यूरो साइन्सज, बंगलौर के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी.—2625/92]

(11) (एक) स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़, अधिनियम, 1966 के अन्तर्गत स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़ के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़, अधिनियम, 1966 की धारा 18 के अन्तर्गत स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़ के वर्ष 1990-91 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़, के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण।

(11) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी.—2627/92]

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1970 और 1980 तथा भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1959 के अन्तर्गत अधिसूचना।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शांताराम पोतदुखे) : श्री दलबीर सिंह की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम 1970, और 1980

की धारा 19 की उप धारा (4) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) सिंडीकेट बैंक (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 1971 जो 11 जनवरी, 1992 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 1046/एस/पीडी. आई. आर. डी. (ओ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल. टी.—2628/92]

(दो) यूनियन बैंक आफ इण्डिया (अधिकारी) सेवा विनियम, 1979 जो 11 जनवरी, 1992 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या ओ. एस. आर./6 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल. टी.—2629/92]

(तीन) सिंडीकेट बैंक (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 1992 जो 6 जून, 1992 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 392/एस/0090/पीडीः आई. आर. डी. (ओ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल. टी.—2630/92]

(चार) देना बैंक (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 1992 जो 4 अप्रैल, 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल. टी.—2631/92]

(पांच) ओरियन्टल बैंक आफ कामर्स (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 1992 जो 4 अप्रैल, 1992 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 3913 में प्रकाशित हुए थे.

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल. टी.—2632/92]

(छह) विजया बैंक अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन और अपील) पहला संशोधन विनियम, 1992 जो 21 मार्च, 1992 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 282 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल. टी.—2633/92]

(सात) पंजाब नेशनल बैंक (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 1979 जो 21 मार्च, 1992 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. 17/2/84-आई. आर. में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल. टी.—2634/92]

(2) भारतीय स्टेट बैंक (समनषुंगी बैंक) अधिनियम, 1959 की धारा 63 की उप-धारा (4) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ;—

[श्री आत्माराम पोत दुखे]

(एक) अधिसूचना संख्या 16/1991 जो 9 नवम्बर, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा स्टेट बैंक आफ बीकानेर तथा जयपुर, हैदराबाद, इन्दौर, मैसूर, पटियाला, सौराष्ट्र तथा त्रावनकोर कर्मचारी भविष्य निधि विनियम के उप विनियम 8(1) में संशोधन का अनुमोदन किया गया है।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल. टी.—2635/92]

(दो) अधिसूचना संख्या 18/1991 जो 9 नवम्बर, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा स्टेट बैंक आफ बीकानेर तथा जयपुर, हैदराबाद, इन्दौर, मैसूर, पटियाला, सौराष्ट्र तथा त्रावनकोर कर्मचारी भविष्य निधि विनियम के विनियम 15 में संशोधन का अनुमोदन किया गया है।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल. टी. 2636/92]

(तीन) अधिसूचना संख्या 7/1991 जो 10 अगस्त, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा स्टेट बैंक आफ मैसूर कर्मचारी उपदान विनियम के विनियम 16 तथा स्टेट बैंक आफ बीकानेर तथा जयपुर, इन्दौर, पटियाला, सौराष्ट्र तथा त्रावनकोर कर्मचारी उपदान विनियम के विनियम 13 में संशोधन का अनुमोदन किया गया है।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल. टी.—2637/92]

(चार) अधिसूचना संख्या 17/1991 जो 9 नवम्बर, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा स्टेट बैंक आफ बीकानेर तथा जयपुर, हैदराबाद, इन्दौर, मैसूर, पटियाला, सौराष्ट्र तथा त्रावनकोर के कर्मचारी भविष्य निधि विनियम के उप नियम 17(2) में संशोधन का अनुमोदन किया गया है।

[ग्रन्थालय में रखी गयी देखिए संख्या एल. टी.—2638/92]

(3) (एक) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम, 1964 की धारा 18 की उपधारा (5) और धारा 23 की उपधारा (5) के अन्तर्गत भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के वर्ष 1991-92 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा सामान्य निधि के लेखा परीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के वर्ष 1991-92 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल. टी.—2639/92]

(4) बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण), अधिनियम, 1970 की धारा 10 की उपधारा (8) के अन्तर्गत इलाहाबाद बैंक के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण और क्रियाकलापों सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल. टी.—2640/92)

(5) बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1980 की धारा 10 की उपधारा (8) के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), :—

(एक) ओरियन्टल बैंक आफ कामर्स के वर्ष 1991-92 के कार्यकरण और क्रियाकलापों सम्बन्धी प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

(दो) विजया बैंक के वर्ष 1991-92 के कार्यकरण और क्रियाकलापों सम्बन्धी प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

[ग्रन्थालय में रखी गयी । देखिए संख्या एल. टी.—2641/92]

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास तथा मुम्बई के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की समीक्षा तथा वार्षिक प्रतिवेदन

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप-मंत्री (कुमारी शैलजा) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखती हूं :—

(1) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल. टी.—2642/92]

(2) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मुम्बई के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मुम्बई के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल. टी. 2643/92]

(3) प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 1961 की धारा 23 की उपधारा (4) के अन्तगत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास के वर्ष 1990-91 के वार्षिक लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

(दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मुम्बई के वर्ष 1990-91 के वार्षिक लेखे तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन ।

[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल. टी. 2744/92]

(4) उपर्युक्त (1) से (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल. टी.—2744-क/92]

[कुमारी शैलजा]

(5) (एक) कर्नाटक क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज, सूरथकल के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) कर्नाटक क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज, सूरथकल के वर्ष 1990-91 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) कर्नाटक क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज, सूरथकल के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल. टी.—2645/92]

(7) (एक) क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज, राऊरकेला के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज, राऊरकेला के वर्ष 1990-91 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज, राउरकेला के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी. 2646/92]

(9) (एक) स्कूल आफ प्लानिंग एण्ड आर्किटेक्टर, नई दिल्ली के के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति(हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा परीक्षित लेखे।

(दो) स्कूल आफ प्लानिंग एण्ड आर्किटेक्टर, नई दिल्ली के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी.—2647/92]

(11) (एक) नवोदय विद्यालय समिति, नई, दिल्ली के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नवोदय विद्यालय समिति, नई दिल्ली के वर्ष 1991-91 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उस पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन ।

(तीन) नवोदय विद्यालय समिति, नई, दिल्ली के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल. टी.—2649/92]

(13) (एक) नेशनल इंस्टीच्यूट आफ फोन्डरी एन्ड फोर्ज टेक्नालोजी, रांची के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल इंस्टीच्यूट आफ फोन्डरी एण्ड फोर्ज टैक्नालोजी, रांची के वर्ष 1990-91 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन ।

(तीन) नेशनल इंस्टीच्यूट आफ फोन्डरी एण्ड फोर्ज टैक्नोलोजी, रांची के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल. टी.—2648/92]

(15) (एक) क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज तिरूचिरापल्ली के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(दो) क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज, तिरूचिरापल्ली के वर्ष 1990-91 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन ।

(तीन) क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज, तिरूचिरापल्ली के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल. टी. 2650/92]

(17) (एक) सरकार वल्लभभाई रीजनल कालेज आफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नालोजी, सूरत के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[कुमारी शैलजा]

(दो) सरदार वल्लभभाई रीजनल कालेज आफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नालोजी, सूरत के वर्ष 1990-91 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) सरदार वल्लभभाई रीजनल कालेज आफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नालोजी, सूरत के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) उपर्युक्त (17) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी.—2651/92]

(19) रीजनल इंजीनियरिंग कालेज, वारंगल के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखा परीक्षित लेखाओं को लेखा वर्ष की समाप्ति के पश्चात् 9 मास की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखने के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी. 2652/92]

(20) (एक) खुदाबक्स ओरियंटल पब्लिक लाइब्रेरी अधिनियम, 1969 की धारा 21 के अंतर्गत खुदाबक्स ओरियंटल पब्लिक लाइब्रेरी, पटना के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखे परीक्षित लेखे।

(दो) खुदाबक्श ओरियंटलट पब्लिक लाइब्रेरी, पटना के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(21) उपर्युक्त (20) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी.—2653/92]

(22) (एक) विश्व भारती शान्ति निकेतन के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) विश्व भारती शान्ति निकेतन के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(23) उपर्युक्त (22) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय रखे गए। देखिए संख्या एल. टी.—2654/93]

(24) (एक) राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउन्डेशन, कलकत्ता के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा परीक्षित लेखे।

(दो) राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउन्डेशन, कलकत्ता के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(25) उपर्युक्त (24) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी. 2659/92]

2.18 म. प.

राज्य सभा से संदेश

महासचिव : महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्न संदेशों की सूचना सभा को देनी है :—

(एक) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के नियम 186 के उप-नियम (6) के उपबन्धों के अनुसरण में, मुझे विनियोग (संख्यांक 3) विधेयक, 1992, को जिसे लोक सभा द्वारा अपनी 12 अगस्त, 1992 की बैठक में पारित किया गया था और राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा था, वापस लौटाने और यह बताने का निदेश हुआ है कि इस सभा को इस विधेयक के संबंध में कोई सिफारिशें नहीं करनी है।"

(दो) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के नियम 186 के उप-नियम (6) के उपबन्धों के अनुसरण में, मुझे विनियोग (संख्यांक 4) विधेयक, 1992 को, जिसे लोक सभा द्वारा अपनी 12 अगस्त, 1992 की बैठक में पारित किया गया था और राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा गया था, वापस लौटाने और यह बताने का निदेश हुआ है कि इस सभा को इस विधेयक के संबंध में कोई सिफारिशें नहीं करनी है।"

2.18½ म. प.

विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति

महासचिव : महोदय, मैं 9 जुलाई, 1992 को सभा को सूचित करने के पश्चात् चालू सत्र के दौरान संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित तथा अनुमति प्राप्त विदेशी मुद्रा संरक्षण (यात्रा) कर उत्पादन विधेयक, 1992 को सभा-पटल पर रखता हूं।

2.19 म. प.

नियम समिति

प्रथम प्रतिवेदन

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (इलेक्ट्रोनिकी तथा महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमार मंगलम) : मैं लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 331 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत नियम, समिति का पहला प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं ।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : महोदय, मैंने एक नोटिस दिया है । मुझे नियम समिति की रिपोर्ट के बारे में एक निवेदन करना है ।

उपाध्यक्ष महोदय : यह केवल रिपोर्ट का प्रस्तुतीकरण है । रिपोर्ट के प्रस्तुतीकरण के समय, कोई स्पष्टीकरण या तर्क-वितर्क मांगा या पूछा नहीं जा सकता है ।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : मंत्री जी द्वारा रिपोर्ट रखने के समय भी, मैं अपना निवेदन कर सकता हूं वह नियमों में दिया गया है ।

उपाध्यक्ष महोदय : आप इसे बाद में बता सकते हैं । इस समय भाषण देना प्रक्रिया के अनुसार नहीं हो रहा है । क्या हम नियमों के अनुसार चल रहे हैं ? हमें नियमों के अनुसार कार्य करना है ।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : मैं नियम समिति की रिपोर्ट के बारे में ही बात कर रहा हूं । मैंने एक नोटिस दिया है । नियम समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पहले, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं । मैंने पहले ही आपको एक नोट भेज दिया है । उस आधार पर, मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं ।

मेरा केवल यही निवेदन है कि मेरी तरह कई सदस्य जो नियम समिति सदस्य है, प्रतिभूति घोटाले पर संयुक्त संसदीय समिति की बैठक में हिस्सा लेने के कारण चर्चा में उपस्थित नहीं हो पायेंगे । हमने चर्चा की है । इसमें न केवल न केवल हमारी पार्टी के सदस्य बल्कि सत्ता पक्ष के सदस्य उपस्थित थे । प्रस्तावों के अनुसार हमने निर्णय लिया है, स्थायी समितियों के कार्यकरण तथा स्थायी समितियों के गठन के बारे में कुछ गम्भीर कठिनाईयां है । इसलिए, हमने अनुरोध किया है कि आज नियम समिति द्वारा कोई निर्णय न लिया जाये और हम अगली बैठक में उपस्थिति होना चाहेंगे ।

समस्या यह है कि स्थायी समिति के कार्यकरण सम्बन्धी इस सिफारिश से संसद में कार्यकरण के कुल दिनों की संख्या कम हो जाती है । बजट सत्र के बाद, एक आम चर्चा होती है और सदन स्थगित कर दिया जाता है । यदि यह एक माह के लिए स्थगित कर दिया जावे तो क्या होगा ? फलस्वरूप, एक माह तक कोई प्रश्न नहीं होंगे, एक माह तक 377 के अधीन मामले नहीं हो पायेंगे और तीन माह तक कार्यसूची में शामिल न किया गया कोई भी कार्य नहीं हो पायेगा ।

दूसरा, कठिनाई यह है दस समितियां या इतनी समितियों का ही प्रस्ताव है । इससे सदन के

बहुत से सदस्य इन समितियों के सदस्य नहीं बन पायेंगे, । हमने सुझाव भी दिया है कि समितियों की संख्या बढ़ाई जाए जिससे कि एक सदस्य किसी न किसी समिति का सदस्य बन सके ।

मैंने पहले ही एक सकारात्मक सुझाव दिया है कि एक महीने के लिए सदन स्थगित करने के बजाय पूर्ण सत्र के लिए हर रोज सुबह की बैठक रखी जाये और दोपहर का समय स्थायी समिति की बैठकों के लिए रखा जाये जिससे कि प्रश्न पूछे जा सकते हैं, 377 के अधीन के मामले लिए जा सकते हैं । अन्यथा, एक वर्ष में बैठकों की कुल संख्या कम हो जायेगी ।

मेरा निवेदन है कि सभी सदस्यों, जो आज उपस्थित हैं, को अगला सत्र शुरू होने तक नियम समिति को अपने प्रस्ताव भेजने का मौका दिया जाये अन्यथा नियम यह है कि यदि एक माह में कोई आपत्ति नहीं की जाये तो इसे अनुमोदित और स्वीकृत माना जाये । अतः मैं अनुरोध करता हूं कि अगले सत्र के प्रथम सप्ताह तक, इस बात की अनुमति दी जाये कि आपत्तियां और संशोधन नियम समिति को प्रस्तुत की जा सकती है ।

श्री प्रेम धूमल (हमीरपुर) : मैं इस प्रस्ताव का पूरा समर्थन करता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : सदस्य अपने सुझाव भेज सकते हैं ।

श्री प्रेम धूमल : इसे सरकार द्वारा स्वीकृत किया जाना चाहिए ।

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : सर्वप्रथम, ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है जिसे स्वीकार किया जा रहा है । यहां मैं केवल यही निवेदन करूंगा कि नियमों के तहत उनके पास एक महीने का समय है । इनके बारे में उन्हें जानकारी है । सदस्य जो अपने विचार रखना चाहते हैं वे एक महीने के अन्दर अपने विचार रख सकते हैं । नियम समिति में हम हमेशा इसे उठा सकते हैं । ऐसी कोई समस्या नहीं है । बहुत से सुझावों की जांच की जा सकती है । आप अपनी आपत्तियां दीजिए ।

उपाध्यक्ष महोदय : नियमों में भी एक विशेष उपबन्ध है ।

"नियम समिति की सिफारिशें सभा पटल पर रखी जायेंगी ।"

2.23 ब. प.

प्राक्कलन समिति

उन्नीसवां तथा बीसवां प्रतिवेदन

श्री मनोरंजन भक्त (अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह) : महोदय, मैं प्राक्कलन समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं :—

(एक) रक्षा मंत्रालय-सैन्य बल स्तर जनशक्ति, प्रबंध और नीति संबंधी 19वां प्रतिवेदन तथा इससे सम्बन्धित समिति की बैठकों के कार्यवाही सारांश ।

(दो) उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग)— भारी इंजीनियरी उद्योग में रुग्णता सम्बन्धी प्राक्कलन समिति (नौवीं लोक सभा) के 12वें प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट सिफा-

[श्री मनोरंजन भक्त]

रिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी 20वां प्रतिवेदन ।

2.23½ म. प.

लोक लेखा समिति

33वां, 34वां, 35वां और 36वां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : मैं लोक लेखा समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं :

(1) सीमा शुल्क प्राप्तियां-स्थगन आदेश रद्द होने पर सीमा शुल्क की वसूली में अनियमित प्रक्रिया का अपनाया जाना—किस्तों में शुल्क के भुगतान से ब्याज के कारण हुई राजस्व की हानि सम्बन्धी 151वें प्रतिवेदन (आठवीं लोक सभा) पर की गई कार्यवाही सम्बन्धी 33वां प्रतिवेदन ।

(2) सामान्य पूल आवास निर्माण के लिए त्वरित आवास कार्यक्रम सम्बन्धी 143वें प्रतिवेदन (आठवीं लोक सभा) पर की गई कार्यवाही सम्बन्धी 34वां प्रतिवेदन ।

(3) कलकत्ता पत्तनन्यास सम्बन्धी 157वां प्रतिवेदन (आठवीं लोक सभा) पर की गई कार्यवाही सम्बन्धी 35वां प्रतिवेदन ।

(4) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की वापसी सम्बन्धी 27वें प्रतिवेदन (नौवीं लोक सभा) पर की गई कार्यवाही सम्बन्धी 36वां प्रतिवेदन ।

2.24 म० प०

उर्वरक मूल्यांकन संबंधी संयुक्त समिति

प्रतिवेदन और कार्यवाही सारांश

श्री प्रताप राव बी भोंसले (सतारा) : मैं उर्वरक मूल्यांकन सम्बन्धी संयुक्त समिति की बैठकों का प्रतिवेदन और कार्यवाही सारांश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण प्रस्तुत करता हूं ।

2.24½ म. प.

सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति

सौवां प्रतिवेदन

श्री वसुदेव आचार्य (बांकुरा) : मैं सरकारी उपक्रमों में निपटारे के लिए लम्बित मुकद्दमों के

बारे में सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति का 9वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा इससे सम्बन्धित समिति की बैठकों के कार्यवाही सारांश प्रस्तुत करता हूं।

2.25 म. प.

बान्डेल उप-मार्ग (बाजार पाड़ा) का नवीकरण करके वहां पानी के जमाव को रोकने तथा बान्डेल रेलवे जंक्शन के सभी प्लेटफार्मों को जोड़ने के लिए एक ऊपरी पुल का निर्माण किए जाने के बारे में याचिका

श्री रूपचन्द पाल (हुगली) : महोदय, मैं बान्डेल उप-मार्ग (बाजारपाड़ा) का नवीकरण करके यहां पानी के जमाव को रोकने के लिए कार्यवाही करने तथा (बान्डेल) रेलवे जंक्शन के सभी प्लेट, फार्मों को जोड़ने के लिए एक ऊपरी पैदल पुल का निर्माण करने के लिए महात्मा गांधी हिन्द विद्यालय-बान्डेल) जिला हुगली के श्री अमुल्य चन्द्र शाह तथा हुगली जिले के अन्य निवासियों द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका प्रस्तुत करता हूं।

2.25½ म. प.

वायुदूत को हुए घाटे के बारे में दिनांक 27 जुलाई 1992 के तारांकित प्रश्न संख्या 270 के उत्तर में शुद्धि करने वाला वक्तव्य

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (इलैक्ट्रानिकी तथा महासागर विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमार मंगलम) : महोदय, श्री एम. ओ. एच. फारूक की ओर से, मैं निम्नलिखित वक्तव्य देता हूं :

वायुदूत को हुए घाटे के बारे में दिनांक 27-7-92 को लोक सभा में पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या 270 के उत्तर के भाग (क) में यह बताया गया था कि :—

"वायुदूत को, 1981 में इसकी शुरूआत से 168.40 करोड़ रुपये की अनुमानित संचित हानि हुई है"।

2. आगे छानबीन करने से पता चला कि इसमें भूल हो गई है। इस भूल के लिए खेद है।

3. सही उत्तर इस प्रकार है :—

"वायुदूत को 1981 में इसकी शुरूआत से 160.48 करोड़ रुपये की अनुमानित संचित हानि हुई है"।

4. चूंकि यह भूल अभी ध्यान में आई है इसलिए उत्तर में पहले सुधार नहीं किया जा सका। उत्तर में सुधार करने में हुए विलंब के लिए खेद है।

2.26 म. प.

कार्य मंत्रणा समिति

इक्कीसवां प्रतिवेदन

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (इलैक्ट्रोनिकी तथा महासागर विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं ।

"कि यह सभा 19 अगस्त, 1992 को सभा में प्रस्तुत किए गए कार्य-मंत्रणा समिति के 2 वें प्रतिवेदन से सहमत है ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा 19 अगस्त, 1992 को सभा में प्रस्तुत किए गए कार्य-मंत्रणा समिति के 21वें प्रतिवेदन से सहमत है ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

2.26½ म. प.

पासपोर्ट (संशोधन) विधेयक*

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. एल. भाटिया) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि पासपोर्ट अधिनियम, 1967 में और संशोधन करने के लिए अनुमति दी जाए ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि पासपोर्ट अधिनियम, 1967 में और संशोधन करने के लिए अनुमति दी जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री आर. एल. भाटिया : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम नियम 377 के अधीन मामलों पर चर्चा करेंगे ।

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : शून्य काल के सम्बन्ध में क्या हुआ ? (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : शून्य काल भी होगा ।

श्री मनोरंजन भक्त (अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह) : महोदय, आपका निर्णय सही है । अब हम पहले नियम 377 के अधीन मामलों पर चर्चा करेंगे । (व्यवधान)

---

*दिनांक 20-8-92 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग दो खंड 2, में प्रकाशित ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं कह रहा हूं कि हम शून्यकाल को समाप्त नहीं कर रहे हैं। शून्यकाल होगा। निश्चय ही, यह होगा।

श्री वसुदेव आचार्य : कब ?

उपाध्यक्ष महोदय : हम ऐसा करेंगे। कृपया इन्तजार करिए। अब हम नियम 377 के अधीन मामलों को पूरा करेंगे, तत्पश्चात् मध्याह्न भोजन के लिए सभा स्थगित होगी, माध्याह्न भोजन के पश्चात् सभा पुन: समवेत होगी और फिर शून्यकाल होगा। अगले दस मिनट में हम इस कार्य को समाप्त कर देंगे।

श्री अन्बारासु इरा (मद्रास मध्य) : अब हम नियम 377 के अधीन मामलों पर विचार करें और समाप्त करें।

[हिन्दी]

श्री रवि राय (केन्द्रपाड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, यह इस हाउस की परम्परा रही है कि जो यहां पर जीरो ऑवर होता है, उसके अन्दर सांसद बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल उठाते हैं। यह कभी नहीं देखा गया कि जीरो ऑवर के पहले नियम 377 हुआ हो।

उपाध्यक्ष जी, आज आखिरी दिन है इस हाऊस का तो मैं यही चाहता हूं कि पहले जीरो ऑवर ले लिया जाये···

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इस मामले को सभा की इच्छा पर छोड़ता हूं।

[हिन्दी]

श्री रवि राय : उपाध्यक्ष जी, इसलिए मेरा कहना है कि मैं दो मिनट में अपनी बात कह दूंगा और मेरा सबमिशन इस प्रकार है···

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : रवि राय जी, हम ऐसा करते हैं ? अब हम सभा मध्याह्न भोजन के लिए स्थगित कर दें फिर मध्याह्न भोजन के पश्चात् समवेत हों और शून्यकाल जारी रखें। शून्य काल के समाप्त होने पर हम नियम 377 के अधीन मामलों तथा अन्य मामलों पर विचार कर सकते हैं। क्या आप इससे सहमत होंगे ?

मेरा सुझाव है कि अब हम सभा को स्थगित कर दें।

[हिन्दी]

श्री रवि राय : उपाध्यक्ष जी, हम लोगों को एक इम्पोर्टेन्ट कमेटी जे. पी. सी. में साढ़े तीन बजे जाना है। इसलिए यदि आप इजाजत दे दें तो मैं अपनी बात दो मिनट में कह दूंगा। आप जीरो ऑवर पहले ले लें और उसके बाद लंच हो जाये।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : हम ऐसा कर सकते हैं। पहले हम रवि राय जी के मामले पर विचार

करेंगे और तत्पश्चात् मध्यान्ह भोजन के लिए सभा स्थगित करेंगे ।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यहां भाग लेने वाले अनेक सदस्य हैं । इनको इस अवसर से वंचित नहीं रहना चाहिए ।

(व्यवधान)

श्री सत्यनारायण जटिया (उज्जैन) : यहां कुछ लोग बैठे हैं और अधिक नहीं है । इन सबको मौका मिलना चाहिए । (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : 'अनेक' एक व्यापक शब्द है ।

(व्यवधान)

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : आपका क्या निर्णय है ?

उपाध्यक्ष महोदय : जैसा कि प्रातः वायदा किया गया था, कुछ कार्यों से बाद शून्य काल जारी रहेगा । सभा को यह आश्वासन दिया गया है । श्री रवि राय जाना चाहते हैं इसलिए उनके मुद्दे पर विचार किया जायेगा और तत्पश्चात् हम मध्यान्ह भोजन के लिए सभा स्थगित करेंगे । पुनः समवेत होने पर शून्यकाल जारी रहेगा ।

[हिन्दी]

श्री रवि राय (केन्द्रपाड़ा) उपाध्यक्ष जी, मैं एक ऐसा सवाल उठाना चाहता हूं कि जिस पर सारे सदन को दिलचस्पी होगी । यह किसी पार्टी का सवाल नहीं है । मैं देख रहा हूं कि सरकार का विदेशी चीजों के लिए मोह बढ़ता जा रहा है और वह देश के लिए बहुत खतरनाक साबित हो रहा है । मैं इस सदन में बार बार हमारे देश में विदेशी पत्रों के प्रकाशन के बारे में सवाल उठाता रहा हूं । आपको मालूम होगा कि हमारे देश में पत्र-पत्रिकाएं किस स्थिति में हैं । इस सिलसिले में मैं कहना चाहूंगा कि बावजूद इसके कि हम इस सदन में सरकार की नीति जानने की कोशिश करते रहे हैं और कहते आए हैं कि विदेशी पत्रिकाओं का प्रकाशन हिन्दुस्तान में बंद होना चाहिए, इस बारे में सरकार ने कोई ऐलान नहीं किया है । जो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय है, उसके खिलाफ मेरी शिकायत है कि वह इसके बारे में नहीं सोचती है । यह विभाग अभी तक इस पर कोई ठोस निर्णायक फैसला सदन के सामने नहीं रख पाया है । हमें जानकारी है कि इस बीच में मंत्रालयों में कुछ खास नौकरशाहों की जो कांस्पिरेसी चल रही है, उसके तहत वह विदेशी पत्रिकाओं का प्रकाशन हिन्दुस्तान में एक षड्यन्त्र के रूप में हो रहा है । सूचना प्रसारण मंत्रालय मूक दर्शक बनकर वह देख रहा है । मेरे पास यह खबर है कि मंत्रालय के आर्डर को बायपास करके कहा गया है कि कैबिनेट पेपर तैयार किया जाए । बार-बार जब इस तरह से मेम्बर आपके पास जाएंगे तो यह तरीका ठीक नहीं है । (व्यवधान)

उपाध्यक्ष जी, मैं इस सवाल को इसलिए उठाना चाहता हूं कि हमारे पास खबर है कि सरकार इस बारे में जल्दी फारेन पब्लिकेशन को प्रकाशित करने के लिए जो करना चाहती थी और अभी हमारे वित्त मंत्री और बहुत ज्ञानी आदमी मनमोहन सिंह जी भी बैठे हैं । मैं आपसे कहना चाहता हूं कि 1955 से भारत की कैबिनेट का फैसला है कि हिन्दुस्तान में फारेन जर्नल का

पब्लिकेशन नहीं होना चाहिये। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अभी जिस तरीके से इकोनौमिक लिबरेलाईजेशन लागू होने के बाद, देश को बाकायदा विश्व बैंक और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष का गुलाम बनाने के बाद, यह सरकार अपने दिमाग में राष्ट्रीयता का कोई ख्याल नहीं रखती है और यहां मैं प्रैस कौंसिल को धन्यवाद देना चाहता हूं कि प्रैस कौंसिल ने बाकायदा फौरेन पब्लिकेशनों के, फौरेन जौर्नल्स के हिन्दुस्तान में प्रकाशन का पूरा विरोध किया है। उस प्रैस कौंसिल में संसद का प्रतिनिधित्व भी है, सांसद लोग उसमें जाते हैं, बैठते है। वह एक ऐसी संस्था है जो औब्जैक्टिवली प्रेस की फ्रीडम के बारे में सोचती है।

मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जितने विदेशों के प्रमुख जौर्नल्स हैं, "टाइम्स" की तरह, मेरे पास खबर है कि "टाइम्स" जौर्नल का जो एशियन पब्लिकेशन है, उसका लिविंग मीडिया हिन्दुस्तान में लौबींग कर रहा है और विदेशी जौर्नल्स की लौबींग दुनिया भर में कितनी जबर्दस्त होती है इसे आप सब अच्छी तरह जानते हैं। वे लोग यहां बैठकर, साउथ ब्लाक में जाकर, नौर्थ ब्लाक में जाकर, हिन्दुस्तान की पत्रकारिता के खिलाफ बाकायदा षडयंत्र रच रहे हैं। मान लीजिए कि यदि विदेशी जौर्नल्स का पब्लिकेशन हिन्दुस्तान में आरम्भ हो जाए तो उनके कम्पटीशन में, होड़ में हिन्दुस्तान के जौर्नल्स काफी पीछे पड़ जायेंगे।

इसलिये मैं केन्द्रीय सरकार को आगाह करना चाहता हूं कि प्रैस कौंसिल ने बाकायदा जो फैसला लिया है कि भारतवर्ष में, हिन्दुस्तान में, फौरेन जौर्नल्स का पाब्लिकेशन नहीं होना चाहिए, सरकार को उसे मानना चाहिए। उपाध्यक्ष जी, मैं आज बड़े दुखी मन से कह रहा हूं कि जिस तरीके से उनका षडयंत्र यहां चल रहा है, कौस्पीरेसी हो रही है और जब 1955 से भारत सरकार की जो बाकायदा नीति बन चुकी है कि हम हिन्दुस्तान में फौरेन जौर्नल्स का पब्लिकेशन नहीं होने देंगे, उसे पूरी तरह तिलांजलि देकर, उस विचार को खत्म करके, जो काम हो रहा है, वह हमारे हित में नहीं है। सरकार को एक कैबिनेट पेपर तैयार करके, उसे लागू करना चाहिए।

आज सदन का यह सत्र समाप्त होने जा रहा है और और फिर तीन महीने बाद शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा बैठेगी, इसलिए मेरा कहना है कि इस देश में, हिन्दुतान की पत्रकारिता की जो खासियत है, उसकी रक्षा होनी चाहिए। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि 1955 में हमने फौरेन जौर्नल्स के हिन्दुस्तान में प्रकाशन पर जो रोक लगाने का फैसला किया था, उस पर सरकार को कायम रहना चाहिये, उसे बरकरार रखना चाहिए।

इस समय सदन में वित्त मंत्री जी मौजूद हैं और वित्त मंत्रालय की ओर से यह तर्क दिया जाता है, आर्ग्यूमेंट दिया जाता है कि विदेशों के वाणिज्य सम्बन्धी तथ्यों की जानकारी के लिए, हम लोगों को "फाइनेन्शियल टाइम्स" लन्दन को लाना चाहिए, जिसे फौरेन इन्वैस्टमैंट बोर्ड ने पारित भी कर दिया है, लेकिन मेरा यह डर है कि फाइनैन्शियल टाइम्स जैसे पत्र-पत्रिकाओं के बहाने, वे लोग जिस तरह से हिन्दुस्तान में एक षडयंत्र रचने के बारे में सोच रहे हैं, प्रैस कौंसिल ने उसके खिलाफ फैसला लिया है, मेरा डर है कि फौरेन जौर्नल्स आगे चलकर, सरकार के ढीलेपन के चलते, देश में अपने पांव जमा सकते हैं, आ सकते हैं।

अत: इस देश में पत्रकारिता को देखने वाला जो मंत्रालय है इन्फार्मेशन एण्ड ब्रौडकास्टिंग मिनिस्ट्री—मैं उससे और वित्त मंत्रालय दोनों से कहूंगा कि 1955 में फौरेन जौर्नल्स को हिन्दुस्तान में प्रकाशित न करने के सम्बन्ध में, सरकार ने जो फैसला लिया था, उस पर यह सरकार कायम रहे

[श्री रवि राय]

ताकि हिन्दुस्तान में हिन्दुस्तानी भाषाओं के जितने जौर्नल्स हैं, उनकी आजादी बरकार रहे, उनके हितों की रक्षा हो सके और वे किसी तरह विदेशी चंगुल में न फंसने पायें, उनकी रक्षा हो सके, यही मैं आपके जरिये सरकार से कहना चाहता हूं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : नियम 377 के अधीन मामलों पर हम बाद में चर्चा करेंगे। श्री अन्बारासु इरा स्वागत समिति के अध्यक्ष हैं। यदि आपको एतराज न हो तो वे दो मिण्ट के लिए बोलेंगे। अब श्री अन्बारासु इरा बोलेंगे।

श्री अन्बारासु इरा (मद्रास मध्य) : मंडल आयोग के मामले को हमारी सरकार की छवि को खराब करने के लिए केवल राजनीतिक उद्देश्य से आन्दोलन के रूप में उठाया गया है। प्रधानमंत्री ने पहले ही अनुसूचित जाति। अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए एक पूर्ण आयोग गठित कर दिया था और इसने कार्य करना आरम्भ भी कर दिया है। यह तथ्य कि उन्होंने अनुसूचित जाति। अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए आयोग गठित कर दिया है इस बात का एक पर्याप्त प्रमाण है कि प्रधानमंत्री हरिजनों व दलितों के नेता हैं। इस तथ्य के बावजूद जार्ज फर्नान्डीज, रामविलास पासवान जैसे कुछ माननीय सदस्यों ने प्रधानमंत्री पर आरोप लगाया है कि वे हरिजनों के कल्याण में इच्छुक नहीं है, जिसमें राजनीतिक उद्देश्य निहित है।

हमारे प्रधानमंत्री ने अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए भी एक आयोग गठित किया था और वे पिछड़े वर्ग के तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लोगों के कल्याण के लिए भी समान रूप से इच्छुक हैं जिसके लिए पिछड़ा वर्ग विकास निगम गठित किया गया है।

नौकरियों में आरक्षण का मुद्दा उच्चतम न्यायालय में लंबित पड़ा है। इससे निश्चय ही काफी विलंब होगा और राजनीति के निहित स्वार्थ द्वारा इस स्थिति का लाभ उठाए जाने की संभावना है। इसके अतिरिक्त पिछड़े वर्ग से सम्बन्धित लोगों को नौकरियों में आरक्षण इत्यादि के मामले में आर्थिक मानदंड को शामिल करने का कोई सांवैधानिक प्रावधान नहीं है ऐसी स्थिति में आर्थिक मानदंड को शामिल करने के लिए संविधान में संशोधन करने के प्रस्ताव को इस सम्मानीय सभा में ही प्रस्तुत करना होगा। आर्थिक मानदंड के सम्बन्ध में संवैधानिक प्रावधान की अनुपस्थिति में यह सम्भव है कि उच्चतम न्यायालय पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए नौकरियों में 27 प्रतिशत के आरक्षण को आर्थिक मानदंड पर आधारित कर दें और 10 प्रतिशत आरक्षण आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लोगों को दे दें।

माननीय कल्याण मंत्री ने यह भी कहा कि पिछड़े वर्ग को नौकरियों में आरक्षण देने के लिए कोई समाधान निकालने के लिए एक प्रवर समिति नियुक्त की जाएगी। इससे दुबारा अनिवर्चित विलम्ब होगा और इसलिए मंडल और मंदिर वाले लोग पिछड़े वर्ग के लोगों तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के दिमाग में एक आशंका उत्पन्न कर देगा कि वर्तमान सरकार ने नौकरियों में आरक्षण के मुद्दे पर गंभीरता से विचार नहीं किया है और इन्हीं लोगों द्वारा अशान्ति उत्पन्न करने के लिए वर्तमान परिस्थिति का लाभ उठाए जाने की संभावना है। मंदिर दल ने पहले ही राम जन्म भूमि-बाबरी मस्जिद मुद्दे पर देश में साम्प्रदायिक सामंजस्य को समाप्त कर दिया है और दूसरी ओर मंडल दल जाति के आधार पर लोगों की एकता को विभाजित तथा समाप्त करने की योजना बना रहा है ताकि उससे अपना राजनीतिक लक्ष्य प्राप्त कर सकें।

पिछड़े वर्ग के लोगों तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के मन में अनावश्यक आशंका उत्पन्न हो, इस बात से बचने के उद्देश्य से तथा पिछड़े वर्ग के लोगों के नेताओं के उद्देश्य का भण्डा फोड़ने के लिए भी, मैं माननीय प्रधानमंत्री से भारतीय संविधान में संशोधन प्रस्तुत करने का अनुरोध करता हूं ताकि आर्थिक मानदंड शामिल किया जा सके और उच्चतम-न्यायालय में लंबित पड़ी याचिका के शीघ्र निपटान के लिए सहमति से कोई उपयुक्त प्रबंध किया जा सके ताकि शीघ्रातिशीघ्र 27प्रतिशत आरक्षण को पिछड़े वर्ग के लोगों पर और 10 प्रतिशत आरक्षण को समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों पर कार्यान्वित किया जा सके । (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अनेक लोगों ने कड़ी आपत्ति की थी जबकि मैंने नियम 377 के अधीन मामलों पर विचार करने की इच्छा जाहिर की थी। एक बार जो निर्णय ले लिया जाता है, हमें उसमें परिवर्तन नहीं करना चाहिए। दूसरा, निश्चय ही मैंने वायदा किया था कि हम मध्यान्ह भोजन के लिए सभा स्थगित करेंगे। अब यदि मध्यान्ह भोजन के लिए स्थगित होते हैं तो इसमें एक घंटा लगेगा। यहां बोलने वाले अनेक लोग हैं। यदि आप सब सहमत हों···

श्री रमेश चेन्नित्तला (कोट्टायम) : चूंकि यह सत्र का आखिरी दिन है, हम मध्यान्हन् भोजन अवकाश छोड़ सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप आज हमें व्रत रखने पर मजबूर कर रहे हैं। निर्णय लीजिए। क्या हमें मध्यान्ह भोजन के लिए अवकाश चाहिए अथवा नहीं ?

कुछ माननीय सदस्य : चलिए, मध्यान्ह भोजनावकाश नहीं किया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : तो कोई मध्याह्न भोजनावकाश नहीं होगा। नियम 377 के अधीन मामलों पर विचार करने का भी प्रश्न नहीं उठता। अनेक लोगों ने आपत्ति की है कि हमने किस कारण से इसे छोड़ दिया है। शून्यकाल का कार्य समाप्त हो जाने के पश्चात् ही उन पर विचार किया जाएगा।

(व्यवधान)

कृपया हमें सहयोग दीजिये। यह इस सत्र का आखिरी दिन है। हम सबको मुस्कराते हुए विदा होना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री तेज नारायण सिंह (बक्सर) : आपके कहने के मुताबिक बहुत लोग चले गए है।

उपाध्यक्ष महोदय : हम उन्हें अवसर देने से मना नहीं करेंगे।

श्री रमेश चेन्निस्तला : केरल राज्य में कोट्टायम निर्वाचन क्षेत्र में सिस्टर अभया नाम की एक नन का मृत शरीर कान्वेंट परिसर में एक कुएं में पाया गया था। यह एक कत्ल का मामला लगता है। यह एक गंभीर घटना है और सभा के सभी वर्ग इस मुद्दे पर आन्दोलित हैं। वहां की स्थानीय पुलिस ने जांच की थी लेकिन उस क्षेत्र तथा पूरे जिले के लोग उससे बिल्कुल भी सन्तुष्ट नहीं है। उन्होंने राज्य सरकार को अनेक ज्ञापन भेजे हैं। अन्ततः राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार से यह अनुरोध करने का निर्णय लिया कि वे केन्द्रीय जांच ब्यूरो की मदद से इस मामले की जांच

[श्री रमेश चेन्नितला]

करें। पिछले दो महीनों से यह मामला केन्द्र सरकार के पास लम्बित पड़ा है। मैं आपके द्वारा मंत्री से अनुरोध करता हूं, वह केन्द्रीय जांच ब्यूरो के प्रभारी भी हैं, कि वे केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा इस मामले की जांच करवाएं, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा सिफारिश की गई है ताकि सच्चाई प्रकट हो सके और सिस्टर अभया के गरीब परिवार के साथ न्याय किया जा सके।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं सूची के अनुसार सदस्यों के नाम बुलाऊंगा। कृपया अवसर का लाभ उठाइए। मान लीजिए कि एक सदस्य यहां नहीं हैं, तत्पश्चात् हम उसे दुबारा बुला सकते हैं। अब श्री बालयोगी। श्री बालयोगी, कृपया पढ़िएगा नहीं। श्री जोशी तथा अन्य सदस्यों ने कड़ी आपत्ति की थी जबकि श्री अन्वारासु देखकर पढ़ रहे थे। आप व्यावहारिक भाग के बारे में उल्लेख कर सकते हैं। यह नियम 377 के अधीन मामले नहीं हैं।

श्री जी. एम. सी. बालयोगी (अमालापुरम) : यह अन्याय है, महोदय। वरिष्ठ नेता घण्टों तक बोलते जा रहे हैं और हमें बोलने की अनुमति नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : हमें दूसरे लोगों को भी अवसर देना है। 50 से अधिक व्यक्ति इस बहस में हिस्सा लेना चाहते हैं।

श्री जी. एम. सी. बालयोगी : महोदय, आन्ध्र-प्रदेश में उत्पाद शुल्क उपनिरीक्षकों की नियुक्ति में बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी हो रही है। हैदराबाद प्रभाग में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों द्वारा मना करने पर लगभग 28 रिक्तियों को इन आरक्षित रिक्तियों में से रिश्वत लेकर अन्य श्रेणी के उम्मीदवारों द्वारा भरा गया। इसी तरह से काकीनाडा उत्पाद शुल्क प्रभाग में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित उत्पाद शुल्क उप निरीक्षक की आठ रिक्तियों को अन्य श्रेणी के उम्मीदवारों द्वारा भरा गया। यह प्रदर्शित करने के पर्याप्त प्रमाण हैं कि सम्बन्धित प्राधिकारी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को उनके लिए आरक्षित पदों पर चुने जाने के वैध अधिकार से वंचित रखते हैं।

महोदय, मैं आपके द्वारा कल्याण मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे आंध्र प्रदेश सरकार को निर्देश दें कि वे इस मामले की जांच करें और उत्पाद शुल्क उप निरीक्षकों के आरक्षित पदों पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों की भर्ती कर न्याय करें। अम्बेडकर शताब्दी वर्ष के दौरान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को वैध अधिकारों से वंचित रखना उनके साथ अन्याय करने जैसा है। इसके अलावा, सरकारी विभागों द्वारा उपर्युक्त तरीके से किया गया कार्य समाज के अन्य वर्गों को भी नियमों का उल्लंघन करने के लिए बढ़ावा देगा। अतः मैं माननीय कल्याण मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे इन अनुचित कार्यों के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करवाने के लिए आंध्र-प्रदेश सरकार को निर्देश दें।

श्री वी. धनंजय कुमार (बंगलौर) : महोदय, मैं एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाना चाहता हूं। हुबली (कर्नाटक) में छियालिसवें स्वतन्त्रता दिवस के अवसर पर, एक सार्वजनिक स्थान पर राष्ट्रीय झंडे को फहराने से पुलिस ने रोका था।

महोदय, स्वतन्त्रता दिवस से दो दिन पूर्व, पुलिस ने कर्फ्यू लगा दिया और धारा 144 के

तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या हम स्वतन्त्र भारत में रह रहे हैं अथवा क्या इस देश के कुछ हिस्सों को हम अभी भी विदेशी-शासन के अधीन समझते हैं। कुछ विशिष्ट व्यक्ति जैसे कि मंत्री, भूतपूर्व-मंत्री, सेवानिवृत्त पुलिस महा-निरीक्षक, राज्य विधान सभा में एक विशेष दल के नेता और हजारों लोग उस दिन एकत्रित हुए थे।

लेकिन पुलिस ने उन्हें झंडा फहराने से रोक दिया। मैं उन दो युवतियों, जिन्हें अब कितुर रानी चेन्नमा मैदान के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने पुलिस का सामना करते हुए झंडा फहराया था, को बधाई देता हूं। यहां तक कि न्यायालय ने भी घोषित कर दिया है कि यह एक सार्वजनिक स्थान है जहां अनेक कार्यक्रम हुए हैं और जहां सार्वजनिक बैठकें होती हैं। यह स्थान जनता के उपयोग के लिए है। इस स्वतन्त्र भारत में, क्या हम स्वतन्त्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय झंडा फहराने के पात्र भी नहीं हैं ?

कर्नाटक सरकार और कर्नाटक राज्य पुलिस के इस रवैये पर मुझे वास्तव में ही खेद है। मेरी समझ में नहीं आता कि वे उन थोड़े से लोगों से, जोकि कोई समस्या पैदा करने वाले थे, जिनकों कानून के प्रति कोई सम्मान नहीं है, जिनमें राष्ट्रीय झंडे के प्रति पूर्ण-निरादर की भावना है और जो कि ऐसे मौके पर जबकि हम अपना स्वतन्त्रता दिवस मनाते हैं, के दौरान राष्ट्रीय झंडा फहराने के विरोधी हैं, वे क्यों डरे हुए हैं।

मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि वह सारी घटना की जांच करवाये और जिन व्यक्तियों ने राष्ट्रीय झंडा फहराए जाने का विरोध किया था उनके विरुद्ध उचित कारंवाई करने के लिए कर्नाटक सरकार को निदेश दे तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि इसके बाद 'कितुर रानीचेन्नमा मैदान', के नाम से प्रसिद्ध वह खुला मैदान सभी सार्वजनिक कार्यों के लिए उपलब्ध करवाया जाए और उस मैदान में राष्ट्रीय झंडा फहराने की अनुमति दी जानी चाहिए, उसे कदम उठाने ही चाहिए।

[हिन्दी]

श्रीमती सुमित्रा महाजन (इन्दौर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बहुत ही गम्भीर मसले को उठाना चाहूंगी। आज पूरे देश में कपड़ा मिलें संकट की स्थिति से गुजर रही हैं। मध्य प्रदेश की कई कपड़ा मिलें बंद होने की स्थिति में हैं और कई कपड़ा मिलें बंद हो चुकी हैं। इसलिए, हजारों मजदूर उससे बेकार हो गए हैं। इन्दौर में हुकमचन्द मिल जो प्राइवेट मिल थी, वह बंद हो चुकी है। 6 हजार मजदूर इससे बेकार हो गए हैं। ए.आई.एफ.आर. में मामला है लेकिन वहां निर्णय नहीं हो रहा है। वहां चाहे जो कुछ भी निर्णय हो, लेकिन वह जल्दी हो जाए ताकि कोआपरेटिव बेसिस पर अगर मजदूर मिल चलाना चाहें तो उसे चला सकें। इसी प्रकार एन.टी.सी. की मिलें भी घाटे में चल रही हैं। व्यवस्थापन का खर्चा ज्यादा होने से और अव्यवस्था से घाटा बढ़ रहा है। व्यवस्थापन का खर्चा कम किया जाए और घाटा कम करने के उपाय किए जायें जिससे एन.टी.सी. की मिलें बंद होने से बच जायें। मैं चाहूंगी और मांग करूंगी कि पूरे देश को दृष्टि में रखकर कपड़ा नीति बनाई जाए जिससे मजदूरों पर आया संकट दूर हो जाए और मिलों के बंद होने की स्थिति न आये। इसके साथ ही कपड़ा उद्योग पर एक श्वेत पत्र जारी किया जाए। यही मांग करते हुए आपको धन्यवाद देती हूं।

श्री विश्वनाथ शास्त्री (गाजीपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश में पिछले एक वर्ष के

[श्री विश्वनाथ शास्त्री]

दौरान भारत के संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमाओं को खंडित करने और गायब करने की अनेक घटनायें हुई हैं। अभी पिछले दिनों 6-7 जुलाई, 1992 को बलिया जिले के बिलोधर गांव, रतनपुर में गांव प्रधान की सहमति से गाटा 477 की बंजर भूमि पर अम्बेडकर की प्रतिमा स्थापित की गई, लेकिन एक गोलबंद व्यक्ति के इशारे पर हलधरपुर थाना के इन्चार्ज ने अपने सहयोगियों के साथ बिनोवां गांव पहुंचकर रात के सन्नाटे में प्रतिमा को तोड़कर गायब कर दिया। दूसरे दिन सुबह जब गांव में तथा आसपास के क्षेत्रों में यह खबर फैली तो लोगों ने इस घटना पर रोष व्यक्त करना शुरू कर दिया और पुलिस की कार्रवाई की निन्दा करने लगे। इससे चिढ़कर ग्रामीणों को सबक सिखाने की नीयत से पुलिस ने एस.डी.एम. सदर तथा सी.ओ. सिटी के नेतृत्व में बिलौवां गांव पर धावा बोल दिया। अकारण दलितों के घरों की तलाशी ली गई। महिलाओं को गालियां दी गयी तथा युवकों और बुजुर्गों को मारा-पीटा गया। ग्राम प्रधान सहित कई दर्जन लोगों को घरों से निकालकर मैदान में एकत्र किया गया, उन्हें मुर्गा बनाकर बुरी तरह अपमानित किया गया। उक्त गांव में अब भी भय और आतंक का वातावरण बना हुआ है। बाबा साहब की प्रतिमा का अनादर इन लाखों-करोड़ों दलितों का अनादर है जो इस देश में सामाजिक उपेक्षा का शिकार होकर सामाजिक न्याय की मांग कर रहे हैं। अतः मेरी सरकार से मांग है कि इस घटना की जांच करायें और दोषियों को दंडित करें ताकि भविष्य में ऐसी घटना न घटे।

श्री ललित उरांव (लोहरदगा) : उपाध्यक्ष महोदय, विगत दो-तीन दिनों से पटना में एक विशेष प्रकार की बीमारी से लोगों के मरने का तांता लग गया है। अब तक दो दर्जन से अधिक लोगों की मृत्यु हो चुकी है। मरने वालों में सभी हरिजन हैं। बिहार सरकार इस बीमारी को रोक पाने तथा इससे आक्रांत मरीजों के इलाज के प्रति पूरी तरह से लापरवाह है, जिससे स्थिति अत्यन्त विस्फोटक हो गई है। स्थानीय डाक्टर रोग के कारण और उसके निदान से अनभिज्ञ हैं, जिससे इलाज सामान्य रूप से नहीं हो पा रहा है। चूंकि आक्रांत झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले अत्यन्त गरीब हरिजन हैं, इसलिए अपने स्तर से इलाज नहीं करा पा रहे हैं। अतः मेरा निवेदन है कि केन्द्र-सरकार अविलम्ब हस्तक्षेप करे और यहां से विशेषज्ञ और दवाओं की विशेष व्यवस्था तुरन्त की जाए।

[अनुवाद]

श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी (पुरी) : महोदय, आज सत्र का अन्तिम दिन है, फिर भी आप शून्य काल को इतने लम्बे तक जारी रखने की अनुमति दे रहे हैं। पहले आप सूचीबद्ध कार्य पूरा कर लें और फिर शून्य काल को जारी रखें। नियम 377 के अधीन मामले पूर्ण करने में केवल दस मिनट का समय और लगेगा। फिर आप शून्य-काल जारी रख सकते हैं। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री सन्तोष कुमार गंगवार (बरेली) : उपाध्यक्ष महोदय, बरेली उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख महानगर है तथा उत्तर भारत की महत्वपूर्ण औद्योगिक नगरी है। वर्तमान में बरेली में 10,000 से अधिक टेलीफोन उपभोक्ता हैं तथा पिछले कई वर्षों से बरेली के नागरिक विभिन्न आंदोलनों, प्रदर्शनों एवं अन्य माध्यमों से बरेली दूरसंचार विभाग की अनियमितताओं से अवगत कराते रहे हैं।

उक्त अनियमितताओं के कारण विभाग की आय भी आशानुरूप नहीं बढ़ रही है, क्योंकि अधिकांश दूरभाष अक्सर खराब रहते हैं तथा निरन्तर शिकायतों के बावजूद भी उसमें कोई लाभ नहीं हो रहा है। यहां तक कि एक जन-प्रतिनिधि ने इससे परेशान होकर अपना टेलीफोन नंबर 79920 वापिस भी कर दिया। उस समय उक्त प्रतिनिधि को विभाग के अधिकारियों ने बताया कि 7900 लाइन के सारे टेलीफोन खराब रहते हैं, इसलिए प्रतिनिधि को दूसरी लाइन का नंबर 78244 दिया गया। इसके अतिरिक्त दूसरे प्रतिनिधियों को भी इसी प्रकार की शिकायतें रही हैं। अनियमितताओं का स्वरूप ऐसा है कि एक उपभोक्ता श्री ललित कुमार अग्रवाल को टेलीफोन नंबर 70339 आबंटित किया गया, वह उनके निवास स्थान पर लगा भी नहीं तथा उसके पास बिल भेज दिया गया। बाद में पता चला कि उक्त फोन किसी अन्य को पूर्व में लगा दिया गया था। इस फोन के बिल एवं फोन न लगने के सम्बन्ध में मंत्री स्तर तक पत्राचार किया गया, उसके बावजूद एक और बिल उपभोक्ता श्री ललित कुमार को भेज दिया गया, जबकि फोन अभी तक नहीं लगा है। इसके अतिरिक्त गलत बिलों के कारण कई उपभोक्ताओं ने अपनी एस.टी.डी. सेवा स्वेच्छा से कटवा दी है।

बरेली में 10,000 लाइन का इलैक्ट्रानिक एक्सचेंज लगाने की मांग पिछले काफी समय से की जा रही है तथा कई बार बताया गया कि उक्त एक्सचेंज शीघ्र लगाया जाता है, परन्तु राजनीतिक कारणों से ऐसा नहीं हो रहा है। बरेली तराई का क्षेत्र है, आतंकवाद से प्रभावित है, इसलिए यहां पर इलैक्ट्रानिक एक्सचेंज अत्यन्त आवश्यक है। इसके लिए विभाग के पास उपयुक्त स्थान भी है। इसलिए बरेली में विभाग में हो रही अनियमितताओं को दूर किया जाए तथा 10,000 लाइनों का इलैक्ट्रानिक एक्सचेंज लगाने के आदेश प्रदान किए जायें।

[अनुवाद]

श्री दत्तात्रेय बंडारू (सिकन्दराबाद) : महोदय, पूर्व निज़ाम राज्य में तेलंगाना क्षेत्र का भाग और वर्तमान महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्य के कुछ हिस्से शामिल थे। भारी बहुमत के लोगों द्वारा किए गए दमन और अपमान करने के कारण, आर्य समाज ने 1938 में निज़ाम का विरोध करने का एक राष्ट्रव्यापी आह्वान् किया था। इस आह्वान् के समर्थन में देश के विभिन्न भागों से अनेक लोगों ने आर्य समाज आन्दोलन में भाग लिया और सत्याग्रह किये, जिन्हें गिरफ्तार कर जेलों में बंद कर दिया गया था। भारत सरकार ने स्वतन्त्रता-सेनानियों को पेन्शन प्रदान करने के लिए आवेदन-पत्र आमन्त्रित किए। इस अवसर पर, आर्य समाज ने भी दावा किया था कि 1938 के आर्य समाज आंदोलन में जिन अनेक लोगों ने भाग लिया था, वे भी स्वतन्त्रता-सेनानियों की पेन्शन पाने के पात्र हैं। इस अवसर का फायदा उठाते हुए आर्य समाज के कुछ अनैतिक विद्यमान पदाधिकारियों ने यह प्रमाणित करते हुए कि वे स्वतन्त्रता सेनानी हैं और उन्हें स्वतन्त्रता सेनानी-पेन्शन दी जानी चाहिए, अनेक जाली प्रमाण-पत्र जारी किये थे। इस सम्बन्ध में शिकायतें मिलने पर आंध्र-प्रदेश सरकार के आसूचना-विंग ने एक जांच की और रिपोर्ट किया कि 1100 से अधिक पेन्शन भोगी जाली-सदस्य हैं और अनेक लोग, जिन्होंने 1948 में 16 अथवा 17 वर्ष की आयु में भी प्रवेश नहीं किया था करिमनगर, वारंगल, निज़ामाबाद आदि में पेन्शन प्राप्त कर रहे हैं। इसकी आगे जांच करवाने की आवश्यकता है। अतः गृह मंत्री महोदय इस मामले में हस्तक्षेप करें और जांच हेतु आवश्यक हिदायतें जारी करें तथा इस मामले में आगामी आवश्यक कार्रवाई करें।

3.00 म. प.

[हिन्दी]

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह (जहानाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, लोक महत्व को ध्यान में रखते हुए आपकी आज्ञा से एक विषय सदन में उठाना चाहता हूं। बिहार और राज्यों की तुलना में गरीब एवं पिछड़ा राज्य है। जहां अन्य राज्यों की तुलना में हडको का निवेश बिहार में बहुत कम है। इसका एक कारण बिहार में हडको का क्षेत्रीय कार्यालय न होना भी है। अभी यहां एक कार्यालय बहुत ही छोटे स्तर पर कार्यरत है। इसके अधिकार बहुत सीमित हैं। वर्तमान में इसका नियंत्रण कलकत्ता क्षेत्रीय कार्यालय करता है जो कि यहां समुचित ध्यान नहीं दे पाता है। इसके साथ भाषा इत्यादि की भी दिक्कत होती है। अत: मेरा सरकार से आग्रह है कि बिहार में हडको का क्षेत्रीय कार्यालय शीघ्र खोला जाए एवं जब तक क्षेत्रीय कार्यालय नहीं खुलता है तब तक तत्काल प्रभाव से वर्तमान कार्यालय को लखनऊ क्षेत्रीय कार्यालय के साथ सम्बद्ध कर दिया जाए। इससे भाषा संबंधी एवं अन्य दिक्कतें समाप्त हो जायेंगी। साथ ही, पटना से दिल्ली के रास्ते की भी सुविधा हो जाएगी तथा बिहार के विकास में तेजी आएगी।

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (इलेक्ट्रोनिकी तथा महासागर विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : हम शून्य काल को कितने लम्बे समय तक जारी रख सकते हैं?

उपाध्यक्ष महोदय : हमने वायदा किया है कि मध्याह्न भोजन के लिए अवकाश दिया जाएगा। लेकिन मध्याह्न भोजन के लिए सभा स्थगित नहीं हुई है। अनेक माननीय सदस्य यह समझ कर बाहर चले गये कि मध्याह्न भोजन के लिए अवकाश होगा। हमें उनको अपनी शिकायतें रखने का मौका देना चाहिए। अत:, मैं उनके नाम पुन: पुकारूंगा, एक बार यह सूची पूरी हो जाये, मैं उनके नाम दोबारा पुकारूंगा।

श्री द्वारका नाथ दास (करीमगंज) : बर्क वैली विशेषकर असम के करीमगंज और हैलाकांडी जिलों में तेल और प्राकृतिक गैस आयोग का कार्यकारण संतोषजनक बिल्कुल नहीं है। समूची बर्क घाटी में तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने परीक्षण एवं ड्रिलिंग-कार्य कर लिया है। लेकिन सरकार को पता ही है कि इस घाटी में हर जगह परीक्षण असफल रहे हैं और करोड़ों रुपये का व्यय इस पर हुआ है? नये स्थानों पर बार-बार ड्रिलिंग-कार्य किये जा रहे हैं और बाद में बिना कोई सफलता हासिल किये इन-कार्यों को त्याग दिया जाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि ड्रिलिंग-कार्य एक अव्यव-स्थित ढग से किसी विशेषज्ञ मत अथवा अन्तरिक्ष-यान अन्वेषणों के बिना किये जाते हैं और परिणाम शत-प्रतिशत असफलता है। क्या संबद्ध मंत्रालय इस बारे में गम्भीर होगा और तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के प्राधिकारियों को ये निर्देश देगा कि ड्रिलिंग आदि कार्य दृढ़ धारणा और आधुनिक मशीनरियों से करें ताकि उन्हें सफलता हासिल हो सके तथा भारी मात्रा में धन के दुरुपयोग से बचा जा सके।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, भारत सरकार द्वारा क्रियान्वित कर

पर पाठ्य-पुस्तकों/अभ्यास पुस्तिकाओं हेतु कागज पर सब्सीडी योजना चलायी गई थी। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि भारत सरकार द्वारा 1974 से 1987 तक पेपर-कंट्रोल आर्डर, 1974 क 78 के अन्तर्गत नियन्त्रित दर पर तथा रियायती उत्पादन शुल्क के आधार पर राज्यों को शिक्षा क्षेत्र की आवश्यकतानुसार मुख्यतः राष्ट्रीयकृत पाठ्य पुस्तकों, परीक्षा उत्तर पुस्तिकाओं तथा अभ्यास पुस्तिकाओं हेतु कागज उपलब्ध कराया जाता रहा है। बाद में 1987 में पेपर कंट्रोल आर्डर निरस्त (रिपील) करने का निर्णय लिया गया। किन्तु शिक्षा क्षेत्र की मांग की आपूर्ति हेतु मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शिक्षा विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा मैसर्स हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लिमिटेड (भारत सरकार का उपक्रम) के माध्यम से पूर्व दर रुपए 7200/-प्रति टन तथा पांच प्रतिशत उत्पादन शुल्क पर सबसीडी के आधार पर वैकल्पिक व्यवस्था आदेश क्रमांक एफ—1-2/87 दिनांक 6-4-87 से प्रारम्भ की गई। इस व्यवस्था के अन्तर्गत राज्य सरकार को रियायती दर पर प्रतिवर्ष 31-3-90 तक कागज आवंटित किया जाता रहा है। इस तिथि से पूर्व ही हिन्दुस्तान पेपर कॉरपोरेशन लिमिटेड, कलकत्ता द्वारा भी उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार से सबसीडी राशि अथवा कागज में दर वृद्धि बाबत अभ्यावेदन प्रस्तुत किया जा चुका था तथा इस पर निर्णय के अभाव में पूर्व आवंटित कागज की सप्लाई भी स्थगित कर दी गई। लम्बे समय तक प्रकरण लम्बित रहा तथा अन्त में मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शिक्षा विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा सबसीडी योजना के अन्तर्गत 31-3-90 उपरांत रियायती दर पर कागज आवंटन योजना समाप्ति बाबत सूचित किया गया। इस तरह राज्य सरकार द्वारा प्रकाशित पाठ्य-पुस्तकों हेतु भी खुले बाजार से ऊंची दरों पर कागज खरीद हेतु बाध्य होना पड़ा तथा इसके फलस्वरूप पाठ्य-पुस्तकों की दरों में भी असाधारण वृद्धि करनी पड़ी जिसके कारण राज्य सरकार को जन आलोचना का सामना भी करना पड़ा तथा साथ ही शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े राज्य के शिक्षा प्रसार अभियान पर भी प्रभाव पड़ा फिर भी प्रकाशन व्यवस्था राज्य सरकार के आधीन होने के कारण जनहित में यथासम्भव कम से कम मूल्य वृद्धि के परिणामस्वरूप छात्र समुदाय के हितों का ध्यान रखा गया। रियायती दर की अभ्यास पुस्तिकाओं हेतु कागज आवंटन नहीं होने के कारण राज्य में निजी कापी निर्माताओं द्वारा निर्मित कापियां अत्यन्त ऊंची दरों के अतिरिक्त इसमें काम में लिया जा रहा कागज अत्यन्त हल्के स्तर, कम ग्रोमेज तथा छोटी साईज का होने से छात्र वर्ग को आर्थिक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। चूंकि कापियों की आवश्यकता निरन्तर पूरे वर्ष रहती है तथा हल्के स्तर के कागज के कारण इनकी उपयोगिता अवधि भी कम हुई है।

भारत सरकार द्वारा रियायती दर पर राज्य सरकार को कागज दिया जाना चाहिए जिससे सस्ती कापियां मिल सकें।

[अनुवाद]

श्री चित्त बसु (बारसाट) : महोदय, सरकार विशेष तौर पर कपड़ा मंत्री का ध्यान पश्चिम बंगाल, असम, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और बिहार के पटसन-उत्पादकों की दुर्दशा की ओर दिलाना चाहता हूं। इसका समर्थन मूल्य 400/-रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है, जो कि उत्पादन लागत से बहुत कम है। वास्तव में भारतीय पटसन निगम ने गांवों के बाजार में कच्चा-पटसन खरीदने के लिए प्रवेश नहीं किया है ताकि गांवों में इसकी कम दामों पर बिक्री न हो। महोदय, दुर्भाग्यवश, भारतीय पटसन निगम के अध्यक्ष ने घोषणा की है कि चालू मौसम में कच्चे-पटसन की खरीद हेतु काफी धनराशि उपलब्ध है। दूसरी ओर भारतीय पटसन निगम में कार्यरत कर्मचारियों

[श्री चित्त बसु]

के मजदूर संघों ने कहा है कि भारतीय पटसन निगम के पास इस प्रयोजन हेतु एक करोड़ रुपये से अधिक धनराशि नहीं है। यह राशि बाजार में उपलब्ध कच्चे-पटसन की खरीद हेतु अपर्याप्त है। हम वास्तव में इन पटसन उत्पादक राज्यों की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को काफी सुधार सकते हैं। यदि कुल पटसन उत्पादन का 30 प्रतिशत भाग भारतीय पटसन निगम द्वारा उत्पादित किया जाता है, तो हम पटसन उत्पादकों की सहायता कर सकते हैं। एक अवसर ऐसा भी आया है, जब भारतीय पटसन निगम ने देश में कुल उपलब्ध कच्चे-पटसन का 10 प्रतिशत से अधिक हिस्सा खरीद किया है। पिछले वर्ष यह खरीद केवल पांच प्रतिशत थी। अतः सरकार और कपड़ा मंत्री महोदय से मेरा यह निवेदन है कि भारतीय पटसन निगम को पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करवाई जाये, ताकि वे हमारे देश के गरीब पटसन उत्पादकों के संरक्षण हेतु कच्चे पटसन की पर्याप्त मात्रा खरीद सकें।

इसके अतिरिक्त, पश्चिम बंगाल में आठ पटसन मिलें पहले ही तालाबंदी में है।(व्यवधान)

कितने ही कामगारों की छंटनी कर दी गई है। वित्त मंत्रालय और उद्योग मंत्रालय समझ लेना चाहिए कि कुछ प्राधिकारियों द्वारा पटसन मिलों के उत्पादन में 15 प्रतिशत की कटौती करने के आदेश दिये हैं। अगर वर्तमान दौर जारी रहता है, तो इस उद्योग के उत्पादन में 10 से 15 प्रतिशत तक की और कटौती होगी जिसका अर्थ यह है कि मिलों की पटसन की आवश्यकता कम हो जायेगी और इसके परिणामस्वरूप बाजार में कच्चे-पटसन की उपलब्धता अधिक होगी। अतः कच्चे-पटसन का मूल्य और गिर जायेगा। अतः, मैं चाहता हूं कि सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए तथा इस बारे में उचित कार्यवाही करनी चाहिए।

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : हम सब इस बात का समर्थन करते हैं।

श्री सैयद शाहाबुद्दीन (किशनगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान देश के कुछ राज्यों में सार्वजनिक-शिक्षा नीति को एक नया आयाम देने की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं।

महोदय, हमारा देश एक धर्म-निरपेक्ष राज्य है और इसके लोगों को शिक्षा देने के दायित्व को किसी धर्म, संप्रदाय अथवा वर्ग के प्रोत्साहन हेतु प्रयुक्त नहीं किया जा सकता।

शिक्षा देना केवल भौतिक सुविधाएं प्रदान कर देना ही नहीं है, बल्कि इसमें पाठ्य-पुस्तकों, शैक्षणिक वातावरण, स्कूल-संस्कृति सहित पाठ्यक्रम एवं शिक्षा का माध्यम और शिक्षण-सामग्री भी शामिल है। जहां तक हमारे राष्ट्रवाद का सम्बन्ध है, हमारे देश में कुछ स्वयं-सेवी संगठन हैं जिनकी अपनी ही एक विचारधारा एवं दृष्टिकोण हैं, देश भर में अपनी विचारधारा और अपने दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के लिए अनेक स्कूल चलाते हैं। उनका स्वागत है। लेकिन दुर्भाग्यवश, कुछ राज्य सरकारों, विशेषकर उत्तर प्रदेश ने अपने दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करने के लिए जानबूझकर राज्य-सत्ता का प्रयोग शुरू किया है। पाठ्यक्रम के रूप, वे राष्ट्रीय इतिहास और उग्रराष्ट्रीयता अध्ययनों एवं पाठों को भाषा पाठ्यक्रम में तथा यहां तक की गणित में भी धार्मिक-पाठ्यक्रम के संशोधित पाठों को शामिल कर रहे हैं। वे संस्कृत को भी एक अनिवार्य भाषा के रूप में पाठ्यक्रम में शामिल कर रहें हैं, इस प्रकार वे त्रिभाषा-सूत्र को भी तोड़-मरोड़ रहे हैं। हिन्दी भाषी राज्यों में अल्पसंख्यक वर्गों के बच्चों में उनकी मातृ-भाषा में शिक्षा-ग्रहण करने की सम्भावनाएं भी समाप्त हो रही हैं। वे प्राथमिक स्तर पर अल्पसंख्यक भाषाओं में पर्याप्त संख्या में विद्यालय स्थापित नहीं कर रहे हैं अथवा अल्पसंख्यक सघनता वाले क्षेत्रों में विद्यालय

स्थापित नहीं कर रहे हैं। दूसरी ओर, वे स्कूली प्रणाली में धार्मिक रीति-रिवाजों, ड्रिलों और धर्मानुष्ठानों को पाठ्यक्रमों में शामिल कर रहे हैं, जोकि धार्मिक प्रवृत्ति के हैं। वे अल्पसंख्यक आयोग अथवा आयुक्त, भाषाई अल्पसंख्यक द्वारा उनके राज्यों में अल्पसंख्यकों के शैक्षिक-सुविधाओं के प्रावधान के बारे में आंकड़े मांगने सम्बन्धी और उनके पक्ष में संविधानिक-संरक्षणों को लागू करने के बारे में पूछे गए किसी भी प्रश्न का उत्तर तक नहीं देते।

शिक्षा-प्रणाली को सुविचारित ढंग से नई दिशा दिये जाने की स्थिति से अल्पसंख्यकों के लिए बड़ी विकट स्थिति पैदा हो गई है। कि या तो वे सर्वांगिकरण स्वीकार करें या फिर अशिक्षित और अनपढ़ रहें। उत्तर-प्रदेश के शिक्षा-मंत्री ने तो यहां तक कह दिया है कि अल्पसंख्यक संस्थाओं को मान्यता प्रदान नहीं की जायेगी और जो लोग इस शिक्षा-प्रणाली को पसंद नहीं करते वे राज्य को छोड़ सकते हैं। यह रवैया अल्पसंख्यकों के सांवैधानिक अधिकारों का घोर उल्लंघन है; राष्ट्रीय शिक्षा नीति का विरोध है, त्रिभाषा सूत्र से हटना है, संविधान का अपमान है और अनेकता में एकता की धारणा से विचलित होना है तथा इसीलिए यह एक विघटनकारी अभियान है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि शिक्षा राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में समझी जाये और इसीलिए मैं केन्द्र सरकार से अपील करता हूं कि वे इस शिक्षा-प्रणाली में तत्काल हस्तक्षेप करें ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि स्कूली-शिक्षा को जानबूझकर ऐसी दिशा न दी जाये जिससे मात्र वैचारिक-पक्षपातपूर्ण और राजनैतिक उद्देश्यों की पूर्ति होती हो।

[हिन्दी]

श्री राम प्रसाद सिंह (विक्रम गंज) : माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार का ध्यान बिहार राज्य के पश्चिमी जिलों की ओर खींचना चाहता हूं। यह जिले हैं औरंगाबाद, गया, बक्सर, भोजपुर, भबुआ, यहां पर सुखाड पडा हुआ है बारिश नहीं हुई है इसलिए अभाव की स्थिति है। वहां पर बिजली की भी समस्या है, किसान अपने निजी नलकूपों से और डीजल पम्पों से सिंचाई और रोपणी का काम करते हैं तो उन्हें पर्याप्त मात्रा में डीजल नहीं मिलता है। मैं चाहूंगा कि इस ओर विशेष ध्यान दिया जाये। वहां की आबादी एक करोड़ है और पिछले कई वर्षों में उस इलाके में डीजल पम्पों की संख्या में वृद्धि नहीं हुई है। साथ ही साथ वहां पर गैस एजेंसीज भी पर्याप्त मात्रा में नहीं है। एक तो बिजली और डीजल नहीं मिल रहा है, मजदूर बेकार हैं वहीं आपकी मंत्री साही जी ने स्टेटमेंट दिया कि बिहार में सूखा पड़ा हुआ है। इसलिए मैं भारत सरकार से चाहूंगा कि आप अपनी मंत्री का स्टेटमेंट सही मानें और उसको मानते हुए बिहार सरकार को आर्थिक सहायता दें, क्योंकि वहां भयंकर सुखाड़ उत्पन्न हो गया है। फेमिन के रूल 64 में भी दिया है कि सरकार का दायित्व है वह लोगों को भूख से मरने से बचाये। इसलिए भारत सरकार को बिहार जैसे गरीब राज्य को पर्याप्त सहायता देनी चाहिए। साथ ही मैं चाहता हूं गैस और डीजल की सहायता पर्याप्त मात्रा में वहां दें ताकि लोगों को भूख से राहत मिल सके।

[अनुवाद]

श्रीमती गीता मुखर्जी (बांकुरा) : संबंधित मंत्री महोदय जा चुके हैं। अतः मैं आपके माध्यम से गृह मंत्री महोदय का ध्यान इस प्रश्न की ओर आकर्षित करना चाहती हूं; वह भी गृह मंत्रालय के साथ अंतः-कार्रवाई कर सकते हैं, क्योंकि वास्तव में, यह प्रश्न पुरानी दिल्ली यानि चांदनी चौक, खारी बावली, गांधी गली और कटरा ईश्वर भवन के निवासियों से संबंधित है।

[श्रीमती गीता मुखर्जी]

उनकी शिकायत है कि वास्तव में इन क्षेत्रों में एक गिरोह, माफिया कार्यरत है और ये हर प्रकार के भ्रष्टाचार का सहारा ले रहे हैं, मस्जिदों और मंदिरों की जमीन पर कब्जा करते हैं तथा अनेक अन्य शॉपिंग-काम्पलेक्स और बहुमंजली इमारतें बनाने के लिए कब्जा करते हैं। मेरे पास एक सूची है और मैं इसे गृह मंत्री महोदय को देने के लिए तैयार हूं। मेरा विश्वास है कि अगर दिल्ली को साफ-सुथरा बनाये रखना है, तो इसे अवश्य ही बंद किया जाना चाहिए और इस माफिया को दण्ड दिया जाना चाहिए।

श्री सुधीर गिरि : (कोल्टाई) : मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि सब्जियों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया जाये क्योंकि हमें विदेशी मुद्रा की अत्यन्त आवश्यकता है। हमें विदेशी मुद्रा अर्जित करने के लिए भारी मात्रा में निर्यात करना होगा। इसके साथ ही हमें यह भी देखना है कि आम आदमी के हित इससे प्रभावित न हों। यह सच है कि प्रसंस्कृत खाद्य, मछली, उत्पाद, फल और सब्जियों सहित, निर्यात से 2,500/- करोड़ रुपए की आमदनी होगी। मैं सब्जियों को निर्यात की जाने वाली वस्तुओं की सूची में सम्मिलित करने पर दबाव देता हूं। निर्यात के कारण सब्जियां बहुत महंगी हो रही हैं। हमारे गरीब लोग इतनी ऊंची कीमतों पर सब्जियां नहीं खरीद सकते। न ही उनमें अन्य प्रोटीन युक्त खाद्य खरीदने की शक्ति है। अत:, गेहूं और चावल के पश्चात् सब्जियां गरीब आदमी के लिए मुख्य भोजन हैं। दालें उनके लिए महंगी हैं। यही कारण है कि गरीब लोगों के लिए सब्जियां अत्यन्त अनिवार्य हैं।

इस आधार पर, मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि सब्जियों के निर्यात करने के बारे में पुन: विचार करें।

[हिन्दी]

श्री लेखनारायण सिंह (बक्सर) : माननीय उपाध्यक्ष जी, टी. डी. पी. कापार्ट में मार्च, 1991 से पे नहीं दी जा रही है। कर्मचारी गरीब आदमी हैं इसका दिल्ली में आफिस है। इस संबंध में उन्होंने कई बार पत्र लिखा लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई कारंवाई नहीं की जा रही है। अन्त में वे भूख हड़ताल पर जा बैठे। फिर भी उनको पे नहीं दिया गया। इन लोगों ने प्रधानमंत्री के पास आवेदन-पत्र दिया है और इस विभाग के मंत्री श्री उत्तमभाई पटेल को भी आवेदन दिया लेकिन उस पर अभी कोई कारंवाई नहीं हो रही है। मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से मांग करना चाहता हूं कि कापार्ट के कर्मचारियों को पे देने की व्यवस्था की जाये और यदि सरकार की तरफ से यह धमकी दी जाती है कि आपको नौकरी से हटा देंगे तो यह गैर-कानूनी काम होगा। उनको हटाया न जाये, यह मेरी सरकार से मांग है।

उपाध्यक्ष महोदय, दूसरी बात यह है कि बिहार के भभुआ जिला में गांधी कुष्ट निवारण प्रतिष्ठान के नाम से एक कुष्ट रोगी अस्पताल है जहां पर 20 हजार कुष्ट रोगियों को दवा दी जाती है। यह 6 एकड़ जमीन में बना हुआ है और इसमें भारत सरकार का पैसा खर्च हो रहा है लेकिन उस पैसे का मिसयूज हो रहा है। अब यह प्रतिष्ठान 28-11-1989 से बंद है। इसलिए मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि भारत सरकार इस प्रतिष्ठान को अपने हाथ में लेकर चलाये और किसी दूसरे के हाथ में न दे।

श्री मंजय लाल (समस्तीपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, बरौनी उत्तरी बिहार का एकमात्र औद्योगिक क्षेत्र है जहां रिफाइनरी फर्टिलाइजर एवं थर्मल पॉवर का कारखाना है। बरौनी स्थित रिफाइनरी को कच्चा तेल असम से मिलता है जिसमें नेप्था एवं फरनेस आयल बनता है जिससे क्रमश: फर्टिलाइजर एवं थर्मल पॉवर स्टेशन चलते हैं। किन्तु विगत 10-12 वर्षों से इस रिफाइनरी को पर्याप्त मात्रा में कच्चा तेल नहीं मिल पा रहा है जिससे यह कारखाना अब बंद होने के कगार पर खड़ा है एवं इस पर आधारित थर्मल एवं फर्टिलाइजर सहित सैकड़ों अन्य छोटे कारखाने भी बंद होने की स्थिति में पहुंच चुके हैं। बरौनी की रिफाइनरी भारत के तेल उद्योग में दूसरी सबसे पुरानी है। इसके बाद स्थापित मथुरा एवं बड़ौदा की रिफाइनरियों की शोधन क्षमता कई गुना बढ़ गई है जबकि बरौनी रिफाइनरी की शोधन क्षमता मात्र 42 लाख टन ही है और कच्चा तेल की पर्याप्त आपूर्ति के अभाव में इसमें उत्पादन भी बहुत कम होने लगा है जिससे कारखाने में घाटा होने की संभावना अधिक है। इसके बाद इसे बीमार उद्योग घोषित कर बंद कर देने की भी साजिश चल रही है। विदित हो कि बरौनी की रिफाइनरी को चालू रखना देशहित में परम आवश्यक है क्योंकि ऐसी दूसरी इकाई लगाने में 20 अरब से भी अधिक खर्च पड़ेगा लेकिन मात्र कुछ करोड़ रुपए की लागत कर पारादीप या हल्दिया से पाइप लगा देने पर यह रिफाइनरी आयातित कच्चे तेल पर चलने लगेगी।

अत: केन्द्रीय सरकार से मेरा आग्रह है कि वह बरौनी रिफाइनरी के लिए पर्याप्त कच्चे तेल की आपूर्ति हेतु तत्काल कदम उठाए एवं इसकी वर्तमान उत्पादन क्षमता में भी आवश्यक वृद्धि करें।

श्री रूप चंद पाल (हुगली) : यह बहुत अच्छी बात है कि माननीय वित्त मंत्री जी यहां मौजूद हैं। वह इस सभा को सदा यह आश्वासन देते रहे हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का निजीकरण कभी नहीं होगा। लेकिन हमने यह महसूस किया है कि हमारे देश के विकास का शीर्षस्थ निकाय, इंडस्ट्रीयल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इण्डिया (ए. डी. बी. ऐ.) के मामले में उसके आंशिक निजीकरण के लिए और उसको कमजोर बनाने हेतु एक सुव्यवस्थित प्रयास हुआ है।

उसको किसी तरह की सार्वजनिक निधि उपलब्ध नहीं करवायी गई और उसके सीधे ऋण देने के कार्य को समाप्त करने के प्रयास हो रहे हैं। यह हमारी अर्थ-व्यवस्था के लिए बहुत हानिकारक होगा क्योंकि कई वर्षों से ए. डी. बी. ए. हमारे औद्योगिक विकास में तथा हमारी अर्थ-व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में बहुत योगदान देता रहा है। आज नई आर्थिक नीति, उदारीकरण, नये आर्थिक सुधार के नाम पर ऐसा संस्थान को जिसे कठोर परिश्रम, श्रम तथा सम्पूर्ण राष्ट्र के योगदान से एक-एक ईंट जोड़कर बनाया गया है, कमजोर बनाया जा रहा है और उसके कार्य को क्षीण किया गया है।

मैं सरकार से यह अनुरोध करता हूं कि वह ए. डी. बी. ए. को विखण्डित करने और उसके सीधे वित्तीय प्रदान करने व ऋण उपलब्ध कराने की मौलिक भूमिका को छीनने से बाज आयें और ए. डी. बी. ए. को पर्याप्त सार्वजनिक निधि उपलब्ध करवायें।

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया) : महोदय, मैं आपका ध्यान एक गंभीर समस्या की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। राम मनोहर लोहिया अस्पताल में, जहां पर सभी सांसद इलाज करवाने के लिए जाते है, हृदय शल्यचिकित्सा के नाम पर रोगी को मार दिया जाता है। गत चार वर्षों के दौरान 42 मरीजों की मृत्यु हुई है। मैं यह नहीं कहूंगा कि इन लोगों की मृत्यु हुई है और रिकार्डों के हेर-फेर की गई है।

[श्री हन्नान मोल्लाह]

दो प्रकार के हृदय रोग होते हैं। युवाओं का इलाज अस्पताल में सी. एम. बी. के माध्यम से हृदय शल्य चिकित्सा के ऑपरेशन द्वारा किया जाता है। हमारे देश में, उस ऑपरेशन की सुस्पष्ट व्यवस्था है जिस पर केवल 500 से 700 रु. तक का खर्च होता है और सारे देश में यह आपरेशन बहुत अच्छी तरह से किया जाता है।

लेकिन, महोदय, एक ऐसे हृदय विशेषज्ञ हैं जो कि शल्य चिकित्सक नहीं है लेकिन उनका सम्बन्ध एक ऐसे व्यक्ति से है जो हमारे देश में एकऊंचे पद पर है। उस अधिकार से वह सभी नियमों का अतिक्रमण कर रहा है और 'बैलून बालवोप्लास्टी' का आयोजन कर रहा है। यह एक नई व्यवस्था है। रूमैटिक हार्ट ऑपरेशन' का आयोजन करने के बदले विकसित पाश्चात्य देशों में इन बैलूनों का उपयोग किया जाता है। इसके लिए 30,000 रु. मूल्य का बैलून विदेशी मुद्रा देकर खरीदना पड़ता है। एक वर्ष में लगभग ऐसे 50 से 60 बैलून खरीदे गए हैं लेकिन राम मनोहर लोहिया अस्पताल में मुश्किल से चार या पांच बैलूनों का उपयोग किया गया है। मुझे यह कहा गया है कि उनके द्वारा 45 प्रतिशत कमीशन लिया जा रहा है।

इससे पहले वहां एक हृदय विशेषज्ञ डॉ. निगम थे। लेकिन उन्हें वहां से जाना पड़ा। वह उकता गए थे। वह अस्पताल की उकता देने वाली स्थिति की वजह से चले गए। कुछ डाक्टरों का बड़े लोगों के साथ संबंध होने के कारण इन बैलूनों को खरीदा जा रहा है और उनको इस पर 45 प्रतिशत कमीशन मिल रहा है और इस तरह से अब तक 42 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। यह एक ऐसा विशेष प्रकार का आपरेशन है जो युवा अविवाहित महिलाओं पर किया जाना चाहिए। 8 जुलाई को मरने वाले मरीज वेद प्रकाश इस आपरेशन के नये शिकार हैं। यह स्थिति चलती जा रही है। इन बैलूनों को खरीदने के लिए वहां एक क्रय समिति है। लेकिन उपरोक्त डाक्टर उस समिति से नहीं मिल रहे हैं। वह अपने आप खरीद रहे हैं। इस तरह यह प्रयोग चल रहा है।

हम इलाज के लिए उस अस्तपाल में जा रहे हैं और मामलों का उल्लेख भी कर रहे हैं। यह एक गम्भीर मामला है। डाक्टर का बड़े लोगों के साथ संबंध है इसलिए यह काम चलता जा रहा है।

मेरा यह सुझाव है कि एक जांच आयोग का गठन किया जाये जिसमें अखिल भारतीय आयु-विज्ञान संस्थान पी० जी० ऐ० चण्डीगढ़, के निदेशक और बेल्लौर अस्पताल के विशेषज्ञों को सदस्य के रूप में तुरन्त नियुक्त किया जाना चाहिए।

मेरा यह सुझाव है कि स्वास्थ्य मंत्री को इसका ध्यान रखना चाहिए और यह भी अनुरोध करता हूं कि इस परिस्थिति से लोगों के जीवन को बचाने के लिए सरकार को आगे आना चाहिए।

श्री वसुदेव आचार्य : मैं, वित्त मंत्री जी का ध्यान 'न्यूयार्क टाइम्स' में प्रकाशित एक समाचार की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : महोदय, मैं बोलना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप किसी भी कीमत पर बोलना चाहते हैं? हर एक के पास दिल है इसमें कोई संदेह नहीं है।

श्री बसुदेव आचार्य : उस समाचार में यह उल्लेख किया गया है कि विश्व बैंक ने भारत भारत से कुछ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को बन्द करने और किसानों को उर्वरकों पर दी गई राज-सहायता वापस लेने के लिए कहा है। 58 रुग्ण सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं और उनका मामला बी. ऐ. एफ. आर. को भेजा गया है। एक विशेष त्रिपक्षीय समिति का गठन भी किया गया है और ऐसी कई उप समितियां हैं जो इन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की अर्थक्षमता की जांच करती हैं। जब बी. ए. एफ. आर. विशेष त्रिपक्षीय समिति तथा उप-समितियां अर्थक्षमता की जांच कर रही हैं तो विश्व बैंक ने भारत सरकार को सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को बन्द करने के लिए क्यों कहा ? यह हमारे देश के लिए अनादर और अपमानजनक बात है।

हम जानते हैं कि रुग्ण एकक और रुग्ण सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम बहुत समय से है। उन्हें पुन: अर्थ सक्षम बनाने की सम्भावना है। उन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को पुनर्जीवित किए बिना बजट सम्बन्धी सहायता बंद कर दी गयी है। इस तरह से सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कई हजार श्रमिकों एवं कर्मचारियों का वेतन नहीं दिया गया है।

आज 'इकनॉमिक टाइम्स' में भी यह समाचार प्रकाशित हुआ है कि 'हल्दिया फर्टीलाईजर्स' के हल्दिया एकक को बेचा जा रहा है। प्रभारी मंत्री डा. चिन्ता मोहन यहां मौजूद हैं उन्हें यह स्पष्ट करना चाहिए। विश्व बैंक की रिपोर्ट यहां पर है और उसमें यह कहा गया है कि इस एकक ने कभी भी एक भी टन यूरिया या एन. पी. के. या गन्धक अम्ल का उत्पादन नहीं किया। 1982 से 1986 तक हल्दिया एकक ने 75 मीट्रिक टन यूरिया गन्धक, अमल, एन. पी. के. और अन्य प्रकार के उर्वरकों का उत्पादन किया। सरकार ने विश्व बैंक की रिपोर्ट का खण्डन नहीं किया। दूसरी सभा में श्री रामेश्वर ठाकुर ने एक वक्तव्य दिया था। मैं मांग करता हूं कि वित्त मंत्री को एक वक्तव्य देना चाहिए···(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : सामान्य प्रथा यह है कि जब पीठासीन अधिकारी खड़े हों, तो भाषण देने वाले माननीय सदस्य को अपना स्थान ग्रहण कर लेना चाहिए। कई सदस्य हैं जो अन्य मुद्दों को उठाना चाहते हैं। दूसरी बात यह है कि सम्बद्ध नियमों के अन्तर्गत जिन मामलों को उठाना होता है, वे भी शून्य काल में उठाए गए हैं। आज इस सत्र का अन्तिम दिन है इसलिए मैं स्वीकृति दे रहा हूं यह वरिष्ठ सदस्यों की महानता है कि उन्होंने नये सदस्यों को बोलने का अवसर दिया है। अतः कृपया अपना भाषण जल्दी समाप्त कीजिए।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, मैं यह मांग करता हूं कि वित्त मंत्री जी इस पर एक वक्तव्य दें। दूसरी सभा में श्री रामेश्वर ठाकुर ने एक वक्तव्य दिया था। यहां पर भी मैं यह मांग करता हूं कि सरकार को इस बात का खण्डन करना चाहिए कि विश्व बैंक ने एककों को बंद करने के लिए कहा है और यह सूचना देनी चाहिए कि बजट सहायता को क्यों समाप्त कर दिया गया। 7 अगस्त को मैंने और दूसरी सभा के श्री चतुरानन्द मिश्र ने वित्त मंत्री जी से भेंट की थी। उस समय, व्यय सचिव और उर्वरक सचिव भी वहां मौजूद थे। मंत्री जी ने हमें यह आश्वासन दिया था कि हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन और फर्टिलाइजर कारपोरेशन ऑफ इण्डिया के सभी एककों को कार्य पूंजी दी जायेगी। लेकिन अभी तक हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन अथवा फर्टिलाइजर कार्पोरेशन आफ इण्डिया के उर्वरक एककों को एक भी पैसा नहीं दिया गया। बरौनी और गोरखपुर में हो रहे उत्पादन को रोक दिया गया है। दुर्गापुर एकक में भी उत्पादन को रोक दिया गया है क्योंकि उस

[श्री वसुदेव आचार्य]

एकक के पास मट्टी का तेल खरीदने के लिए धन नहीं है। अतः मैं यह मांग करता हूं कि यहां पर वित्त मंत्री जी को एक वक्तव्य देना चाहिए।

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य (जादवपुर) : महोदय, भोपाल गैस विभीषिका राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय भावना को प्रभावित कर रही है और मैं इस ओर सरकार का विशेषकर संबद्ध मन्त्री का जो यहां पर है, ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं।

महोदय, हाल ही में आयुक्त को कुछ अधिकार देने के लिए एक विधेयक पारित किया गया था। लेकिन अब ऐसा लगता है कि लोग जो गैस सम्बन्धी रोगों से ग्रस्त है, उनकी क्षतिपूर्ति नहीं दी जाएगी। केन्द्र सरकार द्वारा निर्मित दावा निदेशालय, मध्यप्रदेश एवं क्षतिपूर्ति राशि वितरण योजना के वर्तमान रिकार्डों के अनुसार कम से कम जहरीली गैस से ग्रस्त 65 प्रतिशत लोगों को कोई मुआवजा नहीं दिया जाएगा और जिन लोगों को क्षतिपूर्ति दी जाएगी उनमें से कई लोगों को अत्यधिक देरी के बाद बहुत कम राशि मिलेगी। केवल 8000 के लगभग दावों की सुनवाई हुई है और दावा न्यायालयों में, केवल 300 मामलों का फैसला हुआ है। और अभी तक किसी भी गैस से पीड़ित को कोई भी क्षतिपूर्ति नहीं दी गई है। यदि इस गति से यह कार्य चलता रहेगा तो प्रक्रिया के समाप्त होने में दस वर्ष तक लग जाएंगे। इस गैस से प्रभावित कुछ संगठनों ने वैकल्पिक योजना को प्रस्तुत किया है जिसमें चिकित्सा वर्गीकरण को समाप्त करने का प्रस्ताव है··· (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : महोदया, कृपया स्थिति को समझने की कोशिश कीजिए। अभी और कई विधेयकों पर चर्चा होनी है। कृपया अपना भाषण एक मिनट में समाप्त कर दीजिए।

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य : मैं सरकार का ध्यान इस वैकल्पिक योजना की ओर आकर्षित करना चाहती हूं। मैं चाहती हूं कि सरकार इस वैकल्पिक योजना को उच्च स्तर पर ले जाए। मैं यह भी चाहती हूं कि सरकार गैस पीड़ित संगठनों से मिले अथवा भोपाल को एक संसदीय दल भेजे। अब, पुनर्वास केन्द्र भी बन्द कर दिए गए हैं। यह पता लगाना चाहिए कि क्षतिपूर्ति राशि के वितरण से पहले इन पुनर्वास केन्द्रों को क्यों बन्द कर दिया गया है। (व्यवधान)

श्री रूपचन्द पाल (हुगली) : हम इस सम्बन्ध में सरकार की प्रतिक्रिया जानना चाहते हैं। एक महत्वपूर्ण मामले को उठाया गया है।

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य : मंत्री जी को अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करनी चाहिए। (व्यवधान)

श्री हरीश नारायण प्रभु खाटिये (पणजी) : महोदय, समाचार पत्रों में यह खबर छपी है कि औषधि उत्पादन में भारी कमी के परिणाम स्वरूप देश में आवश्यक एवं जीवन रक्षक औषधियों की भारी कमी हो गई है। यह स्थिति और भी बिगड़ गई है क्योंकि नई औषधि नीति की घोषणा करने में अत्यधिक विलम्ब हुआ है।

यदि औषधि नीति की घोषणा में और अधिक विलम्ब होगा तो औषधियों के अभाव की प्रवृत्ति से गम्भीर स्थिति उत्पन्न हो सकती है जिससे मरीजों को काफी कष्ट उठाने पड़ेंगे।

अतः मैं सरकार से यह अनुरोध करता हूं कि इस मामले को गम्भीरता से ले और औषधि

उद्योग को आवश्यक सहायता प्रदान करे ताकि आवश्यक औषधियों की उपलब्धता सामान्य हो सके।

श्री काशीराम राणा (सूरत) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान गुजरात की गम्भीर समस्या की ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

गुजरात की जनता पहले से ही आसन्न ऊर्जा संकट के प्रति बहुत आशंकित है। गुजरात को आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अधिक कोयला वितरित नहीं किया गया है, जहां पर कोयला पहुंचाना तुलनात्मक रूप से काफी कठिन है। गुजरात के ऊर्जा केन्द्रों को अनार्थिक आर-पार परिवहन शुल्क देना पड़ेगा क्योंकि कोयले के खान गुजरात से 1000 से 1500 किलोमीटर दूर है।

भारत सरकार ने सुस्पष्ट रूप से अपना वचन दिया है, जैसा कि 15 मई, 1990 के एक पत्र में उल्लेख है, कि गुजरात के पीपावव में ताप्ती क्षेत्र को ऊर्जा संयंत्रों के लिए सुरक्षित रखा गया है। केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकार के पीपावव में 615 मे. वा. क्षमता के दो ऊर्जा संयंत्रों को स्थापित करने के प्रस्ताव को स्वीकार किया है। फिर भी, इस परियोजना में कोई प्रगति नहीं हो सकी क्योंकि इस क्षेत्र के विकास के लिए संसाधनों का कोई प्रावधान नहीं है।

मुझे यह कहते हुए दुःख हो रहा है कि ऐसा मामला, जिसके प्रति राज्य सरकार और गुजरात की जनता बहुत चिन्तित है, वह है देश के अन्य राज्यों की मांग पर ताप्ती गैस क्षेत्रों को एच. बी. जे. पाइप लाइनों से जोड़ने का प्रयास है।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए यह अनुरोध है कि ताप्ती गैस को सौराष्ट्र के पीपावव में विद्युत उत्पादन हेतु लाने की वचनबद्धता को पूरा करना।

किसी वचनबद्धता को पूरा करने में अन्य की तुलना में कोई प्राथमिकता नहीं देनी चाहिए। किसी परियोजना के लिए रखे गये गैस का उपयोग उसी परियोजना के लिए करना चाहिए और अन्य स्थानों की कमी को पूरा करने के लिए उसका उपयोग नहीं करना चाहिए।

यदि कोई प्राथमिकता हो, तो उन स्थानों पर विद्युत उत्पादन हेतु गैस के उपयोग के पक्ष में हो जहां तुलनात्मक रूप से कोयला पहुंचाना बहुत ही कठिन है ताकि ऊर्जा संसाधनों का अनार्थिक आर-पार परिवहन को टाला जा सके।

श्री मनोरंजन भक्त (अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह) : उपाध्यक्ष महोदय, अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह सबसे अधिक पिछड़ा हुआ और मुख्य भूमि से दूर केन्द्रशासित प्रदेश है, जहां स्कूली शिक्षा के बाद की शिक्षा सुविधा उपलब्ध नहीं है। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए हमारे वहां के छात्र केन्द्रीय सरकार पर पूर्णतया निर्भर हैं। शैक्षणिक रूप से पिछड़े इस प्रदेश के छात्रों के लिए केन्द्रीय सरकार प्रत्येक वर्ष एम. बी. बी. एस., इन्जीनियरिंग और अन्य व्यवसायिक पाठ्यक्रमों में स्थान आवंटित करती है। गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी केन्द्रीय सरकार ने उनके लिए इन्जीनियरिंग, एम. बी. बी. एस. तथा अन्य व्यवसायिक पाठ्यक्रमों में स्थान आवंटित किया है। देश के अधिकांश महाविद्यालय और विश्वविद्यालयों में या तो प्रवेश बन्द हो चुके हैं या बन्द होने वाले हैं। दुर्भाग्य से अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह प्रशासन की उदासीनता के कारण उन आवंटित स्थानों पर नामांकन कार्य अभी तक पूरा नहीं हो सका है। मुझे यह पता है कि उच्चतम न्यायालय में एक याचिका दायर की गई है, यद्यपि न्यायालय ने इस सम्बन्ध में कोई औपचारिक स्थगन आदेश जारी

[श्री मनोरंजन भक्त]

नहीं किया है, लेकिन फिर भी प्रशासन और गृह मन्त्रालय इस सम्बन्ध में कुछ भी नहीं कर रहे हैं और न ही यह समझने का प्रयास कर रहे हैं कि अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह के सारे छात्र उस स्थिति में इस वर्ष प्रवेश पाने से वंचित हो जायेंगे अगर उन्हें शीघ्र ही सीट आवंटित नहीं की जाती है। मैं यह इसलिए कह रहा हूं कि दिन प्रतिदिन मैं देख रहा हूं कि छोटे केन्द्र शासित प्रदेश को विभिन्न बातों से वंचित किया जा रहा है और भारत सरकार इस सम्बन्ध में कोई रुचि नहीं ले रही है। उस द्वीप के छात्रों में अब आक्रोश उभर रहा है जो और भी आगे बढ़ सकता है और यह बढ़ता रहा तो कानून और व्यवस्था की स्थिति खराब हो जायेगी तथा वहां हिंसा शुरू हो सकती है। इसलिए मैं केन्द्रीय सरकार को आगाह करना चाहता हूं कि वह आग से खेल रही है। उन्हें ऐसा करने से बाज आना चाहिए और अण्डमान और निकोबार प्रशासन को शीघ्र ही सीट आवंटित करने का निर्देश देना चाहिए, जिससे छात्रों को प्रवेश मिल सके। (व्यवधान)

महोदय, आप इसकी जटिलता को समझने की कोशिश करें (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : भारत सरकार भी यह समझ चुकी है।

श्री मनोरंजन भक्त : अगर छात्रों को इस वर्ष प्रवेश नहीं मिल पाता है तो यह एक बहुत ही गंभीर बात होगी।

[हिन्दी]

प्रो प्रेम धूमल (हमीरपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सदन और केन्द्र सरकार का ध्यान नेशनल डिफेंस अकादमी खड़कवासला में जो कानून और व्यवस्था की स्थिति है, उसकी ओर दिलाना चाहता हूं। मेरे चुनाव क्षेत्र से कैडेट सुरेश शर्मा वहां ट्रेनिंग ले रहे थे और पांच महीने के अन्दर कमिशन्ड आफिसर बनने वाले थे। 9 मई, 1992 को उनको कमांडेंट की ओर से इनाम भी दिया गया। 11 मई को कुछ दो कैडेट के साथ उनका झगड़ा हुआ। उस झगड़े के बाद आज तक वह लापता है। न उसकी लाश मिली है। उसके मां बाप दर-दर भटक रहे हैं। भूतपूर्व सैनिक का बेटा जो कमिशन्ड आफिसर बनने वाला था, इसकी ओर सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। वहां पुलिस का प्रशासन जो है और नेशनल डिफेंस अकादमी खड़कवासला का जो कमांडेंट है, उस को लिखकर शिकायत दो बार की गई है। बार-बार लड़के का बाप अनन्तराव शर्मा, भूतपूर्व सैनिक अनेक अधिकारियों से मिल चुका है लेकिन आज तक न उनका लड़का मिला है और न ही लाश मिल रही है। मैं चाहता हूं कि सरकार इस की जांच करवाये। नेशनल डिफेंस अकादमी जो कि प्रतिष्ठता का स्थान है, जहां देश भर से कैडेट आते है, वहां अगर उनका जीवन सुरक्षित नहीं रहेगा, अनुशासन नहीं रहेगा तो सेना में अनुशासन क्या रहेगा। इसलिए आपके द्वारा केन्द्र सरकार से मांग करता हूं कि वह इस मामले की जांच कराये।

श्री कमला मिश्र मधुकर (मोतिहारी) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने बोलने का समय दिया, इसके लिए धन्यवाद देता हूं। सबसे बड़ा सवाल इस समय यह है कि उत्तर बिहार के दो करोड़ लोग अकाल से पीड़ित हैं, उत्तर बिहार में चम्पारण, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, गोपालगंज, सीवान आदि जिलों में भयंकर अकाल पड़ा हुआ है। पूरा उत्तर बिहार अकाल की स्थिति में है। बिहार सरकार उसका मुकाबला करने मे समर्थ नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूं कि केन्द्र सरकार इस पर ध्यान देकर अपनी एक टीम वहां भेजे। तत्कालीन राहत के काम के लिए कर्ज की वसूली माफ करे, सिंचाई की सुविधाओं को बढ़ायें, बिजली और पानी की व्यवस्था करे और इसके साथ-साथ श्रमिकों

के लिए काम मुहैय्या कराये ताकि वहां के लोग भूख के कारण मरने से बच जायें अन्यथा पूरा उत्तर बिहार अकाल की भयंकर चपेट में पहुंच जायेगा। आज वहां त्राहिमाम-त्राहिमाम हो रहा है। उत्तर बिहार को बचाने की मैं केन्द्र सेरकार से अपील करता हूं कि वह खास कदम उठा कर उत्तर बिहार की अकाल पीड़ित जनता को बचाने के लिए विशेष सहायता बिहार सरकार को दे।

[अनुवाद]

श्री हरवन राय (आसनसोल) : उपाध्यक्ष महोदय, भारत सरकार का एक उपक्रम, बर्न स्टैन्डर्ड कम्पनी लिमिटेड का रानीगंज कार्य समूह के कामगारों को दिनांक 30.4.1964 के एक समझौते के तहत न ली गई चिकित्सा छुट्टियों के एवज में नकद राशि प्राप्त करने की सुविधा मिली हुई थी, जिसे वहां के प्रबंधन ने अचानक बन्द कर दिया है, जिसके कारण उस इकाई में गम्भीर तनाव पैदा हो गया है। प्रबन्धन पिछले तेरह वर्षों से वेतन पुनरीक्षण मुद्दे पर भी बातचीत करने से इन्कार करता रहा है, जबकि देश के अन्दर इस अवधि में मूल्यों में काफी वृद्धि हुई है। प्रबंधन बी.पी.ई. सर्कुलर और माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के अनुरूप कामगारों को उक्त अवधि हेतु अन्तरिम राहत देने को भी इच्छुक नहीं है। इन सबसे वहां के कामगारों के समक्ष कठिनाइयां उत्पन्न हो रही हैं, जो कि उत्पादन के स्तर को बनाये रखने हेतु अपनी तरफ से पूरा योगदान दे रहे हैं।

इसलिए, माननीय मंत्री से मेरा अनुरोध है कि वह सम्बन्धित प्रबन्धन को विवेकशील होने और इन मुद्दों को सौहार्दपूर्वक सुलझाने को कहें जिससे कि उस इकाई में औद्योगिक शान्ति बनी रहे।

[हिन्दी]

श्री राम टहल चौधरी (रांची) : उपाध्यक्ष महोदय, बिहार राज्य अन्तर्गत रांची विश्व-विद्यालय रांची की स्थिति दिनों-दिन काफी बिगड़ती जा रही है। कर्मचारी वहां अनेकों दिनों से हड़ताल पर हैं। समय पर परीक्षा नहीं हो पा रही है जिससे समय पर परीक्षाफल भी नहीं निकल पा रहा है।

भ्रष्टाचार, गुन्डागर्दी एवं अड्डाबाजी का अड्डा बना हुआ है। यहां प्रशासन नाम की कोई चीज नहीं है। यह सब सारा वाइस-चांसलर के कारण हो रहा है। कभी समय पर वहां के स्टाफ को तनख्वाह नहीं मिल पाती है। कई-कई महीने तक बकाया रह जाता है। इन सब कारणों से वहां बराबर हड़ताल एवं आंदोलन होता रहा है जिस कारण शिक्षण कार्य ठप्प है जिससे वहां छात्रों का जीवन अंधकारमय है। अतः केन्द्र सरकार से मेरा आग्रह है कि इस पर शीघ्र हस्तक्षेप करें और वाईस-चांसलर को हटाने की कार्यवाही करें।

साथ-साथ मैं भारत सरकार का ध्यान रांची एवं पूरे छोटा नागपुर संथाल परगना की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। इस वर्ष समय पर वर्षा न होने पर यह क्षेत्र सूखा की चपेट में आ गया है। यह क्षेत्र जंगल एवं पहाड़ी क्षेत्र है। इस क्षेत्र में जितनी पानी की आवश्यकता है, वारिश नहीं हुई है जिससे पूरी तरह से खेती भी नहीं लग पाई है। लोग दूसरी जगह पलायन करने के लिए बाध्य हो गए हैं। अतः सरकार से मैं पूरे छोटा नागपुर संथाल परगना को सूखा क्षेत्र घोषित कर राहत का कार्य चलाया जाए। (व्यवधान)

श्री भेड़ लाल मीणा (सलूम्बर): उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में रेल यात्रा की पर्याप्त सुविधा नहीं है और कोई भी फास्ट रेलगाड़ी नहीं है। रेल मंत्रालय द्वारा कई बार आश्वासन दिए जाने के बावजूद भी मीटर गेज लाइनों का ब्राडगेज लाईनों में विस्तार नहीं किया गया है। राजस्थान में या राजस्थान से गुजरने वाली जितनी भी एक्सप्रेस रेलगाड़ियां हैं, उनमें पुराने इंजिन लगे हुए हैं जिस कारण रेलें चार-छह घंटे विलम्ब से पहुंचती हैं। मैं उदयपुर जिले के आदिवासी बाहुल क्षेत्र से लोक सभा का प्रतिनिधित्व करता हूं। मैंने अक्सर देखा है, जब भी मैंने दिल्ली से उदयपुर या उदयपुर से दिल्ली रेल से सफर किया है तो हर बार रेल चार-पांच घंटे विलम्ब से पहुंची है। उदयपुर से दिल्ली की दूरी 750 कि.मी. है तथा रेल का सफर 24 या 26 घंटे में पूरा होता है जबकि दिल्ली से कलकत्ता 1500 कि.मी. है और इस लाइन पर चलने वाली रेलें 17 से 24 घंटे में अपने निश्चित स्थान पर पहुंच जाती हैं। अतः मेरी प्रार्थना है कि राजस्थान में ब्राडगेज लाईन का विस्तार किया जाए और जब तक ब्राडगेज लाईन का विस्तार पूरा होता है तब तक सभी एक्सप्रेस रेलों में नए रेल इंजिन उपलब्ध कराये जायें ताकि रेलें अपने निश्चित स्थान पर सही समय से पहुंच सकें और यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।

डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय (मन्दसौर) : उपाध्यक्ष महोदय, केन्द्र सरकार की सार्वजनिक वितरण प्रणाली की अव्यवस्था के कारण अधिकांश ऐसे राज्यों में जिनको वांछित मात्रा में खाद्यान्न का कोटा उपलब्ध कराया जाना चाहिए था वह नहीं कराया जा रहा है। उस कारण उन राज्यों को भारी तकलीफ हो रही है, विशेषकर राजस्थान और मध्य प्रदेश को। मैं अपने मध्य प्रदेश के संदर्भ में कहना चाहता हूं कि वहां की सरकार ने जितना खाद्यान्न का कोटा पिछले तीन महीनों से मांगा गया था उसको उपलब्ध नहीं कराया गया है। इसलिए वहां सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत कार्य करने में काफी कठिनाई हो गई। राज्य सरकार ने प्रति व्यक्ति न्यूनतम 3 किलोग्राम की जगह प्रतिमास पूरे राज्य का कोटा एक लाख 98 हजार 400 मौट्रिक टन करने की सिफारिश की है। जिन 10 जिलों में खाद्यान्न डिपो नहीं हैं वहां इनकी स्थापना के लिए भी कहा है। साथ ही रियायती दरों में खाद्यान्न के लिए जो परिवहन दर वर्तमान में हैं उसको प्रति क्विन्टल 25 रुपए से बढ़ाकर 40 रुपए किया जाए क्योंकि इन दिनों, जो परिवहन व्यय बढ़ा हुआ है वह मीट किया जा सके। क्योंकि यह परिवहन 1986 से लागू है। मैं फिर आग्रह करना चाहता हूं कि वर्षा की अभाव की स्थिति बनी हुई है, खाद्यान्न की विकट समस्या है, केन्द्र सरकार तत्काल उपयुक्त मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध कराये। मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय इस पर वक्तव्य दें।

श्री सत्य नारायण जटिया (उज्जैन) : उपाध्यक्ष जी, मध्य प्रदेश में देश में सबसे ज्यादा सोयाबीन होता है। यहां इसकी फसल को खरपतवार से बचाने के लिए डाई यूरान नामक दवा 80 डब्ल्यू.पी. क्लास 80 प्रतिशत के छिड़काव से उज्जैन जिले की एक तहसील में किसानों की सोयाबीन की फसल एक करोड़ रुपए से भी अधिक को क्षति हो गई है। यह डाई यूरान 80 प्रतिशत क्लास ने निर्माता वेस्ट कम्पनी ने खरपतवार समाप्त करने के लिए प्रसारित और परिचालित किया था। इसके उपयोग से किसानों की जो फसल खराब हो गई है उसके सम्बन्ध में मैंने कृषि मंत्री जी से निवेदन किया था और फिर आग्रह करना चाहता हूं कि क्षति की पूर्ति की जाये और जो यह दवा है जिससे किसानों की एक करोड़ रुपये की फसल खराब हो गई है इसको प्रतिबन्धित किया जाये और दोषपूर्ण दवा बनाने वालों के खिलाफ वैधानिक कार्यवाही की जाये।

डा. महादीपक सिंह शाक्य (एटा) : उपाध्यक्षजी, मैं आपके माध्यम से प्रधान मंत्री जी का ध्यान

एक लोक महत्व के विषय की ओर खींचना चाहता हूं। हमारे देश में खेलों का विशेष महत्व है और खेलों के कार्य कलापों तथा संचालन के लिए खेल केन्द्र स्थापित करना आवश्यक है। इसलिए सरकार ने पूर्वी क्षेत्र में कलकत्ता में, पश्चिमी क्षेत्र में बड़ोदा में और दक्षिणी क्षेत्र में बंगलोर में खेल केन्द्र स्थापित किये हैं। इसी प्रकार मध्य क्षेत्र में भी खेलों की आवश्यकता को देखते हुए भारतीय खेल प्राधिकरण 1989 में एक प्रस्ताव पास किया था जिसमें यहां लखनऊ में केन्द्र स्थापित करने की मांग की गई थी, लेकिन इस पर कोई विचार नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में मुझे ज्ञात हुआ है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने भी कई बार केन्द्र सरकार का ध्यान आकर्षित किया है। मैं आपके माध्यम से प्रधान मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि मध्य क्षेत्र का खेल केन्द्र उत्तर प्रदेश में लखनऊ में तुरन्त स्थापित किया जाये।

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : उपाध्यक्ष जी, जब प्रधान मन्त्री ने 15 अगस्त को लाल किले से अपने भाषण में और सदन में कृषि मंत्री जी ने भी यह कहा कि वर्षा के चलते देश की हालत सुधर गई है। ऐसी स्थिति में बिना जानकारी के मैं विश्वास नहीं करता। उत्तर बिहार का अधिकांश हिस्सा इस समय सूखे की चपेट में है। मैंने बचपन में 1933 में देखा था कि वह इलाका बाढ़ का इलाका है। वहां बागमती, बूढ़ी गण्डक, कमला, कोसी नदियां हैं, वहां पर कैसे सिंचाई की जाये यह मैंने कृषि मंत्री जी को बताया है। बहुत सी नदियां सूख गई हैं जो कि बाढ़ का कारण बनती थीं। लेकिन अभी भी काफी पानी नदियों में हैं। पम्पिंग सेट्स दिये जायें तो पानी निकाला जा सकता है। पश्चिमी कोसी नहर की शाखा नहर नहीं बन पाई। इसलिए उस नहर के पानी से लोग फायदा नहीं उठा सकते हैं, मगर विशेष रूप से एक शाखा नहर से पानी दे दिया जाये तो उस इलाके की जमीन की सिंचाई हो सकती है। जो जमीन है, वहां पर निजी नलकूप दे दें तो अकाल से बचाया जा सकता है। इसलिए मेरा आग्रह है कि मधुबनी, दरभंगा, सीतामढ़ी, चम्पारण और सहरसा जिला का बहुत बड़ा हिस्सा है लेकिन सहरसा को नहर में पानी भरा हुआ है। इसलिए जो आज की स्थिति है, उसमें तुरन्त इन्तजाम हो रहा है। जैसे मिट्टी है, वहां धान हो सकता है। यदि 16 आने नहीं तो कम से कम 12-14 आने तो होगा ही यह तभी होगा जहां सिंचाई का इन्तजाम होगा। मैंने अधिकारियों से कहा तो उनका कहना था कि वे हिम्मत करेंगे। आप मिट्टी का बांध बना दें जिससे 10-20-50 हजार एकड़ की सिंचाई हो सकती है और अधिकारियों ने कहा कि हो सकता है परन्तु यदि बाढ़ आ गई तो हमारी नौकरी जा सकती है। मैंने उनको मजबूर किया है कि यह मेरी जिम्मेदारी है। तो मेरा आग्रह है कि अभी अकाल से बचाया जा सकता है। फौरन नदियों को बांध कर नहर में पूरा पानी छोड़ सकते हैं और निजी नलकूप के लिए बड़े पैमाने पर छूट देकर पी वी सी नलकूप लगाया जा सकता है क्योंकि लोहा मंहगा है। यदि यह सब कर दिया गया तो न केवल रबी अपितु धान की फसल भी अभी हो सकती है। आपके जरिए सरकार से आग्रह है कि उस ओर विशेष ध्यान दें। धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वड्डे (विजयवाड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश का हैदराबाद के बाद दूसरा महत्तपूर्ण नगर है। यह आंध्र प्रदेश के तटीय जिले के मध्य में स्थित है। प्रसिद्ध इंजीनियर, सरदार कोट्टन द्वारा निर्मित गोदावरी और कृष्णा नदियों पर एक शताब्दी से भी पुरानी सिंचाई प्रणाली के कारण पूर्वी गोदावरी, पश्चिमी गोदावरी, कृष्णा, गुंटूर और प्रकासम जिलों में अत्यधिक कृषिक-विकास हुआ है, जिसके फलस्वरूप वहां आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक

[श्री शोभनाद्रीश्वर बाड्डे]

क्षेत्रों में प्रगति हुई है। उन जिलों के लोग बांडों, कम्पनी-शेयरों या म्यूच्युअल फंडों के माध्यम से विकास परियोजनाओं में अपनी बचत का अंशदान कर रहे हैं। शेयर-ब्रोकर-वैलफेयर एसोसिएशन जिसका उद्घाटन कुछ ही दिन पहले योजना आयोग के उपाध्यक्ष के द्वारा हुआ था, के अतिरिक्त चार और संगठनों की स्थापना निवेश करने वाले लोगों की सहायता हेतु हो चुकी है। इसलिए वहां भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम के अन्तर्गत एक प्राधिकृत स्टाक एक्सचेंज खोलने की शीघ्र आवश्यकता है। मेरा केन्द्रीय सरकार से आग्रह है कि वह इस मुद्दे पर शीघ्रता से गौर करके आंध्र प्रदेश के तटीय जिलों के निवेश करने वाले लोगों के हितों की रक्षा करने और उन्हें सुविधा प्रदान करने हेतु भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम के अन्तर्गत विजयवाड़ा में एक स्टाक एक्सचेंज खोलने के लिए कदम उठाये।

[हिन्दी]

श्रीमती गिरिजा देवी (महाराजगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, जब इस सदन में सूखे और शोषण की बात हो रही हो तो संगीत की बात करें तो भले ही अटपटा लगे लेकिन जब संस्कृति पर ह्यूमन रिसोर्सेज की पालिसी पेपर लेआउट हो तो मुझे लगता है कि मेरा कर्तव्य होगा कि भारतीय संस्कृति के प्रति हमारे समाज में और सरकार के विभागों में जो गलत काम हो रहा है, उसकी ओर उंगली इंगित करूं।

उपाध्यक्ष महोदय, भारतीय संस्कृति की अपनी जो परम्परा रही है, उसका निर्वाह हमारे यहां कितना होता है, इतने वायदों के बाद इस मसले को हल किया जाता है। हमारी रेलों और हवाई जहाजों में जो कैसेट्स बजाए जाते हैं, वे भारतीय संस्कृति की मूल आत्मा हैं कि वह समय सुधार, काल चक्र व विभिन्न मनोभावों और विभिन्न समय के भावों को निर्दिष्ट करता है। यदि उसका उल्लंघन किया जाये तो कहा जायेगा कि पूरी संस्कृति का अपमान कर रहे हैं, अवमानना कर रहे हैं।

4.00 म० प०

ऐसे समय में जबकि विदेशों से पर्यटक आते हैं, वे इनसे यात्रा करते हैं। मिसाल के तौर पर मैं यह कहना चाहती हूं कि मैं राजधानी एक्सप्रेस से यात्रा कर रही थी। वहां स्वागत प्रारंभ हुआ शहनाई से, यह बड़ी अच्छी बात है, लेकिन इसका एक नियम है कि कब कौन सा राग बजेगा। उसका निर्वाह यदि वहां नहीं होता है तो यह संगीत के लिये अपमानजनक बात है और जिस व्यक्ति का कैसेट बजाया जाता है, उसके लिए भी अपमान की बात है। उस दिन वह कैसेट बिसमिल्ला खां साहब का था जो देश विदेश में ख्याति प्राप्त कर चुके है और सायंकाल में यात्रा प्रारंभ होते ही भैरवी राग का कैसेट बजाया गया। उसी तरह से मैं बम्बई से राजधानी एक्सप्रेस में लौट रही थी। उस दिन कैसेट पर बजाई गई धुन बहुत ही मधुर थी लेकिन असमय ही जोगिया राग शाम को छह बजे बजाया जा रहा था। सायंकाल वैसे ही बड़े सुहाने रागों का समय होता है लेकिन उस समय जोगिया राग बजाकर सारी मस्ती खत्म कर दी और ऐसे समय में मैंने देखा कई विदेशी पर्यटक उसमें यात्रा कर कर रहे थे। हमारे यहां भले ही इसको तौहीन हो, हम इससे प्राप्त होनेवाले फलों को इंकार कर दें लेकिन विदेशों में इसकी शक्ति को पहचाना जा रहा है और स्वास्थ्य के लिए और चिकित्सा के लिए भी इसको रिसर्च के द्वारा स्थापित किया गया है। ऐसे समय में मैं समझती हूं कि यह भारतीय संगीत के लिए बहुत भारी बेइज्जती है। बहुत सारे जहाजों में भी दोपहर में एक प्रचलित कैसेट बजाई जाती है जो सायंकालीन राग है। मेरी बात सुनकर बहुत अटपटा लगेगा लेकिन मेरा आपसे

निवेदन है कि मेरी बातें विभिन्न सम्बन्धित मंत्रालयों को आप दे दें और इस पर लाखों नहीं करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, तो यहां एक भारतीय संगीत की परामर्शदायी समिति की स्थापना की जाए और अपनी संस्कृति की सुरक्षा की जाए ।

श्री प्रभु दयाल कठेरिया (फिरोजाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र फिरोजाबाद की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं । फिरोजाबाद के एक विधान सभा क्षेत्र शिकोहाबाद में राष्ट्रीय राजमार्ग है जो कि पूरे भारत के सबसे बड़े राष्ट्रीय राजमार्ग के अन्तर्गत आता है । शिकोहाबाद में इस राष्ट्रीय राजमार्ग में रेलवे क्रासिंग होने के कारण फाटक प्रतिदिन घंटों बंद रहता है, इस रेलवे लाइन से अनेक रेलगाड़िया गुजरती हैं । फाटक बंद होने के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग से यातायात का आवागमन घंटों बंद रहता है जिसके कारण यहां की जनता को तथा आने-जाने वाले लोगों को काफी समय बरबाद करना पड़ता है । कोई गंभीर रूप से बीमार हो और उसको अस्पताल में जाना हो और उस समय फाटक बंद हो तो वह बीमार बिना डाक्टर की देखभाल के अपनी जान दे देता है । इस प्रकार की अनेक घटनाएं उस स्थान पर हो गई हैं और लगातार हो रही हैं । अत: मैं सरकार से मांग करता हूं कि फिरोजाबाद संसदीय क्षेत्र की जनता की मांग को ध्यान में रखते हुए तथा लोगों की परेशानी को देखते हुए इस समस्या के समाधान हेतु एक ओवर ब्रिज का निर्माण किया जाए ताकि अनेक लोगों को परेशानियों से बचाया जाए ।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के अत्यावश्यक विषय की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । लगातार तीन दिन से पटना में जो सुअर पालक लोग हैं, गरीब लोग है, उनमें अजीब किस्म की जानलेवा बीमारी लगातार रहस्यमय रूप से फैल रही है । बिहार सरकार के मुख्य मंत्री ने कल प्रधान मंत्री को संकट संदेश भेजकर आग्रह किया है कि यह स्थिति काबू से बाहर हो रही है इसलिए आप कोई टीम भेजिए । मैं आपके माध्यम से केन्द्रीय सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि एक विशेषज्ञ दल तुरंत वहां भेजकर इस रहस्यमय बीमारी, जिससे लाखों लोगों की मौत हो सकती है, अभी तो कुछ लोग ही इसकी चपेट में आए हैं, परन्तु वहां के डाक्टरों को पता नहीं चलता यह किस तरह की बीमारी है और इतनी द्रुत गति से बढ़ रही है । इसलिए हम आपसे निवेदन करते हैं कि केन्द्रीय सरकार एक विशेषज्ञ दल भेजे और उसकी दवा के लिए युद्ध स्तर पर रोकथाम का प्रबंध किया जाए । जिनकी जान खतरे में है वहां हाहाकार है । एक तरह से लोगों में चिंता बनी हुई है लेकिन बीमारी का पता नहीं चल पा रहा है । कोई दवाई उसके मरीजों को फिट नहीं बैठ रही है । इसलिए यह बहुत ही अहम सवाल है । यह उन लोगों के लिए जिन्दगी और मौत का सवाल है जो गरीब हैं, सूअर पालते हैं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लोग हैं, गरीब लोग हैं । सूअर पालन वालों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति दोनों के लोग शामिल है और इस बीमारी के दूसरी जगहों पर भी फैलने की संभावना है ।

अत: उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपके जरिए सरकार से आग्रह है, निवेदन है कि केन्द्र सरकार इसे गम्भीरता से ले और तुरन्त केन्द्रीय टीम भेजकर इसके रोकथाम की व्यवस्था करे ।

श्री जगमीत सिंह बरार (फरीदकोट) : उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया । मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान एक

[श्री जगमीत सिंह बरार]

बहुत ही महत्वपूर्ण एवं सैन्सिटिव मामले की ओर दिलाना चाहता हूं और चूंकि बड़ी देर बाद बारी आयी है, अत: कृपया मुझे दो-तीन मिनट का समय जरूर दीजिए।

हमारे यहां 1984 में ओपरेशन ब्ल्यू स्टार हुआ था। उसमें जहां बहुत दुखदायी काण्ड हुआ, वहीं सिख रैफरेंस एण्ड रिसर्च लाइब्रेरी, जिसमें अनेक ऐतिहासिक महत्व की महान किताबें थीं, जिनका ताल्लुक देश के आजादी के संग्राम से था, जिनका ताल्लुक एंग्लो सिख वार से था, और जिनका ताल्लुक आजादी के संग्राम में पंजाब के लोगों द्वारा दी गयी कुरबानियों से था, इसके अलावा महात्मा गांधी द्वारा अपने तौर पर जो टेलीग्राम डालकर उस वक्त लोगों को बधाई दी गई थी कि—

[अनुवाद]

हमने स्वतंत्रता का पहला संग्राम जीत लिया है।

[हिन्दी]

ओपरेशन ब्ल्यू स्टार के दौरान, जितने जौर्नल्स वहां थे, सिख रैफरेंस एण्ड रिसर्च लाइब्रेरी के तमाम मसौदे को इकट्ठा करके एक लिस्ट बनायी गयी थी, लेकिन यह बड़े अफसोस की बात है कि 8 साल बीत जाने के बाद, वहां जितनी ऐतिहासिक सामग्री थी, जिसका सम्बन्ध देश की आजादी के संग्राम से था, उस सारे रिकार्ड को मेरठ कैंट में जी 15 वीं इन्फैंटरी बटालियन का हैडक्वार्टर्स है, वहां रख दिया गया है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से विनती करना चाहता हूं कि जहां सारी सिख ट्रेडीशन्स तो तबाह हो गयीं लेकिन कम से कम जो ऐतिहासिक बातें हैं, ऐतिहासिक रिकार्ड है, यहां तक कि जो फर्स्ट लाहौर कान्सपीरेसी केस हुआ था, जिसमें वर्ष 1919 में शहीद करतार सिंह सराबां को फांसी दी गयी थी, उसका मुकम्मल रिकार्ड भी शामिल है, वह सारा रिकार्ड आज एक ही जगह पर मेरठ पहुंच चुका है। उस रिकार्ड में गदरी बाबो का इतिहास, जलियां वाले बाग का इतिहास और 1921 और 1924 में पण्डित जवाहर लाल नेहरू को जब दो वर्ष का इम्प्रीजनमेंट अंग्रेजों ने जैतो नामक स्थान पर दिया था, वह स्थान पंजाब में है, वह सारा इतिहास भी चला गया है। उस इतिहास में, वहां के हजारों लोगों ने देश की आजादी की खातिर जो कुरबानियां दी थीं और यह गीत गाया था—

मुफाहमत न सिखाओ जबरो नारवां से मुझे,
कि मैं सरबकफ हूं लड़ा दो किसी भी बला से मुझे।

उन तमाम कुरबानियां देने वाले लोगों का इतिहास भी शामिल है। हमारी ओर से पिछले 8 सालों से सरकार को एप्रोच की जा रही है, तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह, श्री चन्द्र शेखर और दूसरे प्रधानमंत्रियों से भी हमने एप्रोच की थी लेकिन आज तक वह रिकार्ड वापस शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी को नहीं सौंपा गया है।

मैं आपके माध्यम से सरकार से विनती करूंगा कि जब आर्मी के पास उस रिकार्ड की लिस्ट मौजूद है, तमाम रिकार्ड की, दूसरी तरफ रिसर्च स्कालर्स को भारी तकलीफ हो रही है, सिख प्रोब्लम को पंजाब की प्रोब्लम को ठीक करने के लिए, जख्मों पर मरहम लगाने के लिए, कम से कम उनका जो इतिहास है, उनकी जो परम्पराएं हैं, वे तो उन्हें लौटा देनी चाहिए।

अन्त में, मैं यह कहूंगा कि अगर यह बात नहीं मानी जाती तो जैसा मैंने कहा —

[अनुवाद]

बहुत लोग समुद्र की गरजने की भांति बोलते हैं, किन्तु उनकी जिन्दगी दल-दल की तरह छिछली और स्थिर रहती है।

[हिन्दी]

ऐसा इम्प्रैशन पंजाब के लोगों में जायेगा, जो आज भी अपने देश को प्यार करते हैं और अपने खून का आखिरी कतरा तक देश के लिए बहाने को तैयार हैं।

श्री गंगाधरा सानीपल्ली (हिन्दुपुर) : महोदय, मानसून के दौरान हमारे देश के सभी क्षेत्रों में भारी वर्षा हुई है, जबकि मेरे निर्वाचन क्षेत्र खासकर अनन्तपुर जिले में सामान्य से कम और छिट-पुट वर्षा हुई है। मेरे हिन्दुपुर निर्वाचन क्षेत्र में सिर्फ 50 प्रतिशत किसान ही मूंगफली बो पाये हैं, बाकी यह नहीं कर पाये हैं। मूंगफली एक मुख्य वाणिज्यिक फसल और रोजगार उत्पन्न करने का मुख्य साधन तथा गरीब, छोटे, सीमान्त और बड़े किसानों के आय का मुख्य स्रोत है।

यह पशुओं के लिए मुख्य रूप से पौष्टिक चारा है। अब इसकी बुआई का मौसम समाप्त हो गया है। सभी किसान और खेतिहर मजदूर परेशानी में हैं। देहाती क्षेत्रों में रोजगार ठप्प हो गया है। अतः मेरा केन्द्रीय सरकार से अनुरोध है कि वह मेरे जिले में विशेषज्ञों का एक दल भेजकर वहां की मौजूदा स्थिति का सर्वेक्षण करवाए तथा सूखा-पीड़ितों को अपनी कोष से विशेष अनुदान दे तथा वैकल्पिक साधनों के माध्यम से खेतिहर-मजदूरों को रोजगार उपलब्ध करवाए। पशुओं के लिए चारे की आपूर्ति भी सुनिश्चित की जानी चाहिए।

[अनुवाद]

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी (गढ़वाल) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कृषि मंत्रालय, भारत सरकार का ध्यान दूध एवं दुग्ध आदेश 1992 जो 9 जून, 1992 को जारी किया गया है, उसकी ओर दिलाना चाहता हूं। इस आदेश के कारण इस व्यवसाय में लगे लोगों में भारी रोष है। इस आदेश में जो मुख्य अनुचित बातें हैं, वे इस प्रकार हैं —

1. दूध बेचने वालों की स्वतंत्रता समाप्त हो जाएगी और उसे उस संस्था विशेष को मनचाहे दाम मिलेंगे और उसका शोषण होगा और संस्था का एकाधिकार स्थापित हो जाएगा।

2. इस आदेश से डेरी उद्योग में लगे लाखों व्यक्ति और दूध विपणन व्यवस्था में रोजगाररत लोग बेरोजगारी के कगार पर पहुंच जाएंगे। दूध खरीदने की अनुमति नहीं होगी। लघु उद्यमी और दुग्ध विपणनकर्ता जो सीधे उत्पादक और उपभोक्ता से जुड़े हैं वंचित हो जाएंगे। इनकी संख्या लगभग 7 लाख है।

3. उपभोक्ताओं को दूध और उसके उत्पाद अपेक्षाकृत अधिक मूल्य पर उपलब्ध होंगे।

4. इस आदेश डेरी उद्योग में भ्रष्टाचार, राजनीतिकरण, अपराधीकरण और आर्थिक अव-सादीकरण का वातावरण पैदा होगा।

5. इस आदेश के तहत डेरी उद्योग पर अफसरशाही का अंकुश बढ़ने से सहकारी क्षेत्र भी

[मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी]

अत्यधिक मात्रा में प्रभावित होगा।

इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है चूंकि इस आदेश से भ्रष्टाचार और अफसरशाही बढ़ेगी इसलिए इसके ऊपर दुबारा विचार किया जाए। धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री के. पी. रेड्डया यादव (मछलीपट्टनम) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यद्यपि इस सभा में बैंक घोटाले पर कई बार बहस हो चुकी है, फिर भी मैं इस सभा के समक्ष एक विशिष्ट मुद्दा रखना चाहता हूं। संयुक्त संसदीय समिति के सामने प्रस्तुत किये गये विभिन्न मुद्दों को मैंने पढ़ा है, उसमें एक महत्वपूर्ण चीज छूटी हुई है। इसका जिक्र नहीं किया गया है। संयुक्त संसदीय समिति के सामने जो मुद्दे पेश किए गए हैं, वे हैं : इन अपराधों के लिए जिम्मेवार व्यक्तियों का पता लगाना आदि। एक बात का जिक्र इसमें नहीं है। सरकार का 4000 करोड़ रुपया डूब गया है और इन रुपयों की वसूली किस प्रकार से हो, इसका जिक्र इसमें किया गया है। किन्तु मध्यम और निम्न मध्यम वर्ग के लोगों ने वर्ष के पूरे बारह महीनों में शेयर-खरीद करके करीब 50,000 करोड़ रुपयों का निवेश किया है, उसका जिक्र इसमें नहीं किया गया है। सरकार अगर 4000 करोड़ रुपये गंवा देती है, तो उसकी हमें विशेष चिन्ता नहीं है क्योंकि इसे सहन कर लेने की क्षमता उसमें है। लेकिन इस देश के वर्ग, मध्य वर्ग वेतन-भोगी और निम्न मध्यम वर्ग के लोग शेयर खरीद कर 40,000 से 50,000 करोड़ रुपये गंवा चुके हैं, उसका कोई जिक्र संयुक्त संसदीय समिति के सामने नहीं किया गया है।

महोदय, मैं एक बार फिर कहना चाहता हूं।

*

श्री ई. अहमद (मंजेरी) : यह सही नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री के. पी. रेड्डया यादव, यह सही नहीं है। अगर आपने कोई सुझाव देना है, तो निजी तौर पर उनसे कहें। लेकिन इसे रिकार्ड में दर्ज करवाना उचित नहीं है। इस हद तक इन बातों को हम रिकार्ड से हटा रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री के. पी. रेड्डया यादव : आप इसे हटा दें। मैं कोई विशेष नहीं करने जा रहा हूं। (व्यवधान) शीघ्र ही, सरकार को रजिस्ट्रार के कार्यालय और स्टाक एक्सचेंजों के सारे शेयर रजिस्टरों को अपने कब्जे में ले लेने का निर्णय करना चाहिए जिनमें शेयरों और डिबेंचरों के नाम लिख जायेंगे। अगर हम स्वराज माजदा की शेयर लें तो उसके 10 रुपये का शेयर 600 रुपये तक गई थी, जो कि अब गिरकर 80 या 100 रुपये हो गई है। उन लोगों को प्रति शेयर 400 रुपये का लाभ मिला है। अब यह 400 रुपये कहां गये ? सीमेंट कम्पनी के भी 10 रुपयों का शेयर 200 या 500 रुपये तक बढ़े हैं। यह जो अन्तर है, यह रुपया किधर गया ? सरकार को इस धन का शीघ्र ही पता लगाना चाहिए और शेयर बाजार का निपटारा करने के बाद जो यह राशि इस देश के निम्न और मध्यम वर्ग तथा वेतन भोगी लोगों को वापिस कर दी जानी चाहिए। सरकार

* अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

4000 करोड़ रुपये छोड़ सकती है, लेकिन इस देश की जनता 50,000 करोड़ छोड़ देने की स्थिति में नहीं है।

श्री शरत चन्द्र पटनायक (बोलंगीर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उड़ीसा के कालाहंडी जिले में 1985 – 89 की अवधि के दौरान चल रहे प्रौढ़ कार्यक्रम को 1989 के बाद जनता दल की सरकार के सत्ता में आ जाने के बाद बन्द कर दिया गया। मुझे यह कहते दुःख हो रहा है कि राज्य सरकार ने प्रौढ़ कार्यक्रम के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार के पास कोई प्रस्ताव भेजा ही नहीं है। जब स्वर्गीय राजीव गांधी उड़ीसा के बोलंगीर जिले में आये थे उन्होंने वहां एक जन सभा में यह विचार व्यक्त किया था कि इस प्रौढ़ कार्यक्रम को कालाहांडी जिले से आगे बढ़ाकर बोलंगीर जिले तक ले जाना चाहिए। उस कार्यक्रम के अभाव में बोलंगीर जिले के लोग पड़ोस के राज्यों में जीविका हेतु पलायन कर रहे हैं। अत: आपके माध्यम से मैं केन्द्रीय सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह राज्य सरकार को बोलंगीर जिले में प्रौढ़ कार्यक्रम चलाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव भेजने के लिए दबाव डालकर उस कार्यक्रम को उड़ीसा के बोलंगीर जिले में भी लागू करे।,

श्री एम. कृष्ण स्वामी (वान्डेवाशी) : तमिलनाडू में विशेषकर तिरुवनामलाई, समदुभरयार, उत्तर अरकोट, अम्बेडकर, और चेंगलपट्टु जिले में गन्ना उत्पादकों को पर्याप्त चीनी मिलों के नहीं होने के कारण कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। उन्हें इस कारण भी कठिनाई झेलनी पड़ रही है क्योंकि चीनी मिलें गन्नों के काटे जाने के तुरन्त बाद तोल करवाने की व्यवस्था नहीं कर पा रही है। मिल के अधिकारी गन्ना उत्पादकों को उनके गन्ने के तोल करने में दो-तीन दिन की प्रतीक्षा करवाते हैं, जिससे गन्ने के वजन में कमी हो जाती है' और किसानों को नुकसान उठाना पड़ता हैं। पोलूर सहकारी चीनी मिल की अनुमति देने का आशय-पत्र केन्द्रीय सरकार के समक्ष काफी दिनों से लम्बित पड़ा है। इसलिए मैं सरकार से टी. एस. जिले के पोलूर में जहां गन्ना बहुतायत में उपलब्ध है एक सहकारी चीनी मिल स्थापित करने के सम्बन्ध में आशय-पत्र जारी करने का अनुरोध करता हूं। (व्यवधान)

श्री सुदर्शन राय चौधरी (सीरमपुर) : दो या तीन दिन पहले सरकार ने राष्ट्रीय वस्त्र निगम में मिल सम्बन्धी नीति पर सभा में चर्चा कराने का प्रस्ताव किया था। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बीच में न बोलें।

श्री सुदर्शन राय चौधरी : लेकिन दुर्भाग्य से, हमारे पास समय नहीं है। अत: आपके माध्यम से मैं पूर्वी क्षेत्र के राज्यों, पश्चिमी बंगाल, बिहार, उड़ीसा और असम में स्थित एन. टी. सी. मिलों की रुग्णता की ओर इस सभा और सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। उन मिलों को चलाने की खातिर पर्याप्त धनराशि उपलब्ध नहीं करायी जा रही है। उनके आधुनिकीकरण या पुनर्नवीकरण करने हेतु कभी भी एक पूर्ण योजना नहीं बनाई गई है जिससे कि पूर्वी क्षेत्रों में स्थापित ये मिलें आत्मनिर्भर रहकर, सुगमतापूर्वक चल सकें।

दूसरे, इन उद्योगों में, कपास, कोयला और आन्तरिक रूप से प्रयुक्त अन्य सामग्रियों की आपूर्ति में कमी हो गई है जिससे इन मिलों के उत्पादन पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा है जिसके कारण प्रति दिन घाटे में बढ़ोतरी हो रही है। वर्तमान परिस्थितियों में, मैं भारत सरकार विशेषकर

[श्री सुदर्शन राय चौधरी]

वस्त्र मंत्रालय से अनुरोध करूंगा कि वह भारतीय कपास निगम को अपनी ऋण-सीमा में बढ़ोतरी करने को कहें। वार्षिक ऋण-सीमा को 4 करोड़ रुपये से घटाकर 2·5 करोड़ रुपये किया जा चुका है, इसे बढ़ाकर 10 करोड़ रुपये किया जाना चाहिए, ताकि इन मिलों को कम से कम कपास उपलब्ध हो सके और वे चलती रहें।

उपाध्यक्ष महोदय : अब श्री चेतन चौहान बोलेंगे। आप काफी संक्षेप में बोलें ताकि दूसरे सदस्यों को भी मौका दिया जा सके।

श्री चेतन पी. एस. चौहान (अमरोहा) : उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं युवाकार्य और खेलकूद राज्यमंत्री की नई खेल-कूद नीति लाने हेतु प्रशंसा करना चाहूंगा। नई खेलकूद नीति में इस बात का जिक्र किया गया है कि छोटे और जवान दोनों ही उम्र के खिलाड़ियों को प्रोत्साहन राशि दी जाएगी तथा पहली बार निजी और सार्वजनिक, दोनों ही क्षेत्रों की कम्पनियों को देश में खेलकूद को बढ़ावा देने की खातिर बाध्य किया जा रहा है। मैं इस सम्बन्ध में उपस्थित मंत्री महोदय को दो सुझाव देना चाहता हूं। एक तो यह कि खिलाड़ियों को नौकरियों में आरक्षण दिया जाना चाहिए, क्योंकि वे उनकी जवानी खेल-कूद की सेवा में ही बीत जाती है। ऐसा करने से उनके भविष्य सुरक्षित रहेगा। साथ ही दूसरे कोई पदक जीतने पर किसी प्रकार की प्रोत्साहन राशि देने की बजाय खिलाड़ियों को उनके खेल-जीवन से सन्यास लेने के बाद पेंशन देने पर विचार किया जाना चाहिए। ये मेरे दो सुझाव हैं, अगर इन पर उपस्थित माननीय मंत्री विचार करें तो यह बहुत ही खुशी की बात होगी।

[अनुवाद]

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य और खेलकूद विभाग तथा महिला और बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री (कुमारी ममता बनर्जी) : महोदय, मैं उनकी भावनाओं का सम्मान करता हूं और जो कुछ उन्होंने नौकरियों में आरक्षण के सम्बन्ध में कहा उसे हमने पहले ही अपनी नीति में शामिल कर लिया है। यदि वह इस नीति को देखें तब उन्हें इस बारे में पता चलेगा। इसके अलावा हमने इस मामले पर एक राजेन्द्रन समिति गठित की है और इस समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत भी कर दी है और इसी कारण हम इस नीति के पक्ष में हैं।

जहां तक पेन्शन का सम्बन्ध है, उन्होंने जो कुछ कहा है हम उस पर विचार करेंगे।

(व्यवधान)

"कृपया खेलकूद में राजनीति न लाइए। ठीक है।"

उपाध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि ममता जी अपनी धारणा को तुरन्त व्यक्त करने में करती हैं।

अब, श्री भगवान शंकर रावत जी बोलेंगे। रावत जी पहले ही हम इस विषय पर बहुत समय तक चर्चा कर चुके हैं। कृपया संक्षेप में बोलें।

श्री भगवान शंकर रावत (आगरा) : महोदय मैं अपना भाषण दो मिनट में समाप्त कर दूंगा।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में नोएडा एक औद्योगिक स्थल है। केन्द्र सरकार उत्तर प्रदेश सरकार के साथ भारी भेदभाव बरत रही है। भारत जापान सहयोग से एक आदर्श औद्योगिक नगर वहां स्थापित होना था। इसके लिए जापानी दल ने नोएडा को आदर्श स्थल माना था। चूंकि वहां पर उद्योग लगाने के लिए अच्छे संसाधन व सुविधाएं उपलब्ध हैं मगर भारत सरकार ने राजनीतिक दबाव डाल कर इस परियोजना को राजनीतिक आधार पर गुडगांव के लिए स्थानान्तरित कर दिया है और निर्णय लिया है कि यह परियोजना गुड़गांव में लगायी जाये। मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि राजनीतिक विशेष के आधार पर नोएडा और विशेषकर उत्तर प्रदेश के हितों को अनदेखा न करके इस परियोजना को गुडगांव न भेजा जाए और फिर से गुडगांव और नोएडा के गुणात्मक आधार पर जांच करवा कर नोएडा में ही इसे स्थापित करायें।

[अनुवाद]

श्री ई. अहमद : उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामला सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं। बम्बई के शांताक्रूज हवाई अड्डे पर सुरक्षा कर्मियों द्वारा अनेक यात्रियों को परेशान किया जा रहा है। जिन लोगों को कालीकट, कोचीन त्रिवेन्द्रम जाना होता है उनसे सुरक्षा जांच के समय, सुरक्षा कर्मियों द्वारा धन वसूला जाता है और उनके सामान की एक्सरे जांच के समय उसमें से कुछ सामान निकाल लिया जाता है।

यह सिलसिला काफी समय से चल रहा है। मैं इस मामलों को सदन में भी कई बार उठा चुका हूं। पांच दिन पूर्व ही जब कुछ यात्रियों को सुरक्षा कर्मियों द्वारा आतंकित किया गया उस समय एक वकील जो उस समय वहां मौजूद थे और उन्होंने यह सब देखा तो उन्होंने उच्च अधिकारियों के समक्ष इस सम्बन्ध में शिकायत की और सुरक्षा अधिकारियों द्वारा उन पुलिस कर्मियों को उसी समय निलम्बित कर दिया गया (व्यवधान) महोदय, मुझे आपका संरक्षण प्राप्त हो। दक्षिणी राज्यों से आने वाले यात्रियों के संबंध में, मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामला उठा रहा हूं। यह यात्री जो खाड़ी देश से आते हैं उन्हें मंगलौर, कालीकट, कोचीन और त्रिवेन्द्रम जैसे स्थानों को जाना होता है और उनके पास इतना समय नहीं होता कि वह शिकायत दर्ज करा सकें। जब कोई वकील जैसा सतर्क यात्री इस सब को देखता है तो वह शिकायत करता है।

यह मामला कल राज्य सभा में भी उठाया गया था। उस समय पीठासीन सभापति महोदय ने सरकार को निर्देश दिया था कि वह इस मामले की जांच करें और इस सम्बन्ध में प्राप्त रिपोर्ट को सभा पटल पर रखें। इस अवसर पर मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप भी सरकार को निर्देश दें क्योंकि इन बेकसूर यात्रियों को धोखा दिया जाता और आतंकित किया जाता है, सुरक्षा कर्मियों द्वारा इन यात्रियों को परेशान किया जाता है और उनके लिए कठिनाई पैदा की जाती है। अतः मैं आपका बहुत शुक्रगुजार होंगा, यदि आप सरकार को वास्तविक यात्रियों को आतंकित करने के सम्बन्ध में जांच का आदेश दें। मगर विमानन अधिकारियों को भी यात्रियों का ध्यान रखने के सम्बन्ध में निर्देश दिए जाने चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : सरकार ने मामले को सुन लिया है और वे इस संबंध में आवश्यक उपाय करेंगी।

श्री ई. अहमद : महोदय, एक बार यदि पीठासीन अधिकारी निर्देश दे दें तो सरकार निश्चय ही उस पर गौर करेगी।

उपाध्यक्ष महोदय : दोनों मंत्री यहां मौजूद हैं उन्होंने सुन लिया है।

कुमारी ममता बनर्जी ; मैं संसदीय कार्य मंत्री तक यह जानकारी प्रेषित कर दूंगी।

[हिन्दी]

श्री राम नगीना मिश्र (पडरौना) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं तीन दिन से अपनी बात उठाने के लिए कोशिश कर रहा हूं। मैं एक गम्भीर मामले की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों के तीस लाख परिवार हैं। आज हालत यह है कि गन्ना किसान का गन्ने का अरबों रुपया मूल्य बकाया पड़ा हुआ है। आज गन्ना किसान अपनी पर्ची को गिरवी रखना चाहता है। उस पर्ची को कोई भी व्यापारी गिरवी नहीं रख रहा है इतनी उसकी साख गिर गई है। इसके लिए घोर आन्दोलन चल रहा है और मिलों के मैनेजरों का घेराव हो रहा है। हमें जानकारी मिली है कि गत वर्ष जो चीनी देश में रिलीज हुई थी तो अन्य प्रदेशों की अपेक्षा उत्तर प्रदेश में वर्तमान समय में 12 परसेंट कम रिलीज हुई है। गोदाम चीनी से भरे हुए हैं। चीनी रिलीज नहीं होने की वजह से चीनी चूंकि नहीं आ रही है इसलिए गन्ने का पेमेन्ट नहीं हो रहा है।

जितनी चीनी महाराष्ट्र और गुजरात में इस समय रिलीज हुई है तो उसके अनुपात में उत्तर प्रदेश में छह परसेन्ट कम चीनी रिलीज हुई है और गोदाम भरे हुए हैं। मैं भारत सरकार से निवेदन करूंगा कि उत्तर प्रदेश के लिए काफी चीनी रिलीज की जाए जिससे किसानों को गन्ने का मूल्य मिल सके। इसके पूर्व किसानों का बारह अरब रुपए कर्जे का माफ हुआ है। यह गन्ने की पर्ची बैंक के मुताबिक है इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि गन्ना किसानों की पर्ची को बैंक में गिरवी रखवाकर गन्ने का पेमेन्ट कराया जाए और जब मिल से पेमेन्ट हो तो इंटरेस्ट के साथ मिल जाए और मिलें अपना रुपया एडजस्ट कर लें। यह अति आवश्यक है। इससे गन्ना किसानों को राहत मिल जाएगी नहीं तो गन्ना किसान बेहद परेशान हैं।

कुमारी ममता बनर्जी : मैं फूड मिनिस्टर को बता दूंगी। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री याईमा सिंह युमनाम (आंतरिक मणिपुर) : जो यात्री दीमापुर या गुवाहाटी से ट्रेन पकड़ते हैं उनकी सुविधा हेतु इम्फाल, मणिपुर में एक रेलवे आरक्षण कार्यालय खोला जाना आवश्यक है। जो यात्री दीमापुर से ट्रेन पकड़ते हैं उनकी सुविधा हेतु सीटों और शयिका के आरक्षण की सुविधा इम्फाल में ही उपलब्ध होनी चाहिए। जो यात्री इम्फाल से गुवाहाटी तक की यात्रा हवाई जहाज से करते हैं और तत्पश्चात गुवाहाटी से ट्रेन पकड़ते हैं उनकी सुविधा के लिए ट्रेन में सीटों और शयिकाओं की सुविधा इम्फाल के आरक्षण कार्यालय द्वारा प्रदान की जानी चाहिए। यदि यह सुविधाएं प्रदान की जाएं तो रेल यात्रियों की संख्या में वृद्धि होगी। मैं रेल मन्त्री से अपील करूंगा कि वह इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करें। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मेरा यह अनुभव रहा है कि कोई भी एक मिनट के भीतर अपना भाषण पूरा नहीं कर रहा है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आपका नाम भी पुकारा गया था लेकिन आप उस समय उपस्थित नहीं थे।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : इसकी भी कोई सीमा है और अधिक समय दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री अन्ना जोशी।

श्री अन्ना जोशी (पुणे) ; महोदय, मैं आपका ध्यान टाइम्स आफ इंडिया के 17 अगस्त 1992 के अंक में पाकिस्तानी टुकडियों द्वारा लगातार गोलीबारी सम्बन्धी छपे समाचार की ओर दिलाना चाहता हूं जिसमें लिखा था कि इस वर्ष जनवरी से जुलाई के मध्य पाकिस्तानी टुकड़िबों ने भारतीय ठिकानों पर 337 बार गोलीबारी की जबकि इसकी तुलना में पिछले वर्ष इसी अवधि में जम्मू और राजस्थान के मोर्चों पर 300 बार गोलीबारी हुई थी जबकि भारतीय फौजों ने इसी अवधि में पाकिस्तानी गोलीबारी को शान्त करने के लिए 84 बार प्रत्युत्तर दिया।

महोदय, इस सम्बन्ध में मैं उल्लेख करना चाहूंगा कि एक ओर पाकिस्तानी विदेश सचिव ने विदेश सचिव स्तर की छठे राउन्ड की बातचीत में भाग लेने के लिए अपने पांच दिवसीय यात्रा के दौरान इस बात पर जोर दिया था कि पाकिस्तान शिमला समझौते के अन्तर्गत आपसी सम्बन्धों के आधार पर कश्मीर समस्या को हल करने का इच्छुक है और दूसरी ओर पाकिस्तानी टुकड़ियां भारतीय ठिकानों पर लगातार गोलीबारी करके सम्झौता विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा दे रही हैं। अत: इसे गम्भीरतापूर्वक लिया जाना चाहिए और मैं सदन में रक्षा मंत्री से वक्तव्य की मांग करता हूं (व्यवधान)।

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम नियम 377 के अधीन मामलों पर चर्चा करेंगे।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : शून्यकाल का समय पूरे दिन तक के लिए नहीं बढ़ाया जा सकता।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : इसकी कोई सीमा होती है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : हमें अपने आपको अत्यधिक आलोचना तक ही सीमित नहीं कर लेना चाहिए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अब सदन नियम 377 के अधीन मामलों पर चर्चा करेगा। श्री भगवान शंकर रावत।

4.33 म. प.

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) बिचपुरी, आगरा में कृषि विश्वविद्यालय खोलने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को अनुमति प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री भगवान शंकर रावत (आगरा) : आगरा स्थित बलवन्त सिंह कालेज आगरा का ही नहीं, वरन् देश के प्राचीनतम कृषि कालेजों में से एक है। स्वतंत्रता के पश्चात् उत्तर प्रदेश में और कृषि कालेज, कृषि विश्वविद्यालय बना दिए गए मगर राजा बलवन्त सिंह कालेज को कृषि विश्वविद्यालय में अभी तक परिवर्तित नहीं किया गया।

उत्तर प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार व इसकी संस्था आई.एस.आर. को राजा बलवन्त सिंह कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु अनुमति प्रदान करने की प्रार्थना की है मगर अभी तक अनुमति प्रदान नहीं की है।

अत: मैं केन्द्र सरकार से मांग करता हूं कि वह उत्तर प्रदेश सरकार को उत्तर प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालय स्थापित करने एवं बिचपुरी आगरा स्थित राजा बलवन्त सिंह कालेज को कृषि विश्वविद्यालय में परिवर्तित कर कृषि विश्वविद्यालय स्थापित करने की अनुमति प्रदान करें।

(दो) महाराष्ट्र में बीड़ जिले में नई रेल लाईन बिछाए जाने की आवश्यकता

श्रीमती केसरबाई सोनाजी क्षीरसागर (बीड़) : महाराष्ट्र में बीड जिला सबसे बैकवर्ड जिला है। बीड जिले की जनसंख्या 20 लाख है। अभी तक रेल लाइन नहीं होने के कारण यहां का विकास नहीं हुआ। सरकार की नीति है कि पिछड़ा जिला विभाग को प्राथमिकता देकर विकास करना है। बीड जिले की अहमदनगर बीड परली रेल लाइन को अभी तक मान्यता नहीं मिली है। मैंने लगातार कोशिश की है। प्राथमिक सर्वे भी हुआ है। जब तक रेल लाइन नहीं तब तक उद्योग धंधे नहीं। उद्योग नहीं होने के कारण बेरोजगार दिन-ब-दिन बढ़ते जा रहे हैं। अतः केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि बीड जिला के विकास के लिए अहमदनगर बीड पर भी नई लाइन के लिए प्राथमिकता देकर जल्द से जल्द मान्यता दी जाये।

(तीन) देश में विशेषकर उत्तर प्रदेश के सीतापुर जनपद में टेलिफोन सेवा में सुधार किए जाने की आवश्यकता

श्री जनार्दन प्रसाद मिश्र (सीतापुर) : उपाध्यक्ष महोदय, आज देश के विभिन्न भागों में सरकार द्वारा जहां टेलीफोन की सुविधा प्रदान करने की ओर काफी तेजी से कार्य किया जा रहा है, वहीं टेलीफोन विभाग की अक्षमता और अकुशलता के कारण टेलीफोन उपभोक्ताओं को बड़ी ही परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सम्पूर्ण देश में टेलीफोन के खराब रहने, एस.टी.डी.

नम्बरों का न मिलना और ट्रंक बुकिंग का नम्बर घण्टों बजते रहने के बावजूद न उठाया जाना आम शिकायत बन चुकी है। उत्तर प्रदेश में स्थित सीतापुर जनपद इससे अछूता नहीं है। वहां के टेलीफोन उपभोक्ताओं के टेलीफोन अकसर खराब रहते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में तो अक्सर टेलीफोन डैड रहते हैं और खेद तो इस बात का है कि शिकायत करने के बावजूद हफ्तों ठीक नहीं किए जाते हैं। ट्रंक बुकिंग की सुविधा तो एक तरह से न के बराबर हो चुकी है। एक्सचेंज में बुकिंग के लिए घन्टी बजती रहती है किन्तु उसे कोई उठाने वाला नहीं होता है और इस प्रकार बिसवां, महोली, हरगांव व लहरपुर के टेलीफोन उपभोक्ताओं को तंग होकर सीतापुर आना पड़ता है जिसके लिए उन्हें काफी धन व समय व्यर्थ करना पड़ता है तथा उन्हें यह सोचने के लिए मजबूर होना पड़ता है कि टेलीफोन तो केवल लोकल बात करने के लिए ही हैं।

अतः मैं संचार मंत्री से मांग करता हूं कि विभाग की कुशलता और दक्षता को बढ़ाने की दिशा में कठोर कार्यवाही कराने का कष्ट करें ताकि टेलीफोन उपभोक्ताओं को टेलीफोन का पूरा-पूरा लाभ मिल सके तथा बिसवां, महोली, हरगांव, लहरपुर जनपद सीतापुर में एस.टी.डी. सुविधा उपलब्ध कराने की कृपा करें।

[अनुवाद]

(चार) उड़ीसा में विभिन्न विद्युत परियोजनाओं के कार्य में तेजी लाए जाने की आवश्यकता

श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी (पुरी): महोदय, राज्य में विद्युत की खराब स्थिति राज्य के औद्योगिक विकास में रुकावट बनी हुई है। राज्य में 43.3 विद्युत प्रतिशत की कमी है जबकि इसका अखिल भारतीय औसत केवल 7.9 प्रतिशत है। कृषि और औद्योगिक क्षेत्रों के विकास के लिए विद्युत उत्पादन परम आवश्यक है। राज्य में विद्युत का प्रावधान भविष्य में इसके आर्थिक विकास के लिए अति आवश्यक है। राज्य सरकार के हर सम्भव प्रयास और अधिक निवेश के बावजूद आठवीं योजना के अंत तक राज्य में अनुमानित असीमित विद्युत मांग 22.7 प्रतिशत की कमी ही दर्शाएगी। अतः केन्द्रीय सरकार को प्राथमिकता के आधार पर राज्य की निम्न विद्युत परियोजनाओं को अपने हाथ में ले लेना चाहिए।

आई.बी ताप विद्युत परियोजना

द्वितीय चरण : तालचेर ताप विद्युत 'ब' परियोजना का विस्तार;

बारांगढ़ हैड रेगुलेशन परियोजना और बाईमिला विस्तारण (सातवीं और आठवीं इकाई) परियोजनायें।

(पांच) बरेली से मुम्बई और दक्षिण भारत के लिए सीधी रेलगाड़ियां चलाए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री संतोष कुमार गंगवार (बरेली): उपाध्यक्ष महोदय, बरेली उ.प्र. का एक प्रमुख औद्योगिक महानगर है, परन्तु यहां से न तो बम्बई और न ही दक्षिण भारत को जोड़ने हेतु ट्रेनें

[श्री सन्तोष कुमार गंगवार]

चलाई जा रही हैं और न ही बरेली से गुजरने वाली विभिन्न ट्रेनों के उपयुक्त आरक्षण कोटे ही हैं। इस कारण बरेली स्टेशन पर यात्रियों को अत्यधिक असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। मेरा रेल मंत्री से आग्रह है कि बरेली को बम्बई व दक्षिण भारत की ट्रेनों से जोड़ा जाए तथा बरेली से गुजरने वाली सभी ट्रेनों के आरक्षण बढ़ाए जायें।

[अनुवाद]

(छह) ढेंकानाल जिले में खडगप्रसाद और दुर्गापुर में ताप विद्युत केन्द्रों को शीघ्र मंजूरी दिए जाने की आवश्यकता

श्री के. पी. सिंह देव (ढेंकानाल) : महोदय, उड़ीसा राज्य गंभीर विद्युत संकट का सामना कर रहा है और प्रतिदिन राज्य में विद्युत कटौती की जाती है। विद्युत संकट का मुख्य कारण विद्युत उत्पादन में कमी है और दिन-रात बिना किसी योजनाबद्ध तरीके विद्युत की कटौती से लोगों की तकलीफों को और भी बढ़ा दिया है। इस कारण लोग अपने घरों तक सीमित हो कर रह गये हैं। और छात्र पढ़ नहीं पा रहे हैं। उड़ीसा में किसानों को सिंचाई के लिए बिजली प्राप्त नहीं हो रही है। बिजली की कमी के कारण उद्योग रुग्ण हो रहे हैं। अन्य राज्यों की तुलना में इस राज्य में ग्रामीण विद्युतीकरण के क्षेत्र में ज्यादा विकास नहीं हुआ है।

राज्य में विद्युत संकट को दूर करने लिए अतिरिक्त विद्युत उत्पादन हेतु शीघ्र कदम उठाए जाने आवश्यक है। राज्य में प्रस्तावित कई विद्युत केन्द्र जिसमें कोयले पर आधारित खड़गप्रसाद और ढेंकानाल जिले में दुर्गापुर विद्युत केन्द्र परियोजनाएं काफी लम्बे समय से लम्बित है मैं निवेदन करूंगा कि केन्द्रीय सरकार शीघ्र ही इन दो ताप विद्युत संयंत्रों को स्वीकृत प्रदान करे ताकि इन्हें चालू वित्तीय वर्ष में ही स्थापित किया जा सके।

(सात) होनावार में राजमार्ग 17 पर शरावती नदी के ऊपर राष्ट्रीय पुल की शीघ्र मरम्मत किए जाने और वाहनों का पारगमन व्यवस्थित किए जाने के लिए तोष सेतु स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्री वी. धनंजय कुमार (मंगलौर) : महोदय, विषय वस्तु पर बोलने से पहले मैं आपको शून्य काल में सभी सदस्यों को अपने विचार व्यक्त करने की अनुमति देने के लिए मैं आपको बधाई देना चाहूंगा। मैं आशा करता हूं कि सदन इस बात की सराहना करेंगे कि आप बिना भोजनावकाश के पांच घंटे से अधिक समय से पीठासीन है। होनावार में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 17 पर शरावती नदी के ऊपर बने पुल पर भारी यात्री वाहनों और माल वाहनों के आवागमन पर लगी रोक के कारण मंगलोर और मुम्बई के मध्य यात्रियों और माल का आवागमन अव्यवस्थित हो गया है। यह प्रतिबंध पुल को पहुंची क्षति की आड़ में लगाया गया है और छह टन भार के छोटे वाहनों के आने जाने का प्रावधान किया गया। पुल के दोनों ओर के प्रवेश द्वार पर लोहे के गार्डर खड़े किए गए है और भारी वाहनों को नौकाओं की सहायता से नदी पार कराई जाती है। ऐसा अनुभव किया गया है कि रात्रि के समय छह टन से ज्यादा भार वाले वाहनों को रियायत लेकर पुल से होकर जाने दिया

जाता है। नौकायानों को चलाने वाले जनता को ठग रहे हैं। 35 यात्रियों को ले जाने वाले एक भारी यात्री वाहन का वजन छह टन से कम होगा। अतः यह प्रस्ताव किया गया है कि वास्तविक यात्रियों को ले जा रहे भारी यात्री वाहनों को लोहे के गार्डर हटाकर आवागमन की अनुमति दी जाये। और स्वीकृत भार के अनुरूप यातायात को नियंत्रित करने हेतु पुल के दोनों ओर के प्रवेश द्वारों पर तोल सेतु स्थापित किए जाने चाहिए। क्षतिग्रस्त पुल की मरम्मत के कार्य में तेजी लाने हेतु आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए।

(आठ) राजस्थान के सलूम्बर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में रसोई गैस की और अधिक एजेन्सियां खोले जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री भेरू लाल मीणा (सलूम्बर) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा संसदीय क्षेत्र एक आदिवासी बाहुल्य और पहाड़ी क्षेत्र है यहां पर जंगल की कटाई बराबर बढ़ रही है। सरकार की ओर से ग्रामीण क्षेत्रों में रसोई गैस ऐजेन्सी नहीं दिए जाने के कारण लोगों को खाना पकाने के लिए बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। 85 प्रतिशत जनता आज भी गांवों में निवास करती है। कई शहरी क्षेत्रों के एक ही विधान सभा क्षेत्र में 8 से 10 गैस ऐजेन्सियां चल रही हैं। मेरे चुनाव क्षेत्र में प्रतापगढ़, तागधाड़ा, सलूम्बर, खेरवाड़ा, गिर्वा, जावर माइन्स सभी बड़े कस्बे हैं, जिनकी प्रत्येक की आबादी 30 हजार के आसपास है। इसके अलावा इन कस्बों के पास के गांवों की आबादी अलग से है। इन सभी कस्बों में नगरपालिकाएं, शिक्षण संस्थान, सरकारी कार्यालय एवं चिकित्सा केन्द्र आदि स्थित हैं। मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में गैस एजेन्सी की सुविधा प्रदान किए जाने हेतु उक्त सातों स्थानों का सर्वे कराया जाए ताकि मेरे क्षेत्र की जनता इस सुविधा का लाभ उठा सके और इस आदिवासी क्षेत्र के जंगल कटाई से बच सकें। पर्यावरण की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मेरा सरकार से आग्रह है कि इस ओर अविलम्ब ध्यान दिया जाए।

(नौ) राजस्थान में पुष्कर सरोवर के निकास के लिए विस्तृत योजना तैयार किए जाने की आवश्यकता

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : उपाध्यक्ष महोदय, नियम 377 के अधीन मैं सूचना देना चाहता हूं कि पुष्कर जिला अजमेर (राजस्थान) करोड़ों हिन्दुओं का प्रमुख तीर्थ स्थल एवं आस्था का केन्द्र है। समस्त देश विदेश के लाखों लोग विभिन्न धार्मिक एवं पावन पर्वों पर पुण्य लाभ कमाने की दृष्टि से आते हैं। यहीं विश्व में एकमात्र ब्रह्मा जी का मन्दिर है। प्राकृतिक एवं पर्यावरण की दृष्टि से भी पुष्कर एक मनोरम स्थल है और यहीं पर परम पवित्र पुष्कर सरोवर है जिसमें लाखों श्रद्धालु स्नान कर अपने को धन्य मानते हैं।

निरंतर बढ़ते हुए थार मरुस्थल की रेत और अरावली की पहाड़ियों के वृक्षों की कटाई हो जाने से बरसाती नालों के साथ पहाड़ों से कटकर आयी मिट्टी के निरंतर जमा होते रहने के कारण पुष्कर सरोवर में भारी मिट्टी जमा हो गयी है। सरोवर का पानी सूख गया है तथा सरोवर के प्राकृतिक स्त्रोत भी बंद हो गए हैं। फलस्वरूप वहां आने वाले लाखों तीर्थयात्रियों को धार्मिक भावनाओं को स्नान करने का अवसर नहीं मिल पाने के कारण उन्हें बहुत असुविधा हो रही है। हजारों पंडे पुरोहितों की रोटी खतरे में पड़ गयी है। पुष्कर में विदेशी पर्यटक भी मेले तथा अन्य अवसरों पर बहुत बड़ी संख्या में आते हैं और विदेशी मुद्रा का अर्जन होता है। पर्यटन की दृष्टि से भी पुष्कर

[प्रो. रासा सिंह रावत]

का महत्व है। ऐतिहासिक, धार्मिक एवं सामाजिक एकता की दृष्टि से पुष्कर का भारतीय इतिहास एवं संस्कृति में अत्यन्त प्राचीन काल से महत्व रहा है।

अतः पुष्कर के धार्मिक, पर्यटन, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक महत्व की रक्षा करने के लिए केन्द्र सरकार का पर्यावरण एवं पर्यटन विभाग एक समन्वित कार्यक्रम बनाकर पुष्कर सरोवर की जमा मिट्टी अविलम्ब निकलवाये एवं भविष्य में मिट्टी बहकर आने से रोकने, रेगिस्तान को रोकने हेतु पहाड़ियों पर सघन वृक्षारोपण करे तथा चैक डैम्स बनवाये जाएं तथा एक "पुष्कर विकास योजना" बनाई जानी चाहिए। राज्य सरकार ने भी इस सम्बन्ध में भारत सरकार को विस्तृत योजना बनाकर भेजी है।

अतः केन्द्र सरकार पुष्कर के अस्तित्व को बचाने हेतु एक पुष्कर क्षेत्र समग्र विकास योजना बनाकर जापान सरकार एवं विश्व बैंक की सहायता से संचालित "अरावली विकास योजना" एवं "मरूस्थल रोकथाम योजना" में सम्मिलित करे।

(दस) बिहार के किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से निपटने में सक्षम बनाए जाने हेतु योजना तैयार किए जाने की आवश्यकता

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, बिहार राज्य के लोगों की आजीविका का मुख्य साधन यद्यपि कृषि है किन्तु राज्य का अधिकांश भू-भाग कृषि के लिए पानी की आवश्यकता को वर्षा द्वारा ही पूरा करता है। बिहार राज्य की सिंचित भूमि 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी, शेष भूमि वर्षा के पानी पर आधारित है। इस वर्ष वर्षा बहुत कम हो रही है। यहां खरीफ की फसल मुख्यतः धान है जिसे प्रदेश के 60 प्रतिशत क्षेत्र में रोपा जाता है किन्तु इस बार राज्य में वर्षा कम होने से पानी की उपलब्धता में कमी आ रही है। कुछ कृषि विशेषज्ञों ने कृषकों को सलाह दी है कि भले ही धान कम हो, किन्तु आप धान की पौध को थोड़े पानी में ही रोप डालिये। धान बिल्कुल पैदा न होने से तो कहीं अच्छा है कि वह कुछ तो पैदा हो। विशेषज्ञों की राय है कि इस प्रकार कम पानी में रोपी गयी धान की फसल में पैदावार 20 प्रतिशत से 40 प्रतिशत तक हो सकती है। बिहार राज्य में पहले से ही कृषि उपज की दर देश के कृषि के क्षेत्र में विकसित प्रदेशों की अपेक्षा आधी से कम है। इसलिए यहां के किसान की माली हालत पहले से ही अच्छी नहीं है। उस पर, इस वर्ष औसत उपज की दर में और गिरावट आ जायेगी।

अतः मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि वह बिहार राज्य के किसानों के लिए इस वर्ष कम से कम एक नई सहायता योजना चालू करे जिससे किसान प्राकृतिक प्रहार को झेलने में सक्षम हो सके।

डा. परशुराम मंगवार (पीलीभीत) : उपाध्यक्ष महोदय, कहने के लिए तो यहां पर लॉटरी सिस्टम है और हर चीज का फैसला लॉटरी के आधार पर किया जाता है परन्तु मैंने नियम 377 के अधीन अपने क्षेत्र की समस्या से सम्बन्धित एक नोटिस दिया था, वह मैटर लॉटरी में नहीं आया। मैं चाहता हूं कि हर मैम्बर को अपने क्षेत्र की समस्या उठाने का अवसर मिलना चाहिए, मेरा नाम आगे आये, यहां अगर लॉटरी सिस्टम है तो उसमें कुछ ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए ताकि सभी का नाम आ सके।

उपाध्यक्ष महोदय : आपने अपनी भावना यहां व्यक्त की, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद ।

4.48 म. प.

शिशु दुग्ध अनुकल्प, पोषण बोतल और शिशु खाद्य (उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) विधेयक

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य और खेलकूद विभाग तथा महिला और बाल विकास विभाग में राज्य मंत्री (कुमारी ममता बनर्जी) : मैं श्री अर्जुन सिंह की ओर से प्रस्ताव करती हूं कि स्तन पोषण के संरक्षण और संवर्धन और शिशु खाद्य के उचित उपयोग को सुनिश्चित करने की दृष्टि से शिशु दुग्ध अनुकल्प, पोषण और शिशु खाद्य के उत्पादन, प्रदाय और वितरण के विनियमन का और उनसे सम्बन्धित या उनके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।

विधेयक की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं :

(एक) शिशु दुग्ध अनुकल्प पोषण और शिशु खाद्य उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन (शिशु खाद्य का तात्पर्य दुग्ध छुड़ाने वाले उत्पाद भी है ।

(दो) निम्न उपायों के माध्यम से इस विधेयक का प्रयास दुग्ध पोषण अनुकल्प की बिक्री और प्रसार का विनियमन :

(क) शिशु दुग्ध अनुकल्प और पोषण बोतलों की बिक्री, के विज्ञापनों या इसके वितरण पर प्रतिबंध ।

(ख) शिशु दुग्ध अनुकल्प के प्रसार पर प्रतिबन्ध ।

(ग) शिशु दुग्ध अनुकल्प और पोषण बोतलों के सेम्पलों के वितरण और दान (अनाथों के मामले को छोड़कर) पर प्रतिबन्ध ।

(घ) शिशु दुग्ध अनुकल्प या पोषण बोतलों पर जानकारी या शिक्षा या इससे संबंधित उपकरणें का दान पर प्रतिबंध ।

(ङ) मां का दुग्ध आपके बच्चे के लिए श्रेष्ठकर है यह वक्तव्य सभी शिशु अनुकल्प कंटेनरी और शिशु दुग्ध पर वैधानिक रूप से अनिवार्य होगा ।

(च) शिशु दुग्ध अनुकल्प कंटेनरो पर महिला या शिशु की तस्वीरें लगाने पर प्रतिबन्ध ।

(छ) प्रसव पूर्व और प्रसव के बाद के बारे में शिक्षित करने के लिए जो सामग्री होगा

[कुमारी ममता बनर्जी]

उसमें स्तनपान की श्रेष्ठता और पोषण बोतलों के हानिकारक असर के बारे में प्रचार को अनिवार्य करना।

(तीन) जब कभी उपबन्धों का उल्लंघन हो तो इस विधेयक में प्रवेश, तलाशी, गिरफ्तारी, अभिग्रहण, जब्ती का भी प्रावधान है।

(चार) इस विधेयक में उपबन्धों के उल्लंघन के लिए दण्ड का प्रावधान है और इस सम्बन्ध में अधिकतम दंड के रूप में तीन साल के कारावास के साथ-साथ पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लग सकता है।

(पांच) इस अधिनियम के अन्तर्गत अपराधों को संज्ञेय और जमानती करार दिया गया है।

महोदय, मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगी कि वे इस सम्बन्ध में अपने सुझाव दें और इस विधेयक का समर्थन करें। यह विधेयक पिछले दस सालों से लम्बित है। 1981 में, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मां के दूध के विकल्प के विपणन के लिए अन्तर्राष्ट्रीय संहिता अपनायी।

इसके पश्चात् भारत सरकार ने विभिन्न संस्थाओं के साथ परामर्श करके मां के दूध को बढ़ावा देने के लिए भारतीय राष्ट्रीय संहिता अपनायी। 1986 मे संसद ने राज्य सभा में यह विधेयक पारित किया, परन्तु लोक सभा के भंग होने की वजह से, यह पारित नहीं हुआ। 1991 में यह विधेयक फिर से पुर:स्थापित किया गया, परन्तु फिर, लोक सभा भंग होने की वजह से, यह पारित नहीं हुआ। हमने यह विधेयक, फिर इस साल आठ-मई को पुर:स्थापित किया। श्री राम नाइक इस सम्बन्ध में, एक निजी सदस्यों सम्बन्धी विधेयक भी लाये। उस समय, मैंने सदन को आश्वासन दिया था कि हम यह विधेयक सरकार की तरफ से लायेंगे।

मैं इस क्षेत्र में विशेषज्ञ नहीं हूं। मैं आपके सुझावों को लेना चाहूंगी। मैं कहना चाहूंगी कि चूंकि यह सत्र का आखिरी दिन है और बहुत से व्यापारिक समूह इस विधेयक को पारित किए जाने के विरुद्ध हैं अत: अपने बच्चों के भविष्य के लिए, आज हमें यह विधेयक पारित कर देना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि स्तन पोषण के संरक्षण और संवर्धन और शिशु खाद्य के उचित उपयोग को सुनिश्चित करने की दृष्टि से शिशु दूध अनुकल्प, पोषण बोतल और शिशु खाद्य के उत्पादन, प्रदाय और वितरण के विनियमन का और उनसे सम्बन्धित या उनके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाय।"

अब विचाराधीन प्रस्ताव में संशोधन है।

प्रो० रासा सिंह रावत (अजमेर) : प्रस्ताव करता हूं :

"कि पन्द्रह अक्तूबर, 1992 तक राय लिये जाने के प्रयोजन से यह विधेयक परिचालित किया जाये।"

[हिन्दी]

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : उपाध्यक्ष महोदय, शिशु दुग्ध अनुकल्प, पोषण बोतल और शिशु खाद्य (उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) विधेयक, 1992 का मैं हृदय से स्वागत करता हूं और इस विधेयक का मैं समर्थन भी करता हूं।

जैसा कि अभी माननीय राज्य मन्त्री ममता जी ने बताया कि वे कोई विशेषज्ञ नहीं हैं, वे एक्सपर्ट नहीं हैं, इसलिए इसके बारे में कोई सुझाव हो, तो उस पर विचार किय जाएगा। मैं सदन में यह भी बताना चाहता हूं कि मैंने इस विधेयक पर 67 संशोधन दिए हैं और ये संशोधन इस विधेयक के प्रस्तुत होने के बाद देश के कई प्रकार के डाक्टर्स और अलग-अलग संस्थाओं के साथ विचार-विमर्श करके, उनसे जो जानकारी प्राप्त हुई, उसके आधार पर मैंने यहां 67 संशोधन प्रस्तुत किए हैं।

श्री सूर्य नारायण यादव (सहरसा) : उपाध्यक्ष महोदय, हाउस में कोरम का अभाव है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कोरम की घंटी बजाई जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : अब, कोरम है।

[हिन्दी]

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था कि कुछ विषय ऐसे होते हैं जो राजनीतिक पार्टियों के परे होते हैं और यह एक ऐसा विषय है जिसमें राजनीतिक पार्टियों का कोई मतभेद न होते हुए सबकी सहमति से इसे पूरा किया जा सकता है। इस विधेयक का समर्थन करते हुए मुझे स्वाभाविक खुशी होती है, जिसका माननीय मंत्री महोदया ने उल्लेख किया, कि 30 अगस्त, 1991 को मैंने इस सदन में एक गैर सरकारी विधेयक प्रस्तुत किया था और उस समय मंत्री महोदया ने आश्वासन दिया था कि सरकार जल्द से जल्द ऐसा परिपूर्ण विधेयक लाएगी। एक साल का समय होने को आया है, देखा जाए तो यह समय बहुत लम्बा है लेकिन देर आए दुरुस्त आए। इस भूमिका में जो आश्वासन दिया था उसके अनुरूप यह विधेयक आया है, इसकी मुझे स्वाभाविक खुशी है। साथ-साथ इसमें और दो महत्व की बातें जुड़ी हुई हैं वे यह हैं कि सारी दुनिया में 1 अगस्त से 7 अगस्त तक ब्रैस्ट फीडिंग प्रमोशन वीक करके मनाया जाता है और आपने देखा होगा कि गए 15 दिन के पहले हिन्दुस्तान में भी कई जगहों पर बड़े पैमाने पर इस सप्ताह में कार्यक्रम हुए। मैं मानता हूं कि लोगों की जागृति इस बात में हुई कि इस विषय का क्या महत्व है। शायद मंत्री महोदया के ख्याल में नहीं आया होगा लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे नवनिर्वाचित राष्ट्रपति के हाथों से नेशनल चाईल्ड सरवाईवल एण्ड सेव्ड मदरहुड प्रोग्राम का पांच बजे उद्घाटन हो रहा है। इसलिए एक अति उत्तर योग्य समय की दृष्टि से आज का यह विधेयक चर्चा के लिए आया है। मैं इसका समर्थन करता हूं।

[श्री राम नाईक]

4.58 म० प०

(श्री पीटर जी० मरबनिआंग पीठासीन हुए)

ग्यारह साल पहले सारी दुनिया ने कोड मजूर किया लेकिन विधेयक मंजूर होने के लिए आने की स्थिति में ग्यारह साल लगे तो मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम अब इसमें विलम्ब नहीं होना चाहिए। मां के दूध और बोतल का संघर्ष अब समाप्त हो रहा है।

5.00 म. प.

[अनुवाद]

यह जो संघर्ष चल रहा था, इसका अंतः आ रहा है, ऐसा मैं मानता हूं। इसलिये इस भूमिका में बार-बार विधेयक यह आया, पूरा नहीं हुआ। राज्य सभा में मंजूर हुआ तो जब लोक सभा में फिर आया, लोक सभा विसर्जित हो गई। गये साल में लोक सभा में फिर आया, फिर लोक सभा विसर्जित हो गई। तीसरी बारमेरा गैर सरकारी विधेयक आया और आपने उसका समर्थन किया, मैंने उसे वापस लिया और अब फिर यह विधेयक आया है। मैं चाहता हूं कि आज लोक सभा से पारित होकर राज्य सभा में जाये तो समझ लीजिए कि किसी कारण से अपघात हुआ और लोक सभा समाप्त भी हो गई तो राज्य सभा जो कि लगातार चलती है, वहां वह पास हो जायेगा। इस भूमिका में मैं इस विधेयक का स्वागत कर रहा हूं।

इसमें कई महत्वपूर्ण बातें हैं और जैसा कि कहने के पूर्व मैंने उल्लेख किया कि ब्रैस्ट फीडिंग प्रमोशन का काम गैर सरकारी कई संस्थाएं करती हैं। उन्होंने लगातार गये 10 साल में इस बारे में कई आन्दोलन चलाये। इन सारी संस्थाओं को मैं इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूं इस सदन की ओर से जिस मैं।

[अनुवाद]

(1) ऐसोशियेशन फार कन्जूमर्स एक्शन आन सेफ्टी एण्ड हेल्थ, ए. सी. ए. एस. एच., बोम्बे (2) वोल्यून्टेरी हेल्थ एसोशियेशन आफ इण्डिया, दिल्ली, (3) कोयेलिशन आफ प्रोटेक्शन आफ वूमेन एण्ड चिल्डरन (4) कन्जूमर्स गाईडेन्स सोसाइटी आफ इन्डिया (5) इण्डियन एकेडेमी आफ पेडिट्रिक्स है।

[हिन्दी]

इन संस्थाओं ने इनके सम्बन्ध में जो काम किये, वे प्रशंसनीय थे। मैं उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना चाहता हूं। उन्होंने जन-जागरण का काम इसके सम्बन्ध में किया है। हर बच्चे को मां का दूध मिलना उसका एक जन्मसिद्ध अधिकार है। यह जन्मसिद्ध हक होते हुए मां का भी कर्तव्य है दायित्व है।

[अनुवाद]

यह केवल एक फर्ज ही नहीं बल्कि एक विशेषाधिकार भी है।

[हिन्दी]

अपने बच्चों को मां इस प्रकार का दूध दे और मां के स्तन का दूध बालक को मिलना, यह अपने आप में महत्वपूर्ण चीज है। प्रकृति ने जो चीजें समाज और लोगों को दी है, उसमें मैं ऐसा मानता हूं कि प्रकृति ने मां को जो दूध दिया है, वह दूध अपने बच्चों को जरूर पिलाये। जिस बच्चे को मां का दूध नहीं मिलता है वह अभागा बच्चा होता है और जो मां अपने बच्चों को किसी कारण से इस प्रकार का दूध नहीं पिला पाती है, वह मां भी अभागी है। ऐसा क्यों होता है ?

स्तनपान की नैसर्गिक प्रक्रिया होनी चाहिए। कई बार मां का दूध आता नहीं है उसमें शायद हम कुछ कर नहीं सकते हैं लेकिन सबसे गम्भीर बात यह है कि सौन्दर्य की जो कल्पना है, उसके अनुसार मां अगर अपने बच्चे को स्तन से दूध पिलाती है तो महिलाओं का सौन्दर्य जल्दी समाप्त होता है। इस प्रकार की गलत धारणा लोगों में बनी हुई है। समाज जितना अधिक सुशिक्षित है उतनी ही अपने बच्चे को अपने स्तन से दूध पिलाने की स्थिति देखी गई है। मुम्बई शहर में इसके बारे में जनरल सर्वे किया गया था। उसके अनुसार वहां धनवान लोगों की 80 परसेंट महिलायें अपने बच्चों को स्तन का दूध नहीं पिलाती हैं और जो नौकरी करने वाली हैं, सुशिक्षित हैं, उसमें 64 परसेंट महिलायें अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाती हैं लेकिन जो बर्तन मांजने के लिए जाती हैं, मेहनत करती हैं, ऐसी गरीब महिलायें 10 परसेंट हैं जो अपने बच्चों को स्तनपान से दूध नहीं पिलाती हैं।

यह जो इनफेंट फूड बनाने वाले लोग हैं, उनका अग्रेसिव प्रभावी प्रचार चलता है। उसमें यह दिखायी देता है कि मां के दूध का यह सब्सीटच्यूट है। मां का दूध सौन्दर्य हानि करता है और सब्सीटच्यूट यूज लिया जाये तो सारी बात पूरी होती है। यह अग्रेसिव पाब्लिसिटी सारी दुनिया में चलती है। हिन्दुस्तान में आज भी चल रही है। इसमें मल्टीनेशनल हैं। अपने देश में "अमूल" के जैसा इनफेंट फूड बनाने वाली संस्था है, मुझे लगता है कि इनके विज्ञापन का लोगों पर असर पड़ता है। वह कम करने की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण विधेयक है।

इस स्थिति में हम यह देख रहे हैं कि आज शिक्षित समाज में बाटल कल्चर बोतल संस्कृति रहा है। बच्चा हो गया तो उसको बोटल से दूध पिलाओ, अपना खुद का दूध मत पिलाओ। इस बोटल कल्चर का अपने आप में विरोध करने वाला, समाज को सही ढंग से जागृत करने वाला इस प्रकार का यह विधेयक का प्रयास है।

अब स्तनपान क्यों करना चाहिए, मुझे इसमें लगता है कि यह बात समाज में यहां से जानी चाहिए, सब जगह से भी जानी चाहिए, क्योंकि, आखिर मां और बच्चा अपने आप में एक बायोलोजिकल यूनिट है इसलिए मां में से बच्चा जब पैदा होता है तो स्वाभाविक तौर पर मां का दूध उस बच्चे को योग्य रहता है, सभी दृष्टि से और इसलिए मां का दूध बच्चे के लिए अपने आप में कम्पलीट फूड पूर्ण अन्न होता है और यह देखा गया है कि बच्चों को चार, पांच, छः महीने तक यदि केवल मां का दूध ही दिया जाए, पानी या अन्न कोई नहीं दिया जाए तो बच्चा अधिक आरोग्यदायक ढंग से वृद्धि करता है। यह भी देखा गया है और हिन्दुस्तान की तो यह फीगर्स हैं कि अपने देश में एक साल से पहले मरने वाले बच्चों की संख्या प्रतिवर्ष 10 लाख है। यदि अपने बच्चों को योग्य ढंग से ठीक प्रकार से दूध पिलाया जाए तो बच्चे की जो एक शारीरिक स्थिति होती है, डायरिया हो या किसी भी प्रकार के रोग हों, जिसके कारण बच्चे मर जाते है, उसके विरोध म

[श्री राम नाईक]

संरक्षक शक्ति जो उसकी है, वह बढ़ती है। इस भूमिका के मां के दूध का बहुत महत्व है।

इस भूमिका में एक और बात है, जो देश के लिए बड़े महत्व की है कि जब मां बच्चे को दूध देती है तो अपने आप में फैमिली प्लानिंग को प्रमोशन मिलता है, जो मां अपने बच्चे को दूध देती है तो उसको नौ, दस, ग्यारह या 12 महीने तक जब तक बच्चा बड़ा नहीं होता है, तब तक दूसरा बच्चा पैदा होना चाहिए, ऐसा लगता नहीं है और इसलिए स्वाभाविक, नैसर्गिक बात ऐसी है, जिसके कारण फैमिली प्लानिंग को प्रोत्साहन देने वाला यह कार्यक्रम बनता है। दूसरी जो बात है कि डायरिया और जो दूसरे रोग हैं, यदि बोटल से दूध पिलाया जाए तो उसमें पानी बाहर का होता है, पानी अच्छा है, नहीं है, जो अन्न है, ठीक है, नहीं है, बच्चे को जो बोटल से दूध पिलाया जाता है, उसका निप्पल होता है और उस निप्पल के कारण से मां क्या करती है, बच्चे का बड़ा भाई है, बड़ी बहन है, बच्चे को तुम पकड़ो और दूध पिलाओ, तो वह आरोग्य कारक ढंग से बोतल रहती नहीं है और इसके कारण से भी बीमारी होती है। कुछ लोगों ने तो उसका यहां तक विचार किया है कि सारे हिन्दुस्तान में बच्चों को बाहर का जो दूध पिलाया जाता है, उस दूध को गर्म करने के लिए भी जो हीट लगेगी, बिजली लगेगी, ऊर्जा लगेगी, वह मां अपना दूध पिलाती है तो उसकी भी आवश्यकता नहीं होती है और उर्जा की सेविंग भी अपने आप होती है तो इस भूमिका में इस बिल का इस ढंग से बड़ा महत्व है।

एडवरटाइजमैंट पर विज्ञापन पर रोक लगाना और एडवरटाइजमैन्ट पर रोक लगाने के साथ यह कानून क्यों मंजूर करना चाहिए इस महत्वपूर्ण आरोग्य की दृष्टि से जो बात है, उसको एक लीगल सैक्शन होनी चाहिए, यह अपने आपमें एक पूरी लीगल सैक्शन नहीं होगी लेकिन कानून भी इस बात का समर्थन करता है और अपने देश में, सभापति जी, आपको भी जानकर आश्चर्य लगेगा कि 720 करोड़ रुपये का इन्फैंट फूड बेचा जाता है। यह ठीक है कि जब मां को दूध नहीं आयेगा, वह बाहर का लेकर देगी तो अलग बात है लेकिन इसमें से इतना पैसा बच जाता है और मां को खाने के लिए कितना लगता है और वह कितना दूध देती है, उसका हिसाब जब किया गया तो यह देखा गया कि मां का दूध

[अनुवाद]

आर्थिक दृष्टि से सस्ता है।

[हिन्दी]

और आरोग्य की दृष्टि से भी यही बात इसमें दिखाई देती है।

अब जार्ज फर्नांडीज साहब नहीं हैं, यह बिल जब गये समय पर इण्ट्रोड्यूस किया गया, मंत्री महोदया द्वारा तब उन्होंने इस बात को लेकर विरोध किया कि यदि इस प्रकार का विधेयक मंजूर होगा तो जो इंटरनेशनल एडवरटाइजमैंट करने वाले हैं, जैसे आजकल स्टार टी. वी. है या दूसरे हैं वह तो अपनी जगह पर एडवरटाइजमैण्ट करेंगे और फिर हिन्दुस्तान का दूरदर्शन और हिन्दुस्तान की आकाशवाणी को एडवरटाइजमैण्ट नहीं मिलेंगे, उससे अपना नुक्सान होगा। लेकिन सारी दुनिया के सभी देशों ने अब यह मंजूर किया है और इसलिए इटरनेशनल कोड के अन्तर्गत जिन्ने इस प्रकार की बेबी फूड्स बनाने वाली सारी फैक्टरीज हैं, उन्होंने भी यह मान लिया है कि हम इसका एडवरटाइजमेंट नहीं करेंगे।

मुझे लगता है कि श्री जार्ज फर्नान्डीज साहब की जो उस समय की बात थी वह आज के संदर्भ में ठीक नहीं है। एडवरटाइजमेंट की बात हो गई। इससे लगता है कि बेबी फूड का प्रोडक्शन कम होगा। इसके कारण पाबंदी नहीं आ रही है। एक साल पहले का जो बच्चा है उसको नहीं देने पर पाबंदी है। मुझे नहीं लगता है कि इसके कारण कामगार बेकार होंगे।

मैंने कई अमेंडमेंट दिए हैं। 67 में से तीन अमेंडमेंट महत्व की हैं। यह बिल जो है वह मुख्यतः इन्फेंट फूड और फीडिंग बॉटल इन दोनों पर है। मैंने यह अमेंडमेंट दिया है कि पेसीफायर जोड़ना चाहिए। जब बच्चे को भूख लगती है तो बच्चा रोता है तो कई माँ उसके मुंह में रबर की गोली डाल देती हैं तो बच्चे को लगता है कि वह दूध पी रहा है और फिर पेसीफाई, शांत होता है और उसका रोना बंद होता है। पैसीफायर को इसमें इन्क्लुड करना चाहिए। यह मेरी पहली अमेंडमेंट है। दूसरा अमेंडमेंट यह है कि इनफेंट फूड, फीडिंग बाटल जैसे तीन-चार शब्दों का प्रयोग किया है। उसमें मैंने प्रोहिबिटेड गुड्स की अलग से डेफीनीशन बनाकर दी है। बार-बार उन्हीं शब्दों का प्रयोग करना अच्छा नहीं होता। इन्फेंट फूड की जो डेफीनीशन है वह अधूरी है और कमजोर है। इन्फेंट फूड की एडलट्रेशन फूड एक्ट के अन्तर्गत डेफीनीशन होती है, मैं चाहता हूं कि उस कानून में जो इन्फेंट फूड की व्याख्या है, उसमें वही डेफीनीशन होनी चाहिए। इसमें विधेयक का अमल करने वाली संस्था वही है। फूड एडलट्रेशन एक्ट के लिए एक इन्सपैक्टर एक काम करेगा और वही इन्सपेक्टर इन्फेंट फूड के लिए दूसरा काम करेगा तो डेफीनीशन में गड़बड़ियां हो जायेंगी। इन्फेंट फूड डेफीनेशन सभी दृष्टि से कानून में योग्य हैं।

मेरा अन्तिम सुझाव यह है कि इन्फेंट फूड कई लोगों को मुफ्त में देने का प्रचार का काम होता है। डाक्टरों और मैटरनिटी अस्पतालों को दिया जाता है, उसको रोकने का इसमें प्रयास है। ऐसा फूड देंगे और लेंगे, यह दोनों को अपराध करना चाहिए, इस प्रकार का अमेंडमेंट मैंने इसमें दिया है। इन सारी बातों को देखते हुए उसकी डेफीनेशन को दुरुस्त करना चाहिए। उसको ठीक प्रकार से दुरुस्त किया जाए तो उसका ठीक प्रकार से अमल हो सकता है।

अंत में मेरा अमेंडमेंट यह है कि इसका अमल ठीक हो रहा है या नहीं इसके बारे में शिकायत करनी चाहिए। फूड इंसपेक्टर के पास, इस प्रकार का विधेयक का रूप है। इसमें कौन शिकायत कर सकता है तो मैंने इसमें जोड़ा है जो वालेन्टरी आरगेनाइजेशन रजिस्टर्ड है और जो चाइल्ड वेलफेयर का काम करती है और जो संस्था कंज्युमर प्रोटेक्शन का काम करती है तो ऐसी कोई भी संस्था को जहां-जहां कानून का उल्लंघन होता होगा तो इस प्रकार की शिकायत करने का अधिकार मिलना चाहिए, ऐसा अमेंडमेंट है। यह विषय बहुत लम्बा है और मैंने लम्बा भाषण किया है। इसके लिए आपने समय दिया तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं और विधेयक का समर्थन करता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अगले वक्ता को बुलाने से पहले मैं माननीय मंत्री श्री एस.बी. चव्हाण से निवेदन करूंगा कि वह एक वक्तव्य दें।

श्री एस.बी. चव्हाण।

5.13 म.प.

मन्त्री द्वारा वक्तव्य

संघ शासित क्षेत्र दिल्ली एवं पांडिचेरी में स्वतन्त्रता संग्राम सैनिकों की पेंशन में वृद्धि

[अनुवाद]

गृह मन्त्री (श्री एस.बी. चव्हाण) : दिल्ली के वे स्वतन्त्रता सेनानी जिन्होंने तीन महीने अथवा अधिक समय तक कारागार में रहने का कष्ट भोगा है, 100/- रुपए प्रतिमाह और जिन्होंने तीन महीने से कम समय तक कारागार में रहने का कष्ट भोगा है, 75/- रुपए प्रतिमाह राज्य पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। पांडिचेरी में स्वतन्त्रता सेनानी 250/- रु. प्रतिमाह राज्य पेंशन पा रहे हैं। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय पेंशन पा रहे दिल्ली के स्वतन्त्रता सेनानियों को 150/- रु. प्रतिमाह दिए जा रहे हैं। पांडिचेरी में 272 स्वतन्त्रता सेनानी केन्द्रीय पेंशन पा रहे हैं। इनमें से 247 स्वतन्त्रता सेनानी केन्द्रीय पेंशन के अलावा 100/- रु. प्रतिमाह की राशि राज्य पेंशन के रूप में प्राप्त कर रहे हैं।

2. 'भारत छोड़ो आंदोलन' के इस स्वर्ण जयन्ती वर्ष में केन्द्र सरकार स्वतन्त्रता सेनानियों की मासिक केन्द्रीय पेंशन को 250/- रु. प्रतिमाह बढ़ा चुकी है। दिल्ली और पांडिचेरी में स्वतन्त्रता सेनानियों की राज्य पेंशन को बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। दिल्ली के स्वतन्त्रता सेनानियों के मामले में मासिक राज्य पेंशन इस प्रकार होगी :

(i) उन स्वतन्त्रता सेनानियों को, जिन्होंने कम से कम तीन महीने और अधिकतम 6 महीने तक कारागार का कष्ट भोगा है और जिन्हें इस समय 100/- रु. प्रतिमाह की दर से भुगतान किया जा रहा है, अब 400/- रु. प्रतिमाह मिलेंगे।

(ii) उन स्वतन्त्रता सेनानियों को, जिन्होंने तीन महीने से कम अवधि तक कारागार की सजा भोगी हो और जिन्हें इस समय 75/- रु. प्रतिमाह की दर से भुगतान किया जा रहा है, अब 300/- रुपए प्रतिमाह मिलेंगे।

(iii) केन्द्रीय पेन्शन पा रहे स्वतन्त्रता सेनानियों के मामले में 250/- रुपए प्रतिमाह।

पांडिचेरी के मामले में, राज्य पेन्शन निम्नलिखित दरों पर दी जाएगी :

(i) इस समय प्रदान की जा रही 250/- रु. प्रतिमाह की राज्य पेन्शन के स्थान पर 400/- रु. प्रतिमाह की राज्य पेन्शन।

(ii) उन स्वतंत्रता सेनानियों के मामले में, जो इस समय 100/- रु. प्रतिमाह पा रहे हैं, अब केन्द्रीय पेन्शन के अलावा 250/- रु. दिए जायेंगे।

3. यह प्रस्ताव है कि यह वृद्धि तत्काल लागू की जाए। इस छोटे से प्रतीक से राष्ट्र उन लोगों के प्रति अपनी कृतज्ञता और सम्मान को नवीकृत करता है जिन्होंने भारत की स्वाधीनता को पाने के लिए अपना जीवन अर्पित कर दिया।

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : महोदय, मुझे कृपया एक मिनट बोलने की अनुमति दी जाये। सम्बित मामले जिनके पर्याप्त दस्तावेज हैं, के बारे में क्या हो रहा है ? कृपया इस सम्बन्ध में कुछ आश्वासन दीजिए। (व्यवधान)

सभापति महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं होगा।

(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। मुझे यह सदन, प्रक्रिया और नियमों के अनुसार चलाने दीजिए। महोदया, आप इस सदन की बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं। आप नियमों से परिचित हैं। कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

अब हम, मद संख्या 27 को जारी रखेंगे।

5.18 म. प.

शिशु दुग्ध अनुकल्प, पोषण बोतल और शिशु खाद्य (उत्पादन प्रदाय और वितरण का विनियमन) विधेयक—जारी

[हिन्दी]

सभापति महोदय : श्रीमती गिरिजा देवी।

श्रीमती गिरिजा देवी (महाराज गंज) : सभापति महोदय, स्वतन्त्रता सेनानियों का सवाल अहम् है, लेकिन उससे भी अहम् सवाल माताओं का है और आने वाली संतानों का है। इसलिए मैं चाहूंगी कि आप सदन की गरिमा को बनाए रखें और हम कुछ कह सकें।

सभापति महोदय, मैं इस बिल का स्वागत और समर्थन करने के लिए खड़ी हुई हूं। इसमें मातृत्व की गरिमा को बरकरार रखने की कोशिश की गई है और आने वाली संततियों के भविष्य को संजोने की कल्पना की गई है। अपने देश में जहां माता को भगवान से भी ऊपर रखा जाता है वहां माता का दूध बच्चे को पिलाने के लिए एक विधेयक लाना पड़ा, यह जरूर कचोटने वाली बात हो जाती है। लेकिन बिल में जितनी बातें कही गई हैं उनकी ओर ध्यान देने पर ऐसा लगता है कि सरकार ने काफी जिम्मेदाराना रवैया अपनाया है। परन्तु बच्चों को दूध नहीं पिलाया जाता है, इसके लिए पहले हमारे माननीय सदस्य ने कहा है। ऐसी मातायें जो पढ़ी लिखी हैं, घर से बचती हैं या अच्छे दफ्तरों मे काम करती हैं, न दूध पिलाने वालों की उन्हीं की संख्या अधिक है। यह अखबारी शोध हो सकता है। मैं माता के रूप में खड़ी हुई हूं और मेरा जो अनुभव है, जो कुछ बोलने जा रही हूं, वह अपने अनुभव के रूप में, एक माता के रूप में कह रही हूं, जो अपनी जिन्दगी में गुजरे हैं।

सभापति महोदय, बिल में जो बात लाई गई है, वह अच्छी है और नकली दूध बनाने या

---

*कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्रीमती गिरजा देवी]

डिब्बे के दूध के लिए एडवरटाईजमेंट करके माताओं को उत्प्रेरित करना और इसी तरह से शोषकों का वर्ग, जो माताओं का शोषण करता है, उनके घर का पैसा व्यय कराकर नकली दूध पर और साथ ही अगली सन्तति को अच्छे खाद्य-पदार्थ न देकर उनका भी शोषण करती हैं, उनके विरोध में भी कार्य किया है, यह बड़ी अच्छी बात है। परन्तु यह स्थिति क्यों आई ? इस पर बहुत विचार नहीं किया गया है। यह बिल आने में इतनी देरी हो गई ? सन् 1981 में वर्ल्ड हैल्थ एसोसिएशन के साथ हमारे देश की ओर से तत्कालीन प्रधान मंत्री स्व इन्दिरा गांधी ने दस्तखत किए थे, उसी समय हमने अपनी बहां पर उपस्थिति दर्ज कर दी थी कि हम माताओं के दूध को उत्तम समझते हैं लेकिन होता यह रहा कि उसी समय जो उनका फैसला हुआ और यूनिसेफ का हुआ, दूध-निर्माताओं पर वह आज तक नहीं लागू हुआ और इस बिल के बाद कितना लगेगा, यह देखने की बात होगी। सन् 1983 में इस दिशा में काम हुआ, 1986 में इस दिशा में विधेयक लाया गया। राज्य सभा में पास होने के बाद यहां पर वह पास नहीं हो सका। इस तरह से हम देखते हैं कि इतने अहम सवाल या काम के लिए सरकार की ओर से 11 वर्षों तक शिथिलता बरती जा रही है और अब इस बिल को सर्व सम्मति से पास करने जा रहे हैं। सब लोग आज इस उत्साह में बैठे हैं कि इस बिल को जिम्मेदारी ढंग से पास कर दें। मातायें क्यों नहीं पिलाती हैं, इसके भी बहुत कारण हैं। इटली में किसी माता को प्रसव के दो माह पूर्व मैटरनिटी लीव दी जाती है, चार माह की छुट्टी उसे बच्चे को दूध पिलाने के लिए दी जाती है और यदि वह चाहे तो छुट्टी बढ़ा भी सकती है लेकिन हमारे यहां क्या होता है ? यदि आपकी नौकरी स्थाई है तो आपको तीन महीने की छुट्टी मिलती है और यदि अस्थायी है तो तीन महीने की छुट्टी नहीं मिलती है। प्रसव के दो दिन बाद ही माता अपने काम पर आ जाती है ताकि अपना पेट पालने के लिए उसका दूध हो सके। ऐसी हालत में यह जिम्मेदारी केवल माता पर डाल दें कि वह बच्चे को दूध नहीं पिलाना चाहती है, अपने सौन्दर्य के नष्ट होने के डर से तो यह बहुत बड़ा लांछन है। सांसदों से माफी चाहूंगी कि हम माताओं में अपवाद स्वरूप एक दो हो सकती हैं लेकिन जब जानवर अपने बच्चे को दूध पिलाने के लिए विकल रहता है तो समझदार मनुष्य कैसे अपने बच्चों को, अपनी सन्तति को दूध पिलाना नहीं चाहेगा ? दूध से पेट भरने की बात नहीं है बल्कि मां का दूध स्वास्थ्य के लिए और उसके पूरे जीवन के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए कितना लाभदायक होता है, यह स्वास्थ्य विभाग से सिद्ध हो चुका है। उसके बाद भी छुआछूत की बीमारी नहीं लग पाती है यदि मातायें दूध पिलाती हैं। साथ ही उनके गर्भाधान में देरी होती है, यदि वे मातायें दूध पिलाती रहती हैं। इतना फायदा होता रहता है लेकिन इससे जो माताओं के शरीर का और स्वास्थ्य का क्षरण होता है, उसकी दिशा में सोचना चाहिए, वह इस बिल में कहीं नहीं ला पाए हैं। मातायें दूध पिलायें, इसकी भी व्यवस्था होनी चाहिए।

सभापति महोदय, जब माता अपने आफिस, दफ्तर या किसी कालेज में महीने के बाद अपनी डियूटी पर जाती है तो कहीं बच्चे को ले जाकर दूध पिलाने की जगह नहीं रहती है। वह अपने कार्यालय में 4-6-8 घंटे कार्य करती है लेकिन इस कार्य के लिए कोई व्यवस्था नहीं रहती है कि अपने बच्चे को दूध पिलायें। मुझे एक पंक्ति याद आती है :

डिफल में क्या आये हो, मां-बाप के इतबार को,
दूध तो डिब्बे का है, तालीम है सरकार की॥

क्या करें, यह हमारी मजबूरी भी है। यदि सरकार हमारे देश में इस दिशा में सोचे और समझे कि क्यों ऐसी मातायें जो काम करने जाती हैं, वे दूध नहीं पिला पाती हैं? उनके लिए कहां-कहां क्या व्यवस्था करनी है और जैसे हम शिशु गृह बनाते हैं उसी तरह से हर जगह दफ्तरों में अगर शौचालय बनते हैं तो एक स्वच्छ रिटायरिंग रूम माताओं के लिए भी बनना चाहिए जहां जाकर मातायें अपने बच्चों को दूध पिला सकें। जो लैक्टेटिंग मदर्स हैं, उनको छुट्टियों में भी छूट मिलनी चाहिए। यदि मैटरनिटी लीव आप चार-छह महीने नहीं बढ़ाते हैं तो कम से कम कैजुअल लीव ही बढ़ा दीजिए और नहीं तो दूसरा सुझाव है कि उनके कार्यकाल में दोपहर में चार घंटे या दो घंटे की छुट्टी दे दें कि वह बीच में जाकर अपने बच्चों को दूध पिला सकें।

एक और अहम सवाल है। जो मातायें दूध पिलाने योग्य हैं, भले ही वह दिन भर अपने बच्चे को छाती से सटाए रहती हैं, लेकिन आप आकर उन मासूम चेहरों को देख लीजिए कि उनको क्या न्यूट्रीशन मिलता है। दिन भर छाती से चिपटाए रहने के बाद भी माता और बच्चे का चेहरा उतरा हुआ होता है। इसका नतीजा होगा कि उसका बच्चा दिन भर रोता रहेगा और ऐसी गरीब मां नकली दूध के चक्कर में पड़ जाती है। ऐसी स्थिति में यह लेजिस्लेशन आ जाता है लेकिन जब तक इस तरह की स्थिति माताओं के लिए बनी रहेगी तब तक यह लेजिस्लेशन लाने का फायदा मुझे नहीं लगता कि माताओं को मिलेगा। जब तक माताओं को उचित पौष्टिक आहार नहीं मिलेगा, उनके स्तन से दूध नहीं निकलेगा। यह तथ्य साइन्स का है, मैं केवल माता के रूप में अनर्गल बात नहीं कह रही हूं। इसलिए इस बात की भी जिम्मेदारी सरकार को लेनी होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करती हूं।

[अनुवाद]

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य (जादवपुर) : महोदय, इस विधेयक की काफी लंबे समय से इंतजारी है, और जैसे पूर्व वक्ता ने कहा है, कितनी ही बार, इसे सदन में पुरःस्थापित करते-करते ही रह गए। इस संबंध में एक निजी सदस्यों संबंधी विधेयक भी था। परन्तु किसी न किसी कारण की वजह से, यह विधेयक कई सालों से लंबित है।

विश्व स्वास्थ्य सभा ने 1981 में अन्तर्राष्ट्रीय शिशु खाद्य संहिता को स्वीकार किया और भारत उस संहिता पर हस्ताक्षर करने वाले देशों में से एक था। इसके बाद, 1983 में, भारत ने स्तनपान को संरक्षण और बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय संहिता को अपनाया। 1983 और 1992 के बीच का लम्बा समय ऐसे ही बीत गया। परन्तु उस संहिता के कार्यान्वयन के लिए, उस संहिता को लागू करने के लिए विधेयक नहीं लाया गया है। मेरे विचार में, इसके पीछे कोई दबाव कार्य कर रहा है और कोई एक बहुत शक्तिशाली गुट यह दबाव डाल रहा है, शिशु खाद्य के बहुराष्ट्रीय उत्पादकों का यह समूह, जो बाजार में अपने उत्पादन को बेचने का जोरदार प्रयास कर रहे हैं वे इस गुट का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसी वजह से, मैं इस विधेयक का स्वागत करती हूं।

मैं यह भी कहना चाहूंगी कि हममें से कुछ ने इस विधेयक के संबंध में कुछ संशोधन पेश किए हैं। परन्तु यह संशोधन हम इस विधेयक को पारित होने से रोकने के नहीं लाए हैं। हम इस बात के इच्छुक हैं कि यह विधेयक पारित हो जाये और इसे आज ही पारित कर दिया जाये। यह

[श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य]

संशोधन केवल इस विधेयक को और सुदृढ़ करने के लिए लाए हैं और इसको अधिक सार्थक बनाने के लिए लाए हैं ताकि यह सच्चे मामले में कारगर साबित हो।

केवल हमारे देश में ही नहीं बल्कि सारे विश्व में प्रचार माध्यमों के अत्यधिक विकास की वजह से इस विधेयक को लाने की आवश्यकता पड़ी है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा प्रचारमाध्यमों का उपयोग संभावित उपभोक्ता की मन: स्थिति पर प्रभाव डालने में, किए जाने से इन्कार नहीं किया जा सकता है और ये अपने उत्पाद को बेचने से पहले उस उत्पाद की अत्यंत आवश्यकता का प्रचार करते हैं और अपने उत्पाद को बेचते हैं। इसी वजह से हमें इन विज्ञापनों के माध्यम से यह विश्वास हो जाता है कि अगर हम यह शैम्पू या साबुन इस्तेमाल न करें या हम अपने बच्चों को अमुक ब्रांड का शिशु आहार न खिलाएं, तो फिर हम व्यर्थ में ही जीवन बिता रहे हैं। इस तरीके से विज्ञापन के माध्यम से उत्पाद की अत्यधिक आवश्यकता जो कि वास्तव में आवश्यक नहीं है—का प्रचार किया जाता है। शिशु आहार, एक बहुत ही विशेष किस्म का उपभोक्ता उत्पाद है। इसे केवल लोग ही नहीं खरीदते हैं बल्कि इसे स्वास्थ्य प्रणाली के माध्यम से भी वितरित किया जाता है। इसे डाक्टर द्वारा भी लेने के लिए कहा जाता है। इसे स्वास्थ्य कार्यकर्त्ताओं द्वारा माताओं को वितरित किया जाता है, यह अस्पतालों में उन बच्चों के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, जो मां के दूध से वंचित रहते हैं। शिशु आहार के सदुपयोग के लिए और शिशु आहार के दुरुपयोग या अनुचित उपयोग को रोकने के लिए एक विशेष विधेयक की आवश्यकता है।

हम देखते हैं कि ये बड़ी कंपनियां केवल दूध के पाउडर का ही उत्पादन नहीं करती हैं बल्कि अनाज, स्तनपान की आदत छुड़ाने के रूप में दिए जाने वाले आहार का भी उत्पादन करती हैं। अतः यह बहुत आवश्यक है कि केवल बच्चों के लिए दूध के पाउडर का प्रचार ही आवश्यक नहीं है बल्कि अनाज स्तनपान छुड़ाने संबंधी उन आहारों का प्रचार जो कि बच्चे के स्वास्थ्य और विकास के लिए अति आवश्यक है, बहुत जरूरी है। मां-बाप का अपने बच्चे के प्रति अति संरक्षणात्मक भाव होता है। उनके विचार में, उनके बच्चे बहुत ही खास हैं, दुनिया के सब बच्चों से अच्छे हैं। इसी वजह से मां-बाप की यह कमजोरी का फायदा विज्ञापन कर्ता उठाते हैं और हमें विश्वास दिलाते हैं कि अनाज और स्तन्य मोचित आहार बच्चों के लिए आवश्यक है।

तथापि, कोई भी योग्य डाक्टर हमें यह बता सकता है कि सस्ता और उत्तम, पौष्टिक स्तन्य मोचित आहार घर में बनाया जा सकता है और उसे बाहर से लाना आवश्यक नहीं है। बोतल या टीन में बेचे जाने के अलावा, इन टीन के डिब्बों में बेचे जाने वाले शिशु आहार की और ऐसी कोई भी विशेषता नहीं है, जो कि घर के बने हुए स्तन्य मोचित आहार में नहीं मिल सकती है यह आवश्यक है कि, केवल पाउडर का दूध ही नहीं, बल्कि स्तन्य मोचित आहार का इस तरह से विज्ञापन न किया जाये। ऐसा कहा जाता है कि इस पाउडर वाले दूध या शिशु दूध का उपयोग तभी किया जाये जबकि मां का दूध उपलब्ध न हो दूसरे शब्दों में मां का दूध उपलब्ध होने पर यह अति आवश्यक नहीं है। यह जरूरी नहीं है।

परन्तु इसका एक और पहलू भी है। केवल यही बात नहीं है कि यह शिशु आहार आवश्यक नहीं है। लेकिन एक विकासशील देश के संदर्भ में, जिसमें जनसंख्या का एक बहुत बड़ा हिस्सा, जो

भी अशिक्षित है—अपनी गलती की वजह से नहीं—पिछड़ेपन का सामना कर रहे हैं, यहां यह सब रूप से हानिकारक हो सकता है। उन ग्रामीण औरतों के बारे में सोचिए जिनको शिशु आहार के बहु टीन दिए गए हैं। फिर उन्हें कहा जाये कि एक चम्मच शिशु आहार को एक आउन्स पानी में मिला देना चाहिए। उस पानी को ठीक ढंग से शुद्ध किया जाना चाहिए। अब, ऐसी शिक्षा के अभाव में पानी को कैसे शुद्ध किया जा सकता है और कितना शिशु आहार कितने पानी के साथ मिलना चाहिए आदि बच्चों का ठीक प्रकार से पोषण नहीं हो सकता।

वास्तव में, केवल हमारे देश में नहीं, बल्कि दूसरे विकासशील देशों में भी, हजारों बच्चे ऐसे हैं जिन्हें यह शिशु आहार जबरदस्ती दिया जाता है, परन्तु आहार में अशुद्धता के कारण या आहार बनाने की सामग्री की अपर्याप्तता के कारण बच्चे कुपोषण और दूसरी स्वास्थ्य समस्याओं और सभी तरह के संक्रामक रोगों से पीड़ित हो जाते हैं।

मुझसे पूर्ववर्ती वक्ता ने एक और मुद्दा उठाया है, जिसमें मैं पूरी तरह से सहमत हूं कि मां का दूध बच्चे के लिए न केवल सर्वोत्तम है बल्कि जब मां बच्चे को दूध पिलाती है तो इससे मां का भी कई बीमारियों से बचाव होता है और यह एक तरह से प्राकृतिक परिवार नियोजन उपाय का कार्य करता है, क्योंकि जब तक मां बच्चे को दूध पिलाती है, तब तक वह चाहे तो गर्भवती नहीं बन सकती है। इस विधेयक का यह इरादा नहीं है कि इस आहार को लेने से रोका जाये लेकिन इस बड़ी कंपनियों द्वारा अपने उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए अनैतिक और झूठे विज्ञापनों का सहारा लेने से रोकने के लिए ही इस विधेयक की आवश्यकता पड़ी है। महोदय, इसी के साथ मैं यह भी पूछना चाहूंगी कि, ऐसी क्या बात है कि इन बड़ी कंपनियों को अपने उत्पाद को बढ़ावा देने में इतनी सफलता हासिल हुई है। महोदय, केवल धनी परिवार ही इन शुष्क आहारों का उपयोग नहीं करते हैं बल्कि गरीब लोग भी इसका उपयोग करते हैं। मध्यम वर्गों में, गरीब वर्गों में औरतें किन परिस्थितियों में कार्य करती हैं, जीती हैं? महोदय, हमारी कामगार महिलाओं में से 90 प्रतिशत महिलाये असंगठित क्षेत्र में कार्यरत हैं। वहां प्रसूति सुविधायें नहीं के बराबर हैं यहां तक कि बच्चे के जन्म के वक्त भी उनको काम से छुट्टी नहीं मिलती है।

हमारी इस सामाजिक व्यवस्था में भी मां के उचित पोषण का कोई प्रबंध नहीं है। यह अपर्याप्त है। अतः जब महिला और शिशु विकास विभाग यह विधेयक लाया तो उसी समय यह उस विभाग के लिए आवश्यक था, सरकार का फर्ज था, कि वह सुनिश्चित करे कि मां को पर्याप्त पोषाहार मिले ताकि वह अपने बच्चों का पोषण कर सके, उनके काम करने के स्थान पर भी उन्हें इस प्रकार की सुविधाएं दी जाएं, जिससे वह अपने बच्चों का पोषण कारण कर सके।

महोदय, अन्त में मैं कुछ ऐसे संशोधनों के बारे में बात करूंगी, जिन्हें हम यहां लाए हैं। एक संशोधन जो हम लाना चाहते हैं उसके तहत शीर्षक में परिवर्तन करने की बात है। शीर्षक है, "शिशु दुग्ध अनुकल्प, पोषण बोतल और शिशु खाद्य उत्पादन" हम इसके स्थान पर "शिशु खाद्य उत्पाद पोषण बोतल, और शयक"। और दूसरा संशोधन, संशोधन नं० 108, इससे संबंधित है, क्योंकि यहां पर हम "शिशु खाद्य उत्पाद" के अर्थ का विशेष उल्लेख कर रहे हैं और हमने कहा है कि "शिशु खाद्य उत्पाद का यहां वही अर्थ होगा जैसा कि खाद्य अपमिश्रण, निवारण अधिनियम, 1954 में परिभाषित है।

[श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य]

खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 में, मां के दूध के अनुकल्प के रूप में कतिपय पूरक आहार शामिल किए गए हैं. स्तन्य मोचित आहार, भी शामिल है और यह शिशु आहार एक व्यापक शब्द है जिसे हमारी कानूनी व्यवस्था में मान्यता प्राप्त है तथा इसमें विभिन्न प्रकार के शिशु आहार, जिसमें दूध और स्तन्य मोचित आहार भी शामिल हैं, आते हैं जबकि शिशु दूध अनुकल्प एक अस्पष्ट शब्द है जो कि चिकित्सक शब्दावली में स्वीकृत नहीं किया गया है। हम इस शीर्षक में परिवर्तन चाहते हैं।

दूसरे, हमने जिस दूसरे संशोधन का सुझाव दिया है, वह संशोधन नं० 114 है, उसमें हमने सुझाव दिया है कि

"बशर्ते कि इस खंड में से कुछ भी स्वास्थ्य देखरेख व्यवस्था के माध्यम से दान या वितरण पर लागू नहीं होगा।"

आधार भूत रूप से इसको हटा देना चाहिए, क्योंकि स्तनपान के संरक्षण और बढ़ावा देने संबंधी भारतीय राष्ट्रीय संहिता में कहा गया है :

"स्वास्थ्य देखरेख व्यवस्था संबंधी किसी भी सुविधा का प्रयोग शिशु खाद्य फार्मूला को बढ़ावा देने के प्रयोजन से नहीं किया जाना चाहिए।"

हमने इस संशोधन का सुझाव दिया है, ताकि यह विधेयक इस राष्ट्रीय संहिता में दिये गये निर्देश का पालन करे। हमने यह इसलिए भी किया है क्योंकि इस स्वास्थ्य प्रणाली का शिशु खाद्य उत्पादकों, प्रवर्तकों द्वारा दुरुपयोग हो सकता है।

दो संशोधन और हैं। संशोधन नं 123 भी उसी उद्देश्य के लिए है, ताकि स्वास्थ्य प्रणाली का इन उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए दुरुपयोग न हो सके। इसी वजह से हम यह संशोधन लाये हैं।

अतः संशोधन संख्या 137 में यह बात उल्लिखित है कि ऐसे कौन से लोग हैं, जो इस संहिता के किसी तरह के उल्लंघन के विरुद्ध लिखित रूप से शिकायत करते हैं। विधेयक में कहा गया है :

"खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 की धारा 20 की उपधारा (1) के अन्तर्गत किसी व्यक्ति को प्राधिकृत करना।"

इस प्रकार यह बात इस विधेयक में इस प्रकार से कही गई है। धारा बीस खाद्य अपमिश्रण अधिनियम की धारा बीस की उप धारा—1 के अनुसार :

"इस अधिनियम के अन्तर्गत किसी अपराध, जो धारा 14 अथवा 14 क के अन्तर्गत अपराध नहीं है, के लिए कोई भी मुकदमा केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा इस संबंध में केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए सामान्य अथवा विशेष

आदेश के द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा अथवा उनकी सहमति के बिना दायर नहीं किया जा सकता।"

यहां इसका विशेष उल्लेख नहीं है और हमने अपने संशोधन में इसका विशेष उल्लेख किया है। हमने कहा है कि इसको किसी पंजीकृत स्वैच्छिक संगठन, जो कि शिशु कल्याण और विकास विभाग में लगा हो शिशु पोषाहार और उपभोक्ता संरक्षण का प्रतिनिधित्व मिला होना चाहिए ताकि जो शिकायत की गई है। वह एक गंभीर शिकायत बन सके। अगर, आप इसका उल्लेख नहीं करते हैं तो यहां शायद नियम इस बात के लिए पर्याप्त नहीं होंगे कि किस तारीख से विभिन्न उपभोक्ता संकट संगठन, महिला संगठन जो कि इस मुद्दे पर सालों से लड़ रहे हैं इकट्ठे, प्रभावशाली तरीके से हस्तक्षेप करें और वह इसमें तब तक हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं जब तक आप इस विधेयक में यह संशोधन न लायें।

इन कुछ ही संशोधन के साथ, मैं इस विधेयक का स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि सभी हमें यह सुनिश्चित करने में सहयोग देंगे, कि यह विधेयक सर्वसम्मति से पारित हो ताकि इस विधेयक के पारित होने के बाद, हम शिशु के लिए ज्यादा अच्छा स्वास्थ्य ज्यादा अच्छा पोषण और ज्यादा अच्छी कार्य शर्तें, और हमारी माताओं के लिए बेहतर रहन-सहन की स्थिति सुनिश्चित कर सकें।

[हिन्दी]

श्री. जी. एल. कनोजिया (खीरी): सभापति महोदय, यह विषय बहुत महत्व रखता है। मैं इसी विषय से पूरी जिन्दगी जुड़ा रहा हूं। यह बिल 1981 में आया, 1983 में आया और पास नहीं हो पाया। सभी माननीय सदस्यों की और मेरी यह भावना है कि यह बिल पास होना चाहिए लेकिन इसमें बहुत देर से रिफैक्ट्स है, मैंटरली और मेडिकली जिन को अगर बारीकी से देखा जाये तो बहुत अधिक देखने को मिलेगा। इस बिल को उस समय लाया गया है जब सैशन समाप्त हो रहा है। इस कारण से इस पर ज्यादा चर्चा भी नहीं हो सकती है लेकिन मैं इसका समर्थन करता हूं. कुछ संशोधनों के साथ और कुछ बातें कहने के बाद क्योंकि इसमें पहले ही देर हो गई है। जब मैं इस बिल को पढ़ रहा था कि इसे कैसे लागू किया जाये तो मुझे उसमें काफी कमियां दिखाई दीं। मैं 37 साल तक सरकारी नौकरी में रहा हूं और 17 साल तक फूड इंसपेक्टर हमारे अंडर काम कर रहे हैं। मैं चीफ मेडीकल आफिसर 8 साल तक अपने स्टेट में रहा हूं।

स्वास्थ्य के सवाल पर विश्व में तरह-तरह की विचारधारायें हैं लेकिन मेडीकली मां का दूध पिलाना जितना महत्व रखता है, उस महत्व को कुछ हमारे माडर्न साइंस ने, कुछ हमारे विज्ञापनों ने व कुछ जो हमारे ऊपर विदेशी संस्कृति का प्रभाव पड़ा है, ने समाप्त करवा दिया है।

मैं ज्यादा न कहकर यह जरूर कहूंगा कि इस बिल को किस तरह से लागू किया जाए और पब्लिक में इसको किस तरह से लाया जाये, इफेक्टिव बनाया जाए। ममता जी ने बड़े जोरों से कहा है कि यह बिल 1981 में आया, फिर 1983 में आया लेकिन पास नहीं हुआ। इस कारण अब पास होना बहुत जरूरी है। मैं उनकी बात को समझ रहा हूं। यह बात सही है कि मां बच्चे के सबसे नजदीक होती है लेकिन इसके साथ-साथ हम को गवर्नमेंट की तरफ से यह आश्वासन मिलना चाहिये कि इसके द्वारा विज्ञापनों को कोई स्थान नहीं मिलेगा और बोतल के दूध पर जुर्माना होगा।

[डा. जी. एल. कनोजिया]

मैं पांच साल विदेश में पढ़ा हूं और करीब हर साल वहां जाता हूं। हमने यहां की और वहां कि महिलाओं को देखा है। जैसा कि माननीय सदस्या ने कहा है कि जहां-जहां आफिस हों वहां की महिलाओं को तीन घंटे के बाद यह सुविधा दी जाये कि वे बच्चों को दूध पिला सकें।

मैं प्वाईंटवाइज नहीं कहूंगा क्योंकि उसमें बहुत समय लगेगा। मैं जल्दी ही अपनी बात समाप्त करूंगा। जो स्पैसिफाइड बात कही गई है कि साइंटिफिक ढंग से इसको रिपयूज किया है कि बच्चा खाली रबड़ मुंह में डालकर चूसता है तो हवा भर जाती है और गैस बनती है, पेट फूलने का डर रहता है। इसलिए ये चीजें ठीक नहीं है। कुछ मातायें घुट्टी पिलाती हैं। यह घुट्टी फायदा-मंद भी है और नुकसानदायक भी है।

फायदेमंद इस हिसाब से कि आंत के लिए काफी फायदेमंद है, क्योंकि उसमें मॉर्फिया का अंश होता है और ज्यादा पिलाने से बच्चे को सुस्ती आती है। और भूखा रहने से उसे नुकसान होता है। दूसरा है कि जो हमारा विधेयक आ रहा है, इसको हम कैसे लागू करेंगे। मैं अभी पढ़ रहा था तो इसमें यह दिया गया है कि

[अनुवाद]

कोई भी खाद्य निरीक्षक जिसे कि खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 की धारा 9 के अन्तर्गत नियुक्त किया गया है।..."

[हिन्दी]

अब जो चीज 1954 में बनाई गई थी, उस समय अधिकारी क्या था, अब क्या है।

[अनुवाद]

कोई भी खाद्य निरीक्षक जिसे कि खाद्य अपमिश्रण अधिनियम की धारा (9) के अन्तर्गत नियुक्त किया गया है (तब से खाद्य निरीक्षक कहलाता है) या कोई भी अधिकारी जो प्रथम श्रेणी के अधिकारी की श्रेणी से नीचे न हो राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत किया गया हो। तब से प्राधिकृत अधिकारी कहलाता है। यदि समझते हैं कि धारा 6 या धारा 11 के किसी उपबंध का उल्लंघन हुआ है या हो रहा है, तो वह प्रवेश करके तलाशी भी ले सकते हैं .....

[हिन्दी]

कहने का मतलब यह है कि हम इस फूड के मामले में इंस्पेक्टर को दूर रखना चाहते हैं। इसमें क्लास इंस्पेक्टर

[अनुवाद]

निरीक्षक राजपत्रित अधिकारी भी नहीं है। वह राजपत्रित अधिकारी नहीं है।

[हिन्दी]

इसके इंसपेक्शन के लिए सबसे बड़ा मैं कहूंगा कि कोई भी क्लास वन आफिसर हो और सख्त

से सख्त सजा दी जाये। नेहरू जी ने भी कहा था कि जो फूड एडल्ट्रेशन करते हैं, जब हम बच्चे को कृत्रिम आहार देते हैं, यह नेहरू जी के शब्द हैं, तो उसके और भी कारण हो सकते हैं परन्तु फिर इस कृत्रिम आहार में भी गैर सरकारी तथा बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा मिलावट कर दी जाती है। एक बार पण्डित जी ने अपने शब्दों में स्वयं कहा था कि मिलावट करने के एक जुर्म के लिए दोषी व्यक्ति को खम्भे से बांधकर गोली से उड़ा देना चाहिए। मतलब उनकी भावना कितनी दृढ़ थी कि बच्चे को जो दूध पिलाया जाता है, उसमें जो मिलावट होती है, उसको कितनी बड़ी सजा देनी चाहिए, इससे आप समझ सकते हैं कि इसमें जो सजा दी गई है, कृत्रिम आहार के लिए, वह कितनी कम है।

दूसरी बात हमारी बहन जी ने कही थी कि प्री नेटल, पोस्ट नेटल और नेटल केयर के विषय में यह कहूंगा कि माता को डिलीवरी के पहले ज्यादा आराम करने की जरूरत नहीं है।

[अनुवाद]

यह वह समय है जब माता को अधिक सक्रिय रहना चाहिए। लेकिन साथ-साथ उसके टेंशन फ्री और खाने का, फूड का, क्योंकि

[अनुवाद]

वह अपने और अपने शिशु का पोषण करती है। उसको बहुत अच्छा और संतुलित होना चाहिए।

[हिन्दी]

उसके लिए सरकार का प्रोविजन होना चाहिए, देना चाहिए कि मदर जब प्रिगनैन्ट हो तो दो तीन महीने पहले उसको सब्सिडी, एलाउन्स मिलना चाहिए, जिससे बच्चे को अपना फीड दे सके, यह डिलीवरी के साथ होना चाहिए।

दूसरी बात, यह हम कैसे करेंगे। हमारे एडवरटाइजमेन्ट हो रहे हैं। अभी मैं घूमकर आया, वहां भी हो रहा है, यह भावना हो रही है, यह भावना फैलानी चाहिए। माडर्न लेडीज के दिमाग में यह बात घुसी हुई है, खासकर हमारी लड़कियों के दिमाग में कि दूध पिलाने से हमारे सौन्दर्य में कमी आती है और उससे हमें नुकसान है, मैं यह कहना चाहूंगा कि यह बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि, मां अपना दूध जब बच्चे को पिलाती है तो जो प्रेम उससे मिलता है, जो एण्टीजन एण्ड बॉडी उनका आपस में तालमेल है, वह इतना तगड़ा है कि उनको खाना मिलता रहे तो इस बात से मैं थोड़ा सहमत नहीं हूं, क्योंकि, क्योंकि इस विषय में काफी पढ़ा गया है, काफी लिट्रेचर लिखा गया है, यह भावना निकलनी बहुत जरूरी है।

दूसरे मेरा यह कहना है कि जैसे सिगरेट के ऊपर लिखा रहता है कि यह जहर है, व्हिस्की पर भी लिखा होता है, जहर। इसी तरह से जितना भी मिल्क बनाया जाय, उस पर साफ लिखा हो कि माता का दूध पिलाना अति उत्तम है, यह उसमें होना चाहिए। लिखा हुआ है लेकिन उसको लागू करने के लिए हमें भी सोचना चाहिए। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि कानून बनाने के लिए

[डा. जी. एल. कनौजिया]

किसी प्रकार का माडर्न बिल हम ला सकते हैं लेकिन यह आधुनिक समाज, आधुनिक सभ्यता, पूंजीवाद के अभिशाप के कारण लम्बे समय से ऐसा खाने पीने से हमको यह कष्ट हो रहा है, इस बिल को मैं इन कठिनाइयों के साथ आपके समक्ष रखता हूं और···

समय के अभाव में ज्यादा कुछ न कहकर इतना ही कहना चाहूंगा कि बाटल फीडिंग कहीं कहीं सब्स्टीट्यूट के तौर पर करना पड़ता है, वह भी किस तरह से करना चाहिए, इस ओर भी ध्यान देने की आवश्यकता है ।

मदर केअर के बारे में महिलाओं के मन में यह बात नहीं डालनी चाहिए कि 4—6 महीने छुट्टी दी जाए, किसी कंट्री में 4—6 महीने की छुट्टी नहीं दी जाती है, हां कुछ देशों में जैसे फ्रांस में इग्लेन्ड में हुआ है और अमरीका में होने जा रहा है कि दो बच्चों तक सरकार की जिम्मेदारी होगी कि प्रसव-पूर्व मां को पूरा स्वास्थ्यवर्धक खाना दिया जाये, यह अनिवार्य होगा ।

इसी तरह से परिवार नियोजन के बारे में कहना चाहता हूं कि जो महिलायें बच्चे को अपना दूध पिलाती हैं, उनको प्रिगनेंसी भी देर में होती है, बच्चे कम होते हैं। इस लिहाज से भी यह उचित है ।

इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हू और अनुरोध करता हूं कि इन चीजों का कड़ाई से पालन किया जाये और वैज्ञानिकों की राय लेकर और जो चीजें हैं, उनको लागू, किया जाए ।

[अनुवाद]

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : माननीय सभापति महोदय, सबसे पहले मैं अपनी युवा मंत्री महोदया का धन्यवाद करती हूं कि उन्होंने सरकारी तौर पर इस विधेयक को प्रस्तुत किया है । हमने अपनी ओर से भी उनकी सहायता करने की कोशिश की है जिससे यह विधेयक सितम्बर में आरम्भ हुए विश्व स्तन-पान सप्ताह में ही पारित हो सके । हमने प्रधान मन्त्री जी को भी लिखा। मैं सोचती हूं कि शायद आज हम सभी इस निष्कर्ष पर पहुंचने में सफल हुए हैं यह विधेयक सभा में रखा जाना चाहिए।

पहली बात तो यह है कि स्तन पान करना हमारे देश की संस्कृति रही है । और हैरानी तो इस बात की है पश्चिमी देश इसे अपना रहे हैं और सबसे पहले वहां के देश विश्व स्तन-पान सप्ताह की घोषणा कर रहे हैं। हमें अपनी राष्ट्रीय परम्परा पर गर्व है मैं सोचती हूं कि जो सदस्य भी इस विधेयक का समर्थन करें, उन्हें इस बात को ध्यान में रखकर इसका समर्थन करना चाहिए और यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि इसे लागू भी किया जाये।

मैं उन युक्ति संगत बातों को नहीं दोहराना चाहती जो कि मेरे अनेक साथियों ने कही हैं। लेकिन मैं एक दो बातों के बारे में कहना चाहूंगी । पहली बात तो मैं यह कहना चाहती हूं कि संयुक्त राष्ट्र संघ के मूल्यांकन के अनुसार अविकसित देशों में प्रत्येक वर्ष दस लाख शिशुओं की बोतल से दूध पिलाने तथा स्वास्थ्य पर पड़ने वाले इसके कुप्रभावों के कारण मृत्यु हो जाती है । यह एक गंभीर

बात है। हमारे देश में 'नेस्ले', "ग्लेक्सो" आदि बहुराष्ट्रीय कम्पनियां हैं, लेकिन "गुजरात अमूल" कम्पनी भी इस क्षेत्र में पीछे नहीं है। ये सभी उद्योगपति इस क्षेत्र में मिलकर काम कर रहे हैं। इसलिए मैं सोचती हूं कि हमें कुछ बातों के संबंध में सतर्कता बरतनी चाहिए। मैं उन संशोधनों को दोहराना नहीं चाहती जिनका श्रीमती मालिनी ने पहले ही जिक्र किया है। दूसरी बात मैं दंड संबंधी प्रावधानों के बारे में कहना चाहती हूं। हमारा सुझाव था कि दंड और कड़ा किया जाना चाहिए। फील्डिंग इन्स्पेक्टरों के प्रति उचित आदर व्यक्त करते हुए मैं यह कहना चाहती हूं कि अपमिश्रण अधिनियम और मिलावट के सम्बन्ध में हमारा अनुभव अच्छा नहीं रहा। इसलिए, उन्हें यह समझना चाहिए कि यदि खाद्य पदार्थों में मिलावट जैसी बातें जारी रहती हैं तो उन्हें इसका गम्भीर परिणाम भुगतना होगा।

दूसरी बात, इस पर निगरानी रखने के बारे में है। इस पर कौन निगरानी रखेगा ? अंततः इस विधेयक का परिणाम निगरानी तंत्र की कुशलता पर ही निर्भर है। मुझे आशा है कि निगरानी तंत्र के बारे में गम्भीरता से विचार किया जाएगा ताकि विधेयक प्रभावी हो सके।

6.00 म.प.

श्री अनन्तराव देशमुख (वाशिम) : सभापति महोदय, यह विधेयक स्तन-पान को प्रोत्साहन देने और शिशु दुग्ध विकल्प, पोषण बोतल और शिशु खाद्य के अधिकाधिक उपयोग पर रोक लगाने का उपबंध करता है। यदि आप विधेयक का अध्ययन करें तो आप यह अनुभव करेंगे कि इस विधेयक में तीन महत्वपूर्ण बातों का समावेश किया गया है।

पहली बात उन कुछेक प्रोत्साहनों पर रोक लगाने, दान देने, सूचना और नमूनों आदि पर रोक लगाने के बारे में है जिनका शिशु दुग्ध विकल्पों के विक्रय को प्रोत्साहन देने के लिए आमतौर पर प्रयोग किया जाता है। एक बात तो यह हुई।

दूसरी बात यह है कि जब शिशु दुग्ध विकल्पों की बाजार से खरीद की जाती है, तो उनके संबंध में प्रायः इस तरह का प्रभाव नहीं होना चाहिए कि ये अनुकल्प स्तन-पान से बेहतर हैं।

तीसरी बात यह है कि सरकार द्वारा कुछ दंड सम्बन्धी उपायों का उल्लेख किया है जिनके द्वारा सरकार यह सुनिश्चित चाहती है कि इस कानून का उचित अनुपालन हो सके।

महोदय, यदि आप विधेयक पर ध्यान दें तो इसके अंतर्गत खंड 10 से 26 केवल निवारक उपायों के लिए रखे गए हैं। और जैसाकि आप जानते हैं, हमारी भारतीय व्यवस्था में निवारक उपाय निश्चित रूप से मुकदमेबाजी का कारण बनेंगे और उनका फैसला होने में बहुत समय लगेगा। इसलिए यदि आप इन खन्डों पर निर्भर रहें तो कुछ समय के बाद निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करना मुश्किल हो जायेगा। इसलिए मैं यह महसूस करता हूं कि हमें महिलाओं में जागरूकता पैदा करने पर बहुत अधिक ध्यान देना चाहिए।

महोदय, जैसाकि गीता जी ने सही उल्लेख किया है कि इसमें बहुत-सी बहुराष्ट्रीय कम्पनियां भी शामिल हो जायेंगी और सरकार को इस बात के बारे में भी सजग रहना चाहिए कि इससे सरकार पर बहु-राष्ट्रीय कम्पनियों का दबाव भी बढ़ेगा। इस बात का इस तथ्य से भी पता चलता

[श्री अनन्तराव देशमुख]

है कि भारत द्वारा विश्व स्वास्थ्य सभा में, शिशु आहारों के विपणन पर अंतर्राष्ट्रीय संहिता के पक्ष में मतदान किए, 11 वर्ष बीत गए हैं जिसमें यह वायदा किया गया था कि शिशु दुग्ध विकल्पों के विपणन को नियन्त्रित करने के लिए एक भारतीय कानून तैयार किया जाएगा। दो अवसर ऐसे आये हैं जबकि यह विधेयक लगभग पास हो चला था लेकिन किसी न किसी कारण इसे रोक लिया गया। इसलिए प्रत्येक कोई स्पष्टत: यह महसूस करता है कि ऐसा बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के दबाव में आकर किया गया।

इसलिए मैं सरकार को इस बारे में सचेत करना चाहूंगा कि इस विधेयक को पास करने और इसे लागू करने की तारीख निश्चित कर देनी चाहिए। इस सभा में ऐसे भी उदाहरण हुए हैं जबकि इस सभा ने विधेयक पास कर दिया था और राज्य सभा ने भी उसे पास कर दिया और राष्ट्रपति महोदय ने भी उसे अपनी स्वीकृति दे दी थी। लेकिन फिर भी उसे लागू नहीं किया गया। ऐसा भी हुआ है। इसी कारण से मैं सरकार को बताना चाहता हूं कि इसे लागू करने की तारीख निश्चित कर दी जानी चाहिए।

मैं यह तो नहीं जानता कि क्या सदस्यों ने पहले भी कभी इस बात को उठाया है, पर इसी तरह की समस्या लेटिन अमरीका में भी उठाई गई थी। और वहां किए गए एक सर्वेक्षण से यह पता चल पाया कि 70 प्रतिशत के लगभग मातायें शिशु दुग्ध अनुकल्पों और पोषण बोतलों का उपयोग कर रही हैं। वहां माताओं में यह प्रवृत्ति देखी गई थी कि शिशु दुग्ध मंहगा होने के कारण इसे पानी में मिलाकर पतला किया जा रहा था। इससे बच्चों की सेहत पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा था और कई मामलों में तो इसके विनाशक परिणाम भी निकले। पश्चिम बंगाल में भी हाल ही में किए गए एक सर्वेक्षण से पता चला है कि 64 प्रतिशत के लगभग मातायें इन शिशु दुग्ध विकल्पों का उपयोग कर रही हैं और वहां पर भी माताओं में यही प्रवृत्ति देखी गई कि शिशु दुग्ध मंहगा होने के कारण पानी मिलाकर इसको पतला किया जा रहा था और नि:सन्देह इसके बुरे परिणाम ही निकलेंगे। लतीनी अमरीका में इस बारे में यूनिसेफ की सहायता लेकर दो वर्ष का एक व्यापक आंदोलन शुरू किया गया और इस व्यापक अभियान में डाक्टरों, स्वास्थ्य केन्द्रों, समुदायों और प्रत्येक किसी को शामिल कर जागरुकता पैदा करने की जोरदार कोशिश की गई। और आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इस अभियान के फलस्वरूप ऐसी प्रवृत्ति में 20 प्रतिशत तक गिरावट आ गई। वास्तव में हमारे देश में भी इस तरह के ही प्रयासों की आवश्यकता है।

इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से यह प्रस्ताव करता हूं कि दूसरी मद पर अधिक बल दिया जाना चाहिए।

एक शिशु चिकित्सक की टिप्पणी इस प्रकार है :

"अध्ययन से पता चला है कि स्तन-पान कराने से परिवार नियोजन की 98 प्रतिशत गारन्टी सुनिश्चित की जा सकती है। यह अनुमान लगाया गया है कि भारत में यदि मातायें अपने शिशुओं को स्तन पान करायें, तो इससे प्रतिवर्ष पचास लाख बच्चों के जन्म को रोका जा सकता है।"

यदि यह बात सही है तो इससे देश में परिवार नियोजन कार्यक्रम पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा।

लेटिन अमरीकी देशों में भी माताओं में जागरुकता पैदा करते समय वास्तव में इस बात पर अधिक बल दिया गया कि स्तन-पान की अवधि बढ़ाई जानी चाहिए। इससे भी यही बात होती है। जहां तक हमारे देश के जन्म नियन्त्रण कार्यक्रम का सम्बन्ध है, इससे उस पर काफी अनुकूल प्रभाव पड़ेगा। इसलिए यदि इस दिशा में भी प्रयास किए जाते हैं तो उससे भी किसी हद तक कोई अधिक अन्तर वाली बात नहीं होगी।

इस मामले में भी हम भाग्यशाली हैं, जैसाकि गीता जी ने पहले भी कहा है कि यह भारतीय संस्कृति का एक भाग रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी ऐसी भारतीय संस्कृति देखी जा सकती है। यह समस्या केवल शहरी क्षेत्रों में ही है। इस प्रकार हमारे यहां लक्षित वर्ग में केवल 35 प्रतिशत मातायें ही शामिल हैं जबकि लतीनी अमरीकी देशों में लक्षित वर्ग में 70 प्रतिशत मातायें शामिल थीं। इस प्रकार 35 प्रतिशत वर्ग से निपटना जो कि अधिकतर शहरी इलाकों में ही आवास करता है, कोई समस्याजनक बात नहीं है। इसलिए जहां तक इस समस्या से निपटने की बात है, सरकार को इसके लिए एक व्यापक आंदोलन शुरू करना चाहिए।

इससे पहले कि मैं अपनी बात समाप्त करूं, मैं इस बारे में एक-दो सुझाव देना चाहता हूं। मैंने पहले भी कहा है कि इस कानून को लागू करने की तारीख निश्चित कर दी जानी चाहिए, क्योंकि विधेयक को लेकर अभी भी शंका का माहौल बना हुआ है। जैसाकि मैंने पहले भी कहा है कि हमें विश्व स्वास्थ्य सभा में यह वायदा किए ग्यारह वर्ष बीत चुके हैं कि हम इस बारे में कानून बना रहे हैं। इसलिए कानून लागू करने की तारीख का निश्चित किया जाना अति अनिवार्य है।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि यदि आप विधेयक के खण्डों पर ध्यान दें तो इसमें स्वयंसेवी संगठनों और उनकी भागीदारी पर काफी जोर दिया गया है। जब मैं यह कहता हूं कि दूसरी बात माताओं में सामाजिक जागृति पैदा करने की बात अधिक महत्वपूर्ण है, तो इस सम्बन्ध में स्वयंसेवी संगठनों की भूमिका को परिभाषित करना चाहिए और उन्हें ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका देनी चाहिए।

विज्ञापनों में भाषा किस तरह की होनी चाहिए और विज्ञापन किस प्रकृति के होने चाहिएं, इसके बारे में भी काफी कुछ कहा गया है। जैसाकि सर्व विदित है, हमने एक ऐसा कार्यक्रम भी अपनाया था जिसे धूम्रपान विरोधी अभियान कहा गया था। मैं माननीय मन्त्री महोदय को बिनम्र सुझाव देना चाहूंगा कि यह कार्यक्रम धूम्रपान-विरोधी कार्यक्रम की तरह का नहीं होना चाहिए। आज हम दूरदर्शन पर ऐसे विज्ञापनों को देखते हैं, जिसमें किसी व्यक्ति द्वारा कोई खास किस्म की सिगरेट अच्छी बताई जाती है और इस सम्बन्ध में जो आवश्यक चेतावनी दी जानी होती है जोकि विज्ञापन का प्रमुख भाग होना चाहिए कि सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है—ऐसा कहीं भी नहीं दिखाया जाता। इसलिए मैं मन्त्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि दूरदर्शन विज्ञापनों में शिशु दुग्ध विकल्पों के विज्ञापन पर रोक लगाई जानी चाहिए। यदि इससे राजस्व में कुछ हानि भी होती है तो उसकी भरपाई भी हो जाएगी क्योंकि मैंने पहले भी कहा है कि इससे देश के परिवार नियोजन कार्यक्रम पर काफी अनुकूल प्रभाव पड़ेंगे।

[श्री अनन्तराव देशमुख]

सरकार को इस बात के प्रचार प्रसार के लिए प्रयास करने चाहिएं कि स्तन-पान शिशु-दुग्ध विकल्पों और दूध पिलाने की बोतलों के मुकाबले में बेहतर है। सरकार के पास पर्याप्त संरचनागत व्यवस्था है, इस बारे में चलचित्र बनाकर दूरदर्शन पर दिखाए जा सकते हैं। इस तरह से आप जागृति पैदा कर सकते है।

यदि आप विधेयक के खन्डों का अवलोकन करें, खासकर खंड 6 और 7 को देखें, तो इनकी शब्दावली काफी अस्पष्ट ढंग से वर्णित है। यदि आप खंड-6 को देखें, तो इसमें यह उल्लेख मिलता है कि कोई विशेष निर्माता किसी भी विज्ञापन का प्रदर्शन कर सकता है, बशर्ते वह इस खंड के अन्तर्विहित उपबन्धों को पूरा करता हो। इसका यह अभिप्राय हुआ कि यदि किसी प्रकार कोई निर्माता इन उपबंधों को पूरा करता है, तो वह अपने विज्ञापन का प्रदर्शन कर सकता है। जैसाकि आप जानते हैं कि ये निर्माता लोग इनका अर्थ अपने हित में लेने के लिए कोई न कोई रास्ता अथवा सुराग निकाल लेते हैं। इसलिए इस बारे में सावधानी बरती जानी चाहिए।

अंत में मैं यह कहना चाहूंगा कि हमें एक ऐसा प्रभावशाली तंत्र बनाना होगा जिसके माध्यम से शिशु दुग्ध विकल्पों और दूध पिलाने वाली बोतलों की बिक्री पर समय-समय पर निगरानी रखनी होगी। यह हमारे लिए सचेतक का काम करेगा। यदि सब उपाय करने के बाद हमें पता चलता है कि शिशु दुग्ध विकल्पों और दूध पिलाने वाली बोतलों की बिक्री में कोई कमी नहीं आई है तो इसका अर्थ यह होगा कि हमें सारे मामले पर पुनःविचार करना होगा। हमें इस पर फिर से विचार करना होगा; और फिर यदि इनकी बिक्री अधिक नहीं होती, तब हम यह कह सकते है कि हम उचित दिशा में चल रहे हैं और केवल जोरदार प्रयास किए जाने आवश्यक हैं जिससे हम इस समस्या का समाधान खोज सकें। इसलिए मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि एक प्रभावशाली तंत्र बनाया जाए जोकि इस विधेयक के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अनिवार्य है। प्रभावशाली तंत्र अति आवश्यक है और सरकार को इन सभी सुझावों पर अवश्य विचार करना चाहिए।

[हिन्दी]

श्रीमती सरोज दुबे (इलाहाबाद) : सभापति महोदय, मैं सबसे पहले माननीय ममता बनर्जी को बधाई देना चाहती हूं कि उन्होंने भारत के बचपन को संवारने वाला विधेयक यहां पेश किया। सरकार ने इस बिल को लाकर माता और बच्चे के बीच भावनात्मक सम्बन्ध स्थापित करने का प्रयास किया है। उसके साथ ही आधुनिक माताएं, जो पाश्चात्य संस्कृति में पली हैं अपने बच्चों को दूध पिलाना अपमानजनक समझती हैं, उनके लिए भी अच्छा सबक होगा। 1981 में वर्ल्ड हैल्थ आर्गेनाइजेशन में हमारी भूतपूर्व प्रधान मंत्री इन्दिरा गांधी ने इसके सम्बन्ध में आवाज उठाई थी और उसी में एक ऐसा प्रस्ताव पारित किया गया था जो कि बच्चों के आरोग्य की दृष्टि से स्तनपान को बढ़ावा दे और कृत्रिम पदार्थ की बढ़ती हुई प्रवृत्ति को रोकने के लिए कोई कदम उठाये। लेकिन अफसोस की बात है कि 1981 से अब तक इस विधेयक की बराबर बाल मृत्यु होती रही, यहां बार-बार इसको पेश किया, एक बार राज्य सभा में पास भी हो गया, लेकिन कभी भी यह सम्पूर्णता को प्राप्त नहीं हो पाया। आज सत्र के अन्तिम दिन अल्पकाल में यह बिल आया है। यह इतना महत्वपूर्ण बिल हैं कि इस पर बहुत अच्छी तरह विचार विमर्श होना चाहिए था। लेकिन देर आये-

दुरुस्त आये। हम सब लोग तहेदिल से इस बिल का स्वागत करते हैं, क्योंकि इसके आने में हमारे देश की एक संस्कृति जो हमसे दूर होती जा रही थी हमें दूसरी तरफ ले जा रही थी, मां और बच्चे के बीच भावनात्मक सम्बन्ध टूटता जा रहा था, एक कृत्रिम संस्कृति बीच में आ रही थी इसको रोकने में यह विधेयक लाभप्रद होगा।

आज बढ़ती हुई शिक्षा और विदेशी प्रभाव के कारण हमारी माताएं बच्चों को दुग्धपान कराना पिछड़ेपन की निशानी मानती हैं, बहुत सी भ्रमित मातायें अपने सौन्दर्य को बचाने के लिए इस काम से बचना चाहती हैं और जादुई तथा भ्रामक विज्ञापन जो डिब्बे वाले दूध पर होते हैं जिसमें यह लिखा रहता है कि मां के दूध से भी ज्यादा असरदार, तो इस प्रकार के विज्ञापन से प्रभावित होकर के बहुत सी मातायें अपने बच्चों को दुग्धपान नहीं करातीं हैं।

मेरा आपसे अनुरोध है कि इस बिल में अच्छे बच्चों के लिए, अच्छे पोषण के लिए तमाम प्रोविजन रखे गये हैं, वहीं पर बच्चों के लिए दुग्धपान के लिए माताओं की मानसिकता को बदलने के लिए आपको जन-आन्दोलन करना पड़ेगा। क्योंकि आपको इसके लिए सामाजिक संगठनों की और महिला संगठनों कीआपको सहायता लेनी पड़ेगी। जो मानसिकता हमारे बीच बन गई है उसको तोड़ने में बहुत समय लगेगा। नहीं तो यह कानून भी अन्य महिलाओं से सम्बन्धित कानूनों की तरह कानून की किताबों में दब कर रह जायेगा और हमारे बच्चे कुपोषण का शिकार होकर मृत्यु के काल में जाते रहेंगे। आप जानते हैं कि हमारे देश में तमाम योजनाओं के बावजूद बाल मृत्यु दर बहुत ज्यादा है क्योंकि बच्चे कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। जादुई विज्ञापनों पर अवश्य ही रोक लगनी चाहिए। महिला संगठन और स्वैच्छिक संगठन इस बारे में जो आवाज उठा रहे हैं, उनसे विचार-विमर्श करके जो बिल पास करने जा रहे हैं, इसके अन्तर्गत आपको सारी समीक्षा करनी होगी। केवल बिल ला देने से ब्रैस्ट फीडिंग को प्रोत्साहन करने के नारे को बुलन्द करने से काम नहीं चल पायेगा। हमारा देश गरीब है और हमारे देश में महिलाओं की कई श्रेणियां हैं। बहुत सी तो बड़े घरानों की मातायें हैं वे इसलिए ब्रैस्ट फीडिंग नहीं कराना चाहती हैं क्योंकि वे अपने आपको फैशनेबल और अपने को आधुनिक समझती है। मध्यम वर्गीय मातायें जो काम-काजी हैं, वे इसलिए ब्रैस्ट फीडिंग नहीं करा पाती है क्योंकि वे अपने कार्यालय चली जाती हैं, उनको अपने बच्चे के पास आने का समय नहीं मिलता है। एक बार प्रातःकाल ऑफिस चली जाती हैं, फिर दिन भर बच्चे बिलखते रहते हैं और घर के लोग किसी तरह मिल्क पाउडर या गाय का दूध देकर बच्चे को रिझाने की कोशिश करते हैं। जैसाकि हमारी माननीय सदस्यों ने याद दिलाया कि चाहे सरकारी हो या गैर-सरकारी कार्यालय हो, वहां पर महिलाओं के लिए मातृ शिशु कल्याण केन्द्र होना चाहिए जहां पर मातायें हर तीन घण्टे के बाद अपने बच्चे को दुग्ध-पान करने की सुविधा प्राप्त कर सकें।

सभापति महोदय, इसके साथ ही माताओं के स्वास्थ्य-वर्द्धन के लिए जो आपके मातृ शिशु कल्याण केन्द्र की योजनायें चल रही हैं, उनमें भरपूर सुधार करने की जरूरत है क्योंकि आप जानतीं हैं कि आंगनवाड़ी कार्यक्रम के माध्यम से और मातृ शिशु कल्याण केन्द्र के माध्यम से गांव-गांव में माताओं के स्वास्थ्य में सुधार किया जा रहा है।

सभापति महोदय, मैटरनिटी बैनेफिट कानून बनाया गया है लेकिन इन सब में सुधार करना पड़ेगा क्योंकि आप जानती हैं कि ये सब कार्यक्रम कागजों पर चल रहे हैं। इन पर सतर्क दृष्टि रख

[श्रीमती सरोज दुबे]

कर ग्रामीण क्षेत्रों में काम करना पड़ेगा, तभी इसमें सुधार हो सकेगा। बहुत सी बहिनें अस्वस्थ हो जाती हैं, वे बच्चों को दूध पान नहीं करा पाती हैं इसके लिए भी विचार करना पड़ेगा। आज बेबी फूड्स बहुत मंहगे हैं और आसानी से गरीब लोगों को उपलब्ध नहीं हो पाते हैं तो आपको ऐसी तकनीक खोजनी पड़ेगी जिससे कम दाम पर उत्तम दूध जो आर्टिफिशियल बेबी फूड है, गरीब लोगों को मिल सके और बच्चों को मजबूरी में पिलाया जा सके। इसके लिए आपने जो व्यवस्था रखी है हैल्थ विजिटर जिस माता के लिए प्रेस्क्राईब करेगा, बच्चे को आर्टिफिशियल दूध दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता है. इसके बारे में भी आपको बात ध्यान में रखनी पड़ेगी ताकि इन फर्जी बातों के माध्यम से बच्चे को नकली सार्टिफिकेट न मिले और मां तथा बच्चे के बीच में जो रिश्ता कायम होने वाला है, वह न टूटने पावे।

सभापति महोदय, जो कृतिम दूध बनाती हैं, यदि वे नियमों का उल्लंघन करती हैं तो उनके लिए कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान होना चाहिए। जहां भी बेबी फूड्स तैयार हो रहे हैं, बताया गया है कि एक इंस्पेक्टर निगरानी करता है तो एक इंस्पेक्टर की निगरानी से काम नहीं चलेगा। इसके लिए आपको एक ग्रुप बनाना पड़ेगा। एक व्यक्ति के ऊपर भारत के भावी बचपन को नहीं सौंपा जा सकता है। इसके लिए एक कमेटी बनाकर इसमें सख्त निगरानी रखे और पौष्टिक आहार बनाकर तब आप इसको रोक पायेंगे।

सभापति महोदय, विदेशी भ्रामक विज्ञापनों को हमारे यहां रोक दिया जाता है। जैसाकि श्री जार्ज फर्नान्डीज ने बताया कि स्टार टी. वी. पर विदेशों से आने वाले जो विज्ञापन हैं, वे बहुत अधिक चकाचौंध करने वाले हैं। ये बहुत अधिक मन को भरमाने वाले विज्ञापन होते हैं, उनपर रोक लगानी पड़ेगी। यदि आप यह रोक नहीं लगा पायेंगे तो लोग इससे प्रभावित होते रहेंगे और फिर बच्चों को डिब्बे के दूध पर पलना पड़ेगा।

सभापति महोदय, हमारे देश में मां के दूध की सौगन्ध ली जाती है। मां के दूध का वास्ता दिया जाता है। मां के दूध से भावनात्मक सम्बन्ध जुड़ा हुआ है। केवल मां के दूध के नाम पर अपनी जान कुरबान कर देते हैं तो उस संस्कृति की रक्षा करने के लिए उस आत्मीयता को कायम रखने के लिए इस बात को प्रोत्साहन देना है। आप जो बिल लाई है उसका मैं तहे दिल से स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं कि यह बिल जो आप ला रही हैं यह अच्छी तरह से इंप्लीमेंट हो और इस पर कड़ी निगरानी रखी जाए ताकि जिस प्रयोजन से आप इस बिल को ला रहे हैं वह कार्यरूप में परिणत हो सके और हमारे देश के नौनिहाल, हमारे देश के बच्चे अच्छे स्वस्थ नागरिक बनें और आगे चलकर देश का मान और सम्मान बढ़ाएं।

[अनुवाद]

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाद्दे (विजयवाड़ा) : सभापति महोदय, इस विधेयक पर बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। आदरणीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने यह जो विधेयक प्रस्तुत किया है, हम इस पर अपना पूरा समर्थन व्यक्त करते हैं। मेरे पूर्ववक्ता, अनेक माननीय सदस्यों ने, विशेषकर माननीय महिला सदस्यों ने इस बारे में बहुत सी बातें कही हैं। जो कुछ उन्होंने कहा है, मैं उस पर विस्तार में नहीं जाना चाहता। परन्तु मैं तो यह कहना चाहूंगा कि

सरकार को शिशुओं की पूर्ण रक्षा के लिए सभी उपाय करने चाहिये। शिशु ही हमारे देश के भावी नागरिक हैं। जब तक उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा और जब तक कि शिशु मृत्यु दर में कमी नहीं लायी जाती है, तब तक हमारी जनसंख्या नियंत्रण पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता रहेगा। जब हम शिशु मृत्यु दर को सबसे कम स्तर पर ला सकेंगे, जैसा कि अन्य देशों में हो रहा है, तो माता-पिता को वास्तव में यह यकीन हो जायेगा कि उनके बच्चे भले ही एक हो अथवा दो, जिन्दा रह सकेंगे तो वे निश्चित रूप से अपने परिवार को नियोजित रखने की दिशा से सभी आवश्यक कदम उठायेंगे।

इस संदर्भ में विधेयक के उद्देश्य पूर्णतया न्यायोचित हैं। इसमें जो अनेक उपबंध किये गये हैं, वह सभी अच्छे अच्छे उपबंध है। इस विधेयक को काफी समय पहले लाना चाहिए था। भले ही भारत सरकार ने इसकी संहिता तैयार कर 1983 में ही इसे अपना लिया था और भले ही राज्य सभा ने भी 1986 में इसे पास कर दिया था, दुर्भाग्यवश इसमें देरी हो गयी और अब इस समय इसे लाया गया है। हम इस विधेयक का पूरा समर्थन करते हैं। दुग्ध उत्पादों के निर्माताओं द्वारा विज्ञापनों पर रोक लगाने के अलावा, मैं यह सुझाव देता हूं कि सरकार को मां और बालक की देखभाल के लिए और ज्यादा धन उपलब्ध कराना चाहिये ताकि गरीब और जरूरतमन्द मातायें [गर्भावस्था के दौरान स्वस्थ रहें। उन्हें स्वस्थ होना चाहिए जिससे वे अपने बच्चे को आहार दे सकें और बच्चे को स्वस्थ पालन पोषण कर सकें। दुर्भाग्य की बात है कि आज भी जब कि हमें स्वतन्त्र हुए लगभग 45 वर्ष बीत चले हैं, हजारों बच्चे मृत्यु का शिकार हो जाते हैं। खासकर बच्चे अल्पआयु में ही मृत्यु का शिकार हो रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि सरकार सभी आवश्यक कदम उठायेगी जिससे बच्चों का स्वस्थ विकास हो सके और सरकार को इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि मां और बालक दोनों की मदद की जाये। मैं इस बात से इंकार नहीं करता कि इस संबंध में कार्यक्रम बने हुए हैं, किन्तु उनके लिए अधिक धन उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय (मन्दसौर) : सभापति जी, आज एक महत्वपूर्ण विधेयक पर हम यहां चर्चा कर रहे हैं। इसके सम्बन्ध में, मुझे विस्तार में बात नहीं करनी है लेकिन इतना निश्चित है कि जिस प्रकार से आजकल इन्फेंट मिल्क या शिशु दुग्धाहार को लेकर चर्चा की जाती है, विज्ञापित किया जाता है, वह हम सब के लिए चिन्ता का विषय है। वर्तमान में, जितनी कम्पनियां शिशु दुग्ध बना रही हैं लगभग 60 हजार मैट्रिक टन शिशु दुग्ध का निर्माण उनके द्वारा किया जा रहा है और धीरे-धीरे उस दुग्ध के प्रयोग की प्रवृत्ति इतनी बढ़ गयी है कि पिछले वर्षों जो मार्केट सर्वे हुआ था, उसके आधार पर, गत दो वर्षों में लगभग 10 प्रतिशत इसके उत्पादन में वृद्धि हुई है। हमारे यहां शिशु दुग्ध का उत्पादन करने वाली मुख्य कम्पनियों में अमूल है, नैस्ले है, उनके अलावा, 25 ऐसी संस्थाएं या संस्थान हमारे देश में हैं इस प्रकार का दूध निर्मित करती हैं उनकी स्थिति क्या है किस मानदन्ड से शिशु दुग्ध बना रही है, जानती हैं।

यह ठीक है कि अब हम उनको किसी न किसी प्रकार से नियंत्रित करने जा रहे हैं, इस विधेयक में उसकी व्यवस्था की गई है कि जिस प्रकार हम लिखते हैं—सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है—ठीक उसी प्रकार की व्यवस्था इस विधेयक में की गयी है कि डिब्बे का दूध पिलाना ठीक नहीं है, माता का दूध बच्चे के लिए सर्वोत्तम है अथवा दुग्ध अनुकल्प या शिशु खाद्य शिशु

[डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय]

पोषण का एकमात्र स्रोत नहीं है। इस प्रकार की व्यवस्था हम इस विधेयक के माध्यम से करने जा रहे हैं लेकिन मैं समझता हूं कि सामाजिक वातावरण बनाने की भी उतनी ही आवश्यकता है। जब तक सामाजिक वातावरण नहीं बनता है, तब तक स्तनपेय के लिए हम अपने समाज को ठीक से तैयार नहीं कर सकते हैं।

यहां मैं आपका ध्यान और महत्वपूर्ण बात की ओर दिलाना चाहूंगा कि 1981 में इसी विषय पर जो एक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ। अन्तर्राष्ट्रीय स्तनदुग्ध अनुकल्प पोषण संहिता बनी थी। उस संहिता में अनेक बातें कहीं गयी हैं, यहां मैं उस संहिता से ही कुछ बातों को आपके सामने उद्धृत करते हुए अपना भाषण समाप्त करना चाहूंगा। मैं नहीं समझता कि उस कोड का कितना पालन हुआ है और मैं यहां उन बातों को पुनः उद्धृत करना भी नहीं चाहता कि स्तन दुग्धपान से न केवल बच्चा स्वस्थ रहता है, अपितु मैं स्वयं एक चिकित्सक हूं, इस नाते भी मैं जानता हूं कि कई प्रकार की बीमारियां जैसे डायरिया हो सकता है, गैस्ट्रो एन्टेराइटिस हो जाता है, एक्जिमा हो सकता है और भी कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं, वे सब बीमारियां स्तन दुग्धपान से नहीं होतीं, बच्चा इन बीमारियों से बचा रहेगा क्योंकि इससे बच्चे में रोग प्रतिरोध क्षमता स्तन दुग्धपान से बढ़ती है। वह रोग प्रतिरोध क्षमता बच्चे में बाजार में मिलने वाले डिब्बा-बंद दूध से नहीं बढ़ सकती है। इसलिए आवश्यक है कि स्तन दुग्धपान पर जोर दिया जाए और लोगों को समझाया जाए कि वास्तव में स्तनपान ही बच्चों के लिए ठीक है और इससे ही भावनात्मक सम्बन्ध जुड़ता है महिलाओं को भी इस बारे में विचार करना चाहिए कि इससे सौन्दर्य में कमी नहीं होती। सभी दृष्टि से बच्चे का विकास करना जरूरी है। अतः मैं यहां इस कोड के बारे में बताना चाहूंगा, उसमें कहा गया है—

[अनुवाद]

1. सूचना और शिक्षा—यथार्थ और वैज्ञानिक होना चाहिए :—जिसमें स्तनपान कराने के लाभ और कृत्रिम आहार देने की हानियों के बारे में बताया जाना चाहिए।

2. आम जनता और माताएं :

—जनता के लिए कोई विज्ञापन नहीं दिया जाना चाहिये।

—निःशुल्क नमूने नहीं दिये जाने चाहिए।

—स्वास्थ्य देखभाल संस्थाओं में इनको प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए।

—माताओं को सलाह देने के लिए नर्सों का उनके साथ रहना आवश्यक नहीं होना चाहिए।

3. स्वास्थ्य कार्यकर्ता कोई उपहार अथवा व्यक्तिगत नमूने नहीं दिये जायें।

4. लेबल लगाना :

—ऐसे शब्दों और तस्वीरों का प्रयोग न किया जाये जोकि कृत्रिम आहार को प्रोत्साहित करते हों।

5. गुणवत्ता :

—सभी उत्पाद बी. आई. एस. मानदण्डों को पूरा करते हों।

6. कार्यान्वयन :

—कोड के कार्य क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले सभी उत्पाद निर्माता और वितरक, गैर सरकारी संगठन, व्यावसायी वर्ग, संस्थायें तथा संबंधित व्यक्ति कोड के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी हैं। कोड की किसी प्रकार का उल्लंघन की रिपोर्ट सरकारी अधिकारियों को जाना चाहिये।

[हिन्दी]

मैं चाहता हूं कि स्तनपान के सम्बन्ध में यह जो कोड तय किया गया था, जितनी स्वायत्त संस्थायें इस क्षेत्र में हमारे यहां काम करती हैं, उनके अलावा जितने भी मेडीकल इंसटीट्यूशन्स हैं जो इस क्षेत्र में काम करते हैं या इससे संबंद्ध क्षेत्रों में काम करते हैं, वे या चाहे वे शिशु रोग विशेषज्ञ हों, चाहे वे कोई नर्सिंग होम में हों, उन सब में इस प्रकार की प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया जाना चाहिये ताकि हम उनका अधिकाधिक उपयोग अपने उद्देश्य की प्राप्ति हेतु कर सकें और देश में स्तनपान की प्रवृति को बढ़ा सकें। जब तक हमारे समाज के अन्दर इस प्रकार का स्वस्थ वातावरण नहीं बनेगा हमें अपने उद्देश्य में सफलता नहीं मिलेगी और ह अच्छे स्वस्थ्य शिशुओं के निर्माण की दिशा में आगे नहीं बढ़ सकेंगे। बोतल से दूध पिलाना वैसे भी कई दृष्टि से ठीक नहीं है। बोतल साफ है या नहीं, चूचुक ठीक है या नहीं आदि।

इसी रूप में हमारे माननीय श्री राम नाईक जी ने इस सदन में एक गैर-सरकारी विधेयक प्रस्तुत किया था, आज वही मूर्त रूप ले रहा है जो हमारे लिए प्रसन्नता की बात है। मैं चाहता हूंकि सरकार की ओर से जो बिल सदन में आया है, उसे पारित किया जाए ताकि जल्दी से जल्दी इसके बारे में हम अगले कदम उठा सकें। यद्यपि इस बिल के अन्दर बहुत सी खामियां हैं परन्तु मैं समझता हूं कि उन खामियों को बाद में दूर किया जा सकता हैं लेकिन आज इसकी नितान्त आवश्यकता है कि इस प्रकार का विधेयक सदन में पारित किया जाए, वह एक कानून बने ताकि स्तनपान की उपयोगिता हमारे देश में और बड़े और प्रभावी ढंग से इसे लागू करें, प्रचारित कर सकें।

[अनुवाद]

श्री पी. सी. थामस (मुवत्तु पुजा) : सभापति महोदय, मैं विधेयक का पूर्ण समर्थन करता हूं और जिस तरह से इसे लाया गया है उसका समर्थन करता हूं। मुझे प्रसन्नता है कि यह विधेयक इसी सत्र में लाया जा रहा है और पारित किया जा रहा है। मैंने इसमें कुछ संशोधन प्रस्तुत किए हैं। मैं संशोधनों के विस्तार में नहीं जा रहा हूं।

जैसा कि माननीय सदस्य पहले ही कह चुके है कि स्तनपान शिशु के शारीरिक विकास के लिए ही नहीं बल्कि उसके मानसिक विकास के लिए अति आवश्यक है। यह एक मूल तथ्य है. अत: इस विधेयक को लाना भारत के भविष्य के साथ-साथ शिशुओं के हित में है, मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि यह सुनिश्चित करने के लिए सभी कदम उठाए जाएं कि इस विधेयक के कार्यान्वयन का पर्यवेक्षण ठीक ढंग से हो इस विधेयक के कार्यान्वयन का पर्यवेक्षण अथवा निगरानी कड़ाई से की जानी चाहिए।

[श्री पी. सी. थामस]

जहां तक धारा 15 में उल्लिखित सजाओं का सम्बन्ध है मैं समझता हूं कि उनमें कुछ परिवर्तन किया जाना चाहिए। कुछ अपराधों के लिए मात्र 500 रुपए का जुर्माना अपर्याप्त है और मैं समझता हूं कि इसे या तो अनिवार्य कारावास के प्रावधान के साथ जोड़ दिया जाना चाहिए या इसके लिए इस खण्ड में जिन सजाओं पर बल दिया गया है उससे कठोर सजा होनी चाहिए।

इस विधेयक की दूसरी धारा के सम्बन्ध में जो कि वस्तुओं की जब्ती, और खाद्य मदों को बदलने सम्बन्धी है, उसमें एक परन्तुक है जिसमें कहा गया है कि उन्हें 90 दिन के बाद उन्हें वापस किया जा सकता है। मैं अनुरोध करता हूं कि इस परन्तुक को वापस लिया जाए क्योंकि इसके कारण बहुत सी त्रुटियां हो जाएंगी और इससे भ्रष्टाचार भी बहुत अधिक बढ़ सकता है। अतः इसी स्तर पर ही इस पहलू पर बहुत गम्भीरता पूर्वक विचार किया जाना चाहिए और उस परन्तुक को वापस लिया जाना चाहिए जिसमें यह कहा गया है कि जब्त की गई वस्तुओं को 90 दिन के बाद वापस किया जाएगा।

समय की कमी के कारण मैं इस विधेयक के अन्य पहलुओं की चर्चा नहीं कर रहा हूं। मैं सरकार को एक बार फिर बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि यह विधेयक सर्वसम्मति से पारित होगा।

[हिन्दी]

श्रीमती सुमित्रा महाजन (इंदौर) : धन्यवाद सभापति जी। मैं रिपीट नहीं करना चाहूंगी, लेकिन मुझे थोड़ा सा दुख इसलिए हो रहा है कि आज आजादी के 40 साल के बाद एक प्रकार से वही विदेशी विचारों को लेकर हम आगे बढ़ना चाहते हैं। गीता दीदी ने ठीक ही कहा है हमारे मन पर जो यह असर पड़ा हुआ है, अंग्रेजों ने हम पर राज किया है, लेकिन राज करते समय, जो प्रभाव उन्होंने छोड़ा, वह अंग्रेजियत आज भी हम पर राज कर रही है। हमारी अनुभूति इस प्रकार की हो गई है, अगर बच्चा भी है, तो वह फॉरेन रिटर्न हो, तो अच्छा है। हमारी ही शास्त्रीय चीजों को हम पसन्द नहीं करेंगे, लेकिन अगर यह कहा जाए कि ऐसा किसी विदेशी ने भी कहा है, तो हम उसको तुरन्त एक्सेप्ट करते हैं। अगर स्तनपान की बात कोई विदेशी संस्था करती है, तो बहुत अच्छी बात है और हम उसको स्वीकार करते हैं और कहते हैं यह अच्छी बात है। इस प्रकार की प्रवृत्ति मानसिक गुलामी है। हम मानसिक दृष्टि से पंगु भी रहे, तो इसका भी यही कारण है। आज जो शास्त्री लोग है, वे यह कहते हैं कि जो बच्चा है, उसके लिए मां का स्तनपान बहुत जरूरी है, उससे उसके मस्तिष्क का विकास होगा। मस्तिष्क के विकास के लिए जो आवश्यक पोषक तत्व, अमीनो एसिटो होता है, जो बहुत जरूरी है, वह केवल मां के दूध से ही उपलब्ध होता है।

मैं इस बिल का तहे दिल से समर्थन करती हूं लेकिन एक बात कहना चाहूंगी कि केवल इस बिल का समर्थन करने और इस बिल को लाने से ही काम नहीं चलेगा। इसके लिए दोतरफा कार्रवाई बहुत जरूरी है। इसके लागू होने के बाद, किसी भी प्रकार का विज्ञापन बेबी फूड का नहीं होना चाहिए, यह जितनी सख्ती से देखना जरूरी है उतनी ही सख्ती से यह बात भी जरूरी है।

कि हमारे यहां की जो मातायें हैं, परिवार हैं, उनकी हम किस ढंग से शिक्षित कर पायें, किस ढंग से समझा पायें, क्योंकि हमारे यहां की परिस्थितियां आवश्यक नहीं है उचित नहीं है हमारे यहां चूंकि शिक्षा का अभाव सा है, लेकिन इसके साथ-साथ अगर हम एक चित्र देखेंगे, तो एक मां वह है जो दिनभर एक प्रकार से काम कर रही हैं, अलग-अलग, तीन-तीन, चार-चार प्रकार की बोतलों के सैट रखने पड़े, बोतलें उबालों, चूसनी उबालो, यही काम करती रहें। दूध बोतल में डालो, बच्चे के मुंह में यह बोतल ठूंसों।उसको एक तकिए का आधार देकर, उसके मुंह में बोतल लगवाकर मां इधर-उधर काम में जाती है। मां का सहवास भी बच्चे को नहीं मिल रहा है, वह दिनभर केवल बोतलें उबालने में ही लगी रहती है। उधर अगर वही मां बच्चे को दूध पिलाती है तो हर तीसरे घंटे में वह 15-20 मिनट तक बच्चे को अपने आंचल के साए में लेकर बैठती है जिससे मां और बच्चे का एक भावनिक संबंध जुड़ जाता है।

आज समाज में जो एक प्रकार की असुरक्षा का वातावरण है, हमारा युवा वर्ग असुरक्षा महसूस कर रहा है, मानसिक दृष्टि से उसका सन्तुलन ठीक नहीं बैठ पा रहा है इसे उस साईकोलौजीकल दृष्टि से भी हम देखें। इसके साथ-साथ मैं कहना चाहती हूं कि यह विज्ञापन सख्ती से बन्द होना चाहिए और मां के दूध के बाद गाय का दूध सबसे अच्छा रहता है, यह बात भी ज्यादा से ज्यादा प्रसारित होनी चाहिए। अगर मां के पास पर्याप्त दूध नहीं है, किसी कारणवश वह नहीं पिला सकती है तो उसके बाद बेबी फूड, बेबी मिल्क नहीं, एक्सट्रा प्रोटीन देनी पड़ती है। चार महीने बाद बोला जाता है कि बेबी फूड दे दें। यदि बच्चा मां का दूध पिए तो मां जो अन्न खाती है, बच्चे को उसमें से ही एक्सट्रा प्रोटीन मिल जाता है, अलग से नहीं देना पड़ता है। सामाजिक संगठनों को लेकर भी इस बात का प्रचार होना जरूरी है।

हर मां को डिलीवरी के बाद कम से कम छः महीने की छुट्टी मिलनी चाहिए। वह कुपोषित न रहे, मध्य प्रदेश की सरकार ने इस प्रकार की व्यवस्था की है। हर गर्भवती महिला को 500 रुपये महीना देने की व्यवस्था है। मां बच्चा पैदा करने के बाद कुपोषित न रहे, इसके लिए भी हर संभव मदद कर रही है। ये बातें साथ-साथ चलनी चाहिए देर से ही सही, इतने सालों बाद हम इस पर अच्छी तरह से सोच रहे हैं। मैं धन्यवाद देना चाहती हूं। दोनों बातें साथ-साथ चलाइए। इसलिए मत चलाइये कि विदेशों में यह विचार चल रहा है, इसलिए मत चलाइए कि विदेशी डाक्टर कह रहे हैं कि स्तनपान कराने वाली मां को ब्रैस्ट कैन्सर होने की कम संभावना रहती है। हम कहते हैं कि हमारी संस्कृति में जो विचार हैं उनको लेकर हम चले तो साथ-साथ यह राष्ट्रीय भावना पनपने में भी मदद कर सकता है।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य और खेलकूद विभाग तथा महिला और बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री (कुमारी ममता बनर्जी) : मैं पहले उन सबको धन्यवाद देना चाहती हूं जिन्होंने इस बिल में भाग लेकर मुझे अनुगृहित किया है। मैं राम नाईक जी, देशमुख जी, श्री राव, श्री थामस, श्रीमती गीता मुखर्जी, प्रो. मालिनी भट्टाचार्य, श्रीमती गिरिजा देवी, श्रीमती सुमित्रा महाजन आदि की बधाई देना चाहती हूं। मैं बधाई सिर्फ बिल लाने के लिए नहीं बल्कि इसलिए कि हमें यह सोचना चाहिए कि आज माल नूट्रीशिन, इनफैंट मौरटैलिटी बढ़ती जा रही है। हमारे छोटे छोटे बच्चे हमारे देश का भविष्य है। बच्चे हमारे देश की सम्पत्ति हैं।

6.39 म. प.

[अध्यक्ष महोदया पीठासीन हुईं]

इसलिए पहले भी सरकार ने इस बिल को लाने की कोशिश की थी। श्री राम नाईक ने भी कोशिश

[कुमारी ममता बनर्जी]

की थी। लेकिन पिछले साल जब श्री राम नाईक इस बिल को लाए थे तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि मैं, इस बिल को जरूर लाऊंगी। इसलिए हमने 8 मई को इस बिल को इंट्रोड्यूस किया था और इसके बाद आज इस बिल को लोक सभा में पास कराने के लिए लाए हैं। मैं पार्लियामेंट मिनिस्ट्री को भी इसके लिए रिक्वेस्ट करना चाहती हूं कि जैसा श्री देशमुख ने कहा है कि जल्दी से जल्दी यह बिल राज्य सभा में भी पास हो जाए। 1981 में वर्ल्ड हैल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ऐडॉप्ट किया है, इंडियन नेशनल कोड हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने 1983 में ऐडाप्ट किया है। 1986 में राजीव गांधी जी ने इसके बारे में सोचा था। आज हम उनका जन्म दिवस मना रहे हैं। वह आज हमारे बीच नहीं हैं। वह बच्चों और महिलाओं के भले की बात हमेशा सोचते थे। यह बिल आज ही लाकर हम उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। 1985 में उन्होंने एक मीटिंग की थी, उसमें निर्णय लिया था कि हमें इस बारे में कुछ करना चाहिए। इस कारण से वह 1986 में यह बिल लाये थे। लेकिन लोकसभा के डिजोल्यूशन होने के कारण वह पास नहीं हो सका। हम हाउस में बहुत सी दूसरी बात कहकर हाउस का टाइम खराब करते हैं लेकिन मैं एक विनती करूंगी कि अगर कोई ऐसा बिल हो तो उसे बिना किसी देरी के पास कर देना चाहिए। ऐसा बिल पेंडिंग नहीं रखना चाहिए और इस को जल्दी से जल्दी पास कराना चाहिए क्योंकि देश के भविष्य का सवाल इससे जुड़ा होता है।

देशमुख जी, गीता जी और राम नाईक जी ने इसको सपोर्ट किया और कहा कि महत्वपूर्ण बिल है। उन्होंने यह भी कहा कि एक इफेक्टिव मकैनिज्म होना चाहिये। मैं भी इससे सहमत हूं। मैं सोच रही हूं कि एक मॉनिटरिंग कमेटी नेशनल और स्टेट लैवल पर बनायी जाये। हम इसको कोआर्डिनेट कर सकते हैं। बहुत से कानून हम बनाते हैं लेकिन उन पर अमल नहीं होता है। स्टेट गवर्नमेंट को इम्पलीमेंटिंग अथारिटी पर ज्यादा जोर देना चाहिये। हम लॉ मिनिस्ट्री और हैल्थ मिनिस्ट्री से इस बारे में बात करेंगे। जो वॉलयंटरी आर्गेनाइजेशन्ज हैं, मेडिकल प्रेक्टीशिनर्स हैं, यूनिसेफ (नई दिल्ली) हैं।

[अनुवाद]

इन्टरनेशनल बेबी फूड एक्शन नेटवर्क, जेनेवा, एसोसिएशन फॉर कन्ज्यूमर एक्शन ऑन सेफ्टी एण्ड हैल्थ, बम्बई वोलेंटरी हैल्थ एसोसिएशन ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली में स्थित है। बंगाल रूरल एण्ड वैलफेयर सर्विसेज, कलकत्ता और कस्तूरबा गांधी मैमोरियल ट्रस्टी सेंटर है।

[हिन्दी]

इन सबको मैं बधाई देना चाहती हूं। इन सबको कनसल्ट करके हम यह बिल लाये हैं। जिन मैम्बर्स ने अपने अमेंडमेंट्स दिये हैं, उनकी भी मैं आभारी हूं क्योंकि उन्होंने इसमें इन्टरेस्ट लिया है। जिन्होंने इस पर अमेंडमेंट्स दिये हैं मैं उसके खिलाफ नहीं हूं। जैसा कि मालिनी जी, और राम नाईक जी ने कहा—पेपीफायर्स को शामिल किया जाना चाहिए। पेपीफायर्स शामिल करने से महिलाओं द्वारा अपने बच्चों को पालने के उनके अधिकार में हस्तक्षेप होगा। यह इनक्लूडिड है लेकिन देशमुख जी, सुमित्रा जी, मालिनी जी ने कहा कि अवेयरनैस भी होना चाहिये। मैं उनकी बात से सहमत हूं। बहुत से अशिक्षित लोग गांवों में रहते है। उनको इसकी कोई फैसिलिटी नहीं मिलती है जबकि शहर के लोगों को ये सब फैसिलिटी मिलती है ये टी० वी०

देखते हैं, पेपर पढ़ते हैं लेकिन गांवों में ग्रासरूट लैवल पर जाने की मैं सबसे रिक्वैस्ट करना चाहूंगी। गीता जी ने प्रपोजल दिया कि लिटरेसी मिशन को इसके साथ जोड़ा जाये। हमारे डिपार्टमैंट से यह काम चलता है। मैं एजुकेशन मिनिस्ट्री से इस सम्बन्ध में रिकवैस्ट करूंगी। इनफैंट फूड और इनफैंट मिल्क सब्जीक्यूट्स के बारे में मालिनी जी ने अमेंडमेंट दिया है। मैं उनकी आभारी हूं लेकिन कनसैंसस डिसीजन यही हुआ है कि इनफैंट मिल्क सब्जीच्यूट डिफरैंट है, इनफैंट फूड डिफरैंट है। इसलिये इसको डिफरैंटशेट किया गया है। इनफैंट मिल्क सब्जीच्यूट हमारे इंडियन कोड में भी है। एक माननीय सदस्या ने कहा कि यह इण्डियन कोड में नहीं है लेकिन आप आर्टिकल तीन में देखिये इण्डियन नेशनल कोड फॉर प्रोटेक्शन एण्ड प्रमोशन ऑफ ब्रैस्ट फीडिंग है। इसमें क्लीयरकट मेंशन कर दिया है। ब्रैस्ट मिल्क सब्जीच्यूट इनफैंट मिल्क के लिए हम चाहते हैं कि ब्रैस्ट फीडिंग को प्रमोट करें।

इसके अलावा इसके लिए कोई विज्ञापन नहीं होना चाहिये—चाहे इसमें मल्टीनेशनल कम्पनीज हों या दूसरी कम्पनियां हों। जो भी हिन्दुस्तान में विज्ञापन करेंगे उनको सजा दी जायेगी। अभी रूल्स बनाना जरूरी है। वह हम बना लेंगे। इसके लिये मैं समय चाहती हूं। बेबी को अलाइन करने के लिए कहा गया है कि कोई मैन्युफैक्चरर इसका अनड्यू एडवान्टेज ले सकता है, वह लोग क्या करेंगे, वह लोग लिख देंगे, ओल्डर देन वन ईयर ऐसा करके अनड्यू एडवान्टेज लेकर ऐसा इन्फैण्ड मिल्क बेचेंगे इन्फैण्ट की डैफिनीशन हम लोगों ने इसलिए नहीं की है। पैनल्टी के बारे में भी दो टाइप की पैनल्टी बिल के अन्दर रखी गई है। एक पैनल्टी तो 5 हजार रुपये फाइन होगा और 3 वर्ष की जेल होगी और जो पैनल्टी है उसमें 6 महीने की जेल होगी और दो हजार रुपये उसको पैनल्टी होगी। बात यह नहीं है कि इसमें कम पैनल्टी होगी, नहीं होगी लेकिन बात यह है कि आज जो जमाना आ गया है, इस जमाने में महिलाओं की तरफ थोड़ी अच्छी तरह से ध्यान देना पड़ेगा, बच्चों पर भी ध्यान देना पड़ेगा। इसके लिए देश के अन्दर एक बड़ा प्रोग्राम आई.सी.डी.एस. चलता है। आप लोगों को मालूम है, मैडम सरोजिनी ने कहा था, गीता जी, मालिनी जी, और डा. गिरिजा जी ने भी कहा था, हमारी लैक्टेटिंग मदर जो है, उसको फूड नहीं मिलता है तो बच्चों को कैसे दूध मिलेगा इसलिए इसके लिए आई. सी. डी. एस. प्रोग्राम जो हमारे देश में सबसे बड़ा प्रोग्राम है, वह हम चलाते हैं, इसमें 1.48 करोड़ बच्चों को हम लोग न्यूट्रीशन देते हैं, एजुकेशन देते हैं, इसमें रैफरल सर्विसिज देते हैं, मैडीकल सर्विसेज भी देते हैं और इसमें 0.29 करोड़ मदर्स भी हैं। इनको भी हम लोग न्यूट्रीशन देते हैं, मेडीकल फैसिलिटीज भी देते हैं इसलिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं लेकिन अगर इस बिल में एमेण्डमैण्ट भी चाहते हैं लेकिन इन्टेंशन जरूरी नहीं है तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूं, जैसा आप लोगों ने बिल का समर्थन किया है, मैंने आप लोगों के सब पाइण्ट्स सुन लिये हैं लेकिन फिर भी कोई जरूरत पड़ी, इसको मजबूत करने के लिए हम लोग हर तरह से तैयार हैं, इसमें कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं है, क्योंकि यह हमारे बच्चों के भविष्य की बात है। मैं माननीय सदस्यों से हाथ जोड़कर निवेदन करती हूं कि हमारी पार्लियामैंट का यह इस सत्र का लास्ट दिन है इसलिए आप लोग मेहरबानी करके अपने एमेण्डमैण्ट्स विथड्रा कीजिए। गुलाब नबी आजाद जी इसको पास होने के बाद जल्दी-से-जल्दी राज्य सभा से इसको पास करा दें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करती हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि मंत्री जी द्वारा हिन्दी में बहुत अच्छा भाषण देने के लिए आपको उन्हें बधाई देनी चाहिए।

कुमारी ममता बनर्जी : महोदय, मैं आपकी आभारी हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैं अब विचारार्थ प्रस्ताव पर प्रो. रासा सिंह रावत द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 1 को सदन के मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन संख्या 1 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि स्तन पोषण के संरक्षण और संवर्धन और शिशु खाद्य के उचित उपयोग को सुनिश्चित करने की दृष्टि से शिशु दुग्ध अनुकल्प, पोषण और शिशु खाद्य के उत्पादन, प्रदाय और वितरण के विनियमन का और उनसे सम्बन्धित या उनके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : सभा अब विधेयक पर खण्डवार विचार करेगी। श्री राम नाईक और श्री थॉमस ने संशोधन प्रस्तुत किए हैं।

श्री राम नाईक : मैं कुछ कहना चाहता हूं ताकि मैं कुछ जीवन्त संचार माध्यम प्राप्त करने की कोशिश कर सकूं। मैंने 67 संशोधन दिए हुए हैं। कुछ अन्य सदस्यों ने भी संशोधन दिए हुए हैं।

अब माननीय सदस्य ने आश्वासन दे दिया है कि यदि कुछ त्रुटियां हैं तो वह उन पर गौर करेंगे। मैं अब सुझाव देता हूं कि संसद सदस्यों की एक छोटी समिति गठित की जाए, उस समिति में कुछ अन्य स्वयंसेवी संगठनों को भी बुलाया जाना चाहिए, और इस विधेयक पर विस्तार से चर्चा की जानी चाहिए। यदि सरकार ऐसी किसी समिति का गठन करती है तो हम संशोधनों पर जोर नहीं देंगे। यह समिति आवश्यक है क्योंकि यहां दी गई परिभाषाओं में कई कमियां हैं। यदि यह आश्वासन दिया जाता है तो हम अपने संशोधनों पर जोर नहीं देंगे।

कुमारी ममता बनर्जी : मैंने पहले ही दिया है कि हम एक मानीटरिंग समिति का गठन करने जा रहे हैं।

श्री राम नाईक : एक निगरानी समिति नहीं। इसमें अनेक चिकित्सा सम्बन्धी मामले शामिल हैं। आप चर्चा करने के लिए एक बैठक बुलाएं और यदि आप यह देखते हैं कि कुछ संशोधन स्वीकार करने योग्य हैं तो आप इसमें एक संशोधन करने वाला विधेयक ला सकते हैं।

[हिन्दी]

कुमारी ममता बनर्जी : अध्यक्ष महोदय, यह बिल बहुत केअरफुली लाया गया है, हैल्थ

मिनिस्ट्री और ला-मिनिस्ट्री से राय लेकर एक कम्प्रीहेंसिव बिल लाया गया है। फिर भी माननीय सदस्यों के अगर कुछ सुझाव हैं तो मेरा निवेदन है कि वे मेरे पास भेज दें, मैं देख लूंगी।

[अनुवाद]

श्री राम नाईक : महोदय, बहुत सारे संशोधन हैं। जिन सांसदों ने अपने संशोधन दिए हैं और दूसरे सदस्य जो इस मामले के साथ सम्बन्धित होना चाहते हैं और इस मामले को सुलझाना चाहते हैं, उन्हें मंत्री महोदय बुला सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : महोदया, आपको समिति बनाने की आवश्यकता नहीं है। परन्तु आप उनके साथ चर्चा करें।

कुमारी ममता बनर्जी : जब हम निगरानी समिति स्थापित करेंगे, तब हम उनके साथ चर्चा कर सकते हैं।

श्री राम नाईक : कृपया सम्बन्धित संसद सदस्यों को बुलाएं और उनके साथ चर्चा करें।

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य (जादवपुर) : जो मंत्री जी कह रहे हैं, वह श्री राम नाईक द्वारा सुझाई गई समिति से भिन्न है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मंत्री सम्बन्धित संसद सदस्यों को चाय पर बुलाकर, उनके साथ चर्चा क सकते हैं।

श्री राम नाईक : महोदय, इस आश्वासन को देखते हुए, और आप द्वारा पद के उपयोग के देखते हुए हम अपने संशोधन पर जोर नहीं दे रहे।

श्री पी.सी. थामस (मुवत्तुपुजा) : आश्वासन को देखते हुए मंत्री महोदय के चाय के प्रस्ताव को देखते हुए मैं भी अपने संशोधन पर जोर नहीं दे रहा।

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य : यदि मंत्री जी श्री राम नाईक द्वारा दिए गए सुझाव के साथ सहमत है, मुझे दूसरे सदस्यों के साथ सहमत होने में कोई आपत्ति नहीं है। मैं चाहता हूं कि समिति तुरन्त गठित की जाए।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी मान गए हैं कि संशोधन देने वाले सदस्यों को चाय पर बुलाकर उनकी बात सुनें और अपना विचार बनायें।

दूसरे खण्डों में भी संशोधन हैं। क्या यह दूसरे खण्डों पर भी लागू होता है ?

श्री राम नाईक : यह सभी खंडों पर लागू होता है।

अध्यक्ष महोदय : सुधीर गिरी जी, क्या आप अपने संशोधन को रख रहे हैं ?

श्री सुधीर गिरि (कोन्टाई) : महोदय, मैं अपने संशोधन प्रस्तुत नहीं कर रहा हूं।

श्रीमती गीता मुखर्जी : मेरा संशोधन मालिनी जी के संशोधन जैसा ही है। हमारा संयुक्त संशोधन है।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं इन खण्डों को सभा के मतदान के लिए रखता हूं। प्रश्न यह है :

"कि खंड 2, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

अध्यक्ष महोदय :

प्रश्न यह है :

"कि खंड 3 से 26, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खन्ड 3 से 26 विधेयक में जोड़ दिए गए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए जायें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खन्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

कुमारी ममता बनर्जी : महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

श्री राजवीर सिंह (अंबाला) : अध्यक्ष महोदय, यह बिल तो पास हो गया, लेकिन मैं एक निवेदन करना चाहता हूं, जो इससे सम्बन्धित तो नहीं है, लेकिन एक बहुत बड़े राष्ट्रीय अपमान की बात है।

अध्यक्ष महोदय, जब उजबेकिस्तान का प्रतिनिधिमण्डल यहां आया था, तब हमारे एक मिनिस्टर ने ...।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, देखिए ऐसे मैटर जो डेफामेटरी हों, यहां नहीं उठाए जा सकते।

श्री राजवीर सिंह : मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं।*

---

*कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही वृतांत में शामिल नहीं हो रहा। आप इस प्रकार अचानक नहीं बोल सकते। कृपया नियम 353 पढ़िए। मैं उद्धृत करता हूं :

"किसी सदस्य द्वारा किसी व्यक्ति के विरुद्ध मानहानिकारक या अपराधारोपक स्वरूप का आरोप नहीं लगाया जाएगा जब तक कि सदस्य ने अध्यक्ष तथा सम्बन्धित मंत्री को भी पर्याप्त अग्रिम सूचना न दे दी हो...।"

[हिन्दी]

श्री राजवीर सिंह : मैं नाम नहीं ले रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : आप किसी का नाम भी नहीं लें लेकिन कुछ भी बोलेंगे यहां पर है

श्री राजवीर सिंह : अध्यक्ष जी, मैं कुछ भी नहीं बोल रहा हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं अनुमति नहीं दे रहा। आप यह समस्या क्यों उत्पन्न कर रहे ? आपको मुझे और सम्बन्धित मन्त्री को नोटिस देना होगा और तब आप इसे उठा सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री राजवीर सिंह ; जो रिकार्ड है वह मैं आपके सामने रख रहा हूं। मंत्री जी ने बयान दिया है...।

प्रो. प्रेम धूमल (हमीरपुर) : जिसने बयान दिया है उसको नोटिस देना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : देखिए, रूल्स मैं आपको पढ़कर बता रहा हूं।

प्रो. प्रेम धूमल : कई मामलों में रूल्स के बाहर जाकर भी करते हैं।

अध्यक्ष महोदय : करते हैं। आप सब लोग बोलते हैं, इसलिए करते हैं।

श्री राजवीर सिंह : अध्यक्ष जी, संविधान संशोधन विधेयक जो आज आया था उसमें भी आपने रूल्स को नजरअंदाज किया। वह राष्ट्रीय सम्मान का सवाल था, यह राष्ट्रीय अपमान का सवाल है।...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य, आप बिना वजह लास्ट मूवमेंट पर क्या कर रहे हैं।

[अनुवाद]

इस पर नियम संख्या 353 लागू होता है। आपको मुझे और सम्बन्धित मन्त्री को एक नोटिस देना होगा। मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं। कृपया मेरे साथ बहस न करें।

6.56 म.प.

भारतीय पुनर्वास परिषद विधेयक राज्य सभा द्वारा यथापारित

कल्याण मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्रीमती के. कमला कुमारी) : महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं : *

"कि पुनर्वास वृत्तिकों के प्रशिक्षण का विनियमन करने के लिए भारतीय पुनर्वास परिषद का गठन करने और केन्द्रीय पुनर्वास रजिस्टर रखे जाने तथा उनसे सम्बन्धित या उनके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए।"

देश में पुनर्वास सेवाओं के विस्तार में एक मुख्य बाधा प्रशिक्षित शक्ति की कमी है। देश में विकलांगों के कल्याण के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम और मानक पाठ्यक्रम प्रवेश योग्यतायें, कोर्स की अवधि, डिग्री/डिप्लोमा का स्तर इत्यादि नहीं हैं।

प्रशिक्षित जनशक्ति की कमी को पूरा करने के लिए, भारत सरकार ने देश में विकलांगों के पुनर्वास के क्षेत्र में, जनशक्ति प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए एक समान मानक लाग करने के लिए, एक प्रमुख संस्था स्थापित करने के प्रश्न पर, राष्ट्रीय विकलांग कल्याण परिषद और संबद्ध मंत्रालयों के साथ परामर्श किया।

यह सर्वसम्मति थी, कि व्यवसायी व्यक्तियों को स्तरीय प्रशिक्षण दिया जाए और केवल मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम करने वाले व्यक्ति विकलांगों को सेवाएं प्रदान करें।

इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, 31 जनवरी, 1986 को एक संकल्प के माध्यम से "पुनर्वास परिषद" नामक शीर्ष संस्था स्थापित की गई। इस संस्था को भारतीय पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत पंजीकृत किया गया। यह परिषद शिक्षा और व्यावसायिकों के प्रशिक्षण का न्यूनतम स्तर निर्धारित करती है। डिग्री या डिप्लोमा तक के प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने के लिए कुछ संस्थाओं को मान्यता देती है। यह समिति विदेशी डिग्री, डिप्लोमा और प्रमाणीकरण को 'परस्पर' आधार पर मान्यता देती है और एक केन्द्रीय पुनर्वास रजिस्टर रखती है जिसमें ऐसे लोग होते हैं जिनको विकलांगों की पुनर्वास सेवा में रोजगार लेने की अनुमति होती है।

समिति को वैधानिक शक्तियों के अभाव में प्रशिक्षण के स्तर को लाग करने और पुनर्वास व्यवसायी के कार्यकरण को विनियमित करने में कठिनाई हो रही है।

इस वजह से, पुनर्वास समिति में सांविधिक क्षमता प्रदान करने के लिए, भारतीय चिकित्सा परिषद के अनुरूप जिसके बहुत सांविधिक तरीके से चिकित्सा व्यवसायी के प्रशिक्षण को वैधानिक रूप से नियमित किया जाता है, "पुनर्वास समिति" को वैधानिक शक्तियां दी जा रही हैं जिससे पुनर्वास व्यवसाय के मानदन्ड और मानक निर्धारित किए जायें और उनके प्रशिक्षण को विनियमित किया

*राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत।

जाए। वास्तव में, वर्तमान "पुनर्वास समिति" की बजाय एक वैधानिक तरीके से गठित "भारतीय पुनर्वास परिषद" गठित की जा रही है।

7.00 म.प.

वर्तमान में, पुनर्वास परिषद को बजट की सहायता, कल्याण मन्त्रालय द्वारा मंजूर अनुदान सहायता से की जाती है। वर्तमान वर्ष 1992-93 में परिषद के लिए 23 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। वैधानिक तरीके से गठित भारतीय पुनर्वास परिषद को इस 23 लाख के बजट के प्रावधान में से वित्त पोषण मिलेगा और किसी अतिरिक्त वित्तीय बोझ की सम्भावना नहीं है। परन्तु सांविधिक रूप से गठित इस परिषद पर जो नई जिम्मेदारियां आयेंगी, उससे शायद कुछ अतिरिक्त खर्चा भी हो जाए। यह गतिविधियों पर निर्भर करेगा, जिन्हें यह परिषद करेगी। फिर भी, जैसा कि विधेयक में परिकल्पना की गई है, वित्तीय और प्रशासनिक मामले कल्याण मंत्रालय, वित्त मंत्रालय के परामर्श से समय-समय पर विनियमित और निश्चित करेगा।

उन मामलों के अलावा, जिनके सम्बन्ध में प्रक्रिया और प्रशासनिक विवरण सम्मिलित करने के लिए नियम और विनियमन बनाने हैं, इस विधेयक में शक्तियों के प्रत्यायोजन की परिकल्पना नहीं की गई है।

इन शब्दों के साथ, मैं इस पुनीत सभा से अनुरोध करता हूं कि वह इस विधेयक पर विचार करे।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि पुनर्वास वृत्तिकों के प्रशिक्षण का विनियमन करने के लिए भारतीय पुनर्वास परिषद का गठन करने और केन्द्रीय पुनर्वास रजिस्टर रखे जाने तथा उनसे सम्बन्धित या उनके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए।"

[हिन्दी]

श्री गिरिधारी लाल भार्गव (जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने 31 जुलाई, 1986 को एक्जीक्यूटिव आर्डर रिहेबिलिटेशन काउन्सिल बनाने के लिए निकाला था और आर्डर पास किया था।

[अनुवाद] :

"परिषद व्यवसायियों के शिक्षा और प्रशिक्षण का न्यूनतम स्तर निर्धारित करती है, कुछ संस्थाओं को, डिप्लोमा अथवा डिग्री स्तर तक प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करने के लिए मान्यता देती है।

परिषद विदेशी डिग्री या डिप्लोमा या प्रमाण पत्र को पारस्परिक आधार पर भी मान्यता देती है और केन्द्रीय पुनर्वास रजिस्टर रखती है जिसके तहत चिकित्सकों को पुनर्वास सेवाओं में काम करने की अनुमति है।

[श्री चिरंजारी लाल शर्मा]

पुनर्वास समिति को व्यावसायिकों के पुनर्वास और उनके प्रशिक्षण को विनियमित करने के लिए मानदन्ड और मानक तय करने के लिए वैधानिक शक्ति देने का प्रस्ताव है।"

[हिन्दी]

इस काउन्सिल को अभी तक कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं था इसलिए यह काउन्सिल बनायी गई थी। मैं माननीय मंत्री जी का आदर करता हूं इसमें कोई विरोधाभास नहीं है कि विकलांगों के प्रशिक्षण की व्यवस्था करने वाले कामों में सुचारू रूप से उनके पाठ्यक्रम में एकरूपता आ जाए इसलिए अब इसको कानूनी अधिकार देने की व्यवस्था की गई है। विकलांगों के कारण के लिए काम करने वाले प्रशिक्षित व्यक्ति के लिए क्या मापदंड होंगे इस काउंसिल के द्वारा वही करने जा रहे हैं। भारत में एक करोड़ बीस लाख विकलांग व्यक्ति हैं जिनमें से 77 प्रतिशत ग्रामीण इलाकों में रहते हैं। राजीव फाउन्डेशन के गठन के बाद फाउन्डेशन ने भी विकलांगों के पुनर्वास का दायित्व अपने ऊपर उठाया है। चार संस्थाएं हैं जैसे—देहरादून में नेत्रहीनों के लिए, सिकन्दराबाद में मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए, कलकत्ता में अपंग लोगों के लिए और बम्बई में मूक बधिरों के लिए है। इस प्रकार की स्वयं सेवी संस्थाएं जो इन एजेन्सियों में काम करती हैं उनको जो कुछ भी धनराशि प्राप्त होती है तो उस राशि से आयकर की छूट दे दी जाए तो ये सस्थाएं ठीक प्रकार से काम कर सकेंगी। भारत सरकार ने "टैक्स कन्सेशन फार रिइन्वेस्टमैंट आफ प्राफिट्स इन दी बिल्डिंग आफ दी सोशियो-इकोनोमिक इन्फास्ट्रक्चर" जैसी संस्था बनायी है जो इन्कम टैक्स में सौ प्रतिशत रिबेट देगी। ऐसी संस्थाएं अगर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए गांवों में विकास का काम करेंगी, उनके लिए सड़कें बनायेंगी तो उनको सौ प्रतिशत इन्कम टैक्स में छूट मिलेगी। इसको बने हुए छह-सात महीने हो गये हैं। जो व्यक्ति इन्कम टैक्स देते हैं और सौ प्रतिशत की छूट दे दी जाए तो वे सारी संस्थाओं में ठीक प्रकार से मदद कर सकेंगे और भारतवर्ष में जो चार बड़ी संस्थायें हैं तो इनको धनराशि प्राप्त हो सकेगी और ठीक प्रकार से काम कर सकेंगी। विकलांग व्यक्तियों को मान्यता देने और रजिस्टर देने के नाते इसमें प्रशिक्षण में मापदंड होगा, इसलिए इस विधेयक का मैं स्वागत करता हूं। आपका नाम सीताराम केसरी है और मेरे सुझावों को मानेंगे और जो धनराशि इकट्ठी हो जायेगी तो उससे विकलांग व्यक्तियों का भला हो जाएगा। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

]अनुवाद]

डा. सुधीर राय (बर्दवान) : अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक का स्वागत है। भारत में चालीस मिलियन लोग विकलांग हैं—वे या तो मूक हैं या फिर बहरे हैं या दृष्टि से विकलांग हैं। समाज और सरकार दोनों उनके कल्याण के प्रति रुचि नहीं लेते। सेवाओं में, उनके लिए तीन प्रतिशत आरक्षण को ठीक ढंग से लागू नहीं किया जाता। इस वजह से, यह तो निश्चित रूप से स्वागत योग्य है कि सरकार ने एक वैधानिक प्राधिकरण का गठन किया है।

अब, मेरे विचार में, इस विधेयक ने एक प्राधिकरण के गठन का प्रयास किया है, जिसकी, जिसे आम तौर पर सरकारी बहुमत प्राप्त होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसमें 23 सदस्य हैं जिसमें से केवल सात ही गैर-सरकारी हैं। शेष सभी सरकारी है। इस वजह से, मेरे विचार में, हम

राज्य सरकार का एक प्रतिनिधि होना चाहिए। और, यही नहीं, स्वयंसेवी संस्थाओं का परिषद में, प्रतिनिधित्व होना चाहिए। इसके अलावा, परिषद को व्यावसायिकों का एक रजिस्टर रखना चाहिए, और उनका, एक समान स्तर होना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर देश में, नीम हकीम बहुत क्रियाशील हैं, और बहुत बार अनेक बाधाएं, उत्पन्न करते हैं।

मैं यह भी कहूंगा कि इस पुनर्वास परिषद को व्यावसायियों को दिये गए डिग्री, कोर्स, और प्रमाण पत्रों को मान्यता देनी चाहिए। मैं यह भी कहूंगा कि परिषद को विकलांगों के रोजगार की देखरेख भी करनी चाहिए। मैं यह पहले से ही कह चुका हूं कि तीन प्रतिशत नौकरियां उनके लिए आरक्षित की गयी हैं। परन्तु मुझे इस बारे में संदेह है कि उन्हें इसमें से कितना मिलता है।

मैं यह भी कहूंगा कि विधेयक में एक प्रावधान है कि वह साल में केवल एक बार बैठक करेगी। मेरे विचार में, इसको साल में कम से कम तीन बार बैठक करनी चाहिए। परन्तु, इसके साथ ही, मेरा मुद्दा है कि सरकार को सामान्य साक्षरता पर जोर देना चाहिए क्योंकि अगर सामान्य साक्षरता होगी, तो पर्यावरण के प्रति अधिक सजगता होगी और फिर परिस्थितिकी का अधिक ज्ञान होगा, और इसके कारण बच्चों की मृत्युदर कम होगी सम्पूर्ण रवैया होना चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

प्रो. रासासिंह रावत (अजमेर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार को बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि कल्याण कारी सरकार का दायित्व होता है कि वह जो लोग अपंग हैं, अपाहिज हैं, किसी प्रकार से सुनने में देखने में असमर्थ हैं अथवा मानसिक दृष्टि से असमर्थ हैं उनका कल्याण करने के लिए योजनायें बनायें, इसी को दृष्टि में रखते हुए सरकार ने यह भारतीय पुनर्वास परिषद् विधेयक सदन के अन्दर प्रस्तुत किया है। हमारे यहां स्वामी विवेकानन्द जी ने एक बार कहा था :

[अनुवाद]

"पीड़ित मानवता की सेवा करना भगवान की वास्तविक पूजा है।"

[हिन्दी]

अर्थात् दुःखी मानव की सेवा करना वास्तव में ईश्वर की सच्ची उपासना है। हमारे देश की प्राचीनकाल से यह संस्कृति रही है कि और उसका आदर्श रहा है "न कर कामय राज्य न स्वर्ग न च पुर्नभव कामये पुरुतपान्यम प्राणिनामति नाशन" अर्थात् हे ईश्वर, मैं आपसे पुनर्जन्म नहीं चाहता, मैं आपसे स्वर्ग नहीं चाहता, मैं आपसे और सांसारिक सुख, वैभव और ऐश्वर्य नहीं चाहता कामये दुःखसप्तानाम, प्राणिनाम, आतिनाशनम् यामि यह दुःख से पीड़ित जो प्राणी हैं उनके कष्टों के निवारण करने में मैं समर्थ हो सकूं, ऐसी शक्ति परमात्मा से मांगी गई। इसको को दृष्टि में रखते हुए हमारे देश की सरकार ने किसी भी प्रकार से विकलांग व्यक्ति के कल्याण के लिए जो संस्थाएं, जो विश्वविद्यालय विभिन्न प्रकार के प्रोफेशनल लोगों को तैयार करते हैं, प्रशिक्षण प्रदान करते हैं या शिक्षा की व्यवस्था करते हैं उन सब लोगों के प्रशिक्षण के लिए उनको

[श्री. रतनसिंह रावत]

शिक्षा में एकरूपता लाने के लिए भारतीय पुनर्वास परिषद का गठन किया गया है। दृष्टिकोण बड़ा अच्छा है, क्योंकि इस क्षेत्र में लगे हुए बहुत से लोग नीम हकीम खतरा-ए-जान वाली प्रवृत्ति के भी हैं। जैसे चिकित्सा क्षेत्र में लगे हुए थे, जब वहां विनयमितकरण किया गया और इंडियन मेडिकल कौंसिल का गठन किया गया कि उसके बाद कौन-कौन से विश्वविद्यालय कौन-कौन सी डिग्रीज, मान्यतायें दे सकते हैं, डिप्लोमा दे सकते हैं, कौन-कौन से प्रमाण पत्र दे सकते हैं ठीक उसी तरह से यह भारतीय पुनर्वास परिषद का भी गठन किया गया है। इसके अन्त में कई संस्थाओं की सूची दी गई है और उन संस्थाओं के द्वारा इन विभिन्न क्षेत्रों में जो विकलांग पाये जाते हैं उनके लिए, बहरों, गूंगों या नेत्रहीनों के लिए। चाहे मानसिक दृष्टि से, विकलांग व्यक्ति के लिए कौन-कौन सा डिप्लोमा या कौन-कौन सी डिग्री हो, उनको शिक्षा देने वाले लोग हैं, उनके पुनर्वास के लिए है, प्रोफेशन के लिए है, उनको प्रशिक्षित करने के लिए कौन-कौन सी मान्यतायें दी जाती हैं, इन सब की जांच की जाये। इसके साथ-साथ ही कैसी शिक्षा दी जा रही है, जिसकी वजह से इस प्रकार की संस्था हो, उनसे सहायता प्राप्त करना, उनको डिग्री की मान्यता देने का प्रश्न है, इन सारी चीजों का प्रावधान इसमें व्यापक रूप से किया गया है। मैं समझता हूं कि सोच विचार करके किया गया है। इसके गठन का जो स्वरूप निर्धारित किया गया है, इसके तीन पहलू दिये गए हैं। कल्याण स्वास्थ्य एवं वित्त विभाग के सदस्य जो केन्द्रीय सरकार द्वारा रखे जायेंगे लेकिन इसके साथ-साथ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का भी प्रतिनिधित्व रहेगा। इसमें आयुर्विज्ञान संस्थान परिषद का प्रतिनिधित्व भी होना चाहिए क्योंकि अनुसंधानात्मक दृष्टि से चिकित्सा जगत में जो माहिर हों जैसे नेत्र, कान या मानसिक रोगों के विशेषज्ञ हों, वे जरूर होने चाहिएं। इन क्षेत्रों में अनुसंधान भी अत्यन्त आवश्यक है। किसी विशेष क्षेत्र में अंधे ज्यादा क्यों पाये जाते हैं, लोग कुबड़े क्यों हो जाते हैं तो वहां पर भली प्रकार से जांच करने के लिए वहां के पानी, पर्यावरण, खदानों, मनुष्य की शारीरिक रचना को किस प्रकार की है जिससे उनका निदान भली प्रकार हो सके, अन्य प्रकार के विश्वविद्यालयों में संस्थाओं में मान्यता दी जाएगी। यदि उस क्षेत्र में जो कार्यरत हैं, अगर मान लें कि उस स्तर का प्रशिक्षण नहीं दिया जाता है, डिग्री, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट या शिक्षा नहीं प्रदान की जाती है केवल जाली डिग्री या सर्टिफिकेट देकर या अन्यान्य क्षेत्रों की संस्थाओं में जाली विश्वविद्यालयों के नाम लगाकर दिए जाते हैं तो ऐसे लोगों को रोकने के लिए प्रतिबन्ध होना चाहिए, उसकी व्यवस्था इसमें दी जानी चाहिए। इसके लिए उनके स्तर से समय-समय पर रिफ्रेशर कोर्सेस की कोई बहुत व्यवस्था इस भारतीय पुनर्वास परिषद विधेयक के अन्दर हो। इसका कारण यह है कि आज नई टैक्नालाजी आ रही है। हर क्षेत्र में अनुसंधान हो रहे हैं। यदि डिप्लोमा प्राप्त करने के बाद उन लोगों को क्वालीफाइड किया जाए कि वे प्रशिक्षण में सक्षम हैं तो वे उस क्षेत्र में कार्य कर सकते हैं लेकिन यदि वे अपने ज्ञान से परिचित नहीं हैं तो हो सकता है कि वे अपने उद्देश्य में भली प्रकार सफल नहीं हो सकेंगे। फिर भी मैं इस पुनर्वास परिषद विधेयक का पुरजोर समर्थन करता हूं लेकिन इसमें जो कमियां रह गयी हैं, उसकी ओर ध्यान देना आवश्यक है।

इसमें जाली काम करने वालों के लिए जो सजा का प्रावधान किया गया है, वह बहुत थोड़ा है। इसलिए दण्ड को कारगर रूप से और सख्त किए जाने का प्रयास किया जाना चाहिए। इसमें भारतीय चिकित्सा परिषद के प्रतिनिधि, लोकसभा के दो सदस्य और राज्यसभा का एक सदस्य हो

रखा गया है । जन प्रतिनिधियों का प्रतिनिधित्व इस भारतीय पुनर्वास परिषद् विधेयक के अन्दर और अधिक बढ़ाया जाना चाहिए, यह मेरी मान्यता है ।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं ।

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : अध्यक्ष महोदय, जो रिहैबिलिटेशन कौंसिल आफ इण्डिया बिल आया है और राज्यसभा से पारित होकर यहां विचार हो रहा है, मैं इस बिल का समर्थन करता हूं । सरकार से आग्रह करना चाहूंगा कि विकलांगों के लिए बड़े-बड़े मैट्रोपालिटन सिटीज में जो प्रशिक्षण संस्थान हैं, राज्य की राजधानी में कम से कम सरकार की तरफ से इस प्रकार का प्रशिक्षण केन्द्र जरूर खुल जाए ।

अध्यक्ष महोदय, स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा जो काम हो रहा है, उसकी निगरानी ठीक ढंग से होनी चाहिए । इस देश में चार करोड़ से अधिक विकलांग हैं । उनकी सेवा का दायित्व, उनकी उन्नति का दायित्व सरकार के ऊपर है । उनके जीवन को बेहतर बनाने का शासन और समाज दोनों पर दायित्व है इसके लिए सरकार को स्टैंडर्ड एजूकेशन ट्रेनिंग देना चाहिए ताकि उनकी सुख-सुविधा के लिए उचित कार्य हो सके ।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं ।

[अनुवाद]

श्री दत्तात्रेय बंडारू (सिकन्दराबाद) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं, क्योंकि यह मुख्य रूप से, केवल व्यवसायिकों को प्रशिक्षण देने के लिए है । हमारे देश में बहुत से विकलांग लोग हैं, जैसे कि मानसिक, शारीरिक और दृष्टि से अक्षम ।

महोदय, मैं माननीय मंत्री के विचार के लिए कुछ सुझाव देना चाहता हूं । परिषद के गठन के सम्बन्ध में, इसके अध्यक्ष का पद अफसरशाही के हाथ में नहीं जाना चाहिए । हम बहुत-सी संस्थाओं के परिचालन से जानते हैं, कि वह किस प्रकार से अफसरशाही से पीड़ित है । अध्यक्ष को व्यवसायिक होना चाहिए, जिसे कमजोर वर्गों और विकलांगों के प्रति सहानुभूति होनी चाहिए । मैं समिति के सदस्यों के बारे में भी कहना चाहूंगा । बहुत से विकलांग लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे हैं और वह समाज के कमजोर वर्गों में से हैं । मैं माननीय मंत्री से निवेदन करूंगा, कि वह अनुसूचित जाति और जनजातियों के कुछ लोगों को इस समिति में रखें । फिर, विकलांगों की एक राज्य-वार जनगणना करनी चाहिए, क्योंकि अभी तक, उनकी ठीक ढंग से शिनाख्त नहीं हुई है । इसी वजह से हम यह नहीं जानते कि विकलांग लोग कितने हैं ।

फिर, धनराशि के आवंटन के बारे में, प्रशिक्षण कार्यक्रम में अनुसंधान कार्य के लिए केवल 23 लाख रुपए का आवंटन हुआ है । यह राशि बहुत कम है । मैं माननीय मंत्री से निवेदन करूंगा कि प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए और राशि का आवंटन किया जाए । हालांकि, विकलांगों के कल्याण के लिए बहुत-सी योजनायें हैं, लेकिन वे ठीक प्रकार से कार्यान्वित नहीं होती क्योंकि विकलांगों की देख-रेख के लिए कोई भी प्रशिक्षित व्यक्ति नहीं है । हालांकि, अब यह दस साल से ज्यादा से विलम्बित

[श्री दत्तात्रेय बंडारू]

है, यह प्रशिक्षण कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे उम्मीद है कि माननीय मंत्री मेरे सुझावों को मानेंगे।

इन शब्दों के साथ, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : मान्यवर, भारतीय पुनर्वास परिषद विधेयक पर जो रचनात्मक और अनुभवपूर्ण सुझाव आए हैं उनका हम स्वागत करते हुए दो तीन बातों की ओर आपके द्वारा निवेदन करना चाहते हैं।

जहां तक परिषद के निर्माण की बात है, उसमें सभी प्रदेशों का प्रतिनिधित्व होना तो सम्भव नहीं है मगर सभी क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व निश्चित रूप से होगा और जहां तक स्वयंसेवी संस्थाओं का प्रश्न है, उनका भी प्रतिनिधित्व होगा। जहां तक यूनिवर्सिटीज का प्रश्न है, उनका भी उसमें प्रतिनिधित्व होगा। जहां तक उसकी बैठकों का प्रश्न है, निश्चित रूप से एक बैठक से काम नहीं चलेगा, दो तीन बैठक होनी चाहिए। यह सुझाव भी ठीक है और ऐसा ही होगा।

जहां तक नीतीश कुमार जी ने प्रदेशों में इस तरह की परिषद के निर्माण की बात कही है, यह तो सारे देश के स्तर पर रहेगी, मगर जो परिस्थिति है उसके अन्तर्गत हम इसे कितना दूर तक कर सकेंगे, इसका हम आश्वासन अभी नहीं दे सकते हैं। मगर जिस तरह से मैट्रोपोलिटन सिटीज में है, उसे देखते हुए, हम निश्चित रूप से इस पर ध्यान देंगे, यह मेरा आपसे आग्रह है।

जहां तक इन्कम टैक्स छूट का प्रश्न है···(व्यवधान)···मैं अच्छी तरह से जानता हूं और इस पर आपको हमारा ध्यान खींचने की आवश्यकता नहीं है···(व्यवधान)···

जहां तक माननीय सदस्य श्री गिरधारी लाल भार्गव और प्रो. रामा सिंह रावत ने इन्कम टैक्स छूट की बात कही है, स्वयंसेवी संस्थाओं के सम्बन्ध में, इस बारे में, मैं आपको यह जानकारी देना चाहता हूं कि तकरीबन सभी स्वयंसेवी संस्थाओं को हम 90 प्रतिशत अनुदान देते हैं और उन्हें 10 प्रतिशत ही अपना लगाना पड़ता है। उसका कारण यह है कि जो लोग संस्थायें बनाते हैं, उनका भी उसमें कुछ योगदान हो। उस आधार पर 10 प्रतिशत यदि उनका लगता है, तथा 90 प्रतिशत हम अनुदान देते हैं, तो हम संस्थाओं की मौनिटरिंग भी करते हैं और जिस उद्देश्य को लेकर आप संस्था बनाते हैं, जिस सेवा के लिए, वह सेवा भी पूरी हो जाती है। जहां तक इन्कम टैक्स छूट का प्रश्न है, हमारे विभाग से इसका सम्बन्ध न होते हुए भी, जहां तक मुझे जानकारी है, स्वयंसेवी संस्थाओं को पहले से इन्कम टैक्स छूट उपलब्ध है—अब वह कितने प्रतिशत है, यह मैं नहीं जानता। मगर आप हण्ड्रेड परसेंट की यहां बात करते हैं, इस विषय में, मैं इतना ही कह सकता हूं कि वित्त मंत्रालय के पास, हम आपके इस सुझाव को अपनी रिकमैंडेशन के साथ पेश कर देंगे, प्रस्तावित करेंगे और चूंकि आज देश के सामने गहरा आर्थिक संकट है, इसलिए मैं यहां कोई आश्वासन तो नहीं दे सकता कि पूर्ण रूप से ऐसा हो जाएगा।

जहां तक रोजगार दिलाने का प्रश्न है, इस दिशा में हम देखेंगे कि किस योग्य वह विकलांग

है और उसके अनुसार रोजगार दिलाने का प्रयत्न कर सकते हैं, उनके सम्बन्ध में कुछ लोगों के पास लिखकर भेज सकते हैं, विभागों के पास अपना निवेदन भेज सकते हैं, प्राइवेट सैक्टर के लोगों के पास भी लिखकर भेज सकते हैं, मगर कितने प्रतिशत हम उसमें कामयाब होंगे, उसके बारे में, मैं कुछ नहीं कह सकता ।

जहां तक मानवीय भावना का प्रश्न है, जहां तक हमारी सेवा और आपकी सेवा का प्रश्न है, जहां तक आपकी भावना का प्रश्न है, और जहां तक उनकी भावना होनी चाहिए को पब्लिक सैक्टर और प्राइवेट सैक्टर के लोग हैं, ऐसे लोगों के प्रति उनकी भावनायें भी संवेदनशील होनी चाहिए, इसी को दृष्टिगत रखते हुए, जो हमारा उद्देश्य है, उसकी पूर्ति होनी चाहिए और इसमें जितना सहयोग मुझसे हो सकेगा, मैं दूंगा ।

जहां तक तीन प्रतिशत उनको सर्विसेज में आरक्षण देने का प्रावधान है, उसकी भी पूर्ति करने के लिए हम कोशिश करते रहते हैं । अगर इसमें स्पेशल रिक्रूटमैंट की बात होगी तो उस बारे में भी ध्यान दिया जायेगा और मैं कदम बढ़ाऊंगा ।

मैं समझता हूं कि मैंने आपके सभी प्रश्नों का पूर्ण रूप से उत्तर दे दिया है । आपको सुझाव देने के लिए मैं धन्यवाद देता हूं और इस विधेयक को विचित्त पारित करने के लिए आपके सामने प्रस्तुत करता हूं, निवेदन करता हूं ।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे जी, माननीय मंत्री ने उत्तर दिया है । मैंने आपका नाम पुकारा था । आप यहां पर नहीं थे । मैं आपको बाद में मौका दूंगा ।

प्रश्न यह है :

"कि पुनर्वास वृत्तिकों के प्रशिक्षण का विनियमन करने के लिए भारतीय पुनर्वास परिषद का गठन करने और केन्द्रीय पुनर्वास रजिस्टर रखे जाने तथा उससे सम्बन्धित या उनके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक राज्य सभा द्वारा यथा पारित पर विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष महोदय : अब सभा इस विधेयक पर खंडवार विचार करेगी । डा. (श्रीमती) के.एस. सुन्दरम का एक संशोधन है । वह उपस्थित नहीं हैं ।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 से 30 इस विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड 2 से 30 विधेयक में जोड़ दिए गए ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अनुसूची, खंड एक, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अनुसूची, खंड एक, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम, विधेयक में जोड़ दिए गए ।

श्री सीताराम केसरी : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं ।

"कि विधेयक पारित किया जाए ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

"कि विधेयक पारित किया जाए ।"

श्री लोकनाथीश्वर राव वाड्डे (विजयवाड़ा) : महोदय, मैं बहुत संक्षेप में अपनी बात कहूंगा । हम भारतीय पुनर्वास परिषद विधेयक का पूर्णरूप से समर्थन करते हैं । इस विधेयक के खंड (3) में राज्यों का प्रतिनिधित्व कदापि अपर्याप्त है, क्योंकि इसमें यह उल्लेख किया गया है :-

'दो सदस्य, जोकि केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त होंगे, वे समाज कल्याण से संबंधित मंत्रालय या राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्रों के विभागों का चक्रानुक्रम से, वर्णानुक्रम के अनुसार प्रतिनिधित्व करेंगे ।"

इसका तात्पर्य यह है कि एक समय वहां पर केवल दो ही सदस्य होंगे । यह राज्यों को स्थूल रूप से कम प्रतिनिधित्व है । मैं माननीय मंत्री से निवेदन करूंगा कि वह इस मामले पर पुनर्विचार कर राज्यों का प्रतिनिधित्व बढ़ायें ।

इसके साथ-साथ एक प्रावधान यह है कि परिषद् की साल में कम से कम एक बैठक अवश्य होगी । परन्तु जहां तक परिषद का प्रश्न है, एक साल में एक से अधिक बैठक करने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है । इसके साथ-साथ संभव है कि उसकी साल में केवल एक ही बैठक हो । जबकि उन गरीब, मानसिक या शारीरिक रूप से विकलांग या अंधे लोगों की सहायता के लिए बहुत कुछ करना बाकी है तथा काम का इतना भार है, तो यह प्रावधान भी परिवर्तित हो सकता है । माननीय मंत्री महोदय ने वार्षिक ज्ञापन में, कहा है कि इसके लिए 23 लाख रुपये की आवश्यकता है । मेरे विचार में यह बहुत छोटी राशि है ।

अन्त में, मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि वह कुछ क्षेत्रों में सभी आवश्यक कदम उठायें । इस संगठन के लिए व्यावसायिक कार्य करने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यतायें निश्चित करने के साथ-साथ मानवीय तत्व भी जोड़ा जाना चाहिए । एक व्यक्ति के पास चाहे कोई भी डिग्री हो, चाहे उसके पास डिग्री हो या न हो परन्तु उसमें बचनबद्धता तथा सेवा आदर्श अवश्य होना चाहिए । इन बातों की ओर भी पर्याप्त ध्यान दिया जाना चाहिए । इस समय, सरकार इन गरीब, अनाथ और

विकलांग लोगों की सहायता तथा कल्याण के लिए काफी राशि व्यय कर रही है। परन्तु, कई बार ऐसा होता है कि कुछ स्वयंसेवी संस्थायें, कुछ चालाक लोग जिनको यह राशि मिल रही है, वह उस रकम को उन लोगों तक पहुंचने नहीं दे रहे, जिनकी सहायता के लिए यह राशि दी जा रही है। इस सम्बन्ध में, आपने कुछ कदम उठाए हैं। कुछ निरीक्षक, कुछ आगन्तुक वहां पर यह देखने के लिए होंगे कि क्या वह व्यावसायिक वास्तव में समर्थ व्यक्ति है कि तथा क्या काम ठीक से हो रहा है या नहीं, यह अच्छी बात है। इसी तरह, मैं यह सुझाव भी देना चाहूंगा कि सरकार भविष्य में ऐसे आवश्यक कदम उठाये जिनसे यह सुनिश्चित किया जा सके कि जो राशि आप दे रहे हैं, अपने कल्याण मंत्रालय के माध्यम से उन गरीब तथा विकलांग लोगों के कल्याणवह वास्तव में, उन लोगों तक पहुंचे तथा उसका कोई अन्यथा उपयोग न हो। तकनीकी रूप से आपके लिए प्रस्तुत की गई लेखा परीक्षा विवरण ही पर्याप्त नहीं है। जैसाकि आप जानते हैं, इस सदन का प्रत्येक माननीय सदस्य जानता है कि बहुत बड़ी राशि व्यर्थ जा रही है, और इन लोगों के कल्याण के लिए, बहुत कम राशि का उपयोग हो रहा है। मुझे उम्मीद है कि माननीय मंत्री महोदय जो कि कमजोर वर्गों के कल्याण के प्रति वचनबद्ध हैं, भविष्य में आवश्यक कदम उठायेंगे।

इन शब्दों के साथ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री सीता राम केसरी : मान्यवर, मैं चाहूंगा कि जो बातें इन्होंने कहीं हैं, उनके बारे में उत्तर दूं। जहां तक भ्रष्टाचार की बातें इन्होंने कहीं हैं, मैं स्वयंसेवी संस्थाओं से, इनसे और माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा, चूंकि यह ऐसा विभाग है जिसका सम्बन्ध मानवीय जीवन से बहुत अधिक और बड़ा है और आपकी सहानुभूति और सेवा का यह बहुत बड़ा प्रतीक है, इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि जहां भी इस तरह की संस्थाओं में आप खामियां पायें, हमारे पास एक पत्र लिख दीजिए। हमारा विभाग मौनीटर तो करेगा ही··· (व्यवधान)।

श्री छेदी पासवान (सासाराम) : पत्र लिखने के बाद तो जवाब नहीं मिलता··· (व्यवधान)

श्री नीतीश कुमार : चिट्ठी तो लिखते हैं लेकिन ऐकनोलेजमेंट भी नहीं आता है।

श्री सीताराम केसरी : आपका ऐकनोलेजमेंट नहीं दिया बल्कि आपका काम भी पूरा किया है।

अध्यक्ष महोदय : अगर चिट्ठी का जवाब देते हुए काम होता है तो आपको ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए।

(व्यवधान)

श्री सीताराम केसरी : इस तरह के पत्रों का उत्तर नहीं भी आता होगा लेकिन वे जो कह रहे हैं उसके पीछे मनोरंजन की भावना है और कोई भावना इसमें नहीं है। इसलिए मुझे कोई शिकायत नहीं है।

[श्री सीताराम केसरी]

हमारे माननीय सदस्यों ने दो-तीन बातें कही हैं कि इसमें ऐसे सदस्य होने चाहिए जिनका हृदय मानवीय हो। दूसरी बात जहां तक बैठक की बात कही है, मैंने अपने पूर्व के वक्तव्य में कहा है कि एक नहीं तीन बैठकों का प्रावधान हम रखेंगे। तीसरा, जहां तक भ्रष्टाचार की बात कही है, मैंने कई स्वयंसेवी संस्थाओं की छानबीन भी की है। कुछ लोगों की सिफारिश के बावजूद मैंने ढीलापन नहीं किया है। जहां तक फंड को रोकने का प्रश्न है, वह इसलिए रुकता है जहां संदेह की नजर जाती है। वहां मैं रोक देता हूं।

मैं पुनः निवेदन करता हूं कि जहां भी इस तरह की बात हो, क्योंकि इस विभाग से मेरे निभाने से यह अन्तर है कि वहां मानवीय भावना ही नहीं, ऐसे व्यक्तियों के साथ सम्बन्ध है जिनके पास न जुबान है, न आंख है, न बोल सकता है, न चल सकता है और संस्था, सत्ता इन्हीं लोगों के लिए है। मेरी आकांक्षा है कि जहां भी ऐसी बातें पायें, हमारे नोटिस में लाएं, मैं निश्चित रूप से उस पर कार्यवाही करूंगा।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : संसदीय कार्य मन्त्री जी, क्या आप कुछ कहना चाहेंगे।

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : अब इस सदन के नेता बोलेंगे। (व्यवधान)

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : मुझे एक छोटा-सा सुझाव देना है। हम दूरदर्शन पर महत्वपूर्ण वाद-विवाद दिखाते हैं। मैं सुझाव देता हूं और निवेदन करता हूं कि इस बार नहीं, तो कम से कम अगली बार से, अन्तिम भाग को भी दूरदर्शन पर दिखाना चाहिए, क्योंकि वह काफी महत्वपूर्ण होता है।

7.34 म. प.

विदाई उल्लेख

प्रधान मंत्री (श्री पी. वी. नरसिंह राव) : महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे कुछ मिनट का समय दिया, जबकि सदन अनिश्चित काल के लिए स्थगित होने वाला है और सत्र समाप्त होने वाला है। मैं कल यहां नहीं था परन्तु मुझे बताया गया कि सदन में उस एक शब्द के उपयोग पर कुछ गर्मागर्मी हुई, जो पन्द्रह अगस्त के मेरे भाषण में आ गया था। कल किसने क्या कहा—मैं उसके विस्तार में नहीं जाना चाहता। मैं सदन को बताना चाहूंगा कि उस शब्द का प्रयोग बिल्कुल और पूर्ण रूप से अनवधानिक रूप में हो गया था।

जब मैं अपने कुछ पदावनत भाईयों के लिए कुछ अच्छा घोषित कर रहा था, तो मेरे मन में दूर तक यह बात नहीं थी कि उनकी चर्चा करने के लिए किसी गलत शब्द का उपयोग करें। उस

दिन के सरकारी अभिलेख में यह शब्द तुरन्त ठीक किया गया। मैं इस सदन को आश्वासन देना चाहूंगा और इस सदन के माध्यम से विशेषकर उन मित्रों को जिनके बारे में मैंने यह शब्द कहा था उन्हें आश्वस्त करते हुए इतना कहना चाहूंगा कि उस अनवधानिक गलती के लिए मैं केवल खेद प्रकट कर सकता हूं।

महोदय, यह सत्र बहुत लम्बा रहा। मैं कहूंगा कि यह इतना लम्बा रहा कि कुछ दिन तो ऐसा प्रतीत होता था कि हम बैठना नहीं चाहेंगे और सदन को चलने नहीं देंगे। शायद हमारे पास इतना समय था कि हमें यह पता नहीं था कि हम क्या करें। परन्तु हमारा यह सत्र बहुत हलचलपूर्ण परन्तु प्रशिक्षणात्मक रहा है। लोकतांत्रिक भारत के इतिहास में कई मील पत्थर स्थापित किए गए हैं; हमने राष्ट्रपति का चुनाव करवाया। हमने उप-राष्ट्रपति का चुनाव करवाया। हमारी अल्पमत सरकार ने एक अविश्वास प्रस्ताव का सामना करने का एक विशिष्ट अनुभव प्राप्त किया। हमने कुछ विधेयक पारित किए हैं। हमें खेद है कि हम कुछ और ऐसे विधेयक पारित नहीं करवा पाये जिन्हें पारित करवाने की मैंने उम्मीद रखी थी। विशेषकर, पंचायत और नगरपालिका विधेयक, जिनके लिए मेरे विचार में सम्पूर्ण देश बहुत समय से इन्तजार कर रहा है। हमने अपनी प्रतिनिधित्व संयुक्त संसदीय समिति स्थापित की जिसे एक ऐसी सबसे मुश्किल, नाजुक और चुनौतीपूर्ण समस्या की जांच का कार्य सौंपा गया है जिसका पिछले कुछ महीनों से इस देश को सामना करना पड़ रहा है और मुझे यकीन है कि इस समस्या का सामना करने में संयुक्त संसदीय समिति पूर्णतया सफल होगी।

कुछ दिनों के लिए, हमें बहुत कठिन समय का सामना करना पड़ा। जब हम कुछ ऐसे निर्णय ले रहे थे, जो कि इस सरकार और देश को बहुत लम्बे समय तक दुविधा में डाल सकते थे। एक तरफ यह दुविधा भी थी कि संविधान का अनुपालन न करके उसको चुनौती देने वालों के साथ क्या किया जाए, दूसरी ओर यह समस्या थी जो कि मूल समस्या का ही दूसरा रूप थी कि ऐसी स्थिति को टालने के लिए क्या कदम उठाए जाए जिसमें कि देश में अन्न खराबा होने का अंदेशा था। हमें इस बात की खुशी है और हमें इससे काफी राहत मिली है कि सबके सहयोग से उस स्थिति को टाला जा सका जिससे हमें इस समस्या पर विस्तार से विचार करने का समय और अवसर मिला। मुझे आशा है कि सभी पक्षों से ऐसे सहयोग के फलस्वरूप हम इस मामले की जड़ तक पहुंच पायेंगे और इसका समाधान ढूंढने में सफल होंगे।

आज, हमने बहुत कम समय में संविधान की आठवीं अनुसूची को विस्तृत करने सम्बन्धी विधेयक पारित किया। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि जब संसद कार्य करना चाहती है तो वह तुरन्त हो जाता है और जब यह किसी अन्य मनःस्थिति में हो तो उसका बिल्कुल प्रतिरोधात्मक रुख होता है और किसी कार्यवाही में प्रगति नहीं होती और कुछ भी करने की अनुमति नहीं मिलती।

इसी कारण हमने संसद के विभिन्न रूप देखे हैं। हम इसका एक हिस्सा हैं और हमें इस पर गर्व है।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं सभी सदस्यों सभी दलों, को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने सदन की कार्यवाही को जीवन्त बनाया और कभी-कभी बहुत रूखी जिससे कि हमें उसके स्थगन के समय परस्पर शुभ कामनाओं के साथ अनुमति लेना सम्भव हुआ।

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधीनगर) : मान्यवर अध्यक्ष महोदय, मैं प्रधान मंत्री के विचारों से अपने को सम्बद्ध करते हुए आपके प्रति, सदन में सभी दलों के नेताओं के प्रति और सचिवालय के सभी अधिकारियों, कर्मचारियों के प्रति आभार प्रकट करता हूं।

मई में जब अधिवेशन समाप्त हुआ था और जुलाई में यह अधिवेशन आरम्भ हुआ, इस बीच में जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना राजनैतिक क्षेत्र में घटी, वह बैंक घोटाले के बारे में कुछ रहस्योद्घाटन था और इस कारण स्वाभाविक था कि इस सत्र के आरम्भ से ही सब के मन में विचार था कि वह घोटाला देश पर, इस संसद के सत्र पर छाया रहेगा। आरम्भ में तो उसकी चर्चा कुछ शुरू भी हुई लेकिन बीच में व्यवधान हुआ, जिसका उल्लेख प्रधान मंत्री जी ने किया और अयोध्या की घटनाओं की प्रतिध्वनि इस सदन में भी सुनाई देने लगी। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि उसके बारे में जो चिन्ता पैदा हुई थी, उस चिन्ता के निवारण की स्थिति भी पैदा हुई और टकराव टल गया।

मैं आशा करता हूं कि जिस हल की दिशा में देश जाना चाहता है, वह हल भी निकलेगा। सत्र के अन्तिम सप्ताह में एक दूसरे प्रकार के टकराव की स्थिति पैदा हुई और एक दिन तो कार्यवाही भी नहीं चल सकी और वह मुझे दुखद लगी, क्योंकि, पहले की जो टकराव की स्थिति थी, उसमें एक तरफ केन्द्र की सरकार लगती थी और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की सरकार लगती थी लेकिन इस अन्तिम सप्ताह में या अन्तिम पखवाड़े में टकराव की स्थिति एक बड़े ही विचित्र ढंग की थी, जिसमें कि लगता था कि संसद के ही एक हिस्से का टकराव अध्यक्ष के पद से हो रहा है। उनकी कोई इच्छा इस प्रकार की नहीं है, ऐसा मुझे विश्वास है और जब इस विषय में अध्यक्ष महोदय ने अपने मन की व्यथा प्रकट की तो सदन के सभी वर्गों ने कहा कि इस व्यथा का कोई आधार नहीं, यद्यपि हमारा कोई अन्तर हो सकता है, जिसको हम और तरीके से रखेंगे। वह टकराव भी टल गया और आज अन्तिम दिन पर एक नियम समिति द्वारा रिपोर्ट पेश की गई है, जो मैं मानता हूं कि शायद, अध्यक्ष जी, जिस प्रकार से आपने इस सदन में दूरदर्शन लाकर, दूरदर्शन के माध्यम से इस सदन में प्रश्नोत्तर काल का प्रसारण करने की पहल की, वह एक ऐतिहासिक पहल थी, वैसे ही इस नियम समिति की जो सिफारिशें हैं, जिनको कि हम अगले सत्र में ही पारित कर सकेंगे, उनके द्वारा जो समितियों का निर्माण होगा और संसदीय कार्य हम समिति के माध्यम से अधिकाधिक कर सकें, वह जो व्यवस्था होनी होगी, वह बहुत ही उत्तम पहल मैं मानता हूं और उसका नाम निश्चित रूप से अगले बजट अधिवेशन में दिखाई देने लगेगा। खासकर इस पृष्ठभूमि में कि पिछले तीन साल तक हम बजट अधिवेशन में चार या पांच या छः मंत्रालयों की डिमान्ड्स ही चर्चा कर पाते हैं और बाकी सब मंत्रालयों की जो मांगें हैं, उनको हमको बिना बहस के गुलोटिन करके पास करना पड़ता है। उससे हम बच पायेंगे, यह बहुत अच्छी बात होगी।

इस निर्णय के साथ-साथ कल एक और अच्छा निर्णय हमारी जनरल परपजेज कमेटी में हुआ कि हम अपने सत्र का आरम्भ वन्दे मातरम् से करेंगे और सत्र की समाप्ति के अन्तिम दिन हम जन गण मन से करेंगे। मैं समझता हूं कि यह एक बहुत ही अच्छी शुरूआत होगी।...

(व्यवधान)···नहीं, शुरुआत ठीक ढंग से करें और व्यवस्थित रूप से करें, इस दृष्टि से अगले सत्र में यह होगा, यह बहुत ही अच्छा रहेगा।

मुझे इस बात की भी खुशी है, मैं समझता हूं कि बाकी तो अन्य विधेयकों के बारे में जैसे प्रधान मंत्री जी ने कहा कि अच्छा होता कि कुछ और विधेयक पास हो जाते, पंचायतों का, नगर-पालिकाओं का विधेयक हमने प्रवर समिति को सुपुर्द किया है, उन्होंने अपनी रपट भी पेश की है लेकिन हम पास नहीं कर सके।

एक और विधेयक, जिसकी मैं इच्छा करता था, क्योंकि, उसकी अब तक यहां से स्वीकृति नहीं होती, वह भी एक संविधान संशोधन विधेयक है, जिसके द्वारा चुनाव क्षेत्रों का पुनःपरिसीमन होना है···वह काम मैं अपेक्षा करता था कि इस सत्र में हो जाएगा, लेकिन हो नहीं पाया। मैं आशा करता हूं, विश्वास करता हूं कि अगले सत्र में निश्चित रूप से ये सभी विधेयक हो जाएंगे और दिल्ली के बारे में एक विधेयक जो कल आना था, लेकिन कल नहीं लाया जा सका, उसमें मेरा भी योगदान है, उसके न लाए जाने में, वह भी अगले सत्र में आ जाएगा, स्वीकृत होगा और यहां पर भी चुनी हुई संस्थायें हो जायेंगी, इस आशा के साथ मैं पुनः आपको बधाई देते हुए, जितनी उपलब्धियां इस सत्र में हुई हैं और सभी सदस्यों को धन्यवाद देते हुए अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : अध्यक्ष जी, सदन के नेता और विपक्ष के नेता ने जो भावनायें व्यक्त की हैं, उसमें हम भी अपने आपको संबद्ध करना चाहते हैं। इस सत्र में जो कई बार गतिरोध उत्पन्न हुए और जब सभी लोगों की सहमति हुई तो कम से कम समय में सरकारी कार्यों का भी निष्पादन हुआ। आज ही मैं समझता हूं कि आप जिसको अनलिस्टेड आवर कहते हैं, हम लोग उसको लोकप्रिय ढंग से जीरो आवर के रूप में जानते हैं, वह लगभग साढ़े 5 घंटे तक चला और उसमें भी विलक्षण बात यह रही कि जीरो आवर के अन्दर सरकारी काम भी बीच-बीच में होता गया। दो-दो बिलों पर चर्चा हो गई, संविधान संशोधन हो गया, ये सब बातें हुई।

अभी अन्तिम सप्ताह के जिस गतिरोध की चर्चा माननीय विपक्ष के नेता ने कर दी तो हम इस बात को पुनः स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि आसन से कोई अविश्वास का इरादा हम लोगों का नहीं है और न ही था। किसी खास विश्लेषण से दुखी होकर के, क्षुब्ध होकर के या असहमत होने के कारण एक परिस्थिति उत्पन्न हुई और आपने भी बीच-बीच में अप्रेशिएट किया, कई अवसरों पर आपको भी ऐसा लगा कि इस व्याख्या में, जो दूसरे लोग आपके नियमन के बाद दे रहे थे, उसमें दम है और वह एक अलग चीज है, उसके बारे में विस्तार से आपके समक्ष चर्चा होनी शुरू हो गई है और कल आपने बैठक भी बुलाई थी, लेकिन माननीय विपक्ष के नेता ने चूंकि उसकी चर्चा कर दी, इसलिए यह कह देना मुनासिब था कि कहीं भी आपको असम्मानित करने का इरादा हमारा नहीं था, हम अपनी बात इस मजबूती से रखना चाहते थे, जहां ऐसा लगा कि संसदीय जनतंत्र के साथ या पार्टी सिस्टम के साथ कोई गड़बड़ी होने की संभावना है, तो कर्त्तव्यबोध के चलते कुछ बातों को आपके समक्ष रखा था। सदन में कई मौके ऐसे आते हैं जब एक दूसरे के साथ नोकझोंक होती है और सत्र के अन्त में उठने के समय एक प्रेम का माहौल बनता है और यही बात संसदीय जनतंत्र को मजबूत बनाती है, यही भावना देश को भी मजबूत बनाती है।

[श्री नीतीश कुमार]

इन्हीं शब्दों के साथ आपके प्रति आभार प्रकट करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा): महोदय, अंत में, हम इतने आत्म विरोधी, इतने ... और पश्चातापी हैं। इसलिए मुझे लगता है कि जब शुरुआत होती है, हमें अन्त याद आता है और अगर हम ऐसा ही आचरण करें तो फिर कोई भी समस्या नहीं आएगी।

महोदय सदन में कुछ अवांछित घटनाओं के बारे में जो श्री नीतीश कुमार ने कहा है, उसका मैं समर्थन करता हूं और कोई भी किसी माननीय सदस्य की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता परन्तु हमारे मन में कुछ प्रश्न उभरे हैं, जिन्हें हमने स्पष्ट करने का प्रयास किया है और उसका एक अन्तिम परिणाम निकलना चाहिए और यह प्रक्रिया चल रही है।

तीसरा, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि यद्यपि हम सत्रावसान की ओर अग्रसर हो रहे हैं फिर भी इस देश में सदन के बाहर हमें बहुत-सी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। इस सदन के माननीय सदस्यों को इन चुनौतियों का सामना करने में बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं, जो इस देश के लिए बहुत विभाजनात्मक और क्षतिपूर्ण है। मैं आशा करता हूं इस सदन के सदस्य संगठन की भावना से, सहयोग देंगे ताकि सहयोग की जो भावना इस समय प्रबल हुई है, वह बनी रहे।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं आपका इस सचिवालय के सभी कर्मचारियों का और सभी का इस सत्र की सफलता के लिए धन्यवाद करता हूं।

[हिन्दी]

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी): अध्यक्ष महोदय, मैं अन्त से ही पहले शुरू करता हूं। गत एक-दो दिनों में अध्यक्ष की हैसियत से आपके धैर्य की भी हम लोगों ने कड़ी परीक्षा ले ली और कुछ शब्दों के कारण ऐसी गलतफहमी की भी गुंजाइश हुई, उसका निराकरण भी हो गया।

अध्यक्ष जी, प्रधानमन्त्री ने जो कहा है अयोध्या को लेकर, यह ठीक है कि, सारा देश एक श्वास ले रहा है अच्छी आशा का और इसमें हम सभी को योगदान करना होगा। जब प्रधान मन्त्री प्रयत्नशील हैं, नेता विरोधी दल उसमें शामिल हैं, शायद उनको और भी ज्यादा मदद करनी पड़े, अयोध्या जो ऐतिहासिक धाम है, जहां युद्ध न हो, देश में कोई ऐसा वातावरण पैदा न होने देगा। उसका भी संतोषजनक समाधान हो जाएगा।

अध्यक्ष जी, 1976 में हमारी पार्टी ने संविधान में संशोधन तक की मांग की थी स्टैंडिंग कमेटी के लिए। अब जब अगले सत्र में बहस होगी तो स्टैंडिंग कमेटी को कुछ रूप देने में कुछ अपने अनुभव, कुछ और देशों में जहां स्टैंडिंग कमेटी है, उनकेअनुभव लेकर, हमारी संसद केवल बहस के लिए या नियमन के लिए न हो, कुछ उसके अनुपालन में भी कारगर हो, उसकी बनाने में भी हम सब मिलकर सफल होंगे, आपके नेतृत्व में, यह भी हम आशा करते हैं।

अध्यक्ष जी, जहां तक आशा का सवाल है, मेरे जैसा आदमी, पंचायती राज विधेयक जो 72 वां संविधान संशोधन विधेयक है उसके उसके लिए व्याकुल था और दुःखी भी। जहां 14-14 वर्षों से कई राज्यों में चुनाव नहीं हुआ है वह टल जायेगा। तो हम सब लोगों की विफलता है। ऐसा भी

अगली बार न हो कि उसको अन्त में रखा जाए, ताकि वह अत्य हो जाए। ऐसे को प्रारम्भ में रखना होगा। इसलिए वैसा विधेयक भी आएगा। जो मतभेद के मुद्दे हैं, स्वाभाविक है जब हमारे देश में मतभेद हैं, व्यवस्था में मतभेद हैं, लोगों में मतभेद हैं उसका प्रतिबिम्ब सदन में होना ही है। एक-मत हर बात में हो जाए, यह जरूरी नहीं है। संविधान की आठवीं अनुसूची की बात हुई है, आज ऐसा मालूम पड़ रहा है जैसे बड़े दुःख की बात हुई कि जो भाषाएं अभी आठवीं अनुसूची के बाहर मैथिली भाषा है तथा अन्य भाषाएं हैं उसके लिए हम सदन को तैयार नहीं करा सके, सरकार को तैयार नहीं करा सके। मैं आशा करता हूं अगले सत्र में जो मैथिली भाषा है, राजस्थानी भाषा है, डोगरी भाषा है उसको लेकर हम करेंगे।

85 करोड़ का हमारा देश है। उसमें जो साहित्य अकादमी द्वारा स्वीकृत 22 भाषाएं हैं वह कुछ मित्रों को बहुत ज्यादा मालूम पड़ती हैं, लेकिन बहुत भाषाओं को, बहुत सम्प्रदायों को और बहुत संस्कृतियों को मिलाकर एक संस्कृति का हमारा देश है। उस मायने में एक और चूक हमें मालूम पड़ती है कि संस्कृति पर बहस के लिए विवरण पहले रखा गया था, उसमें भी हम, चूक गए। आठवीं योजना पर जो बहस का योगदान होगा। उसके लिए भी हम समय नहीं निकाल सके। ये भूली-भटकी बातें हैं, ये अगले सत्र में होंगी। मैं विश्वास करता हूं आपके नेतृत्व में यह सदन उन कामों को ज्यादा बेहतर तरीके से अन्जाम देने में सफल होंगे। उसमें हम सब योगदान देंगे। जो त्रुटियां रह गयी हैं उनसे सबक लेकर हम ज्यादा कारगर अपने को, अपने दल को बना सके, इसी विश्वास के साथ आपको और अपने सभी मित्रों को मैं धन्यवाद देता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं। [अनुवाद]

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे (विजयवाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा है, हम भी इस संबंध में बहुत चिन्तित हैं। अब क्या होने वाला है ?

अन्त में, हमें इस बात की प्रसन्नता है कि कोई समाधान निकाला जा सकता है। हमें और भी प्रसन्नता इस बात की है कि स्थिति उस हद तक नहीं बिगड़ी, जहां भावनाएं कठोर हो जाती हैं और व्यक्ति और संस्थायें एक दृष्टिकोण पर अड़ियल रुख अपना लेते हैं। फिर भी वातावरण काफी सार्थक है और हमें आशा है कि आने वाले समय में इस भीषण समस्या का शान्तिपूर्ण समाधान निकलेगा। उसके लिए मैं फिर से प्रधानमन्त्री महोदय को बधाई देता हूं।

हमें इस बात पर भी बहुत प्रसन्नता है कि यद्यपि यह विचार बहुत समय से चल रहा है। फिर भी आपने पहल करते हुए समिति व्यवस्था लाने के लिए कुछ कदम उठाए हैं जिससे कि हमारी लोकतान्त्रिक प्रणाली और सुदृढ़ होगी और प्रशासन कार्यविधि सुव्यवस्थित बनेगी इस देश के लोगों को बेहतर सरकार और बढ़िया प्रशासन मिलेगा। आपके प्रति पूर्ण सम्मान सहित मैं यह कहूंगा कि ऐसे क्षण भी आए जब आपके द्वारा दिए गए कुछ निर्णयों या आपके दृष्टिकोण पर हममें परस्पर मतभेद था। यह मतभेद केवल विषय या सहमति के मुद्दे तक सीमित था, न कि आपके अथवा पीठासीन अधिकारी के प्रति किसी असम्मान की भावना से प्रेरित था। अगर किसी समय हमने कोई ईर्ष्या उत्पन्न करने वाली बात कही है, उस सम्बन्ध में हम एक बार फिर यह कहना चाहते हैं कि यह किसी प्रकार से असम्मान का संकेत नहीं है इसलिए महोदय, हम आपको, सचिवालय को और कर्मचारियों को धन्यवाद देते हैं, कि उन्होंने सदन के सदस्य

[श्री सोमनाथेश्वर राव वाड्डे]

होने के नाते, अपना कर्त्तव्य निभाने में हमें अपना सहयोग और सहायता दी। महोदया अपनी पार्टी की ओर से, मैं पूर्णरूप से आपके प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य गण, दसवीं लोकसभा का चौथा सत्र आज समाप्त होता है।

इस सत्र के दौरान, जोकि बाइस जुलाई, 1992 को शुरू हुआ था, सदन की 31 बैठकें हुईं जो कि 160 घण्टे तक चलीं।

सत्र की पहली बैठक में, मन्त्री परिषद में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ। इस प्रस्ताव पर चर्चा, जोकि पन्द्रह जुलाई को शुरू हुई, तीन दिन तक चली। 17 जुलाई को, यह प्रस्ताव, मत विभाजन के पश्चात् अस्वीकृत हुआ।

532 प्रश्न तारांकित प्रश्नों की सूची में रखे गये, जिनमें से 78 प्रश्नों का मौखिक उत्तर दिया गया, और 5585 प्रश्नों के लिखित उत्तर दिए गए। तीन आधे घंटे की चर्चायें भी हुईं। जहां तक विधायी कार्यवाही का प्रश्न है, लोकसभा में उन्नीस विधेयक लाये गये। सदन में बीस विधेयक पारित किए गये, जिनमें से एक विधेयक राज्य सभा में पुनः स्थापित किया गया था जिनमें से उल्लेखनीय विधेयक थे —जम्मू और कश्मीर राज्य विधान पालिका (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक, 1992, विदेशी व्यापार (विकास तथा विनियमन) विधेयक 1992, भोपाल गैस विभीषिका (दावा कार्यवाही) संशोधन विधेयक, 1992, पूंजी निर्गम (नियंत्रण) निरसन विधेयक, 1992, विशेष न्यायालय। प्रतिभूति सदव्यवहार अपराध विचारण) विधेयक 1992। संविधान। एकहत्तरवां संशोधन) विधेयक, 1992, पुरः स्थापित किया गया उस पर गौर किया गया और सदन में सर्वसम्मति से पारित हुआ।

8.00 म० प०

जहां तक वित्तीय कार्यों का प्रश्न है 1988-89 के लिए रेलवे और सामान्य अतिरिक्त अनुदानों की मांगें, 1992-93 के लिए अनुपूरक अनुदान मांगें (रेलवे), अनुपूरक खर्च (सामान्य) 1992-93 का ब्यौरा और 1992-93 के लिए जम्मू और कश्मीर का बजट पारित किया गया था।

नियम 193 के अन्तर्गत चार अल्पावधि चर्चाएं की गई थीं, जिसमें से महत्वपूर्ण थी—बैंक प्रचालन अनियमितताएं, जो करोड़ों रुपये में थी और जिसके परिणामस्वरूप इस विषय पर संयुक्त संसदीय समिति गठित की गई। देश में सूखे की स्थिति और राम-जन्म भूमि बाबरी मस्जिद विवाद पर प्रधान मंत्री द्वारा वक्तव्य। हमारे लिए यह सौभाग्य की बात है कि सभी के सहयोग के साथ इन्हें बेहतर तरीके से निपटाया गया।

सभा ने सांविधिक संकल्पों पर भी चर्चा की और उन्हें पारित किया जिनमें राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत जम्मू और कश्मीर में लागू उद्घोषणा को 3-9-92 से और छः माह के लिए लागू करने सम्बन्धी अनुमति तथा राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत नागालैंड में लागू उद्घोषणा को 2-10-92 से और छः माह के लिए लागू करने सम्बन्धी स्वीकृति शामिल थी।

परिवहन हड़ताल के सम्बन्ध में एक 'ध्यानाकर्षण प्रस्ताव' पर चर्चा की गई थी जिसके परिणामस्वरूप आवश्यक वस्तुओं की कमी हो गई थी और उनकी कीमतें बहुत बढ़ गई थीं और हमारे लिए यह सौभाग्य की बात रही कि जिस दिन यह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव चर्चा के लिए लाया गया था उसी दिन वह विषय सुलझ गया था। नियम 377 के अन्तर्गत 149 मामले उठाए गए थे।

वर्तमान सत्र में, सदन में हंगामे और कठिन परिस्थितियों के कारण कार्य संपादित नहीं हुआ। तथापि, विरोध संसदीय लोकतन्त्र का एक अंग है और कभी कभी इसकी अभिव्यक्ति गंभीर रूप ले लेती है। मैं उम्मीद करता हूं कि भविष्य में हमारे समक्ष अनुकूल परिस्थितियां होंगी। अगर हम संविधान के प्रावधानों और नियमों का अनुपालन करते हुए कार्य करें तो और प्रभावी ढंग से और शीघ्रता से काम कर सकेंगे।

निजी सदस्यों ने सदन में विधेयक और प्रस्ताव लाने में गहन रुचि दिखाई। उन्होंने अलग-अलग विषयों पर 19 विधेयक प्रस्तुत किए। आठवीं अनुसूची में मणिपुरी और नेपाली भाषाओं को शामिल करने सम्बन्धी संविधान में संशोधन करने सम्बन्धी विधेयक को सदन के सभी पक्षों से पूर्ण रूप से समर्थन मिला। तथापि, सरकार द्वारा यह आश्वासन दिए जाने के बाद कि इस विषय पर एक सरकारी विधेयक विचाराधीन था, यह विधेयक वापस ले लिया गया था।

सरकार ने अपनी वचनबद्धता को निभाते हुए संविधान (इकहत्तरवां संशोधन) प्रस्तुत किया और यह पारित भी हो गया। इस विषय पर मैं कहना चाहता हूं कि सभी नियमों को एक तरफ रखते हुए पूरे सदन के सहयोग के साथ हम ऐसे तरीके से काम कर सकते हैं, जो कि इस सदन के सभी सदस्यों को स्वीकार्य हो। जबकि एक तरफ हम नियमों का पालन करते हुये शीघ्रता से काम कर सकते हैं लेकिन कभी-कभी नियमों के बिना भी हम और भी शीघ्रता से काम कर सकते हैं।

एक गैर सरकारी सदस्य संकल्प, जिसने उन्होंने सरकार से भोपाल गैस पीड़ितों को शीघ्र मुआवजा देने के लिए कदम उठाने के लिए आग्रह किया था, ने सदन में विशेष रुचि उत्पन्न की और मंत्री महोदय ने भी इस मुद्दे पर सदस्यों के साथ अपनी चिंता व्यक्त की थी। मंत्री जी के द्वारा यह आश्वासन दिए जाने के पश्चात कि पीड़ित व्यक्तियों को मुआवजा देने की प्रक्रिया को तीव्र करने के लिए सरकार सभी आवश्यक कदम उठा रही है, यह संकल्प वापस ले लिया गया था। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में पूंजी अपनियोजन की नीति की पुनरीक्षा से संबंधित अन्य संकल्प पर कुछ ही चर्चा हुई।

जैसा कि माननीय प्रधान मंत्री ने कहा था और मैं भी ऐसा ही सोचता हूं कि यह सत्र कठिन, सार्थक और उपयोगी था। यह कठिन इस कारण था क्योंकि वाद-विवाद काफी उत्साहपूर्ण थे और कभी-कभी सदन में काफी शोरगुल रहा था परन्तु यह उपयोगी इसलिए था क्योंकि बजटीय प्रावधानों की स्वीकृति दी गई थी। विधेयक पारित किए गए थे और महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई थी। इसी अवधि के दौरान भारत के राष्ट्रपति और उप राष्ट्रपति के चुनाव हुए थे और सदस्यों को इस चुनाव में मत डालने का अवसर मिला और उन्हें हमारे राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति को चुनने का सम्मान मिला। इसके लिए यह सदन उन्हें हार्दिक बधाई देता है।

8 अगस्त, 1992 को भारत छोड़ो आन्दोलन की पचासवीं वर्षगांठ मनाने के लिए संसद के दोनों सदनों के सदस्यों की एक बैठक हुई थी। इसे भारत के माननीय राष्ट्रपति और माननीय प्रधान

मंत्री ने सम्बोधित किया था। इसमें अनेक स्वतन्त्रता सेनानी अन्य उच्चपदाधिकारी और राजनयिक उपस्थित थे।

उसी दिन लोक सभा की एक विशेष बैठक हुई थी जिसमें भारत छोड़ो आंदोलन के समय के स्वतन्त्रता सेनानियों और दूसरे स्वतन्त्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिये एक संकल्प प्रस्तुत किया गया था। यह प्रस्ताव एकमत से पारित किया गया था।

जिस समिति प्रणाली को हम अपनाना चाहते हैं उसका भी उल्लेख किया गया। मैं यह कहना चाहता हूं कि इसका श्रेय सदन के नेता और विपक्ष के नेता को दिया जाना चाहिए। हम आशा करते हैं कि अगले बजट सत्र में समिति प्रणाली होगी और हम अपना कार्य पूरा कर पायेंगे। मेरा कहना है कि इसका श्रेय सदन के नेता और विपक्ष के नेता को दिया जाना क्योंकि मूलरूप से उन्होंने यह विचार प्रस्तुत किया था।

मैं माननीय सदस्यों, सदन के नेता और विपक्ष के नेता, विभिन्न दलों और समूहों के नेताओं, संसदीय कार्य मंत्री, माननीय उपाध्यक्ष महोदय और माननीय सभापतियों और सचिवालय के अधिकारियों और विभिन्न दलों के सचेतकों को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे अपना सहयोग दिया क्योंकि इसके बिना मेरा कार्य आसान नहीं होता।

जो स्नेह और सद्भावना आपने मेरे और मेरे सहयोगियों के प्रति दिखाई है, वही हमारी वास्तविक शक्ति है जिसका उपयोग हम सदन और भारत के लोगों के प्रति अपना फर्ज निभाने के लिए करेंगे।

सदन में कल जो कुछ हुआ था उसका भी उल्लेख किया गया था। यह संसदीय प्रणाली और लोकतन्त्र का एक अंग है। कभी-कभी वह हद से बाहर हो जाता है परन्तु फिर भी यह उसके मूल उसके तत्व—को बनाए रखता है जिस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। जो कुछ भी हुआ पीछे शाब्द विचारों को व्यक्त करने की इच्छा ही थी मेरे विचार में हमें उसी भावना से लेना चाहिए जिससे वे इन्हें व्यक्त करना चाहते थे। हमें ऊपरी विचारों को महत्व न देते हुए उसकी भावना पर ध्यान देना चाहिए। अगर विचार अच्छा हो तो ठीक है परन्तु अगर विचार अच्छा न हो लेकिन भावना अच्छी हो तो हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए।

मैं सभा में सभी सदस्यों, नेताओं और अधिकारियों द्वारा दिए गए विपुल सहयोग को याद रखूंगा। प्रत्येक व्यक्ति इसी की कामना करता है और इसके द्वारा ही कार्य सम्पन्न होता है।

अब मैं घोषणा करता हूं कि सभा अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो।

8·10 म. प.

तत्पश्चात् लोक सभा अनिश्चित काल के लिए स्थगित हुई।

मुद्रक : विन्ध्यवासनी पैकेजिंग, न्यू सीलमपुर, दिल्ली